(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] दसवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का नवां दिवस [संख्या : 6

शुक्रवार,

31 मार्च, 1995

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, उपाध्यक्ष, पदासीन।)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसादीलाल मीणा।

ग्राम अलीपुरा (लालसोट) में भू-आबंटन सलाहकार समिति की बैठक

161. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या माह फरवरी, 1995 में दौसा जिले की लालसोट तहसील के ग्राम अलीपुरा (डोब) में भू-आबंटन सलाहकार समिति की बैठक रखी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त बैठक का समय कितने बजे का था ?

(2) क्या यह सही है कि उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं विकास अधिकारी के दोपहर 1.00 बजे बाद भी ग्राम पंचायत मुख्यालय डोब नहीं पहुंचने के कारण जन-प्रतिनिधि एवं लोग चले गये थे ? यदि हां, तो निर्धारित समय के बाद बैठक संचालित करने का क्या औचित्य था ?

(3) क्या निर्धारित समय के बाद आयोजित बैठक में भू-आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो आबटियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त आबंटन को निरस्त करने का विचार रखती है ?

(5) क्या किसी जन-प्रतिनिधि द्वारा एक बजे बाद तक इन्तजार करने के बाद उक्त आयोजित बैठक को आगामी दिवस हेतु स्थगित करने के लिए उपखण्ड अधिकारी के नाम जन-प्रतिनिधि ने सम्बन्धित पटवारी को पत्र लिखकर दिया था ? यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) माह फरवरी, 1995 में ग्राम अलीपुरा की सीलिंग भूमि के आबंटन हेतु पंचायत मुख्यालय डोब में भू-आवंटन सलाहकार समिति की बैठक रखी गयी थी। इस बैठक

(श्री गंगाराम चौधरी)

के प्रारम्भ होने का समय प्रातः 10.00 बजे का था।

(2) यह सही है कि दिन के 1.10 बजे उप-खण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार के पहुंचने पर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। जन-प्रतिनिधियों से उस समय सरपंच उपस्थित थे किन्तु माननीय विधायक महोदय जा चुके थे तथा प्रधान बावजूद बैठक की सूचना उपस्थित नहीं हुए थे। इसके अतिरिक्त 150 व्यक्ति, जिनमें 53 वे व्यक्ति भी शामिल थे जिन्हें भूमि आवंटित की गयी, उपस्थित थे। चूंकि बैठक स्थल पर अन्य सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित थे तथा आवंटन सलाहकार समिति की बैठक हेतु निर्धारित कोरम भी पूर्ण था इसीलिए आवंटन की कार्यवाही नियमानुसार कर दी गयी।

(3) भाग संख्या 2 में दिये गये विस्तृत जवाब के अनुसार भू-आवंटन की कार्यवाही विधिवत् हुई है। आवंटियों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। किन्तु वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। नियमानुसार एक दिवस के लिए बैठक स्थगित किया जाना सम्भव नहीं

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-I देखें।)

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया, 24 फरवरी को वहां अलाटमेंट की मीटिंग रखी इसमें समय 10.00 बजे का था। मैं वहां 10 बजे पहुंच गया। अधिकारी तहसीलदार, बी. डी. ओ. और एस. डी. ओ., जो उक्त कमेटी के चैयरमेन थे, 1.00 बजे तक वहां पर नहीं आये, क्या माननीय मंत्रीजी आप इसको ठीक मानते हैं? 1.00 बजे तक नहीं आने के बाद क्या बैठक स्थगित करना जरूरी नहीं था?

दूसरा मेरा सवाल है, आपने जैसा बताया, मैंने एक दिन के लिए बैठक स्थगित करने के लिए नहीं लिखा था, मैंने यह लिखा था कि आज 10.00 बजे के बजाय 1.00 बजे तक मैं यहां पर आपकी इन्तजार करके जा रहा हूं और आगे कभी भी आप इस अलाटमेंट की मीटिंग रख लें, अधिकारी वहां पर 1.10 की जो बात बता रहे हैं वह बिलकुल गलत है, वहां पर आपके अधिकारी 4.00 बजे पहुंचे, सुबह जब मैं वहां लालसोट आया तो मैंने तहसीलदार को टेलीफोन किया, बी. डी. ओ. को टेलीफोन किया और यह कहा कि क्या आज अलाटमेंट की मीटिंग होगी तो तहसीलदार ने यह कहा, साहब, मेरे पास जानकारी नहीं है। बी.डी.ओ. ने कहा मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। प्रधान वहां पर मौजूद था, प्रधान को जानकारी नहीं दी गयी और एस डी ओ ने वहां पर मनमाने तरीके से 4.00 बजे जाकर अलाटमेंट किया, मेरा सबसे बड़ा एतराज यह है कि क्या जन प्रतिनिधि वहां पर 4-4 घण्टे इन्तजार करते रहेंगे और फिर आपके अधिकारी वहां पर 4.00 बजे मनमानी तरीके से जाकर अलाटमेंट करेंगे? आप उस अलाटमेंट को क्या सही मानते हैं? इस तरह की तौहीन जन प्रतिनिधियों की है। तो आप बता दीजिये कि हम 4.00

(श्री परसादीलाल मीणा)

बजे तक इन्तजार करें ? घण्टे, आधे घण्टे, 15 मिनट, 20 मिनट की बात हो जाये। यह जन-प्रतिनिधियों की बहुत बड़ी तौहीन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले यहां पर सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि प्रधान और विधायक दोनों में से अगर कोई नहीं होगा तो अलाटमेंट नहीं होगा। क्या, माननीय मंत्रीजी, यह सही है ?

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन आवटन अधिकारी के देर से पहुंचने का कारण यह रहा, हमारे दौसा में केवल एक ही सब डिविजन है और उसका हडक्वार्टर दौसा में है, उस दिन जमातुलविदा का त्योहार था, लॉ-एण्ड-आर्डर की सिचुएशन को ध्यान में रखने के लिए एस.डी.ओ. हैडक्वार्टर छोड़ नहीं पाये। जिला कलक्टर ने उनको निर्देश दिये थे कि आप सभी समुदाय....

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, अगर निर्देश ही दिये थे तो मीटिंग आप केन्सिल कर देते, अगले दिन हमको सूचना देते। हम वहां पर हमारी पर्सनल गाड़ी लेकर गये, 4.00 बजे तक कोई सूचना नहीं। वहां पर पटवारी के अलावा आपका गिरदावर नहीं, आपका तहसीलदार नहीं। कोई अधिकारी नहीं जाये और आप यह कहते हो कि लॉ-एण्ड-आर्डर की सिचुएशन यह थी। कलक्टर ने अनुमति दी तो आपने क्यों नहीं उस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया ? क्यों आपने अलाटमेंट किया ? आपने मीटिंग को पोस्टपोन क्यों नहीं किया ? अगर इस तरह की पोजिशन थी तो आपको हमको सूचना देनी चाहिये थी कि आज मीटिंग नहीं हो सकती है। मैंने जब तहसीलदार से 10.00 बजे पूछा, तहसीलदार ने यह कहा कि मेरे को कोई जानकारी नहीं है और मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा। बी. डी. ओ. ने यह कहा कि मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा। उसके बाद दोनों-तीनों अधिकारी मिलकर वहां अलाटमेंट करने गये, क्या आप इसको ठीक मानते हैं ? मैं जो कह रहा हूं अगर वह बात सही नहीं है तो, मंत्रीजी, आप सदन की कमेटी बना दीजिये और उससे जांच करवा लीजिये। इस तरह का गैर-जिम्मेवाराना जवाब आप जैसे सीयिर मिनिस्टर को यहां पर नहीं देना चाहिये। मेरी कोई भावना इसके पीछे गलत नहीं है पर जन-प्रतिनिधियों के साथ जो अधिकारी इस तरह कर रहे हैं कि एम. एल. ए. 10.00 बजे पहुंचे और आपके अधिकारी 4.00 बजे पहुंचे; हम उनके नौकर हैं या आपने हमको वहां पर टी.ए.डी.ए. अलाउ कर रखा है ? किसी भी माननीय सदस्य को अलाटमेंट कमेटी की मीटिंग का कोई टी.ए.डी.ए. नहीं मिलता है। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है फिर भी जनता के हित के लिए सारे माननीय सदस्य अपना खर्चा लगाकर वहां पर जाते हैं और उनकी इस तरह तौहीन होती है। यह एक ही घटना नहीं हैं, उपाध्यक्ष महोदय, अभी 15 मार्च को फिर एस. डी. ओ. ने मीटिंग रखी कालवास में, वहां भी 10.00 बजे मैं पहुंचा फिर वह दुबारा वहां 2.00 बजे पहुंचे। क्या एक बार की घटनाएं हैं। उसके बाद आप 14 मार्च का देख लीजिये कि आपका एस.डी.ओ. कितने बजे पहुंचा कालवास

(श्री परसादीलाल मीणा)

पर। एक घटना नहीं, अनेक घटनायें हैं। इस तरह आप अलाटमेंट करेंगे? क्या हम नौकर हैं आपके? क्या हमको आप टी.ए.-डी.ए. देते हैं? क्या आप गाड़ी अवेलेबल कराते हैं? हमारा खुद का खर्चा लगाकर सब माननीय सदस्य जाते हैं। यह बहुत गम्भीर चिन्ता का विषय है। अलाटमेंट सही हुआ या गलत हुआ, मैं इसमें जाना नहीं चाहता पर यह तो तौहीन हुई है उसके लिए, माननीय मंत्रीजी, आपको खेद व्यक्त करना चाहिये और उन अधिकारियों के खिलाफ आपको कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी को सुन लें। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : अलाटमेंट खारिज करें आप, दुबारा मीटिंग रखवायें और अधिकारियों को पाबन्द करें कि 10.00 का टाइम है तो 10.00 बजे जायं आप एस.डी.ओ., तहसीलदार और बी. डी. ओ. के खिलाफ कार्यवाही करें। अगर मैंने उन तीनों को नहीं पूछा और उन्होंने मीटिंग में जाने से मना नहीं किया तो आप सदन की कमेटी बना दीजिये, मेरे को कोई एतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री जी का जवाब सुन लीजिये। मंत्रीजी का जवाब सुन लें उसके बाद कार्यवाही के लिए....(व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान (लाड़पुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो भी साधन से हम लोग जाते हैं कई बार, आप विश्वास कीजियेगा, अधिकारी जो जीप पर जाते हैं उनकी धूल खाते-खाते पीछे एम.एल.ए. जाता है। अव्वल तो इस बात की बिलकुल पूरी जानकारी होनी चाहिए और मैं यह बिलकुल निवेदन करता हूं आपसे बहुत विनम्र भावना से कि चाहे उनका कोई स्वार्थ रहता हो, चाहे कोई और कारण हो यह वे जानें लेकिन अधिकारी लोग बिलकुल इस बात का प्रयास करते करते हैं कि जन-प्रतिनिधि उससे अछूता रहे। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि यदि आप जन प्रतिनिधियों को कुछ प्रोत्साहित करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि वे अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकें तो मेरी आपसे याचना और प्रार्थना है कि कम से कम इस विसंगति को समाप्त कीजिये और अगर यह विसंगति आपने समाप्त नहीं की तो विश्वास कीजियेगा, किसी न किसी दिन कुछ ऐसी घटना हो सकती है जन-प्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच में जो न सरकार को सुहायेगी और न हमको सुहायेगी और न अधिकारियों को सुहायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल जी। आप एक मिनट विराजिये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, यह दौसा जिले का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : चुन्नीलालजी बोल रहे हैं। मंत्रीजी जवाब दे रहे।

श्री हरिसिंह : साथ की साथ जवाब आ जायेगा। (व्यवधान)

Page No. 5

(5)

(श्री हरिसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से थोड़ा सा एक निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने अपने जवाब में यह बताया है कि उस दिन कोई त्यौहार था, लॉ-एण्ड-आर्डर की सिचुएशन पैदा हो सकती थी, कलक्टर साहब ने एस.डी.ओ. को वहां रोक लिया। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो एक बहाना मात्र है। यह सही है कि दौसा जिले में एक ही एस.डी.एम है। यह भी मान लेंगे लेकिन वहां पर ए.डी.एम. तो है लॉ-एण्ड-आर्डर की पोजिशन मेन्टेन करने वाला ए.सी.एम. वहां है, लॉ-एण्ड-आर्डर की पोजिशन उनसे भी मेन्टेन करवा सकते थे। जब एस.डी.एम. ने एक डेट फिक्स कर दी और डेट फिक्स करने के बाद में उन्होंने टाइम दे दिया, उस समय जन प्रतिनिधियों में तीन में से मात्र एक ही जन प्रतिनिधि था, हो तो संस्था के चुनाव हो रहे थे, पंचायत के चुनाव नहीं प्रधान के चुनाव नहीं थे, सिर्फ एक एम.एल.ए. को अटैण्ड करना था, क्या आप यह उपयुक्त मानते हैं कि जन प्रतिनिधियों को बाई-पास करके अलाटमेंट की कार्यवाही कर ली जाय? इस ढंग से कार्यवाही की गयी है उसमें कुछ संदेह पैदा हो रहा है इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं कि पूरी अलाटमेंट की कार्यवाही को निरस्त करने की घोषणा करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय....(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय....

श्रीमती कमला (बैराठ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहती हूं कि इसमें कोई बहुत ज्यादा विवरण देने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आप स्वयं मान रहे हैं कि अलाटमेंट करने के समय में सक्षम अधिकारी वहां समय पर नहीं पहुंच पाये और जब नहीं पहुंच पाये तो यह तो सम्भव है और बिलकुल जैनुइन है भी कि किसी कारण से नहीं पहुंच पाये लेकिन यह कैसे बरदाश्त किया जा सकता है, इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है समय पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचे, समय पर अलाटमेंट की कार्यवाही नहीं हो और उसके बाद में अलाटमेंट की कार्यवाही कर दी जाय? यह आपत्तिजनक स्थिति है। इसलिए उस कार्यवाही को तुरन्त निरस्त किया जाय और वापस मीटिंग बुलाकर उसको किया जाय और जिन अधिकारियों ने मिलकर इस तरह से गुपचुप में समय के बाद में अलाटमेंट किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। इसमें कहीं कोई विवरण और जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि 10 बजे वे नहीं पहुंच पाये थे क्योंकि कोई त्यौहार था, लॉ-एण्ड-आर्डर की स्थिति थी

(श्री शिवनाथ सिंह)

और फिर आपने यह भी कहा कि 1.10 बजे वहां पहुंच गये । जबकि माननीय सदस्य कह रहे हैं 4.00 बजे के बाद में वहां पहुंचे हैं । बात भी सही है कि लॉ-एण्ड-आर्डर के लिए वे रुके हैं और एक बजे उस स्थान पर पहुंच कर मीटिंग दिखाकर आते हैं, इसका मतलब सब फर्जी मामला है । फिर जन-प्रतिनिधि जहां कोई है नहीं, न प्रधान है, न एम.एल.ए. है तो किस बात की यह मीटिंग रखी जाती है । इस प्रकार की जो फर्जी कार्यवाही की गयी । उस कार्यवाही को रद्द किया जाय और उन माननीय, माननीय तो मैं नहीं कह सकता, जिन्होंने मिलकर षड्यंत्र किया है और अपने निहित स्वार्थों के लिए अलाटमेंट किया है, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई विवाद का विषय तो नहीं है, प्रश्न सिर्फ इतना है कि सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से परिपत्र चला जाय कि जन-प्रतिनिधियों को साथ लेकर, उनसे डेट फिक्स करने के बाद ही सभी अलाटमेंट कमेटी की मीटिंग रखी जाय । (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : यह पहले से है । यह परिपत्र जारी है, परिपत्र की अवहेलना की गयी । (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, सारे परिपत्र हैं । (व्यवधान) यह सदन है और हम इसमें अपनी भावना व्यक्त करेंगे । (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, सारे निर्देश जारी हैं लेकिन अधिकारी नहीं चाहते कि विधायक हमारी बैठक में आये । आप कहो तो मैं उदाहरण देकर कह सकती हूं कि सिरोही जिले में 1994 से लेकर 1995 एक साल की कार्यवाही मंगाकर जांच करवा लें । आपके यहां से निर्देश हैं कि बैठक शनिवार को होनी चाहिए । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : विधान सभा की कार्यवाही चल रही है और पीछे से अलाटमेंट कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : एक भी बैठक शनिवार को नहीं हुई । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भीलवाड़ा एस.डी.ओ. ने भी ...

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये । कालूलाल जी गुर्जर । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह अलाटमेंट कैन्सिल होना चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : अधिकारी चाहते ही नहीं कि कोई विधायक बैठक में आये । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये । अहम् मुद्दा है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य ; जन-प्रतिनिधियों की बिना उपस्थिति में जो कार्यवाही होती है उसको निरस्त किया जाय । (व्यवधान)

Page No. 7

(7)

एक माननीय सदस्य : इस समय विधान सभा की कार्यवाही चल रही है। (व्यवधान)

श्री गोपीचन्द गुर्जर (नगर) : .... उपाध्यक्ष महोदय, इसकी व्यवस्था की जाय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : जो जन-प्रतिनिधियों....(व्यवधान) ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय। यह फैसला सदन के अन्दर किया जाय....

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनें।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : जन-प्रतिनिधियों की उपेक्षा कर रहे हैं। अधिकारी लोग चोरी करते हैं, जन-प्रतिनिधियों की उपेक्षा करते हैं जनहित के खिलाफ कुछ फैसले कर लेते हैं उनको दण्ड दिया जाय और जिनके ....(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बहुत ही विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं....

श्रीमती कमला : ....और इससे बैठक में प्रधान या विधायक या जन-प्रतिनिधि के बिना अलाटमेंट नहीं होगा। उसके बावजूद भी यह हुआ है, आप उसको जस्टिफाई नहीं करें और ये अधिकारी जान-बूझकर....(व्यवधान)

श्री गोपीचन्द गुर्जर : ....सड़कें बन रही हैं और हाथों-हाथ उखड़ रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बजट लेप्स हो रहा है, अधिकारी काम नहीं कर रहे। उन अधिकारियों को निलम्बित किया जाय, अधिकारियों पर दायित्व फिक्स किया जाय। अधिकारियों के लिए किसी तरह का संरक्षण नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं निवेदन करना चाहूंगा, मंत्रीजी, मेरा निवेदन सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : सारे सदस्यों की सारी बातें आ गयी हैं। मंत्रीजी की बात सुनें। मंत्रीजी का वक्तव्य सुन लें, फिर कोई बकाया एम्बीग्युटी रह जायेगी तो और पूछ लेना। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम और अवधारणा है कि कोई भी मीटिंग होती है और समय के बाद आधा घण्टे के अन्दर अगर कोई माननीय सदस्य नहीं आते हैं और कोरम पूरा नहीं होता तो वह मीटिंग अपने आप स्थगित हो जाती है और अगर उसके अन्दर कोई काम किया जाता है, बाद में, वह सब गैरकानूनी काम होगा। वह वैसे ही खारिज होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : (आहोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अलाटमेंट निरस्त करने का दिमाग बना लिया है तब तो बहुत उचित है और न्याय-पूर्ण है। मगर आपने अलाटमेंट निरस्त करने का दिमाग नहीं बनाया है तो मैं

(श्री भगराज चौधरी) .

आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस अलटमेंट के साथ में एक कानूनी मुद्दा भी जुड़ा हुआ है और वह है कोरम का। जब मीटिंग 10 बजे रखी गयी थी उस वक्त में कोरम ही पूरा नहीं हुआ....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये । सारे माननीय सदस्यों की भावना से अवगत हो गये हैं मंत्रीजी। माननीय मंत्रीजी। आप विराजिये ।

श्री भगराज चौधरी : ....और कोरम 4.00 बजे किसी भी सूरत में नहीं था....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय सदस्य । बिराजिये ।

श्री भगराज चौधरी : कोरम के अभाव में 10.00 बजे वाली मीटिंग, आप कोरम कब मानेंगे, बात यह है । कोरम नहीं हुआ है निश्चित समय पर और जब निश्चित समय था 10.00 बजे का, 4.00 बजे के आसपास.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी । (व्यवधान)

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, दो बातें आयी थीं यहां पर एक तो यह कि उस दिन लेट क्यों पहुंचे और दूसरी, उन्होंने मीटिंग को स्थगित क्यों नहीं किया । मैं पहले यह बता देना चाहता हूं, फिर जो सदन की मंशा होगी उसी हिसाब से निर्णय लिया जायेगा । देरी से पहुंचने का कारण मैंने बताया था....(व्यवधान) एक मिनट सुन लें ।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : मंशा का मतलब पता नहीं चला क्या आपको । (व्यवधान)

श्री गंगाराम चौधरी : आप जो चाहेंगे वही होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : बात सुनें पूरी ।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह आवंटन था, सीलिंग में अवाप्त भूमि का आबंटन था। सीलिंग में जो एक्वायर कर लेते हैं उस भूमि का आबंटन था। सरकार की ओर से बार-बार यह तकाजा किया जा रहा था कि 31 मार्च तक सीलिंग की जो अवाप्त भूमि है उसको अधिक से अधिक आबंटित कर दी जाय उसका टार्गेट फिक्स होता है। रूरल मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट आफ इण्डिया की तरफ से बार-बार चिट्ठी आती है कि सीलिंग में अवाप्त भूमि का आबंटन किया जाय। एक दफा पहले भी जनवरी के अन्दर आबटन की बैठक रखी थी, उसको भी स्थगित करना पड़ा था। इसलिए उस टार्गेट की पूर्ति की वजह से दोबारा उसको स्थगित नहीं कर पाये (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बात पूरी सुनें ।

श्री गंगाराम चौधरी : अब सदन की यह मंशा है कि इसका जो आदेश....

श्री उपाध्यक्ष : बात पूरी सुनें ।

श्री राजेन्द्र पारीक : आदेश निरस्त किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। बात तो पूरी। आप हल चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं ? हल चाहते हैं तो पूरी बात सुन लीजिये, उसके बाद कोई बात होगी तो वह भी पूछ लेंगे। (व्यवधान)

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : ....एस.डी.ओ. के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं, यह बता दें। और क्या हल होगा ? आप यह बता दें, मंत्रीजी, कि एस.डी.ओ के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री गगाराम चौधरी : आम तौर पर....

श्री उपाध्यक्ष : बात तो नहीं सुनेंगे ?

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आम तौर पर यह आदेश है कि उन प्रतिनिधियों, खासकर विधायक महोदय से सम्पर्क करके, कंसल्टेशन के बाद ही तारीख मुकर्रर करें (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : नहीं कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ये सब सदस्यों की बातें....

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात बिलकुल गलत कह रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : आप एस-डी.ओ. की कह रहे हैं, आपके आदेश को पटवारी नहीं मानता है।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, ये जो निर्देश की बात कह रहे हैं, राज्य सरकार से आदेश पहले से हुए हुए हैं। राज्य सरकार के स्टेण्डिग आदेश है कि कोई भी महत्वपूर्ण मीटिंग हो तो वह शनिवार को बुलायी जाय ताकि विधायक उसमें भाग लें....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, बातें सारी आ चुकी हैं। सारी बातें मंत्रीजी के ध्यान में आ चुकी हैं, उनका रिप्लाई दे रहे हैं वे।

श्रीमती तारा भण्डारी : आप जांच करवा लें, 1994 से लेकर 95 तक सिरोही में गवर्निंग कौंसिल की कितनी मीटिंग शनिवार को बुलायी गयीं। उपाध्यक्ष महोदय, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप शनिवार को बैठक बुलवाइये। वहां के अधिकारी मनमर्जी से बैठक बुलाते हैं और वे चाहते हैं कि विकास की योजनाओं में विधायक नहीं आयें। मनमर्जी से वे सारे काम खुद कर देते हैं। हमारी योजनाओं का पैसा लैप्स होगा क्योंकि अधिकारी खुद मनमर्जी से काम ले रहे हैं, जबकि काम शुरू नहीं हुए....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजिये। आपकी पूरी बात सुन ली गयी है।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं निवेदन कर रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल चुके हैं····

श्री अर्जुनदास मदान : आप चाहे तो सी. एस. का सर्क्यूलर दिखा सकता हूं। प्रशासन का सर्क्यूलर कि कोई भी मीटिंग शनिवार के अलावा नहीं आयोजित की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : हमारी बात गलत हो तो आप जांच करवा लीजिये। (व्यवधान)····एक भी मीटिंग शनिवार को नहीं हुई, आप जांच करवा लें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप विराजिये।

मेरा निवेदन है कि आप मंत्रीजी की बात पूरी सुन लें, उसके बाद ही पूछें। सब लोग बोल रहे हैं (व्यवधान) सारे दिन बात चलती रही तो मंत्रीजी अपनी बात नहीं कह पायेंगे और····

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं, जो निर्देश राज्य सरकार की तरफ से अब तक जारी हुए हैं उनकी अनुपालना सख्ती से की जाय। एक बात तो यह है कि पुनः राज्य सरकार की ओर से आदेश भिजवा देंगे। एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं सदन के सामने कि बैठक का समय निर्धारित करने के एक घण्टे के बाद से ज्यादा मीटिंग में राह नहीं देखी जाए और अगर एक घण्टे तक अफसर पहुचे तो मीटिंग को स्थगित कर दिया जाए, यह आर्डर हमारी तरफ से हम जारी कर देंगे (व्यवधान)

श्री महेन्द्रकुमार मीणा (सिकराय) : उपाध्यक्ष महोदय, अलाटमेंट है वह निरस्त किया जाय····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री महेन्द्रकुमार मीणा : और एस.डी. ओ. जो कि भ्रष्ट आचरण का है, रिश्वत खाता है, बिना विधायक के, जन प्रतिनिधि के अलाटमेण्ट करता है उसको दण्डित किया जाए। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : बैठक के समय से आधा घण्टे तक इन्तजार किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : बात तो पूरी सुन लें आप पहले।

श्री गंगाराम चौधरी : अब तक जो आवंटन नियमों में अलाटमेंट कमेटी है उसका जो कोरम है, उसको भी बदलने की अगर इच्छा है तो राज्य सरकार इस पर पुर्नविचार कर लेगी, मैं इतना ही आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, भाटी साहब।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : यह अलाटमेंट रद्द कीजिये आप।

श्रीमती कमला (बैराठ) : हमारा कहना

(श्रीमती कमला)

है कि जो अलाटमेंट गैर-कानूनी किया गया है उसको कैंसिल किया जाए और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें, भाटी साहब बोल रहे हैं।

श्रीमती कमला : और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय और····(व्यवधान) सदन चलने के दौरान कोई भी बैठक नहीं होगी। नियमों की अनुपालना की जाए····(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, भाटी साहब कोई बात बोल रहे हैं।

श्रीमती कमला : आपने जवाब ही नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें। बिराजें।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : अलाटमेंट कैंसिल किया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात तो जो माननीय मंत्री महोदय ने सदन को बताया कि उस दिन कोई त्यौहार था और उन एस.डी.ओ. साहिबान को लॉ एण्ड आर्डर मेण्टेन करने के लिए कलक्टर साहब ने रोक रखा था। पहली गलती तो उस एस.डी.ओ. साहिबान ने यह की कि क्या उनको इस त्यौहार का पता नहीं था। किसी सरकारी अधिकारी को सरकारी छुट्टी का पता नहीं हो जबकि सरकारी कलैण्डर उनके यहां टंगा रहता है, तो उस छुट्टी के दिन क्यों तो उन्होंने मीटिंग रखी। पहली गलती तो यह। दूसरी गलती यह कि वह मीटिंग में पहुंच नहीं पाये तो उन्होंने माननीय विधायकों को इत्तला नहीं की। फिर माननीय विधायकों के जाने के बाद, 4 बजे जाकर, दूसरी गलती यह कि विधायकों को इत्तला नहीं की। तीसरी गलती यह कि सबके जाने के बाद पता चल गया गांव में जाने के बाद कि विधायक महोदय पधारे थे तो उनकी इज्जत नहीं करके उन्होंने वहां बैठ कर के मनमाने तरीके से अलाटमेंट किया। जब एक सरकारी अधिकारी तीन-तीन गलतियां एक साथ एक ही दिन में कर सकता है और जब इस पक्ष के लोग भी यह कहते हैं कि अधिकारी लोग हमारी सुनते नहीं, हम लोग भी यह कहते हैं कि हमारी सुनते नहीं तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे अधिकारी, जिसने एक ही दिन में तीन-तीन गलतियां की हों, को दण्डित करें ताकि दूसरे जो राजस्थान के कोने-कोने में अधिकारी बैठे हैं उन अधिकारियों को एक मैसेज जाय····

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री भीमराज भाटी : नहीं तो यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। विधान सभा में भी अगर हम विधायक कुछ नहीं कर सके तो ·· (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बात पूरी हो चुकी है।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, आवंटन कैंसिल किया जाय···· (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामपाल उपाध्याय ।

श्रीमती कमला : गैर-कानूनी कार्यवाही को क्यों बचा रहे हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये । आपकी पूरी बात हो गयी और पूरे 25 मिनट इस काम में लगे हैं । एक प्रश्न पर 25 मिनट (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी (आहौर) : आबंटन केंसिल किया जाए ।

श्रीमती कमला : गैर-कानूनी कार्यवाही को क्यों बचा रहे हैं ?

श्री बनवारी लाल बैरवा : आबंटन केंसिल किया जाय ।

श्री हीरालाल सहरिया : आबंटन को रद्द किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : पूरे 25 मिनट इस प्रश्न पर हो चुके हैं ।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, यह गैरकानूनी कार्यवाही को संरक्षण दिया जा रहा है····(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अधिकारी आपके मंत्री से ऊपर हैं (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गैरकानूनी कार्यवाही को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है और यह विधायकों की तौहीन है । उनका अपमान है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें आप । आगे का प्रश्न लेनें दे । इस पर काफी चर्चा करा दी है (व्यवधान)

श्रीमती कमला : उन अधिकारियों को माननीय मंत्री महोदय क्यों बचाना चाहते हैं ? गलत कार्यवाही को क्यों रखना चाहते हैं ? माननीय सदस्यों का अपमान है । (व्यवधान) इनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह घटना नहीं है (व्यवधान) अनेक घटनाएं हैं । हो सकता है आने वाले समय में बहुत बड़े टकराव की स्थिति पैदा हो जाए, अशांति हो जाय । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अलाटमेंट रद्द किया जाय । (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अधिकारियों और विधायकों के बीच में टकराव भी हो सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें आप । (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अशांति की जिम्मेदारी आपकी होगी । एस.डी.ओ. को (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अधिकारियों को सस्पैंड किया जाय और जो अलाटमेंट हुए हैं उनको निरस्त किया जाय । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आवंटन रद्द किये जाए। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : बहुत गलत बात है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इसको (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। आप कुछ कहेंगे ? माननीय मंत्रीजी, आप बिराजिये।

श्रीमती कमला : गलत कार्यवाही को रद्द करायें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आप बिराजिये।

एक माननीय सदस्य : जन-प्रतिनिधियों की अनदेखी की जा रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जिला कलक्टर से यह इन्क्वायरी करवा ली जायेगी। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : इन्क्वायरी नहीं, आवंटन रद्द किया जाए। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (बल्लभनगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आवंटन रद्द किया जाए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अधिकारियों को सस्पैंड करो। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सदन का समय जाया नहीं करें, जल्दी आदेश करें। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : एस.डी.ओ. पर कार्यवाही की जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सदन का समय जाया नहीं करें। जल्दी आदेश करें। मंत्रीजी, आदेश करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक प्रश्न पर पूरा आधा घण्टा लगा है। माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

एक माननीय सदस्य : आवंटन निरस्त किया जाय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप। बिराज जाय।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : नहीं बिराजेंगे। अधिकारी को सजा दें।

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी भी इस बात को मानते हैं।

श्रीमती कमला : कार्यवाही निरस्त कीजिये। अलाटमेंट कार्यवाही निरस्त कीजिये। (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : जिलाधीश से इन्क्वायरी कराने की बात कह दी है, माननीय सदस्य, और क्या चाहते हैं आप ? (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ऐसे अधिकारी को सस्पैंड किया जाय और यह हाउस में अनाउंस किया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जिलाधीश इन्क्वायरी कर लेंगे, यह बात मंत्रीजी ने कह दी है। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कोरम के अभाव में आबंटन रद्द किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष जी, जब कमेटी की कार्यवाही एक बजकर 10 मिनट पर होनी थी (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। भाटी साहब, बिराजिये। (व्यवधान) राठौड़ साहब कुछ कह रहे हैं, आप उन्हें सुन लें। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : आधे घंटे तक, एक घंटे तक वेट कर सकते हैं मगर क्या छह-छह घंटे तक वेट करने, चार बजे कोरम पूरा करने की बात मान लेंगे आप? कोरम के अभाव में (व्यवधान) यही तो मैं भी कह रहा हूं चार बजे कोरम का पूरा होना नहीं माना जायेगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मखौल बना रहे हैं। मखौल बना रखा है अधिकारियों ने।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) उपाध्यक्ष महोदय, सारी बात, सारे तथ्य सामने आ गये मेरा आपसे यही निवेदन है कि वह आबंटन रद्द कर किया जाय सबसे पहले और इसकी आप जांच करा दीजिये कलक्टर से, दो बातें हैं।

श्री भीमराज भाटी : यह कोई सोल्यूशन नहीं है। आबंटन रद्द करना कोई सोल्यूशन नहीं है। माननीय विधायकों की अवमानना हुई है, जो अपमान हुआ है उसका क्या किया जाए? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : भाटी साहब, बिराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री भीमराज भाटी : आबंटन रद्द करना कोई इलाज नहीं है। (व्यवधान)

श्री रूपाराम (मकराना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दर्द दोनों तरफ से है। यह दर्द दोनों तरफ से है हम लोगों की, जनता की भावना की, जन-प्रतिनिधियों की (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : किसी दोषी अधिकारी के विरुद्ध आप कार्यवाही कर भी दें तो (व्यवधान)

श्री रूपाराम : यह दर्द दोनों तरफ से है। जब जन प्रतिनिधियों की····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये, आप। भाटी साहब, बिराजिये आप।

श्री रूपाराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दर्द दोनों तरफ से है। जब जन प्रतिनिधियों की इस तरह से अनदेखी की जायेगी तो आप भी चुपचाप बैठे देखते रहेंगे। हो सकता है आने वाले समय में

Page No. 15

(15)

(श्री रूपाराम)

बहुत बड़ा टकराव हो जाय। अधिकारियों और राजनीतिकों के बीच टकराव की स्थिति हो सकती है। हम लोगों की स्थिति क्या है आखिर? हम सारी कार्यवाही करके (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये आप, माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं। आप उन्हें सुन तो लीजिये पहले। (व्यवधान)

श्री रूपाराम : सारी स्थिति जब सदन के सामने आ गयी····(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पटवारी जी को तो ट्रांसफर होए कोनी, मंत्री महोदय···· (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें आप।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : मंत्री महोदय, आपने अपने उत्तर में अधिकारी को पूरी तरीके से बचाने की कोशिश की है भारत सरकार के सक्यूंलर का हवाला दे कर के। उसने जो गड़बड़ी की, गैर-तरीके से अलाटमेंट किया, शाम को उसने गैर-कानूनी मीटिंग बुलायी जो स्थगित हो गयी थी, अधिकारी के बारे में आपने कुछ नहीं कहा कि आप क्या करने जा रहे हैं और यह भी नहीं कहा कि उस आवंटन का क्या करने जा रहे हैं। सरासर आपके सामने जमीन का आवंटन हुआ है धांधली से, बेईमानी से। भ्रष्टाचार की बू इसमें आती है और आप मानते हैं। और आप कहते हैं कि तकाजा था भारत सरकार का, जल्दी है। तो भारत सरकार का यह तकाजा था क्या कि कानून-कायदे सबकी अवहेलना करने उनको ताक में रख दो और जमीन अधिकारी चाहे उसको दे दो विधायक थे वह नहीं आये। विधायक चाहे किसी भी पार्टी का हो, मैं इसमें विधायक की अवमानना की बात नहीं करता। यह तो एक आपका पहले से भी भी सक्यूंलर है कि जन प्रतिनिधियों का उसमें होना जरूरी है। पहले तो प्रधान का था कि बिना प्रधान की उपस्थिति में अलाटमेंट ही नहीं होता था और अब विधायक है। विधायक था, चार घण्टे तक इन्तजार किया उसके बाद में वह चला गया। शाम को चार बजे एस.डी.ओ. ने मीटिंग बुला ली उसके खिलाफ कोई एक्शन की बात नहीं। यह सारी स्थिति, मुख्य मंत्री महोदय, आप खुद देख लीजिये। आपने भी तो ऐसे सब सवाल उठाये हैं आपके जमाने जब आप इधर बैठते थे। मैं समझता हूं कि ऐसी धांधली आपने कभी पाइण्ट आउट की होगी। और आपने बरदाश्त भी नहीं की होगी। और अगर आपने ऐसे मामले उठाये थे तो सत्ता पक्ष ने ऐसे अवहेलनात्मक उत्तर नहीं दिये होंगे। तो जो बात उठायी थी उसको तो मंत्री महोदय पी गये। अधिकारी को तो क्लीन चिट दे दी और और अलाटमेंट को केंसिल नहीं किया। तो मैं आपसे यह चाहता हूं मुख्य मंत्री महोदय, कि आप इसमें इन्टरवीन करिये, अलाटमेंट जो हुआ है उसको स्थगित कीजिये और इसकी जांच करवाइये और जांच करवाने के बाद में एस.डी.ओ. को दण्डित कीजिये कि कैसे

(श्री रामनारायण चौधरी)

उन्होंने अपने आप सुप्रो-मोटो चार बजे मीटिंग बुला ली।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आपत्ति की है, मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय ने उसका स्पष्टीकरण कर दिया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन तो लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दो प्रश्न आते हैं कि वह अधिकारी एक बार समय निश्चित करने के बाद लेट क्यों पहुंचे, लेट पहुंचे तो उसकी सूचना क्यों नहीं और ज्यादा लेट हुए तो उसको केन्सिल क्यों नहीं किया। एक तो अधिकारी के नाते यह प्रश्न आता है और दूसरा जब लेट पहुंचे और जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि एक घंटे बाद में, लेट पहुचने पर... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : एक घण्टे बाद नहीं, वे चार बजे पहुंचे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बात पूरी सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे बोलने दीजिये। एक घंटे बाद में उनको मीटिंग केन्सिल कर देनी चाहिए थी। अब ऐसी में यदि आबंटन हुआ है, तो जहां तक पहला प्रश्न आता है, अधिकारी ने कोई जान बूझकर देरी की है? नम्बर-एक। सूचना देनी चाहिए थी, उसने सूचना नहीं दी, विधायक वहां प्रतीक्षा करते रहे। इस मामले की जांच के लिए तो आपने कहा कि कलक्टर से जांच करवा कर अगर वह दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। दूसरा प्रश्न आता है, अलाटमेंट का। अब आप भी जानते हैं, जैसा रामनारायणजी ने कहा, कमलाजी अभी बोल रही थीं, इस विधान सभा में एक बार नहीं इसी प्रकार की कमेटीज के मामले 50 बार उठे हैं। गवर्नमेंट आज से नहीं जब से लैण्ड अलाटमेंट का काम हुआ है उस समय से लगातार इस प्रकार के सक्यूलर इश्यू करती रही। आपने भी सक्यूलर इश्यू किये हैं, हमने भी सक्यूलर इश्यू किये हैं। लेकिन इस बात पर प्रश्न कई बार विधान सभा में उठा है कि एम. एल. एज. नहीं पहुंच पाते, प्रधान नहीं पहुंच पाते, देरी से मीटिंग होती है, अफसर समय पर नहीं जाते। इस तरीके की शिकायतें कोई आज आयी हैं इस तरह की बात नहीं है। यह बहुत पुरानी शिकायतें हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि इसका निराकरण एक तो इस रूप में कि हम अमेंडमेंट कर देंगे नियमों में कि आइन्दा जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे तो उस मीटिंग की कार्यवाही में कोई न कोई, चाहे प्रधान हो, चाहे एम. एल. ए. हो या और कोई जन-प्रतिनिधि उसमें हो, उसको निश्चित रूप से पहुंचना आवश्यक है—एक। दूसरा, जो अलाटमेंट हुआ है, अब जिनको अलाटमेंट कर दिया, आज विधान सभा या सरकार सीधा ही उसको केन्सिल नहीं करती है। उसको केन्सिल करने की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अनुसार इस मीटिंग को उनकी अनुपस्थिति····(व्यवधान) सुनिये, उस मीटिंग में जो कार्यवाही हुई है उस

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

कार्यवाही के आधार पर यदि नियमानुसार वह कैंसिल किया जा सकता है तो सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामपाल उपाध्याय ।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि अलाटमेंट रद्द किया जाए । गैरकानूनी अलाटमेंट तो आप कैंसिल कर ही सकते हैं ।

श्री भीमराज : उस अधिकारी ने सबसे पहली गलती तो यह की कि छुट्टी के दिन उस मीटिंग को रखा । 'क्या उस अधिकारी को यह पता नहीं था कि वह छुट्टी का दिन था ? जब छुट्टी के दिन मीटिंग रखी, उस वजह से लॉ एण्ड आर्डर की प्राब्लम हुई, उस वजह से वह ···(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामपालजी उपाध्याय ।

श्री भीमराज : उस दिन क्यों मीटिंग रखी ?

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 162 प्रश्न के बारे में आपने मुझे बोला है लेकिन उससे पहले सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो अलाटमेंट के बारे में अपनी बात कही···· (व्यवधान) मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे । क्या राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि ऐसे अवैध अलाटमेंट को राज्य सरकार निरस्त कर दे ? एक लाइन का प्रश्न है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अगर नियमानुसार कैंसिल हो सकता है तो सरकार कैंसिल कर देगी ।

श्रीमती कमला : मंत्रीजी को मालूम है कि आप नियमानुसार कैंसिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : अब बात खतम हो गयी है । माननीय कमलाजी, बैठिये आप । रामपालजी उपाध्याय ।

श्रीमती कमला : एक गैरकानूनी अलाटमेंट को सरकार खारिज कर सकती है । किये हैं कई बार सरकार ने गैर-कानूनी ।

सहाड़ा-रायपुर तहसीलों की अनुसूचित जातियों के विकास हेतु योजनाएं

162. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताये की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1986-87 व 1987-88 के बजट प्रावधानों में सहाडा–रायपुर तहसीलों में अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास हेतु विशिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत प्रावधान रखा गया था ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रावधान का समुचित उपयोग निरन्तर होता

(श्री रामपाल उपाध्याय)

आ रहा है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, क्यों ?

(3) क्या इसी प्रकार का प्रावधान प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी लागू करने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कितना व कहां-कहां ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विशिष्ट योजना में किन-किन प्रवृत्तियों का समावेश किया गया था, जिनसे कितना उन्नयन सम्भव हो पाया है ? क्या ऐसी योजना में और अधिक राशि वृद्धि करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर) : (1) वर्ष 1986-87 में सहाड़ा-रायपुर क्षेत्र में निवास कर रहे अनुसूचित जाति के परिवारों के आर्थिक सर्वांगीण विकास हेतु विशिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत परियोजना का विवरण राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम, जयपुर स्तर पर तैयार किया गया था लेकिन इस परियोजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया, अतः इस वर्ष कोई प्रावधान नहीं रखा गया। वर्ष 1987-88 में पंचायत समिति सहाड़ा-रायपुर व भीलवाड़ा में समूह एवं समग्र विकास योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रावधान रखा गया। यह प्रावधान पांच लाख रुपये का था।

(2) जी नहीं। पंचायत समिति स्तर से परियोजना के बारे में सुझाव प्राप्त नहीं होने के कारण परियोजना क्रियान्वित नहीं की जा सकी।

(3) जी नहीं।

(4) उक्त विशिष्ट योजनान्तर्गत सामुदायिक सिंचाई कूप, चर्म, रंगाई केन्द्र, हाथकरघा वस्त्र उत्पादन केन्द्र, कारकस संग्रहण केन्द्र, हड्डी पिसाई केन्द्र, बांस वस्तु उत्पादन केन्द्र, पावरलूम उत्पादन केन्द्र, जनता सिनेमा केन्द्र, निर्माण श्रमिक समिति, मिनी सीमेंट प्लांट, ईंट भट्टा इत्यादि की प्रवृत्तियों का समावेश किया गया था। परन्तु इस प्रकार के कार्यक्रमों की क्रियान्विति नहीं की जा सकी।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या किसी योजना को विभाग द्वारा अन्तिम स्वरूप प्रदान करने के पहले उसका समायोजन या उसका प्रावधान बजट में रखा जा सकता है ? यदि हां, तो यह मानकर चलना चाहिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि यह सारी योजनाएं पूरी हो गयीं और उसके आधार पर राज्य सरकार ने 86-87 के बजट में उसका प्रावधान किया ? नम्बर—एक।

नम्बर दो, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, आपने अपने उत्तर के खण्ड चार में जो अंकित किया है, मैं समझता हूं कि उसको एक बार पढ़ना उचित होगा, "उक्त विशिष्ट योजनान्तर्गत सामुदायिक सिंचाई कूप, चर्म, रंगाई केन्द्र,

(श्री रामपाल उपाध्याय)

हाथकरघा वस्त्र उत्पादन केन्द्र, कारकस-संग्रहण केन्द्र, हड्डी पिसाई केन्द्र, बांस वस्तु उत्पादन केन्द्र, पावरलूम उत्पादन केन्द्र, जनता सिनेमा केन्द्र, निर्माण श्रमिक समिति, मिनी सीमेंट प्लांट, ईंट भट्टा इत्यादि की प्रवृत्तियों का समावेश किया गया था।"

यह आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं और उसके आगे लिखा है, "परन्तु इस प्रकार के कार्यक्रमों की क्रियान्विति नहीं की जा सकी।" यही तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे निवेदन करना था कि शिड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए एक इंटेंसिव योजना बनायी गयी और उस पर तीन महीने तक जो आपका अनुसूचित जाति सहकार संघ है, उसके अधिकारियों ने सारे टेक्निशियंस जितने लोग थे उन्होंने प्रयत्न किया। एक योजना बनायी और योजना बनने के बाद बजट में प्रावधान किया और उसकी क्रियान्विति नहीं की, जिसको आप भी स्वीकार कर रहे हैं। मेरा यही तो निवेदन है कि उसकी क्रियान्विति क्यों नहीं की? उसमें इस प्रकार का प्रावधान था कि उसकी सफल क्रियान्विति के बाद उसको अगले वर्षों में फिर एकाधिक खण्डों में लिया जायेगा। तो कृपा करके इसको स्पष्ट करें।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रावधान का सवाल है, इन्होंने, उस समय तत्कालीन सरकार ने पूरी योजना बनायी थी। योजना बनाकर सम्बन्धित विकास अधिकारी को निर्देश दिये थे 12 फरवरी, 1986 को, कि इस प्रकार की योजना है, इसमें अपने विस्तृत सुझाव दें कि अपने क्षेत्र में क्या किया जा सकता है। लेकिन विकास अधिकारी ने सुझाव नहीं भेजें और तत्कालीन मंत्रीजी ने भी ताकीद नहीं की होगी, इस कारण से सुझाव नहीं आ पाये और जब सुझाव नहीं आये और जो काम करने थे, सुझाव नहीं आने के कारण से वह निरस्त कर दी गयी और जो पांच लाख का बजट रखा था, बाद में दूसरी योजनाओं में उसको डाइवर्ट कर दिया।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्रीजी इस योजना की क्रियान्विति को आवश्यक समझते हैं? नम्बर–एक।

नम्बर–दो, अगर आप आवश्यक समझते हैं तो इसको अभी क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाइये और ससाड़ा–रायपुर, जहां पहले इसको पायलट स्कीम के रूप में लिया था, वहां से उठाने की कृपा करेंगे?

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समय निगम द्वारा केवल दो पंचायत समितियों के लिये योजना बनायी गयी थी। अब निगम ने पूरे राजस्थान के लिये योजना बनायी है और अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में, जिनमें पचास प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की संख्या है, उन गांवों का हमने चयन किया है और उन गांवों का नाम हमने "सम्बल गांव" दिया है।

(श्री मदन दिलावर) :

उनमें से चरणबद्ध तरीके से हमने इन सब गांवों का सर्वांगीण विकास करने की योजना बनायी है । हमने इस वर्ष 66 गांव चुने हैं और इन 66 गांवों का हम सर्वांगीण विकास करेंगे ।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ने सम्बल गांव पर आधारित, योजना के बारे में बात की । सारे राजस्थान के अन्दर केवल 66 गांव आये हैं और सम्बल गांव की परिभाषा यह है कि जिस गांव में पचास प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग हों, उसको सम्बल गांव घोषित किया जायेगा । तो आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर इस प्रकार की योजना का कोई महत्व नहीं रह जायेगा । मेरा, आपसे, सरकार से पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि इन अनुसूचित जाति के लोगों लिए जो एक योजना निर्धारित की गयी है और जो सभी क्षेत्रों में उनके लिए उपयोगी है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि केवल सम्बल गांव को आधार नहीं मानकर इसको इंटेंसिव कार्यक्रम के रूप में लिया जाना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांतिकुमार धारीवाल ।

गौवंश की रक्षा हेतु उपाय

163. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में गौवंश की रक्षा के लिए सरकार द्वारा गत एक वर्ष में क्या-क्या कदम उठाये गये तथा भविष्य में क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

(2) सरकार द्वारा गत एक वर्ष में गौवंश की रक्षा के लिए की गई कार्यवाही से गौवंश की रक्षा में किस सीमा तक सहायता मिली है ?

राज्य मंत्री, पशुपालन (श्री अर्जुनसिंह देवड़ा) : (1) राज्य के विद्यमान राजस्थान कतिपय पशु वध अधिनियम, 1950 के गौवंश संरक्षण हेतु अपर्याप्त होने के कारण राज्य सरकार ने राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियम) विधेयक, 1994 राज्य मंत्रिमण्डल से स्वीकृति करवाकर राज्य विधान सभा में प्रस्तुत करने से पूर्व महामहिम राष्ट्रपति की वांछित पूर्व स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया है । इस विधेयक के प्रभावशील होने पर गौवंश के वध तथा वध के प्रयोजनार्थ प्रवजन पर पूर्ण रोक लग सकेगी ।

(2) उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के कारण गत एक वर्ष में गौवंश की रक्षार्थ मंत्रिमण्डल द्वारा पारित प्रस्तावित विधेयक से वांछित सहायता महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात् ही सम्भव होगी ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला कल भी काफी चर्चा में आया है । मेरा आपसे निवेदन यह है कि या तो मैं सप्लीमेंट्री नहीं पूछूं, काहे को समय खराब करूं बेकार में ही, अगर इस पर दुबारा से····

श्री उपाध्यक्ष : सारी बात कल स्पष्ट हो चुकी कि वहां गया है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कहां गया है ?....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : राष्ट्रपतिजी के पास। राष्ट्रपतिजी पास विधेयक भेजा गया है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह मैंने पूछा ही नहीं है। आप मेरी बात सुन लें। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि राज्य में गौवंश की रक्षा और हत्या दोनों को मिलाकर के अगर सामूहिक रूप से यहां पर चर्चा करवा ली जाती है तो मैं सप्लीमेंट्री नहीं पूछूंगा, सदन का समय खराब नहीं करूंगा वरना फिर यह मामला लम्बा जायेगा।

एक माननीय सदस्य : हाई कोर्ट में जायेगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, हाई कोर्ट में नहीं, यहां ही फैसला हो जायेगा।

मंत्री महोदय, मेरा सवाल हत्या के बाबत नहीं था। आपने जवाब दिया कि पशु वध अधिनियम 1950, "वध अधिनियम", यह अपर्याप्त है। मंत्रिमण्डल की बैठक हुई और बैठक में एक नया मसविदा तैयार कर दिया और उसको राष्ट्रपतिजी के पास पूर्व अनुमति के लिए भेज दिया। हत्या का मामला ही नहीं है, मामला है रक्षा का। आपने गोवंश की रक्षा के लिए क्या-क्या कदम उठाये और भविष्य में क्या-क्या कदम उठाने जा रहे हैं ? यह जवाब मांगा है मैंने आप से।....(व्यवधान)..यह पहला सप्लीमेंट्री है।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, गोवंश की रक्षा और हत्या जब ही है जब उसको कोई मारते हैं तो जब उसकी हत्या होती है और रक्षा के लिए क्या-क्या कार्य किये गये, यही प्रश्न है....(व्यवधान) यही गौरक्षा होगी....(व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : बीमारी से भी रक्षा होती है, साहब।....(व्यवधान)...

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : गौरक्षा तो यही है।...(व्यवधान)....एक मिनट आप सुन लें। उपाध्यक्ष महोदय, कल भी इसके बारे में काफी चर्चा हुई और पिछला जो बजट सत्र था....(व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य . वह हत्या के मामले में हुई है।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : एक मिनट, मुझे बोलने दें आप। पिछले बजट सत्र में भी इसके बारे में काफी माननीय सदस्यों ने अवगत कराया, वध को रोकने के बारे में सरकार से आश्वासन चाहा और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सदन में आश्वासन दिया कि इसके बारे एक उप समिति बनायी गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, 6.5.1994 को एक मीटिंग की व्यवस्था की गयी जिसमें दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकारों के गौ-हत्या के प्रतिबन्धों के अधिनियम, नियमों का अध्ययन किया गया और उसमें क्या-क्या चीजें थीं, उनको देखा गया और उसके

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

बाद में जो यहां पर गौ सदन हैं, जो गौशालाएं हैं उनके अध्यक्ष को भी बुलाया गया, उनसे भी चर्चा की गयी। इस प्रकार से वापस 5.9.1994 को एक और मीटिंग हुई इसी प्रकार से 31.5.1994 को तीसरी मीटिंग हुई और उसमें एक प्रारूप तैयार किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रारूप को तैयार कर के 22.8 1994 को विधेयक के रूप में राज्य मंत्रिमण्डल के सम्मुख प्रस्तुत किया गया और राज्य मंत्रिमण्डल ने भी इसको 2.9.1994 को स्वीकृत कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार ने दो महीने के अन्दर इस कार्यवाही को किया और मंत्रिमण्डल ने भी 10 दिन के अन्दर इसको स्वीकृत किया। कारण यही था कि सभी की इच्छा यही थी कि राजस्थान से जो भी गाय या गौवंश के पशु बाहर जाते हैं उनको रोका जाय।....(व्यवधान)....

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : इनका प्रश्न यह है कि गौरक्षा कैसे कर रहे हैं?....(व्यवधान)... गौरक्षा के लिए क्या-क्या कार्यवाही कर रहे हैं?....(व्यवधान)....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।....(व्यवधान)....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमेंट्री प्रश्न यह है कि ऐसा लग रहा है कि प्रतिपक्ष के जितने भी सदस्य हैं वह तो गौरक्षा चाहते हैं और हम नहीं चाहते हैं।....(व्यवधान)....

अनेक माननीय सदस्य : हां-हां।....(व्यवधान)....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए। हमने ही तो बिल बनाया है....(व्यवधान)....इसलिए आप क्या चाहते हैं? हम ही तो यह करने के लिए आगे हो रहे हैं।....(व्यवधान)

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सवाल तो मेरा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। पहले सकल कर्ता को....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम गौरक्षा करना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : आप गऊ के नाम पर जीत कर आ सकते हैं, (व्यवधान)....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्रीजी की काम्पीटेंसी पर कोई शक नहीं है। यह भी मैंने पता लगा लिया कि मंत्रीजी के खुद के पास भी कुछ पशु धन है, काफी अरबी घोड़े भी हैं। सवाल इस बात का है कि सरकार से मैं उन कदमों के बारे में जानकारी लेना चाहता हूं कि चारे का, पानी का, संवर्धन का, दवाइयों का नस्ल सुधारने का ऐसा कोई इंतजाम किया है क्या सरकार ने? इसके लिए कानून की कहां आवश्यकता

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

पड़ रही है, गौवंश की रक्षा के लिए। गौवंश देश में मजबूत रहे, देश में विद्यमान रहे, अच्छा दूध मिलता रहे इसके लिए सरकार ने कोई व्यवस्था की है क्या ? ....(व्यवधान)....आज जो सत्ताधीन लोग हैं वो किसी जमाने में, यह नारे लगाते थे कि गाय हमारी माता है, तो कम से कम इस पर कुछ विचार के, मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आगे सरकार इनके चारे-पानी का, नस्ल सुधारने का कोई न कोई प्रोग्राम रखती है क्या ?

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : उपाध्यक्ष महोदय, यह गौ-संवर्धन का मामला है....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।....(व्यवधान)....बाद में, बाद में।

श्री बाबूलाल वर्मा : गौरक्षा के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें पहले।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यह गौ-संवर्धन का मामला है, क्योंकि यह इसी प्रश्न से भी सम्बन्धित है कि उन गायों को पकड़ा जायेगा तो उनको रखा कहां जायेगा ? इस मामले में भी सरकार विचार कर रही है और उनके चारे लिए....

श्री मोहनलाल मोदी : यह बात कहां आ गयी सवाल के अन्दर। आप सवाल तो पढ़िये कम से कम....(व्यवधान)—

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : उनके चारे के लिए, उनके पानी के लिए इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है....(व्यवधान)...

श्री मोहनलाल मोदी : जवाब कहां दे रहे हैं, सवाल क्या है ? आप यह तो देखें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य।....(व्यवधान)....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हो गया, हो गया, साहब।....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : मानीय मंत्रीजी को पहले बात तो पूरी कहने दें आप।

श्री बाबूलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसे स्थगित कर दें आप।....(व्यवधान)....

श्री बाबूलाल वर्मा : धारीवाल साहब, एक मिनट। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गौशाला है, काफी पुरानी गौशाला है। किसी समय उसमें बैलों को तैयार किया जाता था, उस समय कम से कम 300 लीटर दूध मेरे डग विधान सभा क्षेत्र में हुआ करता था। आज यह स्थिति है कि मात्र 11 या 12 लीटर दूध रह गया है। जो गायें वहां रखी जाती थीं, अच्छी किस्म की गायें वहां रखी जाती थीं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजियें।

Page No. 24

(24)

श्री बाबूलाल वर्मा : एक मिनट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर मामला है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह कहना चाहूंगा कि कम से कम जो गायें वहां रखी जाती हैं, अभी 20 दिन पहले की बात है, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में दौरे पर गया था तो उन गायों के साल, दो साल में जो बच्चे हुए हैं उनको सरकार नीलाम करने के लिए तैयार हो रही है। मतलब उन बच्चों को ...(व्यवधान)....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, वह गोपी चन्दजी खड़े हो गये ।.... (व्यवधान)....मेरे सवाल का सत्यानाश हो जायेगा, साहब ।....(व्यवधान)....

श्री गोपीचन्द (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं ... (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मछली पालन के अन्दर राज्य सरकार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है, उसके लिए दोबारा फिर भी राज्य सरकार प्रयास कर रही है लेकिन गौरक्षा और गोपालन के लिए गम्भीरता का अभाव है। राज्य सरकार कानून बना सकती है, ऐसा प्रावधान है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इजाजत दें तो पढ़ कर सुनाऊं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें आप।

श्री गोपीचन्द : और, उपाध्यक्ष महोदय, इजाजत नहीं देते हैं तो यह प्रावधान मैं सदन की पटल पर रखता हूं।

आप इसको पढ़ लें और इसके मुताबिक कानून बना दें। गाय राजस्थान के अन्दर बच जायेगी। देखिये, महाराष्ट्र में गाय का कानून बन गया....(व्यवधान) गाय का कानून बन गया, गुजरात में गाय का कानून बन गया। राजस्थान में माननीय मुख्य मंत्री महोदय, जो बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं—

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : जिनकी सारे कांग्रेसी प्रशंसा करते हैं, प्रणव मुखर्जी भी इनकी प्रशंसा करते हैं लेकिन राष्ट्रपति महोदय से गौ-रक्षा के बिल के ऊपर माननीय मुख्य मंत्रीजी अपनी योग्यता.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गोपीचन्द जी गुर्जर। मैं आपका नाम ले रहा हूं, आप बिराजें।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : मैं चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री अपनी योग्यता का परिचय दें और राष्ट्रपति महोदय से गौ-रक्षा के विधेयक पर हस्ताक्षर कराकर के राजस्थान के अन्दर गौ-रक्षक के नाम से जाने जायें, कुर्सी के नाम से नहीं जाने जायें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें, आप बिराजिये, बिराजिये आप, (व्यवधान)

श्री ाबूलाल बवर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पशुपालन के डिप्टी डायरेक्टर से

(श्री बाबूलाल वर्मा)

मेरी उस रोज बात हुई। मैंने उनसे पूछा तो वह कहते हैं कि....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप, श्री आ.पी. शर्मा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित करवा दें। आप, गौरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय की बात है, उसको स्थगित करवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आर.पी. शर्मा।.... (व्यवधान)

श्री गोपीचन्द गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इजाजत है कि मैं सदन के पटल पर इस कानून, प्रावधान की कापी को रख दूं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिल पढ़कर सुनाना चाहता हूं आर्टिकल 48....

श्री उपाध्यक्ष : आपको कोई इजाजत नहीं है। गोपीचन्द जी, आप बिराजिये।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : रखना चाहता हूं, इजाजत चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस आप अकेले रोक नहीं सकते, बिराजिये आप।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : मुझे आदेश नहीं दिया जा रहा है। धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : आप सरकार को जाकर बता देना, आप बिराजिये माननीय गोपीचंद जी। श्री आर.पी. शर्मा।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण कार्यों की स्वीकृति

164. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय व राष्ट्रीय उच्च मार्गों की सड़कों की सीमाओं पर निर्माण करने से पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्वीकृति आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या सभी राजमार्गों पर हुए निर्माण के लिए विभाग द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है।

(2) क्या यह स्वीकृति नियमानुसार निर्धारित मापदण्डों के आधार पर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाकर सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर अनियमित निर्माण को हटाने की कार्यवाही करेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) राजकीय राजमार्गों की सड़क की सीमाओं पर पैट्रोल पम्प/डीजल पम्प की सम्पर्क सड़कें, तार एवं बिजली एवं जल वितरण लाइनों से सम्बन्धित कार्य की स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दी जाती है। राष्ट्रीय राजमार्गों की सीमा पर निर्माण के लिए भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति ली जाती है। सामान्यतया ऐसे निर्माण कार्य स्वीकृति के पश्चात् ही होते

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

हैं किन्तु कभी-कभी बिना स्वीकृति अनधिकृत निर्माण भी हो जाते हैं ।

(2) जी हां, स्वीकृति निर्धारित मानदण्डों के आधार पर दी जाती है तथापि अगर कहीं अनधिकृत निर्माण हो जाते हैं तो उन्हें नियमानुसार हटाने की कार्यवाही की जाती है ।

श्री आर. पी. शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न था वह बहुत ही साधारण और इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है जिससे, मैं जानता हूं, सभी लोग प्रभावित हैं । मेरा प्रश्न था–क्या यह सही है कि राजकीय व राष्ट्रीय उच्च मार्गों की सड़कों की सीमाओं पर निर्माण करने से पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्वीकृति आवश्यक है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि दूसरा जो आगे क्वेश्चन मार्क के बाद लिखा हुआ है–यदि हां, तो क्या सभी राजमार्गों पर हुए निर्माण के लिये विभाग द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है । माननीय मंत्री महोदय, पहले क्वेश्चन में जो मैंने पूछा है कि क्या निर्माण करने से पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग की कोई स्वीकृति आवश्यक है ? उस प्रश्न का माननीय मंत्रीजी ने कोई जवाब नहीं दिया है । मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि राजकीय राजमार्गों की सड़कों की सीमाओं पर पैट्रोल पम्प/डीज़ल पम्प की सड़कों को तार, बिजली इत्यादि से सम्बन्धित स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दी जाती है । चूंकि मैं प्रश्न पूछना चाह रहा हूं–मंत्रीजी मुझे बतायें कि ऐसे कोई नियम हैं जिनके तहत बगैर स्वीकृति राजमार्ग के किनारे निर्माण कार्य नहीं किए जा सकते और यदि हैं तो कौन से ऐसे नियम हैं जिनकी स्वीकृति नियमों के तहत आपने दी है । माननीय मंत्रीजी, आपको अच्छी तरह मालूम है कि आज सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि होटलों का निर्माण, दुकानों का निर्माण, जो आपकी सेण्टल रोड लाइन है, कण्ट्रोल लाइन से ऊपर पिचहत्तर फिट नेशनल हाई-वे के ऊपर नहीं बन सकती । उसी तरह से स्टेट हाई-वे के पास पचास प्रतिशत से ऊपर निर्माण नहीं हो सकता, खुले आम निर्माण हो रहे हैं । आपके यहां से एक अधिकारी लगाया गया है जिसको लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पावर्स दें । लेकिन मेरे हिसाब से, जो मेरे अनुमान हैं उस लिहाज से सरकार ने अब तक कोई कार्यवाही इस सम्बन्ध में नहीं की । मैं जानना चाहूंगा कि इस तरह के कितने निर्माण जयपुर हाई-वे में या कितने निर्माण समस्त राजस्थान में हो चुके हैं और सरकार ऐसे निर्माणों को हटाने में क्या कार्यवाही करेगी । साथ ही साथ मैं यह चाहूंगा कि सरकार अधिकारियों को क्या बचाना चाहती है जिन्होंने ऐसे निर्माण होने की मौन स्वीकृति दी या स्वीकृति के लिए सरकार को इनफोर्म नहीं किया, क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्यवारी करेगी ? मेरा यह दूसरा क्वेश्चन है ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि इण्डियन रोड्स कांग्रेस के स्टेण्डर्ड तेरह में कुछ मापदण्ड तय किये गये हैं और जो अनधिकृत कब्जे हो रहे हैं वे दो प्रकार के हैं । एक तो निर्माण, जैसा मैंने कहा कि जिसका नियम

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

अभी तक बना हुआ था कि वह पैट्रोल पम्प्स डीजल पम्प्स या रोड साइड्स' की आने वाली सड़कें, उस विषय में मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में आपको बात कही।

दूसरा, माननीय सदस्य ने जो बात कही कि अनधिकृत निर्माण हो जाते हैं होटलों के द्वारा या किसी और के द्वारा, उस दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं कि इण्डियन रोड कांग्रेस ने कुछ मापदण्ड तय किये हैं वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं :—

(1) पैट्रोल पम्प साधारणतया आमने-सामने होने चाहिए।

(2) रोड जंक्शन से इनकी दूरी कम से कम पैंतालीस मीटर होनी चाहिए।

(3) पैट्रोल पम्प की सेण्ट्रल लाइन से दूरी कम से कम तीस मीटर होनी चाहिए।

(4) सड़क के सम्पर्क रास्ते में पुलिया बनायी जानी चाहिए।

(5) बफर स्ट्रीट कम से कम बारह मीटर बाई तीन मीटर होनी चाहिए।

(6) प्रवेश व निकास सड़क की चौड़ाई नौ मीटर होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस दूसरी बात का आपने जिक्र किया है कि यह जो ढाबे बन जाते हैं, मेरा निवेदन है कि नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज की चौड़ाई सात मीटर सामान्यतया होनी है उसके पश्चात् पांच मीटर, दो पाइण्ट पांच, दो पाइण्ट पांच की दो स्ट्रीप्स, जो सड़क के दूसरी तरफ मिट्टी की होती है, इसके पश्चात् दो लाइन्स और होती हैं, एक कण्ट्रोल लाइन, एक बिल्डिंग लाइन। अभी तक राज्य सरकार द्वारा इस विषय में कोई कानून बनाया हुआ नहीं था किन्तु मैं आपके माध्यम से निवेदन करता चाहता हूं इन दोनों पर निर्माण करने की दृष्टि से एक विधेयक वर्तमान सत्र में ही आपके रखा जा चुका है ताकि हमको वह अधिकार मिल जायें, जिन अधिकारों के द्वारा उस क्षेत्र में कण्ट्रोल लाइन के बीच में और बिल्डिंग लाइन के बीच में जो निर्माण हो, उनको हम हटा सके। हां, सामान्य रूप से सात मीटर और दो पाइण्ट पांच मीटर, दो पाइण्ट पांच मीटर यानि पांच मीटर, बारह मीटर की जो सड़क है इस पर जो निर्माण कार्य होते हैं, 91 की कार्यवाही करके उनको हटाने की प्रक्रिया की जाती है। मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं, जैसा माननीय सदस्य ने बताया इन्हीं की यू.पी. बोर्डर से लेकर महुआ तक, जो नेशनल हाई-वे बनी हुई है– 1991–92 में 65 व्यक्तियों को इस प्रकार के नोटिस दिये गये जिनमें से सैंतालीस के कब्जों को बेदखल की कार्यवाही की गयी, अठारह न्यायालय के अधीन चल रहे हैं। 1992–93 में सड़सठ संख्या इस प्रकार की थी जिसमें से चौवन कब्जे हटा दिये गये, तेरह न्यायालय के अधीन चल रहे हैं। यह तो एक सड़क की चर्चा कर रहा हूं मैं, महुआ से लेकर और जहां आप माननीय विधायक हैं भरतपुर, वहां तक 1993-94 में सत्ताइस इस प्रकार के नोटिस दिये गये जिसमें से सत्ताइस के सत्ताइस कब्जे बेदखल कर दिये गये। 1994-95 में तेइस नोटिस

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

दिये गये और उन्नीस बेदखल कर दिये गये, चार कोर्ट में पड़े हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो आपकी चिन्ता है, उससे मैं निश्चित रूप से चिन्तित हूं क्योंकि जिस प्रकार आज नेशनल हाई-वे, राजमार्ग बनते हैं, अपनी सुख-सुविधा के लिए, व्यापार की दृष्टि से लोग इस प्रकार का प्रयत्न करते हैं। पुलिस से सहयोग लेने का हम लगातार प्रयत्न करते हैं और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि लगातार राज्य सरकार इस बारे में प्रयत्नशील है, किसी प्रकार से कब्जों को हटाने की कोशिश कर रही है। आपसे और निवेदन है कि कुछ स्पेसिफिक केसेज आप देंगे तो निश्चित रूप से राज्य सरकार कार्यवाही करके 91 के तहत उनको हटायेगी, पुलिस का उसमें सहयोग लेगी, उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं की जायेगी।

श्री रामस्वरूप मीणा : 165।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(12.00)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

तहसीलदारों की प्रशासनिक सेवाओं में पदोन्नति

246. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

*(1) गत दो वर्षों में किन-किन तहसीलदारों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत किया गया तथा किन-किन को किस-किस कारण से वंचित किया गया ?

(2) उक्त वंचित किये गये तहसीलदारों के खिलाफ क्या-क्या आरोप हैं तथा इनको कब तक पदोन्नति दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची "अ" संलग्न है। पदोन्नति से वंचित करने का कारण विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुपयुक्त पाया जाना है।

(2) आरोपों की सूची परिशिष्ट "अ" I व "अ" II पर उपलब्ध है। पदोन्नति दिया जाना विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर निर्भर करेगा।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आशुलिपिकों/कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों हेतु परीक्षाएं

247. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या मुख्य (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लोग सेवा आयोग द्वारा राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में कनिष्ठ लिपिक/आशुलिपिकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं? यदि हां, तो विगत वर्षों में ये परीक्षायें कब आयोजित की गयी थीं?

(2) क्या सरकार अब राज्य के विभिन्न विभागों एवं शासन सचिवालयों में कनिष्ठ लिपिकों/आशुलिपिकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग से परीक्षाएं आयोजित कराने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक?

(3) शासन सचिवालय एवं राज्य के विभिन्न विभागों में कनिष्ठ लिपिकों व आशुलिपिकों के कितने-कितने पद रिक्त हैं? विभागवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। परीक्षा आयोजित की जाती है। शीघ्र लिपिक (अधीनस्थ कार्यालयों हेतु) परीक्षा, 1990 का आयोजन 23-12-90 एवं 24-12-90 को किया गया। कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 1993 (आयोग कार्यालय/सचिवालय, अधीनस्थ कार्यालयों हेतु) का आयोजन 31 जुलाई, 1994 को किया गया।

शीघ्रलिपिक (सचिवालय हेतु) परीक्षा, 1988 का आयोजन दिनांक 29-3-89 को किया गया।

(2) जी हां। शासन सचिवालय में मार्च, 1996 तक की रिक्तियों की गणना कर परीक्षा आयोजित करने हेतु 2-3-95 को राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना भेजी जा चुकी है।

विभिन्न अधीनस्थ विभागों में शीघ्र लिपिकों के रिक्त पदों की गणना दिनांक 31-3-94 तक की प्राप्त की गई थी। शीघ्र ही आयोग को अर्थना प्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

सचिवालय विभिन्न अधीनस्थ विभागों में कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों पर नियुक्त हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रथम चरण की परीक्षा ली जा चुकी है। उक्त परीक्षा का परिणाम आने पर अन्तिम चरण की परीक्षा आयोजित की जावेगी।

(3) सचिवालय में शीघ्र लिपिकों के वर्तमान में 38 पद रिक्त हैं।

अधीनस्थ विभागों में शीघ्र लिपिक के 214 पद दिनांक 31-3-94 तक रिक्त थे। शासन सचिवालय में कनिष्ठ लिपिकों के 150 पद रिक्त हैं।

विभिन्न अधीनस्थ विभागों में सीधी भर्ती के कनिष्ठ लिपिक के दि. 31-3-93 तक 2451 पद रिक्त थे।

सरकार की नई स्थानान्तरण नीति

248. श्री गोविन्दसिंह (नसीराबाद): क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार सभी विभागों में स्थानान्तरण की नई नीति

(श्री गोविन्द सिंह)

को अन्तिम रूप देने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

राज्य सरकार ने सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु दिनांक 28-6-90 को सभी विभागों हेतु सामान्य नीति निर्धारित की थी। इस नीति में आंशिक परिवर्तन करते हुए दिनांक 22-9-92 को आदेश जारी कर विभागों को विशिष्ट मामलों में स्वनिर्णय का अधिकार दिया गया है।

ग्राम दुगौली (नागौर) में अवैध शराब की बिक्री

249. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत दुगौली, तहसील जायल, जिला नागौर के ग्रामवासियों द्वारा ग्राम दुगौली में अवैध शराब बेचने की शिकायत जिला प्रशासन को प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त शिकायतों के बावजूद भी उक्त स्थान पर शराब की बिक्री हो रही है ? यदि हां, तो उक्त अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) उक्त बिक्री के सम्बन्ध में नामजद आदमियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला सतर्कता समिति नागौर के पत्र क्रमांक 992 दिनांक 3-5-94 से ग्राम जनता दुगौली की ओर से आभ्यावेदन अवैध शराब के ठेके बन्द कराने बाबत प्राप्त हुआ, जिस पर जिला आबकारी अधिकारी नागौर ने आबकारी निरीक्षक को गांव में छापा मारकर अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। आबकारी निरीक्षक नागौर ने आबकारी निरोधक दल के साथ दिनांक 3-6-94 को ग्राम दुगाली में आरोपित व्यक्तियों के रिहायशी मकानों को तलाशी गांव वालों के सामने ली तो कोई आबकारी सम्बन्धी एतराज की वस्तु बरामद नहीं मिली। उक्त कार्यवाही की रिपोर्ट से जिला सतर्कता समिति को अवगत करा दिया गया। इसके पश्चात् सतर्कता समिति की बैठक में प्रकरण समाप्त कर दिया गया। जिला प्रशासन से शिकायत दिनांक 5-12-94 को पुनः प्राप्त हुई जिसकी जांच की जा रही है।

(2) जी नहीं। अवैध रूप से मदिरा की बिक्री न हो इसके लिए नियमानुसार आबकारी धावें एवं गश्त समय-समय पर किये जाते हैं व अब भी जारी है।

(3) नामजद व्यक्तियों के मकान की तलाशी दिनांक 3-6-94 को ली गई तो कोई आबकारी सम्बन्धी एतराज की वस्तु

(मुख्य (आबकारी) मंत्री)

नहीं पायी गई थी, इसलिये उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई।

राज्य में अवैध शराब निर्माण

250. श्री शान्ति कुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में गत एक वर्ष में जहरीली शराब पीने से कितने लोगों की मृत्यु हुई और किस-किस जिले में कितने-कितने लोग शराब के शिकार हुए? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत एक वर्ष में जहरीली शराब पीने से कितने लोग किन-किन बीमारियों के शिकार हुए और कहां-कहां? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें?

(3) गत एक वर्ष में राज्य में अवैध रूप से किस-किस जिले में शराब बनाये जाने के मामले दर्ज हुए?

(4) राज्य में अवैध शराब निर्माण को रोकने के लिए सरकार क्या कोई कठोर कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) आबकारी विभाग को उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार राज्य में वर्ष 1993-94 में 31 लोगों की मृत्यु जहरीली शराब पीने से हुई, एवं यह मृत्यु कस्बा फतहपुर जिला सीकर में हुई थी। इसके अतिरिक्त माह जनवरी, 1995 में ग्राम पालरा जिला अजमेर में मिथाइल एल्कोहल पीने से सात व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी।

(2) राज्य में गत एक वर्ष में जहरीली शराब पीने से लोगों के बीमारियों का शिकार होना विभाग की जानकारी में नहीं पाया जाता है।

(3) राज्य में अवैध रूप से शराब बनाये जाने वालों के विरुद्ध 1674 अभियोग पंजीकृत किये गये जिसकी सूची संलग्न है।

(4) राज्य में अवैध शराब निर्माण को रोकने के लिए विभाग द्वारा नियमित रूप से समय-समय पर आबकारी धावों का आयोजन कर अभियोग पंजीकृत किये जाते हैं। विभाग के निरोधक दल को अधिक प्रभावी बनाने के लिए वायरलेस से सुसज्जित किया गया है। इसके अतिरिक्त आबकारी सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु आबकारी अधिनियम एवं नियमों में विद्यमान सजा के प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया जा रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अलवर के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन

251. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अलवर में वर्तमान में कुल कितने स्वतन्त्रता सेनानी जीवित हैं? पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री जुबेर खान)

(2) सरकार वर्तमान में एक स्वतन्त्रता सेनानी को माहवार कितनी पेन्शन दे रही है ? क्या सरकार पेन्शन राशि को बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी ?

(1) अलवर जिले में वर्तमान में कुल 128 स्वतन्त्रता सेनानी जीवित हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

उत्तर

(2) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक स्वतन्त्रता सेनानी को रु. 500/-प्रतिमाह पेन्शन दी जा रही है। वर्तमान में राज्य सरकार पेन्शन बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 252

(स्थगित)

राज्य के शेष बचे लेखालिपिकों का पदनाम

253. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडा-भीम) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1975 में लेखालिपिकों का पदनाम बदलकर कनिष्ठ लेखाकार किया गया था एवं उनके वेतनमान भी बदले गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त नियमों के तहत कुछ कनिष्ठ लेखाकार वर्ष 1975 व कुछ 1977 में बनाये गये ? यदि हां, तो इसके कारणों का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ?

(3) क्या यह भी सही है कि न्यायालय के निर्णय की पालना में वर्ष 1975 के कुछ लेखालिपिकों को वर्ष 1975 से कनिष्ठ लेखाकार बनाया गया था ? यदि हां, तो शेष बचे हुए लेखालिपिकों को वर्ष 1975 से कनिष्ठ लेखाकार नहीं बनाये जाने के क्या कारण थे ? क्या सरकार अब इन्हें 1975 से कनिष्ठ लेखाकार बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार 1977 के अन्दर लेखालिपिकों से कनिष्ठ लेखाकार बनाये गये कर्मचारियों को 1975 से न्यायालय के निर्णय के अनुसार कनिष्ठ लेखाकार बनाकर द्वितीय चयन वेतनमान का लाभ देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1975 में कनिष्ठ लेखाकार के नये संवर्ग का गठन किया गया था जिसमें निर्धारित योग्यता रखने वाले लिपिकों की नियुक्ति की जानी थी।

(2) जी हां। 'राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 27 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थायी वरिष्ठ लिपिकों, जिन्होंने लेखा लिपिक की परीक्षा उत्तीर्ण की हुई थी एवं लेखा लिपिक के

(मुख्य (वित्त) मंत्री)

पद पर कार्यरत थे, में से कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कुछ नियुक्तियां वर्ष 1975 में दी गई। उपरोक्त नियम को न्यायालय में चुनौती दिये जाने एवं उच्च न्यायालय द्वारा इस नियम के अन्तर्गत नियुक्ति दिए जाने पर स्थगन लगा दिये जाने के फलस्वरूप कनिष्ठ लेखाकार के पदों पर नियुक्तियां रोक दी गई। उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 5-11-75 के अनुसरण में वर्ष 1977 में नियमों में संशोधन किये जाने के उपरान्त लेखा लिपिकों को कनिष्ठ लेखाकार के पदों पर पुनः नियुक्तियां दी गई।

(3) जी नहीं। वर्ष 1977 के लेखा लिपिकों को वर्ष 1975 से कनिष्ठ लेखाकार नहीं बनाया गया। हां, विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 2 लेखा लिपिकों को जो बाद के वर्षों में पारित आदेशों के अन्तर्गत कार्यग्रहण करने की तिथि से कनिष्ठ लेखाकार नियुक्त किये गये थे, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों की अनुपालना में दिनांक 4-7-75 से कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति दी गई। वर्ष 1977 में जिन लेखा लिपिकों को कनिष्ठ लेखाकार नियुक्त किया गया गया था उन्हें वर्ष 1975 से कनिष्ठ लेखाकार बनाने का अभी कोई विचार नहीं है।

(4) जी नहीं, क्योंकि वर्ष 1977 में लेखालिपिकों से कनिष्ठ लेखाकार बनाये गये कर्मचारियों को वर्ष 1975 से कनिष्ठ लेखाकार नहीं बनाया गया है।

विधान सभा सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में विधायक कार्यालय

254. **श्री मोतीलाल** (रूपवास) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार विधान सभा सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में विधायक कार्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

राज्य की वार्षिक योजना

255. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या मुख्य (आयोजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार ने वर्ष 1994-95 की सालाना योजना की स्वीकृति के समय केन्द्रीय सरकार को जिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये आश्वासन दिये थे उन्हें पूरा कर लिया है ? यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्य एवं उनकी प्राप्ति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1995-96 की सालाना योजना में सरकार को अपने स्रोतों से कितनी राशि व्यय करनी पड़ेगी और इस राशि का प्रबन्ध सरकार किस प्रकार करने का विचार रखती है ?

Page No. 34

(३४)

उत्तर

(1) वर्ष 1994–95 की सालाना योजना की स्वीकृति के समय केन्द्रीय सरकार को जिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आश्वासन दिये थे, उन्हें राज्य सरकार ने पूरा कर दिया है।

2450 करोड़ रुपयों की वार्षिक योजना के वित्त पोषण में राज्य सरकार ने 172·62 करोड़ रुपयों के अतिरिक्त संसाधन जुटाने का आश्वासन दिया था। इसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा 462·41 करोड़ रुपयों के संसाधन जुटा लेने की संभावना है।

(2) वर्ष 1995–96 की राज्य की सालाना योजना 3200 करोड़ रुपयों की है उसमें से राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से 2054·46 करोड़ रुपये की राशि का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इस राशि का प्रबन्ध राज्य सरकार निम्न स्रोतों से करने का विचार रखती है :–

(करोड़ रुपयों में)

1	2
1. अल्प बचत के पेटे	475·00
2. प्रोविडेण्ट फंड	498·49
3. राजकीय उपक्रमों का योगदान	38·29
4. बोण्डस्/डिबेंचर्स	300·00
5. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	94·70
6. बाजार ऋण	394·27
7. संस्थागत ऋण	149·28
8. राजस्व खाते में बचत (गैर आयोजना एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजना)	104·43
योग	2054·46

शेष राशि रुपये 836·54 करोड़ की सहायता केन्द्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार से प्राप्त होगी तथा 309 करोड़ रुपये की संसाधनों में कमी रहेगी, जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा बेहतर राजस्व की वसूली, गैर आयोजना मदों में मितव्ययता एवं अतिरिक्त संसाधन जुटाकर की जावेगी।

जयपुर के छविगृहों का वाणिज्यिक भवनों में परिवर्तन

256. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जयपुर शहर में सिनेमाघरों को तोड़कर काम्पलेक्स बनाये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से सिनेमाघरों को कब-कब बंद किया गया और कब-कब तोड़ा गया? उक्त सिनेमाघर जब चलते थे तब सरकार को टैक्स रूप में कितनी-कितनी आय प्रतिवर्ष होती थी? आखिरी तीन वर्ष के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वित्त विभाग ने कभी इस बात पर विचार किया है कि सरकार की करोड़ों रुपये की आय को व्यावसायिक

(श्री हरजीराम बुरड़क)

घरानें इस प्रकार बंद कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या वित्त विभाग इस प्रकार की व्यवस्था कर सकता है कि इस प्रकार से सिनेमा घरों तो तोड़कर काम्पेलक्स बनाने की इजाजत देने वाले विभाग को पाबन्द किया जाये कि वित्त विभाग की अनुमति के बिना ऐसी अनुमति नहीं दी जाय ?

(4) क्या सरकार भविष्य में सिनेमा घरों को तोड़कर काम्पेलक्स बनाने की प्रवृत्ति को बंद करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर में निम्नलिखित छविगृह तोड़े जाकर काम्पेलक्स बनाये गये :-

1. शालीमार सिनेमा :-

11·5·93 को बन्द हुआ। बंद होने के पूर्व के तीन वर्ष की मनोरंजन कर की राजस्व आय :

वर्ष 1990-91	19 48 लाख रु.
वर्ष 1991-92	24·11 लाख रु.
वर्ष 1992-93	25·84 लाख रु.
वर्ष 1993-94	2·16 लाख रु.

(दिनांक 11·5·1993 तक)

2. अम्बर सिनेमा :-

10·2·1990 को बंद हुआ। बन्द होने से पूर्व के तीन वर्ष की मनोरंजन कर की राजस्व आय :-

वर्ष 1987 88	23 03 लाख रु.
वर्ष 1988-89	25 73 लाख रु.
वर्ष 1989-90	7·63 लाख रु.

(दिनांक 9·2·1990 तक)

(2) यह मामला वाणिज्यिक कर विभाग व राज्य सरकार के स्तर पर पूर्व में विचार किया गया है। टेलीविजन व व केबल नेटवर्क के बढ़ते चलन के कारण सिनेमा हालों के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा इनके लाभ में भारी कमी हुई है। इस समस्या के निदान हेतु सिनेमा मालिकों के साथ भी विभाग व सरकार के स्तर पर बैठकें हुई हैं। इस संबध में अन्तिम निर्णय लेने के पहले सरकार अन्य राज्यों द्वारा इस संबंध में उठाये गये कदमों की भी समीक्षा करना चाहेगी तथा इसके कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(3) इस संबंध में सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श चल रहा है। इस बाबत कानूनी राय ली जाकर निर्णय लिया जावेगा।

(4) उपरोक्तानुसार।

जयपुर में राज्य कर्मचारियों के आवास

257. श्री रामेश्वर लाल भाटी (सुजानगढ़) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जयपुर में राज्य कर्मचारियों के आवास हेतु सरकारी आवास उपलब्ध

(श्री रामेश्वरलाल भाटी)

हैं ? यदि हां, तो श्रेणीवार कुल कितने आवास हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान में उपलब्ध आवासों की संख्या कम नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार की नये आवास बनाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) अब तक श्रेणीवार कब तक के आवेदकों को प्रथमिकता क्रम में राजकीय आवास आबंटित किये जा चुके हैं ? अब श्रेणीवार कितने आवेदकों को आबंटन शेष हैं ? अब कब तक इनको आवास उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

(4) क्या सरकारी आवासों के आबंटन में विशेष कोटा का भी प्रावधान है ? यदि हां, तो कितना तथा विशेष कोटे में आवंटन का अधिकार किस-किस को है ?

(5) विधान सभा सचिवालय की विशेष परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए क्या इसके कर्मचारियों के लिए सरकारी आवासों में आरक्षण (अलग से कोटा) उपलब्ध है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब सरकार इनके लिए अलग से कोटा रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। विवरण संलग्न सूची "क" पर उपलब्ध है।

(2) जी, हां। दिनांक 8.3.95 द्वारा 105 मकानों के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है।

(3) वांछित सूचना संलग्न सूची "ख" पर उपलब्ध है।

शेष आवेदकों को आबंटन आवास उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा।

(4) जी, नहीं।

(5) जी, नहीं।

विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों के लिये सरकारी आवासों में अलग से कोटा निर्धारित नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें।)

गांधीनगर क्लब (जयपुर) का आडिट

258. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या गांधीनगर जयपुर में राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों के मनोरंजन हेतु गांधीनगर क्लब की स्थापना की हुई है ? क्या क्लब के प्रतिवर्ष चुनाव करवाये जा रहे हैं एवं क्लब का निर्वाचित अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी का गठन करता है ? क्या कार्यकारिणी क्लब में खेलकूद की व्यवस्था, टेबिल टेनिस, वालीबाल, केरम, शतरंज, बैडमिन्टन इत्यादि एवं गांधीनगर में रहने वाले राजकीय कर्मचारियों/

(श्री शंकरलाल अहारी)

अधिकारियों के परिवार में होने वाले पुत्र, पुत्रियों के विवाह हेतु क्लब के विभिन्न हॉल एवं मैदान को कम्यूनिटी हॉल के रूप में निर्धारित दरों पर किराये पर उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था करती है ?

(2) क्लब के किराये से हुई आय का ऑडिट कब से नहीं करवाया गया ? क्या टेबिल-टेनिस की टेबिलों को मुख्य हॉल से हटाकर छोटे से टिन-शेडनुमा कमरे में स्थानान्तरित कर दिया गया ? क्या इस टिन-शेड को भी किराये उठा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों एवं इसमें कौन-कौन रहता है ?

(3) क्या क्लब में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं अब प्रायः बंद ही कर दी गई हैं ? खेलकूद के लिए गत वर्षों में कितनी राशि खर्च की गई ?

(4) क्या क्लब अध्यक्ष के वार्षिक चुनाव दो वर्ष से नहीं करवाये गये और अध्यक्ष की अवधि समाप्त हुए दो वर्ष हो चुके हैं ?

(5) क्या क्लब के दो हॉल एवं मैदान गांधीनगर के राज्य कर्मचारियों के अलावा, जयपुर शहर के अन्य कॉलोनियों के निजी लोगों को ऊंचे किराये पर बिना रसीद काटे दिये जाते हैं और उससे प्राप्त होने वाली आय को खुर्दबुर्द कर दिया जाता है ? क्या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष दशहरा मेला हेतु अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या इसका भी कोई आडिट नहीं करवाया गया ?

(6) वर्ष 1992–93, 1993–94, 1994–95 में क्लब के चार भागों एवं मैदान को विवाह/मेले पर किराये पर देने से उससे प्राप्त आय का मासिक विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(7) क्या क्लब के मैदान पर गांधीनगर में रहने वाले राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों के बच्चों को क्रिकेट/फुटबाल खेलने नहीं दिया जाता ? क्या साल भर विवाह एवं पार्टियों के लिये किराये पर दिये जाने की प्रवृत्ति को सरकार बन्द कर क्लब के मुख्य भवन में टेबिल-टेनिस पुनः चालू करवाने एवं क्लब के मैदान को कॉलोनी के बच्चों को खेलकूद के लिये उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

(8) क्या गांधीनगर क्लब का अधिग्रहण कर सामान्य प्रशासन के किसी अधिकारी को क्लब का प्रशासक नियुक्त कर खेलकूद व अन्य सामाजिक/शैक्षणिक गतिविधियों को प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) आडिट नियममित रूप से वर्ष 1993–94 तक पूरा हो चुका है । खिलाड़ियों की सुविधा को देखते हुए टेबिल-टेनिस की एक टेबिल अन्य बड़े हॉल (टिन शेड में स्थापित की गई है, इस

(मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री)

शेड को किराये पर नहीं उठाया गया है एवं वहां कोई नहीं रहता।)

(3) जी नहीं। वर्षवार व्यय निम्नानुसार हैं:—

वर्ष	व्यय (रुपयों में)
1988-89	3662
89-90	
90-91	733
91-92	1507
92-93	1551
93-94	2153
एवं 94-95	10,000

के टेबल-टेनिस व व्यायामशाला के सामान इत्यादि क्रय करने के आदेश दे रखे हैं।

(4) जी हां। अब दिनांक 2-4-95 को चुनाव करवाना निश्चित किया गया है।

(5) जी नहीं। प्रतिवर्ष दशहरे मेले हेतु अनुदान दिया जाता है, परन्तु वर्ष 1994 के लिए दशहरे मेले बाबत अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है। प्रत्येक वर्ष दशहरे मेले की आय-व्यय का आडिट करवाया जाता है।

(6) मासिक विवरण सूची "क" पर संलग्न है।

(7) जी नहीं। सामान्यत: बच्चों के खेलखूद के लिए मैदान उपलब्ध रहता है क्लब मैदान पर फुटबाल एवं क्रिकेट खेलने की भी मनाही है, परन्तु यह मैदान इन खेलों के लिए उपयुक्त स्तर का नहीं है। टेबिल-टेनिस खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या बढ़ने पर टेबिल क्लब के मुख्य हॉल में लगाई जा सकती है। क्लब के समस्त व्यय (जैसे बिजली, पानी, सफाई के बिलों का भुगतान सांस्कृतिक व खेलकूद की प्रवृत्तियों पर होने वाला व्यय साथ ही क्लब भवन के विकास आदि के लिये संसाधन क्लब भवन व भूमि के आवंटन से हुई आय से ही होते हैं। अत: इस आवंटन को समाप्त नहीं किया जा सकता और समाप्त करना विचाराधीन नहीं है।

(8) जी नहीं। फिलहाल अभी कोई विचार नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें।)

पंचायत मुख्यालयों मार्गों का डामरीकरण

259. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को डामर सड़क से जोड़ने की कोई योजना तैयार की है? यदि हां, तो प्रत्येक पंचायत को कब तक डामर सड़क से जोड़ दिया जायेगा?

(2) पंचायत समिति बायतू व बालोतरा के कितने पंचायत मुख्यालय को डामर सड़क से जोड़ा गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार ने प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को डामर से जोड़ने की योजना तैयार की है। नवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) के अन्त तक प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को डामर सड़क से जोड़ दिया जायेगा।

(2) पंचायता समिति बायतू के 17 व बालोतरा पंचायत के 27 पंचायत मुख्यालयों को डामर की सड़कों से जोड़ दिया गया है। सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र खारची (पाली) की सड़कें

260. **श्री संगार सिंह** (खारची) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खारची विधान सभा क्षेत्र जिला पाली में सन् 1987 से आज तक सरकार द्वारा कौन-कौनसी सड़कों पर किन-किन योजना मद से कितनी-कितनी राशि दी गई कितनी राशि व्यय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकारी घोषणा के आधार पर हर पंचायत हैड क्वार्टर को डामर सड़कों से जोड़े जाना था ? यदि हां, तो इस वर्ष तक कितने पंचायत हैड क्वार्टर डामर युक्त सड़कों से जोड़ दिये गये हैं व कितने शेष हैं उन्हें कब तक जोड़ दिये जायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकारी घोषणा के अनुसार एक हजार की आबादी वाले गांवों की सड़कों को सम्पर्क सड़कों से जोड़ा जाना प्रस्तावित था ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र खारची के कितने गांवों को जोड़ना बाकी है व इन्हें कब तक जोड़े जाने का सरकार विचार रखती है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खारची विधान सभा क्षेत्र जिला पाली में सन् 1987 से लेकर वर्तमान तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जिन सड़क कार्यों को स्वीकृत किया गया तथा जो राशि व्यय की गई उसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "क" में सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को नवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक डामर सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। खारची विधान सभा क्षेत्र के कुल 52 पंचायत मुख्यालयों में से 35 पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़क से जोड़ दिया गया है, और शेष 17 पंचायत मुख्यालय ग्रेवल एवं मैटल सड़क से जुड़े हुये हैं, और इनको नवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक डामर सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ख" में सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां, खारची विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार

Page No. 40

(५०)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

1000 से अधिक आबादी के 40 गांव हैं इनमें से 29 गांव डामर सड़क से, 1 गांव मैटल सड़क से और 10 गांव ग्रेवल सड़क से जुड़ गये हैं। इस प्रकार ये सभी 40 गांव सम्पर्क सड़कों से जुड़े हुये हैं। उक्त पंचायत मुख्यालयों जो कि मैटल एवं ग्रेवल सड़क से जुड़े हुये हैं, में से 4 मुख्यालयों को एम. एन. पी. के अन्तर्गत एवं 3 को कृषि उपज मंडी द्वारा डामर की सड़क से जोड़ने की स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। शेष 4 ऐसे पंचायत मुख्यालयों को आंठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जोड़ना प्रस्तावित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

विभागीय अभियन्ताओं की पदोन्नति

261. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग में डिप्लोमा एवं डिग्रीधारी अभियन्ताओं के पदोन्नति के क्या नियम हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन इंजीनियर्स की पदोन्नति के लिए न तो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार आदि पिछले 5 वर्षों से लिये जा रहे हैं और न ही पिछले कई वर्षों से डी. पी. सी. की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि 12–13 वर्ष से कनिष्ठ अभियन्ताओं की कोई पदोन्नति नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत डिप्लोमा एवं डिग्रीधारी अभियन्ताओं को जो पदोन्नति दी राजस्थान सर्विस ऑफ इन्जीनियर्स (बिल्डिंग एण्ड रोड्स ब्रांच) रूल्स 1954 के तहत की जाती है। इन नियमों के अनुसार डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियंन्ता एवं डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता अपने पद पर क्रमशः 3 वर्ष एवं 10 वर्ष की नियमित सेवा करने के पश्चात् सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नति हेतु पात्र बनते हैं। जहां तक डिप्लोमाधारी एवं डिग्रीधारी यांत्रिक कनिष्ठ अभियन्ताओं की सहायक अभियन्ता यांत्रिक के पद पर पदोन्नति का सम्बन्ध है, वे क्रमशः 4 वर्ष एवं 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर पात्र होते हैं।

(2) जी नहीं। डिग्रीधारी एवं डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं की डी. पी. सी. वर्ष 1994–95 तक की माह अप्रेल/मई, 1994 में हो चुकी है और उसके चयन के अनुसार पदोन्नति भी कर दी गयी हैं।

जहां तक राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार कर सहायक अभियन्ताओं के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति का सम्बन्ध है, अन्तिम साक्षात्कार राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वर्ष 1991 में लिए थे और उनके द्वारा चयनित सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति वर्ष 1992 तक कर दी गई है बाद के वर्षों में उपलब्ध हुए रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार ने माह सितम्बर, 1994 में राजस्थान लोक सेवा

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

आयोग को अर्थना भेजी थी जिसके अनुसार आयोग ने इन रिक्त पदों को समाचार पत्रों में विज्ञापित कर दिया है और अब उन रिक्त पदों को भरने हेतु उनके स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी नहीं। जैसा उपरोक्त बिन्दु 2 में वर्णित किया गया है, कनिष्ठ अभियन्ताओं की नियमित पदोन्नति सहायक अभियन्ता के पद पर पिछले वर्ष अप्रेल/मई 1994 में ही वर्ष 1994–95 के उपलब्ध रिक्त पदों पर की गई हैं।

राष्ट्रीय राज-मार्ग संख्या 8 की मरम्मत

262. **श्री गोपीराम जाट** (अजमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राष्ट्रीय मार्ग सं. 8 पर विदाणी से दूदू के बीच 1992–93 से 1994–95 तक 316 कि.मी. से 320 कि.मी. के बीच कितनी बार सड़क मरम्मत की गई और इस पर प्रतिवर्ष कितनी राशि व्यय की गई ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि 316 से 320 कि.मी. के बीच हर वर्ष सड़क मरम्मत की गई है और अन्यत्र कहीं निर्माण कार्य नहीं किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता ने ठेकेदारों से मिली-भगत कर सरकार को हानि पहुंचाई है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कि.मी. 316 से 320 में साधारण मरम्मत के अलावा नवीनीकरण, बाढग्रस्त मरम्मत का कार्य वर्ष 1992–93 से 1994–95 तीन बार में किया गया।

वर्षवार व्यय की गई राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

		नवीनीकरण	बाढ़-ग्रस्त	कुल
1.	1992-93	2.11	—	2.11
2.	1993-94	30.61	3.60	34.21
3.	1994-95	7.72	2.95	10.67

(2) जी हां, उपरोक्त नवीनीकरण व बाढग्रस्त के अलावा भी छुटपुट मरम्मत के कार्य किये गये।

(3) जी नहीं, मिली-भगत का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिला है। अतः कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

छतरगढ़–महादेव वाली (बीकानेर) क्षतिग्रस्त सड़क

263. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि छतरगढ़–महादेववाली सड़क का 0 से 4 किलोमीटर का टुकड़ा जो छतरगढ़ मण्डी में से निकलता

(श्री भीमसेन चौधरी)

है, अत्यन्त क्षतिग्रस्त है एवं यातायात योग्य नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत प्राथमिकता देकर कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी हां। छतरगढ़-महादेववाली सड़क का 0-से-4-कि.मी. भाग-जो-इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की सम्पर्क सड़क (छतरगढ़ से इंदिरा गांधी मुख्य नहर तक) सार्वजनिक निर्माण विभाग की संधारण एवं मरम्मत सूची में नहीं है। चूंकि उक्त भाग का निर्माण इन्दिरा गांधी नहर परियोजना विभाग द्वारा कराया गया था, अतः इसका रख-रखाव भी इसी विभाग द्वारा करवाया जाता है।

ग्राम मण्डाना (दौसा) से मलारना सड़क का डामरीकरण

1264. श्री रंगजी (सपोटरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं 11 पर स्थित ग्राम मण्डाना (जिला दौसा) से ग्राम मलारना तक का सड़क मार्ग कब से स्वीकृत है ? उक्त सड़क मार्ग की स्वीकृति, दूरी व राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) उक्त मार्ग पर अब तक कितनी राशि लग चुकी है तथा उसका अब तक डामरीकरण न होने के क्या कारण रहे हैं ?

(3) अब ग्राम मलारना तक के मार्ग को कब तक पूरा कर उसका डामरीकरण कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 11 पर स्थित ग्राम मण्डाना (जिला दौसा) से ग्राम मलारना (828) [1971] तक सड़क अकाल राहत योजना संवत 2042 (एन. आर.ई.पी.-2) के अन्तर्गत राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ 1(12)/एस.एस.ओ./एन.आर.ई.पी./86 दिनांक 16-4-1986 द्वारा 6 कि.मी. लम्बाई में रु. 6.00 लाख की स्वीकृति जारी की गई।

(2) उक्त मार्ग पर अब तक उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत सं. 2042 में मात्र 1.20 लाख व्यय किये गये। उक्त स्वीकृति अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य सम्पादन 15-7-86 तक ही थी। अकाल राहत कार्य की स्वीकृति में डामरीकरण करने का कोई प्रावधान नहीं था।

(3) चूंकि मलारना की जनसंख्या 1971 के आधार पर 828 है और पंचायत मुख्यालय भी नहीं है इसलिए 8वीं पंच वर्षीय में डामरीकरण से जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है और इस गांव की जनसंख्या 1991 के आधार पर 1164 है इसलिए नवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त तक डामर सड़क से जोड़ने पर विचार किया जाना संभव होगा।

इटावा (कोटा) में विभागीय उपखण्ड

265. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार इटावा जिला कोटा में सार्वजनिक निर्माण विभाग का उपखण्ड खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यो ?

उत्तर

जी नहीं। फिलहाल इटावा में उपखण्ड कार्यालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है। इटावा क्षेत्र का कार्य सुल्तानपुर में स्थित उपखण्डीय कार्यालय द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। कोटा से इटावा की दूरी 76 किलो मीटर है जबकि सुल्तानपुर की दूरी मात्र 38 किलोमीटर है। सुल्तानपुर से इटावा 38 किलोमीटर दूरी पर स्थिति है। इटावा के विकास कार्यों को सम्पादन करवाने हेतु दो कनिष्ठ अभियन्ताओं के अनुभाग है। अतः इटावा में उपखण्डीय कार्यालय खोलना प्रस्तावित नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की सड़कें

266. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 1994–95 में स्वीकृत कितनी सड़कों के निर्माण कार्य चालू हैं ? कितने पूर्ण हो गये तथा कितने अपूर्ण हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र वित्तीय वर्ष 1994–95 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 22 सड़कों के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं। जिनमें से 1 सड़क का कार्य पूर्ण हो चुका है व 21 सड़कों कार्य अपूर्ण है। जिनमें से 13 सड़कों के कार्य प्रगति पर है व शेष 8 कार्य शुरू नहीं किये जा सके हैं। विवरण संलग्न हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें।)

बून्दी जिले की केशोराय–पाटन लाखेरी सड़क

267. श्री शान्ति कुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बून्दी जिले की किशोरायपाटन–लाखेरी सड़क का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया था, उस समय इसकी चौड़ाई कितनी निर्धारित की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि प्रारम्भ में निर्धारित चौड़ाई में वृद्धि की गई है ? यदि हां, तो कब-कब और कितती-कितनी तथा किस आधार पर ?

(3) उक्त सड़क के लिए किन-किन गांवों के किन-किन किसानों की कितनी-कितनी जमीन अवाप्त की गई ?

(4) क्या जमीन अवाप्ति के सम्बन्ध में भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4

(श्री शान्ति कुमार धारीवाल)

व 6 के अनुसार कार्यवाही की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) किन-किन किसानों की कितनी-कितनी भूमि का किस-किस दर से मुआवजा दिया गया और अब कितना दिया जाना शेष है ? शेष मुआवजे की राशि का चुकारा अब कब तक कर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस सड़क का निर्माण स्टेट के समय में कराया गया था, जिसकी चौड़ाई उस समय 10 फुट रखी गई थी।

(2) जी हां। इस सड़क की चौड़ाई में वृद्धि की गई है, जो निम्न प्रकार से है :—

(अ) सन् 1974 में विश्व बैंक सहायता योजना के अन्तर्गत कि.मी. 17/0 से 29/0 तक 3.80 मीटर केरिजवे, तथा 1.00 मीटर दोनों तरफ हार्ड सोल्डर किया गया।

(ब) आयोजना मद के अन्तर्गत इस सड़क की चौड़ाई किमी. 29/0 से 63/0 में 3.80 मीटर की गई।

(स) वर्ष 1984 से 1990 के मध्य में विशेष मरम्मत (आयोजना भिन्न) के अन्तर्गत किमी. 66/0 से 72/0 तक इस सड़क की चौड़ाई 6.00 मीटर की गई।

(3) इस सड़क के निर्माण में किसी भी गांव के किसानों की कोई जमीन (भूमि) अवाप्त नहीं की गई।

(4) चूंकि सड़क निर्माण में किसी भी किसान की जमीन अवाप्त नहीं होने के कारण, भूमि अवाप्ति की धारा 4 व व 6 के अनुसार कार्यवाही नहीं की गई।

(5) इस सड़क के निर्माण में किसी भी किसान की जमीन अवाप्त नहीं की गई है। अतः भूमि अवाप्ति मुआवजा किसी भी किसान को नहीं दिया है और न ही देना शेष है।

प्रदेश के महाविद्यालय

268. **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में महाविद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या किसी समाज सेवी व्यक्ति अथवा किसी ट्रस्ट द्वारा किसी स्थान पर भवन बना कर देने पर वहां महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति सरकार द्वारा दी जा सकती है ? यदि हां, तो किन-किन नियमों व शर्तों के अध्यधीन ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में प्रदेश में कुल कितने महाविद्यालय कहां-कहां कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में महाविद्यालय खोलने के निम्न मानदण्ड निर्धारित किये हुए हैं :—

(क) प्रस्तावित स्थान पर उपयुक्त भवन हो।

(ख) प्रस्तावित स्थान के 20 कि.मी. की परिधि में कम से कम चार सीनियर हायर सैकण्ड्री स्कूल हो।

(ग) प्रस्तावित स्थान के 30 कि.मी. की परिधि में कोई भी महाविद्यालय नहीं हो।

(घ) प्रस्तावित स्थान अन्य सभी दृष्टि से महाविद्यालय प्रारम्भ करने के लिए उपयुक्त हो।

(2) निजी महाविद्यालय खोलने के निम्न मानदण्ड हैं :—

(क) दानदाता द्वारा महाविद्यालय खोलने की स्थिति में भवन बनाने तथा 3 वष का आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय जमा कराने का आश्वासन दें।

(ख) भवन बनाने की सहमति मिलने के एक वर्ष के भीतर आधा भवन तैयार होने पर महाविद्यालय प्रारंभ किया जा सकेगा तथा शेष भवन का भाग एक वर्ष में पूरा करना होगा।

(ग) निजी महिला महाविद्यालय खोलने की स्थिति में दानदाता भवन तैयार कर एक वर्ष का व्यय देने की सहमति पर स्वीकृति दे दी जावेगी।

(3) वर्तमान में प्रदेश में कुल 170 महाविद्यालय है (सूची संलग्न है)।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

बांसवाड़ा व कोटा क्षेत्रों में डामर घोटाला काण्ड

269. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा और कोटा क्षेत्र में डामर घोटाला काण्ड हुआ है? यदि हां, तो कब, कितनी राशि का घोटाला किस-किस के द्वारा किया गया?

(2) सरकार के ध्यान में यह मामला किस माध्यम से कब आया तथा अब तक क्या कार्यवाही की? इस सम्बन्ध में यदि जांच की गई हो तो जांच रिपोर्ट की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस सम्बन्ध में पुलिस में केस दर्ज करवाया गया? यदि हां, तो कब, किसके विरुद्ध? प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफ. आई.आर.) की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बांसवाड़ा और कोटा क्षेत्र में बल्क पैकेड बिटुमन जितनी मात्रा में आयल कम्पनी से प्राप्त किया, परिवहन कर्ता द्वारा

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उससे कम मात्रा में परिवहन किया गया है जिसकी राशि क्रमशः करीब दो लाख पन्द्रह हजार एवं 8.4 लाख की है और परिवहन कर्ता द्वारा ही यह कम परिवहन किया गया है।

(2) कोटा जोन के वरिष्ठ लेखा अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट द्वारा यह डामर के ड्रमों का कम परिवहन इस विभाग की जानकारी में लाया और बांसवाड़ा में महालेखाकार द्वारा ए.जी. मीमो सत्यापन, हेतु खण्डीय कार्यालय में प्राप्त होने और डामर प्राप्त ना होने पर यह मामला प्रकाश में आया। इस सम्बन्ध में जांच का कार्य प्रगति पर है।

(3) आयल कम्पनी से डामर के ड्रम प्राप्त कर छः खण्डीय भण्डार में कम ड्रम परिवहन करने के कारण मैं. नूतन फ्रेटकैरियर कुम्हेर गेट, भरतपुर के विरुद्ध इन खण्डों द्वारा पुलिस में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है जिनकी प्रतिलिपि सलग्न है (परिशिष्ट–"अ") बांसवाड़ा खण्ड प्रथम में गलत सत्यापन करने के कारण तत्कालीन भण्डारपाल के विरुद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर) पुलिस में दर्ज करवाई गई है। विवरण प्राथमिक सूचना की प्रति के साथ परिशिष्ट–"ब" पर संलग्न है।

(सूचना एवं प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 270

(स्थगित)

रायपुर की रायपुर जसाखेड़ा सड़क

271. श्री सुखलाल सैंणचा (रायपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रायपुर से जसाखेड़ा सड़क पंचायत समिति रायपुर मगरा क्षेत्र के आसपास के गांवों की जनता के लिये उपयोगी है ? यदि हां, तो इस सड़क की मरम्मत कब तक पूरी कराने का सरकार विचार रखती हैं ?

(2) उक्त सड़क कितने गांवों को जोड़ती है और अब तक पूर्ण नहीं होने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या उक्त सड़क गिट्टी की बनाई जायेगी या उसका डामरीकरण करवाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। सड़क की मरम्मत कर दी गई है।

(2) यह सड़क 4 गांवों को जोड़ती है। इसे पूर्ण रूप से डामरीकरण करवाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की कमी एवं प्राथमिकताओं के आधार पर सम्भव नहीं हो सकी।

(3) यह सड़क उपरोक्त अनुसार 8 कि.मी. डामर एवं 24 कि.मी. मैटल पहले से ही बनी हुयी है। इसे पूर्ण रूप से डामरीकरण करवाना राज्य सरकार की

Page No. 47

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

प्राथमिकताओं में नहीं आता। अतः ऐसा करने का कोई विचार नहीं है।

जिला जोधपुर की सड़कें

272. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर जिले में किन-किन सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुये हैं? उनके आधार क्या-क्या है? विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(2) बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण कार्य अधूरा है एवं उनके क्या-क्या कारण हैं? अब उन्हें कब तक पूरा कराने का सरकार का विचार है?

(3) क्या, देवनगर से खांगटा वाया जाबियों की ढाणी एवं बिलाड़ा से जेतिवास वाया भैरुजी की छापर सड़क निर्माण की स्वीकृतियां जारी की गई थी? यदि हां, तो कब कब?

(4) क्या उपरोक्त दोनों सड़कों के निर्माण कार्य में विलम्ब हुआ था? क्या दोनों सड़कों की स्वीकृत दूरी के अनुसार पूरा निर्माण कार्य हुआ? यदि नहीं, तो उसके लिये कौन दोषी है एवं इस संबन्ध में विभाग ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उपरोक्त अपूर्ण सड़कों को पूरा करने का विचार रखती है? क्या सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए है?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में वर्ष 1995–96 हेतु नई सड़कों के प्रस्ताव राज्य सरकार की सड़क विकास नीति के आधार पर तैयार करवाये जा रहे हैं।

(2) बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में जिन सड़कों का निर्माण कार्य अधूरे हैं वे कार्य एवं उनके अधूरे रहने के कारण निम्न प्रकार से है :–

(अ) सियारा से लवारी सड़क :–इस सड़क के निर्माण कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा पत्र दिनांक 22.1.90 द्वारा रुपये 7.50 लाख की स्वीकृति दी गई थी। स्वीकृत राशि में 1.5 कि मी लम्बाई में डामरीकरण तथा शेष 0.5 कि. मी. में ग्रेवल का कार्य हो पाया है। शेष 0.5 कि. मी. लम्बाई में भी डामरीकरण का कार्य वर्ष 95-96 की वार्षिक योजना में करवाया जाना प्रस्तावित है। 2 कि. मी. निर्माण कार्य होने पर सियारा गांव लवारी गांव से जुड़ जावेगा।

(ब) देवनगर से खांगटा सड़क :–इस सड़क के निर्माण कार्य 5 कि. मी. की लम्बाई में रु. 6.00 लाख की राज्य सरकार के पत्र दिनांक 2.9.89 द्वारा स्वीकृति दी गयी थी। परन्तु स्वीकृति राशि कम होने के कारण इसकी तकनीकी स्वीकृति 3 कि. मी. लम्बाई में डामर करने हेतु जारी की गई थी। इस स्वीकृति में 3 कि. मी. मैटल रोड बना दी गई है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

शेष कार्यों को वर्ष 95–96 की वार्षिक योजना में करवाया जाना प्रस्तावित हैं।

(3) जी हां। दोनों सड़कों पर निर्माण की स्वीकृतियां सरकार के पत्र क्रमांक एफ. 2 (37) पी. डब्ल्यू./ए. एस/30 दिनांक 2.9.89 द्वारा जारी की गई थी।

(4) जी हां। बिलाड़ा जेतीवास सड़क का निर्माण कार्य स्वीकृत दूरी के अनुसार 5 कि. मी. की लम्बाई में डामर की सड़क बनाकर 1003 में पूर्ण कर दिया था। यद्यपि इसकी लम्बाई 12 कि. मी. है।

देवनगर खांगटा सड़क :– का निर्माण 5 कि. मी. की स्वीकृति लम्बाई के विरुद्ध तकनीकी स्वीकृत के अनुसार 3 कि. मी. की डामर सड़क बनाने के एवज में सिर्फ 3 कि. मी. मैटल स्तर तक करवाया जा चुका है। क्योंकि रपट बनाने में अधिक व्यय करना पड़ा। यह कार्य मार्च, 1994 में पूर्ण हो गया था। शेष कार्य 95–96 की वार्षिक योजना में प्रस्तावित है। इस सड़क की कुल लम्बाई 8 कि मी है।

(5) जी हां उपरोक्त वर्णितानुसार सरकार इन्हें पूरा करने का विचार रखती है। इस संबंध में प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं।

पुलिस सेवा के मृतक कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति

273. **श्री कालूलाल गूजर (माण्डल):** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्री रोशनलाल भाट निवासी मांडल जिला भीलवाड़ा की मृत्यु राजकीय सेवा में सिपाही के पद पर रहते हुए हो गयी थी और उसके आश्रित के रूप में उसकी विधवा श्रीमती मोहनी देवी को कोई नौकरी दी गयी है? यदि हां, तो कब किस पद पर, और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार मृतक की पत्नी को राजकीय सेवा में नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) व (2) जी हां, पुलिस विभाग में उपयुक्त पद रिक्त नहीं होने के कारण कार्मिक विभाग को श्रीमती देवी को अन्य विभाग में नियुक्ति देने के लिए लिखा गया था। कार्मिक विभाग ने निदेशक, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर को श्रीमती मोहनी देवी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति देने के आदेश दिये। जिसके अनुसरण में उक्त श्रीमती मोहनी देवी पत्नी स्व. श्री रोशनलाल भाट को आई. टी. आई., जोधपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर आदेश संख्या एफ स्थापना/95/854–856 दिनांक 27.3.95 के द्वारा नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है।

शेरगढ़ क्षेत्र में खानों का आवण्टन

274. **श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :** क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री खेतसिंह राठौड़)

(1) तहसील शेरगढ़ के अन्तर्गत कुल कितने (गांव) क्षेत्र में खाने आवंटित की गई है ? पुराने व नये क्षेत्र के माप व कुल कितनी खानों के प्लाट काटे गये तथा उनमें कितनी केटेगिरी रखी गई है ?

(2) भविष्य में सेण्ड-स्टोन के लिए नया एरिया बनाने की क्या कोई योजना है ?

(3) क्या इस क्षेत्र में ग्रेनाइट के लिए सर्वे कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्या ग्रेनाइट पत्थर का सर्वे करवाये जाने का सरकार का विचार है ?

(4) इस क्षेत्र में और कौन-कौन से गांव है, जहां सेण्ड-स्टोन क्वारिज का पत्थर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) तहसील शेरगढ़ के अन्तर्गत 9 गांवों के 14 क्षेत्रों में खनिज सैण्डस्टोन के क्वारी लाइसेंस आवंटित किये गये हैं। पुराने क्षेत्रों में 100 फीट × 50 फीट एवं 60 मीटर × 30 मीटर के 3587 प्लाट काटे गये हैं। इनमें से अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के अनुसार 8 केटेगरी रखी गई है।

(2) जी हां ।

(3) शेरगढ़ तहसील में ग्रेनाइट खनिज उपलब्ध होने के अभी तक कोई संकेत नहीं मिले हैं। इस क्षेत्र में ग्रेनाइट खनिज उपलब्धि की जानकारी मिलने पर ही सर्वेक्षण कार्य करने पर विचार किया जावेगा ।

(4) इस क्षेत्र में खनिज सैण्डस्टोन के अन्य गांव डेरिया, मेरिया, खुड़ियाला, ठाडिया, घुड़ियाला इत्यादि हैं, जहां पर खनन पट्टे स्वीकृत हैं ।

थाना टहला (अलवर) में दर्ज प्रकरण

275. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) मुकदमा संख्या 12/94 थाना टहला, अलवर, से संबधित जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि न्यायालय राजगढ़ ने आदेश संख्या 23/687/94 दिनांक 19 अगस्त, 1994 को थानाधिकारी टहला द्वारा दी गई एफ. आर. (अन्तिम रिपोर्ट) को असत्य मानते हुये निरस्त करदी ? यदि हां,तो क्या उक्त भ्रष्ट एवं दोषी थानाधिकारी के खिलाफ सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि अन्तिम रिपोर्ट निरस्त होने के उपरान्त भी थानाधिकारी की मिली भगत से न्यायालय के सम्मन की अभी तक तामील नहीं करवाई गई है ? यदि हां, तो क्यों तथा सम्मन की तामील अब कब तक करादी जायेगी ?

(4) क्या यह सही है कि न्यायालय द्वारा मुलजिमों को धारा 120 बी व 420 का अपराधी माना गया है ? यदि हां, तो

(श्री खेतसिंह राठौड़)

अब तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया तथा अब कब तक गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जायेगा ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में विवादास्पद मकान का आधा हिस्सा प्रार्थी का माना गया है ? यदि हां, तो मुलजिमानों द्वारा किये गये जबरन कब्जे को कब तक हटा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जांच प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायायिक मजि. राजगढ़ जिला अलवर ने उनके आदेश दिनांक 19.8.94 के द्वारा अभियोग संख्या 12/94 में प्रसंज्ञान लेते हुए कार्यवाही प्रारम्भ की है। न्यायालय के निर्णय के उपरांत ही अनुसंधान अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जानी सम्भव है।

(3) जी नहीं। न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.94 को सम्मन जारी किये गये थे जो बाद तामील न्यायालय में तारीख पेशी से पूर्व पेश कर दिये गये थे।

(4) प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय से कोई गिरफ्तारी वारण्ट जारी नहीं किए गये इसलिए किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(5) मामला न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय के बाद ही स्पष्ट स्थिति की जानकारी हो सकेगी एवं न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

तहसील सुजानगढ़ थाने में दर्ज प्रकरण

276. श्री रामेश्वरलाल भाटी (सुजानगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1990 से अब तक प्रतिवर्ष सुजानगढ़ तहसील में चोरी, डकैती व लूट पाट के कितने-कितने मामले दर्ज किए गए ? इनमें से किन-किन का अनुसंधान किया गया तथा जांच रिपोर्ट क्या रही ?

(2) विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में 1992 से अब तक अवैध शराब बिक्री के कितने मामले दर्ज किये गये हैं ? किन-किन मामलों की जांच की गई तथा कौन-कौन से सही पाये गये हैं ?

(3) वर्ष 1990 से अब तक सुजानगढ़ तहसील में अनुसूचित जाति अत्याचार के कौन-कौन से मुकदमें दर्ज हुए हैं ? इनमें से कितने मुकदमें असत्य पाये गये तथा किन-किन के चालान पेश किये ?

उत्तर

(1) सुजानगढ़ तहसील के अन्तर्गत सुजानगढ़, छापर, साण्डवा व सालासर थानों में वर्ष 1990 से फरवरी 1995 तक चोरी, डकैती व लूटपाट के कुल 230 प्रकरण दर्ज किये गये जिनमें 4 प्रकरण अनुसंधानाधीन है। 226 प्रकरणों में

(गृह मंत्री)

अनुसंधान पूर्ण किया जा चुका है। 78 प्रकरणों में चालान न्यायालय में पेश किया गया एवं 143 में एफ. आर. की कार्यवाही की गई, वर्षवार एवं मदवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में 1992 से फरवरी 1995 तक कुल 77 अभियोग दर्ज हुए। इनमें से 76 की जांच पूर्ण कर ली गई। सभी 76 प्रकरण सही पाये गये एवं चालान न्यायालय में पेश कर दिया गया है। एक प्रकरण अनुसंधानाधीन है। विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) 1990 से फरवरी 1995 तक सुजानगढ़ तहसील में अनुसूचित जाति अत्याचार के कुल 156 अभियोग दर्ज हुए। 152 प्रकरणों में अनुसंधान पूर्ण कर लिया गया है। 69 प्रकरणों में न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया है व 83 प्रकरणों में एफ. आर. दे दी गई है। वर्षवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें।)

थाना विद्याधर नगर (जयपुर) में पंजीकृत प्रकरण

277. **श्री गुलाब सिंह (जैसलमेर)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विद्याधर नगर (जयपुर) में हाल ही में अपराधों में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में विद्याधर नगर थाने में पंजीकृत अपराधों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) चोरियों की कितनी घटनाएं हुईं व उनमें से कितनी में माल बरामद हुआ ? क्या यह सही है कि अधिकांश माल व चोरी बरामद नहीं होने से नागरिकों में भय व्याप्त है ?

(3) क्या यह भी सही है कि दुकानदारों पर चाकूबाजी की घटना, हत्या इत्यादि भी उक्त थाना क्षेत्र में हुई है ? यदि हां, तो उक्त के लिए थाना स्तर पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह पुलिस थाना 18 जून, 1993 को स्थापित हुआ था। गत तीन वर्षों में पंजीबद्ध अपराधों का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष 1993 में (दि. 18.6.93 से 31.12.93 तक)) 145 अपराध दर्ज हुए, वर्ष 1994 में 395 अपराध दर्ज हुए, तथा वर्ष 1995 में (दिनांक 20.3.95 तक) 60 अपराध दर्ज हुए हैं। अपराध अनुसार आंकड़ों का तीन सालानक्सा संलग्न है।

(2) चोरियों की सन् 1993 में 40 घटनाएं हुई जिनमें 1,73,000 रुपये का

(गृह मंत्री)

माल चोरी गया। इनमें से 5 चोरियों का 77022/— रुपये का माल बरामद हुआ। सन् 1994 में 110 घटनाएं चोरी की हुई जिनमें रुपए 5,12025/— रुपये का माल चोरी गया। इनमें से 3 चोरियों का 1,02200/— रुपये का माल बरामद हुआ। सन् 1995 में अब तक 7 घटनाएं चोरी की हुई हैं जिनमें 77,200/- रुपये का माल चोरी गया। इनमें से एक घटना में 2200/— रुपये का माल बराबद हुआ है। यह सही नहीं है कि क्षेत्र के नागरिकों में भय व्याप्त है।

(3) इस थाना क्षेत्र में दुकानदारों पर चाकूबाजी की दो घटनाएं घटित हुई हैं लेकिन हत्या की कोई घटना नहीं हुई है। चाकूबाजी के दोनों प्रकरणों में थाना स्तर पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही कर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है।

(4) अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी गश्त व नाकाबन्दी की व्यवस्था की गई हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट—10 देखें।)

करौली वन क्षेत्र में अवैध खनन

278. श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खनिज क्षेत्र करौली में सरकार द्वारा वन क्षेत्र में सेण्ड-स्टोन की कुछ खाने लीज पर दे रखी हैं? यदि हां, तो ऐसे खनन पट्टे कब-कब एवं किस-किस व्यक्ति को स्वीकार किए गए?

(2) क्या यह सही है कि वन विभाग की पूर्व स्वीकृति बिना वन क्षेत्र में स्वीकृत सेण्ड स्टोन के खनन पट्टों का नवीनीकरण किया गया है? यदि हां, तो सन् 1980 से सन् 1994 तक कितने खनन पट्टों का नवीनीकरण किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वन क्षेत्र में अवैध खनन के कितने मामले करौली क्षेत्र में सरकार ने पकड़े हैं? सरकार द्वारा खनन करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? अवैध खनन करने वालों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची प्रदर्श "अ" संलग्न है।

(2) राज्य सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बंशीलाल मोदी बनाम बिहार सरकार के मामले में दिए गए निर्णय के आधार पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रभावशील होने के पूर्व ब्रोकन लैण्ड में ही खनन कार्य सीमित रखने की शर्त पर नवीनीकर स्वीकृत किए गए। सूची प्रदर्श "ब" संलग्न है।

(3) वन क्षेत्र में अवैध खनन के चालू वर्ष में 29 मामले पकड़े हैं। इसमें 14 प्रकरणों में पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई, 3 मामलों में पेनल्टी की राशि

(खनिज मंत्री)

रुपये 6300/– वसूल की गई तथा 11 मामलों में वन विभाग द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है तथा एक केस न्यायालय में दायर किया गया। अवैध खननकर्ताओं की सूची प्रदर्श "म" पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

पुलिस थाना कोटपुतली (जयपुर) में दर्ज प्रकरण

279. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर):– क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 11 मई, 1994 को पुलिस थाना कोटपुतली, जिला जयपुर ग्रामीण में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि गोरधनपुरा चौकी पर मोड के उस पार सड़क के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है?

(2) क्या यह भी सही है कि जांच के दौरान पुलिस ने इसे किसी अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारने से हुई मौत मान लिया था? यदि हां, तो वह वाहन किसका था, कहां से आया व कैसे टक्कर मार कर गया? इसका पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बाद में मृतक की पहचान शिवराम के रूप में की गई? यदि हां, तो कब और किसके द्वारा?

(4) मृतक शिवराम अपने घर से कब से गायब था तथा उसे अन्तिम बार जीवित रूप में कब, कहां और किसके द्वारा देखा गया था? क्या पुलिस ने उन व्यक्तियों से किसी प्रकार की पूछताछ की थी? यदि हां, तो उन व्यक्तियों के बयानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) जहां मृतक की लाश मिली एवं जहां अन्तिम बार जीवित देखा गया, उन दोनों स्थानों एवं समय में कितना अन्तर है तथा मृतक ने यह समय और दूरी कैसे काटी? इस सम्बन्ध में पुलिस ने क्या सूत्र जोड़े हैं?

(6) मौके पर लाश एवं सड़क आदि के कुल कितने छाया चित्र लिए गए थे? उन सबकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या मृतक के परिवारजनों ने इस आशय के प्रार्थना-पत्र विभिन्न अधिकारियों को समय-समय पर प्रस्तुत किए थे कि यह दुर्घटना का मामला न होकर हत्या का मामला है? यदि हां, तो उक्त संदेह की पुष्टि में प्रार्थी ने किन-किन बिन्दुओं पर जांच करने हेतु विशेष आग्रह किया था? क्या जांच अधिकारियों ने उन बिन्दुओं पर जांच की? यदि हां, तो वे बिन्दु क्या थे और उन पर जांच अधिकारियों की क्या राय थी?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अब तक के अन्वेषण से इस व्यक्ति की मौत रोड दुर्घटना अज्ञात वाहन

(गृह मंत्री)

से होना पाया गया। अज्ञात वाहन व मालिक का पता अभी तक नहीं चल सका है।

(3) जी हां। दिनांक 26-5-94 को थाना कोटपूतली में मृतक के भाई रामवतार व चाचा मूलचन्द ने मृतक के कपड़े व फोटो देख कर शिवराम होना बताया था।

(4) अनुसंधानानुसार मृतक शिवराम अपने घर से दिनांक 7-5-94 को अपने मामा की लड़की की शादी में ग्राम पिचानी थाना प्रागपुरा रवाना हुआ था। जिसको अंतिम बार जीवित अवस्था में दिनांक 10-5-94 को 6.30 बजे सुबह श्री गिरधारीसिंह पुत्र शैतानसिंह ने शुकलाबास बस स्टेण्ड पर देखा था। श्री गिरधारी सिंह के बयान धारा 161 सी. आर. पी. सी. के अन्तर्गत दिनांक 20-6-94 को अंकित किये गये हैं। बयानों की प्रति संलग्न है।

(5) मृतक शिवराम को बस स्टैण्ड सुकलाबास पर अंतिम बार करीब 6.30 बजे सुबह दिनांक 10-5-94 को देखा गया था। उसकी लाश चौकी गोरधनपुरा मोड़ होने की सूचना थाने पर जरिये टेलीफोन दिनांक 11-5-94 को 7.30 ए. एम. पर प्राप्त हुई। इस प्रकार जीवित देखा जाने व मृत्यु होने की सूचना प्राप्ति के समय में करीब 25 घंटे का अन्तर हैं। इन दोनों स्थानों की दूरी 10-12 कि.मी. है। मृतक ने यह दूरी व समय कैसे काटा अनुसंधान में स्पष्ट नही हो पाया है और ना ही पुलिस को इस सम्बन्ध में कोई सूत्र प्राप्त हुए हैं।

(6) मौके पर लाश आदि के लिये गये 6 छायर चित्र संलग्न हैं।

(7) मृतक के परिजनों द्वारा समय-समय पर मुकदमें बाजी की पूर्व रंजिश के कारण सोहनलाल व उसके परिजनों पर हत्या किये जाने के आरोप लगाते हुए संदेह युक्त परिवाद पुलिस के विभिन्न अधिकारियों को प्रस्तुत किये थे। जिनके परिप्रेक्ष्य में अनुसंधान के दौरान ही थानाधिकारी को कोटपूतली द्वारा जांच करवाई गई एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट सुपरविजन में अभियोग का अन्वेषण करवाये जाने पर मामला दुर्घटना से ही मृत्यु होने का पाया गया।

(प्रति एवं छाया चित्र विधान सभा पुस्तकालय में रखें गये।)

पाली जिले के ग्रामों की कृषि भूमि का संपरिवर्तन

280. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची): क्या राजस्व मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1993 व 1994 के दौरान कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिर्तन के मामलों के निस्तारण में अधिकारी व राजस्व प्रभारी अधिकारियों द्वारा अकारण विलम्ब किया गया ?

(2) क्या सरकार के आदेश के बावजूद भी निर्धारित समय सीमा में निस्तारण नहीं करने का मामला दिनांक 23 सितम्बर, 1994 को ध्यान में ला दिया गया था ?

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

(3) यदि हां तो कौन-कौन अधिकारी दोषी है व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई या की जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पाली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1993 व 1994 के दौरान कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के मामलों के निस्तारण में श्री गुमानाराम संदिया के प्रकरण के अलावा किसी अधिकारी व राजस्व प्रभारी अधिकारियों द्वारा कोई विलम्ब नहीं किया गया।

(2) वर्ष 1993 में एक प्रकरण एवं वर्ष 1994 में चार प्रकरण प्राप्त हुये थे। श्री गुमानाराम संदिया के प्रकरण के अलावा अन्य प्रकरणों में समय पर कार्यवाही की गई।

(3) श्री गुमानाराम संदिया के प्रकरण में विलम्ब करने से जिला कलक्टर, पाली द्वारा तहसीलदार, सोजत एवं उप खण्ड अधिकारी सोजत से स्पष्टीकरण पूछे गये है। तहसीलदार, सोजत के द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने पर उनके विरुद्ध 17 सी. सी. ए. का नोटिस जारी किया जाना प्रस्तावित है। उप खण्ड अधिकारी सोजत का स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है। सभी सम्बन्धित को भविष्य में समय पर कार्यवाही करने के निर्देश भी कलक्टर द्वारा दिये जा रहे।

तहसील देवली (टोंक) की ढाणियों का ग्रामों में परिवर्तन

281. **श्री जगदीश प्रसाद मीणा** (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि टोंक जिले में तहसील देवली के राजमहल ग्राम की देवखेड़ा लाखोलाई, भगवानपुरा, नयागांव, नेगेडिया, कुशालपुरा आदि सभी ढाणियां राजस्थान राज्य के निर्माण के पूर्व से ही चली आ रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह ढाणियां ग्रामो की संज्ञा में होते हुये भी राजस्व गांव में परिवर्तित कर घोषित नहीं की गई हैं ?

(3) क्या इन ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने हेतु कोई ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उसकी क्या प्रगति है ?

(4) क्या सरकार इन ढाणियों को राजस्व ग्राम में घोषित करने का कोई विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह सही है कि राजमहल ग्राम की ढाणी देवखेड़ा, लाखोलाई, कुशलपुरा, नयागांव राजस्व ग्राम घोषित होने की संज्ञा में आबादी के अनुसार तो आते हैं, परन्तु राजस्व ग्राम की पृथक से सीमा निर्धारण

(राजस्व मंत्री)

करना सम्भव नहीं हैं, इस कारण इन्हें राजस्व ग्राम घोषित नहीं किये गये हैं। ढाणी नेगाडिया व भगवानपुरा की जनसंख्या 250 में कम होने के कारण इन्हें राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया जा सकता।

(3) उक्त ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने के ज्ञापन प्राप्त हुए थे परन्तु भाग-2 में बताये गये कारणों से नये राजस्व ग्राम घोषित करना संभव नहीं है।

(4) प्रश्न के भाग-2 में बताये गये कारणों से इन ढाणियों को नये राजस्व ग्राम घोषित करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र लालसोट की चारागाह भूमि पर अतिक्रमण

282. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) एवं **श्री हरिसिंह** (महुआ)-क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र लालसोट के विभिन्न गांवों से चारागाह काश्त करने पर कितनी धनराशि अतिक्रमियों से वसूल की गई हैं? पिछले पांच वर्षों का विवरण ग्राम-पंचायतवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार चारागाह पर अतिक्रमण से वसूल धनराशि ग्राम पचायतों को प्रतिवर्ष दे रही है? यदि हां, तो क्या अब तक वसूल की गई सम्पूर्ण राशि ग्राम-पचायतों को दे दी गयी है?

उत्तर

(1) वर्ष 1989-90 से माह फरवरी, 1995 तक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र लालसोट के विभिन्न ग्रामों में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण के फलस्वरूप 4,53,171 रुपये की राशि वसूल की गई है। वर्षवार एवं ग्राम पंचायतवार सूची सलंग्न है।

(2) यह सही है कि चरागाह भूमि पर अतिक्रमण के फलस्वरूप होने वाली आय ग्राम पंचायतों को दी जाती है। वसूल शुदा राशि सम्बन्धित पंचायत समिति के पी. डी. खाता में सीधे ही ब चालान द्वारा जमा कराई जाती है तथा पंचायत समिति द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भुगतान किया जाता है। पंचायत समिति लालसोट द्वारा वर्ष 1992-93 तक की सम्पूर्ण राशि ग्राम पंचायतों को दी जा चुकी है। वर्ष 93-94 की 19089 रुपये की राशि तथा वर्ष 94-95 की सम्पूर्ण राशि वितरण होने से शेष है। जो शीघ्र ही वितरित करदी जायेगी वितरित की गई एवं शेष राशि से की सूची पंचायत वार एवं वर्ष वार संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें।)

ग्राम देवपुरा (नैनवां) में आवंटित भूमि

283. रामनारायण मीणा (नैनवां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मिसल संख्या 400 से भूमि खसरा संख्या 146, 161, 164, 165 ग्राम देवपुरा (पटवार

(श्री रामनारायण मीणा)

सर्किल गुढ़ासदावर्तिया) तहसील नैनवां में से 15 बीघा दिनांक 15 अक्टूबर, 1958 को आवंटित करके राजस्व रेकार्ड में आवंटी के नाम अंकित की जाकर लगान वसूली प्रारम्भ कर दी गई थी ? यदि हां, तो जमाबन्दी सम्वत् 2028 की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विगत बन्दोबस्त के समय उक्त कृषि भूमि के खसरा नम्बरान में परिवर्तन हो चुका है ? यदि हां, तो नकल खसरा मिलान वर्तमान बन्दोबस्त सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में आवंटी के नाम पर अंकित है ? यदि नहीं, तो अब कब तक अंकित कर दी जायेगी ?

(4) क्या यह भी सही है कि विगत बन्दोबस्त में नैनवां तहसील में किसानों के नाम पर अंकित हो चुकी कृषि भूमि बन्दोबस्त आपरेशन के बाद किसान के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं की गई है ? यदि हां, तो ऐसे मामलों की ग्रामवार नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) इन प्रकरणों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। विगत बन्दोबस्त के समय उक्त खसरा नम्बरान में परिवर्तन हो चुका है। नकल मिलान बन्दोबस्त सम्वत् 2028-47 सदन को मेज पर रख दी गई है।

(3) आवंटन नहीं होने से भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(4) वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। यदि कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ तो नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

(5) ऐसा कोई प्रकरण नहीं होने से कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(नकल विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

बगड़ी (सोजत) में उप-तहसील

284. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि उप-तहसील खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसके क्या मानदण्ड है ?

(2) क्या सरकार बगड़ी तहसील सोजत में उप तहसील खोलने बाबत विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। नयी उप तहसीलें

(राजस्व मंत्री)

स्थापित करने हेतु क्षेत्र की भोगोलिक स्थति, जनसंख्या, आवागमन के साधन इत्यादि को देखते हुये प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

(2) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

ग्राम दुगारी (बून्दी) में भू-आबंटन

285. श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 15 जून, 1973 को भूमि खसरा संख्या 1072 की 2 बीघा 7 बिस्वा ग्राम दुगारी (जिला बून्दी) के रंगलाल नाम के व्यक्ति के पक्ष में आबंटित के गई थीं ? यदि हां, तो भू-आबंटन के लिये प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भूमि आबंटन योग्य थी ? यदि हां, तो उक्त आबंटन दर्ज किस्म भूमि एवं नकल खाता सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भू–आबंटन के लिये प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां। यद्यपि राजस्व अभिलेख के अनुसार विषयान्तर्गत भूमि बीड जैर निगरानी जंगलात थी, लेकिन ख.नं. 1072 की समस्त भूमि जिला वन समिति के निर्णयानुसार वर्ष 1971 में वन विभाग से राजस्व विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी थी। जमाबन्दी की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(फोटो प्रति विधान सभा पुस्तकालय रखी गयी।)

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में चिकित्सा सुविधाएं

286. श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में चिकित्सा विभाग किस-किस ग्राम में क्या-क्या चिकित्सा सुविधायें मुहैया कराई जा रही हैं ? क्या वहां पर्याप्त स्टाफ है ? यदि नहीं, तो किस-किस ग्राम में किस-किस दिनांक से कौन-कौन से पद रिक्त चले आ रहे हैं ?

(2) रिक्त पदों के लिए विभाग का कौन अधिकारी दोषी है ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में जिन-जिन ग्रामों में चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा रही है, की सूची संलग्न है। चिकित्सा संस्थानों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की दिनांक सहित सूची भी संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

(2) पद राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित चिकित्सक उपलब्ध नहीं कराने, कुछ विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें सम्पन्न नहीं होने, उपयुक्त प्रशिक्षित अभ्यार्थी उपलब्ध न होने तथा अन्य कारणों की वजह से रिक्त हैं। इसके लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

सिटी डिस्पेन्सरी, बालोतरा

287. श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्री रूप कुमार चौपड़ा, बालोतरा, जिला बाड़मेर ने सन् 1994 में सरकार को बालोतरा में सिटी डिस्पेन्सरी भवन अपने स्वर्गीय पिता खेमराज जी की यादगार में निर्माण कराने का पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पत्र पर स्वीकृति हेतु अभी तक क्या कार्यवाही हुई ?

(2) क्या यह भी सही है कि मंत्री महोदय द्वारा उक्त डिस्पेन्सरी हेतु पत्र दिनांक 19 सितम्बर, 1994 क्रमांक 5383 व पत्र दिनांक 28 सितम्बर, 1994 क्रमांक 10162 स्थानीय विधायक को लिखे ? यदि हां, तो स्वीकृति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, उक्त प्रस्ताव का बजट निर्णायक समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया था किन्तु समिति द्वारा प्रस्ताव उपयुक्त नहीं पाया गया क्योंकि बालोतरा शहर की जनसंख्या वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 28099 है तथा वहां पर पूर्व से ही 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय कार्यरत हैं, जो कि पर्याप्त है।

(1) जी हां; बजट निर्णायक समिति की बैठक में उक्त प्रस्ताव उपयुक्त नहीं पाया जाने के कारण आवश्यक स्वीकृति नहीं जारी की जा सकी।

पंचायत समिति बेगूं में माडा योजनान्तर्गत प्रस्तावित उप स्वास्थ्य केन्द्र

288. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार बेगूं पंचायत समिति के माडा योजनान्तर्गत चयनित ग्राम सांगवा, गिरडिया, बाधपुरा, ऊमरथूना में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार वर्तमान में चालू उप स्वास्थ्य केन्द्र-राजगढ़, गोपालपुरा, डकेडीखेड़ा, मंडावरी एवं डोराई को क्रमोन्नत करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

(3) क्या सरकार पंचायत मुख्यालय जयनगर और गांव बानोड़ा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पंचायत समिति बेगूं में निर्धारित नाम से अधिक उप केन्द्र स्वीकृत है।

(2) जी नहीं। उप केन्द्र को क्रमोन्नत करने का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।

(3) जी नहीं। पंचायत समिति क्षेत्र में निर्धारित नार्म्स से अधिक उप स्वास्थ्य केन्द्र पहले से भी स्वीकृत है।

बगड़ी (पाली) के रैफरल अस्पताल में एक्सरे मशीन

289. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बगड़ी जिला पाली में रेफरल अस्पताल कब क्रमोन्न हुआ ?

(2) वहां एक्सरे मशीन कब पहुंची तथा इसको चालू कब किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि टेक्नीशियन या रेडियो ग्राफर का पद न होने के कारण इस मशीन का लाभ आज तक जनता को नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो उपयुक्त व्यक्ति का पदस्थापन कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगड़ी जिला पाली को वर्ष 1989–90 में क्रमोन्नत किया गया।

(2) रेफरल अस्पताल, बगडी में एक्सरे मशीन दिनांक 14-7-93 को पहुंची एवं दिनांक 10-8-94 से चालू कर दी गई।

(3) बगडी रेफरल अस्पताल हेतु एक पद सहायक रेडियोग्राफर का दिनांक 1-7-94 से सृजित किया गया है। प्रशिक्षित अभ्यार्थी के अभाव में पद रिक्त है।

वर्तमान में सोजत चिकित्सालय के सहायक रेडियोग्राफर को सप्ताह में दो दिन बगडी में कार्य सम्पादन के लिये लगाया गया है।

प्रशिक्षित अभ्यर्थी के उपलब्ध होते ही उक्त पद को भर दिया जाएगा।

उप स्वास्थ्य केन्द्र जावंरा (बूंदी) का निर्माणाधीन भवन

290. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उप स्वास्थ्य केन्द्र जावंरा (जिला बूंदी) के लिए राजकीय भवन निर्माणाधीन हैं ? यदि हां, तो

(श्री रामनारायण मीणा)

कब से तथा इसे अब कब तक पूर्ण करवा कर भवन में उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

(2) उक्त भवन का कार्य अब तक पूर्ण नहीं होने के क्या कारण रहे हैं ? इस बाबत क्या कार्यवाही की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां; दिनांक 11-2-92 से। भवन निर्माण पूर्ण होने पर इसमें उप स्वास्थ्य केन्द्र प्रारम्भ करना सम्भव होगा। विवाद का निपटारा शीघ्र करवा कर निर्माण पूरा करवाया जायेगा।

(2) उक्त भवन का निर्माण कार्य सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा समय पर नहीं करने के कारण तथा विकास अधिकारी, लालेड़ा द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार को दिनांक 1-1-93 को नोटिस जारी कर दिया गया था उसकी अनर्नेस्ट मनी जब्त करने की कार्यवाही जारी है।

ग्राम पंचायत रेवाड़ा (चित्तौड़गढ़) की गौशाला निर्माण में दुरुपयोग

291. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील राश्मी, जिला चित्तौड़गढ़ की रेवाड़ा ग्राम पंचायत में गौशाला का निर्माण किया गया है ?

(2) यदि गौशाला का निर्माण हुआ है, तो उस पर कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं उसमें से कितनी राशि खर्च की गई ?

(3) क्या वर्तमान में गौशाला उक्त ग्राम में भौतिक रूप से उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो खर्च की गई धनराशि का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

(4) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो सरकार कब तक कार्यवाही कर धनराशि वापिस वसूल करेगी ?

उत्तर

(1) राशमी तहसील जिला चित्तौड़गढ़ के ग्राम रेवाड़ा में जवाहर रोजगार योजना अथवा अन्य ग्रामीण विकास योजनान्तर्गत, गौशाला का निर्माण नहीं करवाया गया है।

(2) गौशाला निर्माण पर कोई राशि न तो स्वीकृत की गई है न ही व्यय की गई।

(3) जब गौशाला निर्माण कराया ही नहीं गया है तो इसके भौतिक रूप से उपलब्ध होने अथवा राशि के दुरुपयोग का प्रश्न ही नहीं है।

(3) इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

ग्राम मण्डावरी लालसोट के पशु चिकित्सालय में चिकित्सक का रिक्त पद

292. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) एवं

श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति लालसोट के ग्राम मण्डावरी के पशु चिकित्सालय में विगत एक वर्ष से चिकित्सक का पद रिक्त है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

पंचायत समिति लालसोट के ग्राम मण्डावरी के पशु चिकित्सालय में दिनांक 15.3.95 को डाक्टर के नियुक्ति आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।

सरदारशहर (चूरू) की सैकण्डरी स्कूल

293. श्री रामेश्वर लाल भाटी (सुजानगढ़) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर (चूरू) में नगर की एकमात्र विभाग की सैकण्डरी स्कूल "बापा सेवा सदन" के कर्मचारियों की मासिक आय में 10 प्रतिशत की कटौती हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या विभाग उक्त कर्मचारियों की मासिक आय में हो रही 10 प्रतिशत कटौती की पूर्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार 90 प्रतिशत स्वीकृत राशि में से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा रही है।

(2) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की खुराक राशि में वृद्धि

294. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर प्रतिदिन भोजन पर प्रति छात्र कितनी राशि व्यय की जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि इन छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों पर जेल में रहने वाले प्रति कैदी की खुराक पर व्यय होने वाली प्रतिदिन की राशि में आधी से भी कम राशि खर्च की जाती है ?

(3) क्या सरकार इन छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों की उक्त राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी एवं कब तक ?

उत्तर

(1) प्रतिदिन प्रति छात्र लगभग रुपये 5.66 पैसे व्यय किये जाते हैं।

(समाज कल्याण, राज्य मंत्री)

(2) जी नहीं।

(4) राशि में वृद्धि का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है जिस पर शीघ्र निर्णय अपेक्षित है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि—

(1) श्री शान्ति कुमार धारीवाल एवं 57 अन्य माननीय सदस्यों ने तहसील मांगरोल जिला बारां के तहसीलदार के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें होने तथा काश्तकारों को टीनेन्सी एक्ट की धारा 91 के तहत गलत नोटिसेज जारी करने और स्थानीय विधायक के साथ दुर्व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 50 के अन्तर्गत एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त हो गया है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। आज इस विषय पर राज्य सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जायेगा उस समय माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकेंगे।

(2) श्री विष्णु मोदी, सदस्य, विधान सभा द्वारा राज्य के भीलवाड़ा, बारां, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी आदि जिलों में ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में दिये गये स्थगन प्रस्ताव की सूचना के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। इस सम्बन्ध में आज दिनांक 31 मार्च, 1995 को राज्य सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जायेगा उस समय माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

(3) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले की लालसोट तहसील के गांवों में गत दिनों हुई ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान के सम्बन्ध में दिया गया स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं होने के कारण मैं इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। आज इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से दिये जाने वाले वक्तव्य के समय माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा कृषि कनेक्शनों के लिए निर्धारित नीति का पालन नहीं करने से किसानों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरिसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नव

(श्री उपाध्यक्ष)

निर्मित सड़कों की दशा अत्यधिक खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जहाजपुर नगर की नागदी नदी में गन्दगी, कूड़ा करकट डाले जाने से जनता के स्वास्थ्य पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव के सम्बन्ध में।

(4) श्री जितेन्द्र नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पचायत अमर सिंह का गढ़ा पंचायत समिति भवन में पंचायत की बैठक दौरान महिला सरपंच के साथ कथित दुर्व्यवहार के दर्ज मुकदमें में पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री बनवारी लाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोंक जिले में अकाल राहत कार्यों में की गयी कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(6) श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य की पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव होने के उपरान्त भी उनके कार्य संचालन सम्बन्धी नियम अभी तक नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ एवं चूरू की कतिपय सड़कों के खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा कीर ओर से आयुर्वेद विभाग में चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति/जनजाति के आयुर्वेद स्नातकों को तदर्थ नियुक्तियां दिये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री रघुवीर सिंह, (सराड़ा) सदस्य, विधान सभा की ओर से सराड़ा कस्बे की मुन्सिफ कोर्ट हेतु भवन बनवाने के सम्बन्ध में।

(10) श्रीमती मनोरमा सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति पर्याप्त नहीं होने से किसानों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

(11) श्री नारायण लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से धरियावाद उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्सरे मशीन नहीं होने से रोगियों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(12) श्री कन्हैयालाल पाटीदार, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति पिड़ावा (झालावाड़) को प्रधान मंत्री आश्वासित रोजगार योजना में शामिल करने के सम्बन्ध में।

(13) श्री मोहनलाल मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान क्षेत्र नीमकाथाना के कतिपय गांव व ढाणियों में पेयजल की गम्भीर समस्य के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(14) श्री मोहनलाल बारूपाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला नागौर की तहसील जायल के ग्राम डाडेली में स्थापित 33 के.वी.जी.एस.एस. के चालू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से लालसोट तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डावरी में कार्यरत सीनियर चिकित्सा अधिकारी के स्वास्थ्य केन्द्र में नियमित उपस्थित नहीं होने से वहां की जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

(16) श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा मॉण्डलगढ़ कृषि उपज मण्डी से खंगार जी का खेड़ा चित्तोड़िया पदमपुरा सड़क को शीघ्र पूरा करवाने के सम्बन्ध में।

(17) श्री चुन्नीलाल धाकड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से बेगूं विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(18) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर के ऐतिहासिक एवं पुरातत्व महत्व के परकोटे में अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री कन्हैयालाल मीणा।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है उस पर आपने कोई व्यवस्था ही नहीं दी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल जी मीणा।

श्री राधेश्याम : आप बड़ी कमाल की बात कर रहे हैं। पांच लड़के मर गये, इतनी बड़ी महामारी फैलने वाली है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको अभी अनुमति दे दूंगा। आप बिराजें। (व्यवधान) ...

श्री राधेश्याम : आप इतना अन्याय करेंगे क्या. मेरी आप से चैम्बर में बात हुई है।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : मैंने दस दिन पहले आपको एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : हां, उसका उत्तर आ जायेगा।

श्री माधवसिंह दीवान : अध्ययन करके उस पर मंगवाया है।

श्री राधेश्याम : बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : दो-तीन दिन लग जायेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है उनको आप पांच मिनट का समय दीजिए बोलने के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : हां, मैं जरूर दूंगा। श्री कन्हैयालाल मीणा।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दिनांक 6 3.1995 को दिनेश कुमार शर्मा, सन आफ श्री रामनिवास शर्मा, मूल निवास बस्सी 8–ए, हरियाणा कालोनी, टोंक फाटक पर रहता था और राजस्थान हाई कोर्ट में वह कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत था। वह व्यक्ति 6.3.95 को प्रातः 10 बजे घर से दफ्तर के लिए गया था तब से उस व्यक्ति का आज तक कोई पता नहीं लगा है। बजाज नगर थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है लेकिन बड़े दुख का विषय है कि तब से लेकर अब तक उस व्यक्ति का कोई पता नहीं। आफिस में भी वह उस समय नहीं पहुंचा। खाली लक्ष्मी मन्दिर सिनेमा के पास में बबलू नाम के व्यक्ति द्वारा पहली बार उस व्यक्ति को देखा गया।

मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर उसका पता लगवाने की कृपा करें। घरवाले जगह-जगह व्यक्तिगत रूप से जरूर देख रहे हैं लेकिन पुलिस की तरफ से इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। उससे उसके परिवार के वृद्ध माता-पिता काफी चिन्तित हैं और उसके पिताजी उस सदमे से खाट पर पड़े हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में पुलिस को आवश्यक निर्देश जारी करें तथा उस व्यक्ति का पता लगवायें।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 295 में हमारा भी था, नाम नहीं बोला।

श्री उपाध्यक्ष : होगा तो बुलवा देंगे। श्रीमती मीना जी, (अनुपस्थित) श्री हरिनारायण बैरवा।

श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र खंडार में इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण जो नीचे की बस्तियां थीं, जो नालों के पास में थीं वहां बाढ़ आने के कारण वह बस्तियां नष्ट हो गयी हैं और पहले भी दो-तीन बार बाढ़ आयी थी। वह बस्तियां नष्ट हो चुकी थीं। इसलिए सारवा, जयसिंहपुरा, मेईकलां, बिसवाड़ी बिसरान, मालियों के टापरे, ऊंची जगह पर बसाने की कृपा करेंगे। जो सड़कें, तालाब और पुलियाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं उनका पुनः निर्माण करवाया जाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपको विदित होगा कि सवाई मानसिंह अस्पताल में गत वर्ष दीपावली के हादसे में आठ

(श्री रामस्वरूप मीणा)

मरीजों की बर्न यूनिट में अकाल मृत्यु हो गयी थी। यह बहुत गम्भीर मामला है उपाध्यक्ष महोदय। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से निम्नलिखित का जवाब चाहता हूं।

आठ मरीजों की मृत्यु इलाज के अभाव में बर्न यूनिट एस.एम.एस. में हो गयी थी, इस पर सरकार द्वारा क्या कठोर कार्यवाही की गयी? प्रतिभा मीणा, जो कि मात्र 16 पर्सेण्ट बर्न, चोट व मृत्यु चार्ट प्रमाण पत्र के अनुसार शरीर के नीचे के हिस्से में मामूली-सी उपरी तौर पर झुलसी थी और कोई गम्भीर घाव नहीं थे और ना ही नाजुक स्थान पर गम्भीर चोट थी और किसी डाक्टर के अनुसार मृत्यु होना असम्भव था, उसकी मृत्यु एक मात्र डाक्टरों की लापरवाही से हुई थी।

इसमें कोई कोई ज्यादा तकनीकी जांच की आवश्यकता नहीं थी, ऐसे डाक्टरों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही क्यों नहीं की गयी जबकि यह प्रमाणित हो चुका था कि मृत्यु लापरवाही के कारण हुई है और सरकार ने डाक्टरों की मेडिकल जांच कराने की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था? पुलिस केस नम्बर 389/94 आई.पी.सी. 304 में दोषी डाक्टरों के विरुद्ध सरकार द्वारा कार्यवाही क्यों नहीं की गयी। स्थानीय पुलिस द्वारा मामले को दबाने का प्रयास किया गया। उच्च अधिकारी, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक सतर्कता द्वारा इस मामले को सही पाया गया है और पुनः कार्यवाही के लिए निर्देश जारी किये गये हैं। अतः दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गयी जिन्होंने अपराधियों को बचाने का प्रयास किया? उपाध्यक्ष महोदय, दीपावली के समय अनिवार्य सेवाएं बर्न यूनिट की होते हुए क्यों नहीं विशेष व्यवस्था की गयी। डाक्टर यूनिट से गायब रहे, स्वयं विभागाध्यक्ष तीन दिन तक वार्ड में नहीं पधारे, कोई भी वरिष्ठ डाक्टर ड्यूटी पर नहीं थे। इसके लिए विभागाध्यक्ष तथा अस्पताल प्रशासन की पूरी तरह जिम्मेदारी है फिर इनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही नहीं की गयी? मृतकों के नाम से विशेष खण्ड सरकार के द्वारा बनाया जाये और जलने की घटनाओं के प्रति जनता में जागृति पैदा की जाये एवं यह सुनिश्चित किया जाये कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी और दोषी अपराधियों के विरुद्ध जिन्होंने लापरवाही की है, जिनके कारण 8 मौतें एस.एम.एस. अस्पताल में हुई हैं उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एस.एम.एस. अस्पताल में इस प्रकार की घोर लापरवाही के कारण 8 व्यक्तियों की जानें चली गयीं, उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा, जिसकी जांच हो चुकी है। जांच में वह लोग दोषी पाये गये हैं उसके बाद भी....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं उनसे निवेदन कर रहा हूं वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्याम जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : जवाब दे रहे हैं माननीय मंत्री। दे रहे, खड़े हो रहे हैं, आपने उनको बैठा दिया। 8 आदमियों की मौत हुई हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्याम जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : और 8 आदमियों की मौत....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, 8 आदमियों की मौत हुई है एस.एम.एस. अस्पताल के अन्दर और इतना घोर अपराध किया है, इतनी लापरवाही बरती गयी है और 8 आदमी जलकर मर गये....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय सदस्य। आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : खाली इलाज में कमी के कारण, इलाज में लापरवाही बरती गयी है, जांच में पाया गया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं, मेरा विनम्र निवेदन है ऐसे जघन्य अपराध के लिए, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी आज आप आश्वस्त करिये सदन को....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। बिराजिये, बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : अब उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी जिन व्यक्तियों ने इस प्रकार का....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : लापरवाही की है, दवाइयां नहीं दीं, ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे वह लोग, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हो ? डाक्टरों को आप बचाने में लगे हो। डाक्टरों से आपकी मिलीभगत है इसका मतलब यह हुआ। 8 व्यक्ति जलकर मर गये और लापरवाही के कारण मर गये। खाली शरीर के निचले हिस्से में जले हुए थे....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप थक जायेंगे, थोड़ा धीमे-धीमे बोलें। अब बिराजिये आप बिराजिये अब आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मंत्री महोदय ने यह विश्वास दिया था कि इस बारे में कोई निश्चित कार्यवाही करूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैंने स्वयं ने शिकायत की थी....

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये आप। माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : इस बारे में मेरा विनम्र निवेदन है आप इसका मंत्री महोदय से जवाब दिलायें, 8 व्यक्तियों की अकारण मृत्यु हुई है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें आप।

श्रीमती कमला (बैराठ) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है इस तरह के गम्भीर मुद्दे पर अगर माननीय मंत्र

(श्रीमती कमला)

महोदय कोई जवाब देते हैं तो यह राज्य के हित में होगा। नहीं तो एक तरफा वर्णन अखबारों में और प्रेस में आयेगा। साथ में मंत्रीजी का भी जवाब हो तो वह मेरी समझ में आपके हित में रहेगा।

श्री नाथूसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास) : काल अटेन्शन रखिये।

श्री उपाध्यक्ष : सारा रिकार्ड पर आ रहा है। मंत्रीजी देख लेंगे इसको। माननीय राधेश्याम जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, वह जवाब देने के लिए तैयार हैं मगर आप नहीं सुलटा रहे हैं इस मामले को....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मुख्य मंत्रीजी भी बिराजे हैं, अगर मंत्रीजी इस बात का जवाब नहीं देते हैं तो....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : 8 मौतें हुई हैं लापरवाही के कारण, डाक्टरों के कारण

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : उसके बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? मेरा विनम्र निवेदन है आपके माध्यम से कि 8 मौतें हुई हैं डाक्टरों की लापरवाही के कारण। एक तरफ तो आप हत्या के मामलों में इतना ध्यान देते हैं और आज....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : स्पष्ट हत्या है यह। डाक्टरों की लापरवाही के कारण मौत हुई है। हत्या है, वास्तव में देखा जाये तो डाक्टरों की लापरवाही के कारण....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : इससे बड़ा और गम्भीर मामला क्या हो सकता है सदन के अन्दर। 8 आदमी मर गये, डाक्टरों को दोषी पाया जाये....

श्री उपाध्यक्ष : अब आपकी पूरी बात सुन ली। माननीय सदस्य, बिराजें आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : और उसके बावजूद भी चिकित्सा मंत्रीजी कोई कार्यवाही न करें....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा विनम्र निवेदन है. मंत्री महोदय या तो उनसे मिल गये हैं. अगर नहीं मिले तो जवाब दीजिये आप इस बात का कि आप क्या कार्यवाही कर रहे हो। अगर आप जवाब नहीं दिलवाते हैं तो सदन के बीच में धरना

(श्री रामस्वरूप मीणा)

दूंगा इस बात के लिए। 8 आदमियों की मौतें हुई हैं....

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्याम जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस प्रकरण की यहां चर्चा की है उस सन्दर्भ में पहले एक बार जांच हो चुकी है परन्तु उसमें वापस मेरे पास एक प्रतिनिवेदन आया कि एक बार पुनः जांच करायी जाये। अब वरिष्ठ शासन सचिव की अध्यक्षता में मैंने एक समिति बनायी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि उसमें अगर किसी भी चिकित्सक की किसी भी स्तर पर लापरवाही रही और जांच समिति के प्रतिवेदन में उसके खिलाफ कोई बात आयी तो निश्चित तौर पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्याम जी।

श्रीमती मीना अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना टर्न खो चुकी हैं, बिराजिये आप। चार बार आपका नाम पुकारा। माननीय सदस्या, समय पर उपस्थित रहिये।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़े खेद की बात है कि इससे ज्यादा, वैसे तो मैं आपका आभारी हूं आपने दो मिनट का किसी भी तरह समय दिया लेकिन बड़े दुःख की बात है कि इतनी बड़ी मेरे ख्याल में राजस्थान में ऐसी कोई घटना शायद ही घटी हो। दस बच्चे, तीन साल से लेकर सात साल तक के नाले, गटर में गिरे जिसमें तीन की मृत्यु हो गयी और कल की बात है, ऐसी घटना के बाद मैंने जब आपसे निवेदन किया तो गवर्नमेन्ट से स्टेटमेण्ट दिलाना नहीं चाहते। 25–30 साल पुरानी एक गटर लाइन है। मैंने पिछले साल भी बजट सैशन के अन्दर यह निवेदन किया था। आज गंगानगर की गलियों में 6–6, 12–12 इंच पानी है। लोग कपड़ा उठाकर फिर रहे हैं। महामारी फैलने का डर है और बालक, मैं कहता हूं आप कहीं देख लो, एक बालक जिसके अंकल की शादी थी, अनूपगढ़ से चलकर शाम को शादी करने के लिए आये और दो घण्टे के बाद वह बच्चा गटर में गिरा और गिरकर वहीं समाप्त हो गया। पांच बहनों का एक ही भाई था। बड़े अन्याय की बात है। आप जांच करिये और मेरी बात में कहीं भी गलती निकल तो जो सजा चोर की वह हमारी। उसके बाद दूसरा लड़का साढ़े तीन साल का, दो भाई थे, वह बच्चा गिरा और मर गया। मैंने प्रशासन, जो नालायक प्रशासन है, से कई बार निवेदन किया जिन्होंने परवाह नहीं की। नगर परिषद् को बार-बार मैंने लिखकर दिया और इसी विधान सभा में अध्यक्ष महोदय के सामने अपनी बात रखी। वह गटर लाइन का पानी जी. ब्लाक, एल. ब्लाक, एफ. ब्लाक, एच. ब्लाक, विनोबा बस्ती, मुकर्जी नगर, उधाराम चौक, हाउसिंग बोर्ड, मानक लाल वर्मा नगर, आदर्श नगर, के अन्दर इस तरह फैल रहा है।

(श्री राधेश्याम)

महाराजा गंगासिंह जी का बसाया हुआ गंगानगर और जिसकी इतनी दुर्दशा हो गयी है देखने को जी नहीं करता। अखबार भरे पड़े हैं। कम से कम सौ अखबारों में यह लिखा गया है। सीमा संदेश, प्रताप केसरी, राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति, जनसत्ता, कोई अखबार ऐसा नहीं है जिन्होंने बच्चों के ऊपर इस तरह का दुःख नहीं प्रकट किया लेकिन सरकार के ऊपर जूं नहीं रेंगी। मुझे बड़ा दुःख है, बड़े खेद के साथ यह निवेदन करना पड़ता है कि इस तरह का मामला भी महत्वपूर्ण मामला नहीं है तो कौनसा मामला ऐसा है। बच्चों की जान जाती रहे और हम यहां मौन बैठे रहें, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वहां से चुनने की सजा अगर जनता को दी जा रही है और अगर आपका हाउस यह चाहे तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। अगर आपकी और हाउस की यह मंशा हो कि इसी कारण से गंगानगर की जनता को सजा दी जा रही हो तो यह बात उचित नहीं है।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : यह शुभ काम कर ही दो, दे दो आज।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री राधेश्याम : मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं कैसे बिराजूं मेरा, तो मन रो रहा है। मैं तो रो रहा हूं। बिलकुल यह रोने जैसी स्थिति है। आप जो लोग इसको मजाक समझ रहे हो, मैं ईमानदारी की बात करता हूं, आंखों के सामने जब वह सीन आता है तो आदमी का मन फट जाता है। चप्पल पहने हुए एक सात साल का बच्चा जिसके घर शाम को उसके चाचा की शादी थी और वह गिर कर अपना दम तोड़ देता है। सरकार को, नगर परिषद् प्रशासन को इस बात की कोई जानकारी नहीं और इतने अखबारों ने लिखा, 2–3 महीने हो गये, चार महीने से रेगूलर अखबार लिख रहे हैं और सरकार कुछ सोच नहीं रही है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री राधेश्याम : मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा इस मामले में आप गवर्नमेंट से स्टेटमेण्ट दिलाइये। अगर स्टेटमेण्ट नहीं दिलायेंगे, इससे बड़ा महत्वपूर्ण मामला और कोई हो नहीं सकता। मेरी आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, यह ऐसा मामला है, बच्चे आपके घर भी हैं और अपने सबके घर में है, ऐसे नन्हे-नन्हे बच्चे इस तरह से अगर मरते रहे और हजारों पशु इसके अन्दर गिरते हैं, वह गाय माता जिसका हम दूध पीते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री राधेश्याम : रोज गटरों में गिरते हैं तो क्या यह व्यवस्था ऐसे ही रहेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री राधेश्याम : कूड़ा करकट और इतनी गन्दगी है शहर के अन्दर कि कोई भी अच्छा व्यक्ति किसी सड़क से गुजर नहीं सकता। उसके बावजूद भी आप गवर्नमेण्ट से स्टेटमेण्ट नहीं दिलाना चाहते। मेरी

(श्री राधेश्याम)

हाथ जोड़कर प्रार्थना है कृपया आप आदेश दीजिये, गवर्नमेंट इस मामले में स्टेटमेंट दे कि गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। क्या वह भूमि अवाप्त करके जिस नाले में पानी गिरता है, वहां डिग्गी बनाकर शहर के गंदे पानी के निकास की व्यवस्था करेगी ? जो 25–30 साल पुराना नाला बना हुआ है उसमें इतनी सिल्ट जमा हो गयी है कि 9–9, साढ़े 9–9 फीट उसके अन्दर सिल्ट ही सिल्ट है····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें आप।

श्री राधेश्याम : तीन-चार किलोमीटर का वह नाला और चारों तरफ गलियों में पानी ही पानी होता है····

श्री उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, बिराजिये आप। श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी।

श्री राधेश्याम : इतनी ज्यादा गन्दगी है। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं आप गवर्नमेंट से स्टेटमेंट दिलाइये जिससे लोगों को राहत मिले, आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष : बद्रीप्रसाद गुरुजी।

श्री राधेश्याम : मेरी आपसे पुनः प्रार्थना है, आप इस मामले में गवर्नमेंट से स्टेटमेंट दिलाइये....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी सब नोट कर रहे हैं।

श्री राधेश्याम : यह बहुत लोक महत्व का मामला है। मेरी आपसे प्रार्थना है आप थोड़ी कृपा कीजिये

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप। पूरा मौका दिया गया है और मंत्रीजी बहुत गम्भीरता से ले रहे हैं, अब बिराजिये आप।

श्री राधेश्याम : इतने निर्दयी न बनिये। आपके और हमारे भी बच्चे हैं, आप कृपा कीजिये। आप गवर्नमेंट से स्टेटमेंट दिलाइये।

मैं आपसे प्रार्थना करता हूं यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इसको आप बिलकुल एकदम भुलाओ मत। हो सकता है मेरे विचारों में, मेरे कहने में....

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़) : गत वर्ष भयंकर बरसात हुई थी। उस बरसात के कारण....

श्री राधेश्याम : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप स्टेटमेंट दिलायें।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान गत वर्ष जो भयंकर बरसात हुई उस बरसात के कारण मेरे क्षेत्र में काफी तालाब और बांध टूटे और भयंकर रूप से क्षतिग्रस्त हुए उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। जैसे, डावटी घोघरा बांध काफी क्षतिग्रस्त हुआ, अनवासा बांध तो पूरा साफ हो गया, मण्डोर बांध भी काफी क्षतिग्रस्त हुआ। इसके अलावा भी काफी तालाब क्षतिग्रस्त हुए। एक तालाब की तो माननीय मंत्री महोदय ने

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

ठीक करवाने की मंजूरी दी पर बाकी के जो तालाब और बांध हैं उनको ठीक कराने की और उनको पुनः रिपेयर करने की अभी तक सरकार ने कोई राशि स्वीकृत नहीं की है। बरसात वापस सिर पर है। यदि इन बांधों को अविलम्ब ठीक नहीं कराया गया तो आने वाली बरसात में वह बांध पूरे नहीं होंगे और वह बांध पूरे नहीं होंगे तो इस वर्ष भी किसानों की जो फसलों का नुकसान हुआ अगले वर्ष भी फसलों का नुकसान होगा और किसानों की रोजी-रोटी छीनी जायेगी। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि गत वर्ष अतिवृष्टि में बांध और नहरें क्षतिग्रस्त हुई हैं उनको पुनः अविलम्ब ठीक कराया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहूंगा कि अपने बजट में इन्होंने एक अंक की लाटरी के बारे में स्पष्ट घोषणा की है कि राजस्थान में एक अंक की लाटरी बन्द हो गयी है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जानना चाहूंगा कि एक अंक की जो लाटरी है वह सिर्फ राजस्थान में बन्द हुई है या उसको पूरी तरह से बन्द ही कर दिया गया है? क्योंकि आभास यह हो रहा है कि उसका चलन सिर्फ राजस्थान में बन्द किया गया है और वह प्रिन्ट होगी, उसका ड्रा भी यहां निकलेगा और अदर स्टेट में उसकी बिक्री भी होगी। यदि ऐसा है तब तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान की जनता के साथ बहुत ही बड़ा धोखा है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : माननीय मुख्य मंत्रीजी मेरा एक ही निवेदन है इसी विषय पर ...

श्री राजेन्द्र पारीक : उसका प्रिन्ट ही बन्द होना चाहिये अदरवाइज होगा क्या कि राजस्थान की लाटरी बाहर के स्टेट में जहां भी जायेगी और वहां से वापस आकर अपने राजस्थान स्टेट में उसकी बिक्री होगी। इसको निश्चित रूप से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बन्द किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गोविन्द सिंह जी।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में एक अंक की लाटरी को बन्द करने की घोषणा की और पूरे सदन में बल्कि पूरे राजस्थान में इसकी तहे दिल से प्रशंसा की गयी लेकिन जैसी आशंका है, जैसी जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार यह लाटरी बन्द नहीं हो रही है। केवल राजस्थान में, जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण में भी कहा है कि एक अंक की लाटरी का चलन राजस्थान प्रदेश में बन्द कर दिया है। जब बाहर के प्रदेशों में चलती रहेगी, इसके ड्रा खुलते रहेंगे और क्या किया कि जो लाटरी व्यवसाय में लगे हैं उन्होंने दूसरे प्रदेशों में अपना आफिस खोल लिया और वहां यह ले जायेंगे और वहां सेल दिखा कर यह लाटरी यहीं चलती रहेगी। इसलिए मेरा निवेदन है मुख्य मंत्री

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

महोदय से कि इसका ड्रा बन्द करने की घोषणा करें कि इसका कोई ड्रा नहीं निकलेगा एक अंक की लाटरी का।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य रहा राजस्थान का कि पहले तो प्लेग के कारण इतना बड़ा पेनिक मचा और यह सरकार कुछ नहीं कर पायी। फिर मलेरिया फैला और उसके अन्दर इतनी मौतें हुई। माननीय मुख्य मंत्रीजी जब विदेश यात्रा से वापस आये तब कहीं सरकार जागी। मलेरिया फैलता गया इस वक्त राजस्थान के अन्दर पीलिया का इतना भारी रोग फैल रहा है और जयपुर वाल्ड सिटी है उसके अन्दर तो कम से कम हजारों लोग रोज पीलिया से पीड़ित होकर सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों के अन्दर जा रहे हैं लेकिन इस सरकार के अभी तक जूं नहीं रेंगी। मुझे जो जानकारी मिली है कि शहर के अन्दर प्लास्टिक की पाइप लाइन में लोगों ने पंचर कर रखा है और उसमें अन-अथोराइज्डली पानी निकालते हैं। इस कारण से जयपुर में विशेष रूप से और पूरे राजस्थान में जोंडिस भयंकर रूप से फैल रहा है और न तो सरकार इसके प्रिवेंटिव कि इसको कैसे रोका जाय और न ही अस्पतालों में इस तरह की कोई व्यवस्था हो रही है जिससे कि लोगों में ,जो महामारी फैल रही है उसके रोकने में कोई उपचार मिले।

श्री उपाध्यक्ष : नियम 295, श्री शिवनाथसिंहजी। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : भरतपुर में इलाज नहीं हुआ फिर जयपुर लाये। जयपुर में इलाज नहीं हुआ। इससे बड़ी गम्भीर स्थिति और क्या पैदा होगी राजस्थान के अन्दर।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

कृषि हेतु विद्युत कनेक्शन की निर्धारित नीति की पालना

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्षजी, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय की ओर ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की किसान विरोधी नीतियों के फलस्वरूप आज प्रदेश का किसान तबाह हो गया है। फसलें नष्ट हो रही हैं। कोई निश्चित नीति कृषकों के कनेक्शन देने की नहीं है। एक पोल, दो पोल की कनेक्शन योजना का मखौल उड़ाया जा रहा है। दिनांक 7-12-94 को आदेश जारी किया गया कि 210 मीटर की दूरी तक दो पोल योजना में कनेक्शन दिया जायेगा जिसके लिए 18000/– रुपये देय होंगे फिर सरलीकरण के नाम पर ट्रान्सफार्मर की कीमत के रूप में 65000/- रुपये किसान से वसूल करने का निर्णय हुआ। यही नहीं प्रति हार्स पावर पर 2500/– रुपये काश्तकार से जमा करवाने के आदेश जारी हुए तथा इस आदेश को पूर्व में दिये गये कनेक्शन पर लागू करते हुए किसान के कनेक्शन काट दिये गये जिन्होंने 2500/– रुपये प्रति हार्स पावर जमा नहीं करवाये फिर भी एक आदेश जारी किया गया कि एक पोल पर 7000/-

(श्री शिवनाथसिंह)

रुपये तथा दूसरे पोल के लिए 11000/– रुपये जमा करवाने के स्थान पर प्रति पोल 10,000/– रुपये जमा करवाने होंगे। 16-2-95 को फिर एक आदेश जारी किया गया कि जिन कृषकों के पहले कनेक्शन दे दिये गये थे उन्हें भी 2,500/– रुपये प्रति हार्स पावर के हिसाब से और अधिक राशि जमा करवानी पड़ेगी। अब नया निर्णय लिया गया है। कृषकों को दो श्रेणी में बांटा गया है तथा एक श्रेणी वाले कृषकों को नर्सरी श्रेणी की दर से पैसा देना पड़ेगा। इतना होने के बावजूद भी किसानों की फसलें सूख रही हैं। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल किसानों को तबाह करने पर तुला हुआ है। राज्य सरकार तथा ऊर्जा मंत्रालय विद्युत बोर्ड पर कोई नियन्त्रण नहीं कर पा रहा है। असहाय होकर मूक दर्शक बना हुआ है। विद्युत मण्डल के कार्यकलाप विनाशकारी स्थिति पर पहुंच चुके हैं।

अतः मैं सदन तथा सरकार का ध्यान इस भयंकर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरि सिंहजी।

कुम्हेर की सड़कों की दयनीय स्थिति

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत सदन के समक्ष निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय प्रस्तुत कर रहा हूं :—

कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सड़कें जिनका निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार द्वारा कराया गया है, की दशा अत्यधिक खराब है। कई वर्ष से उनकी मरम्मत नहीं हुई है। सड़क की पटरियां या तो कट चुकी हैं या सड़क से काफी नीचे हैं जिन पर वाहन चल नहीं सकते हैं और न ही चलते हुए आसानी से सड़क से पटरी पर आ सकते हैं। सड़कों में बुरी तरह से गड्ढे हो गये हैं। सतह से किसी किसी मार्ग की डामर खतम हो गयी है। सड़कों की मरम्मत हेतु सरकार के उच्चाधिकारियों, राज्य मंत्री महोदय एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय को मैंने स्वयं ने कई पत्र लिखे हैं और उनका ध्यान आकर्षित किया है किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिन सड़कों की दशा अत्यधिक खराब है और जिनकी अविलम्ब मरम्मत होनी है वह इस प्रकार से हैं—(1) राष्ट्रीय राज-मार्ग नम्बर 11 से महुआ एवं सिनसिनी, (2) कुम्हेर से पपरेरा, (3) अस्तावन से विरहरू तथा सांवोरा, (4) जहांगीरपुर से थैरावर।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतन लाल जी ताम्बी।

जहाजपुर की नागदी नदी में गन्दगी

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जहाजपुर नगर में ऐतिहासिक पावन नदी, नागदी नदी में गन्दगी, कूड़ा-करकट, अतिक्रमण एवं गंदा पानी आने से जनता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। नगर पालिका की

(श्री रतनलाल ताम्बी)

अकर्मण्यता तथा सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग की उदासीनता से अतिक्रमण, अवैध कब्जों आदि के बढ़ जाने से गंदगी बढ़ना जनता के लिए अभिशाप बनती जा रही है। इस बारे में प्रशासन की कोई प्रभावी कार्यवाही न होने से स्थिति न केवल चिन्ताजनक है अपितु उत्तरोत्तर बदतर होती जा रही है। अतः नगरपालिका में भाई-भतीजों की भर्ती तथा रिश्तेदारों की अनियमित भर्ती से अनावश्यक आर्थिक भार बढ़ाया जा रहा है। जन जीवन के साथ नागदी नदी में बढ़ती गदगी और प्रदूषण को खुला निमंत्रण दिया जा रहा है। अतः आवश्यकता है कि सरकार फिजूल खर्च एवं जनधन का दुरुपयोग रोक कर जहाजपुर नगर के जन जीवन के स्वास्थ्य तथा उस पर बढ़ते खतरों को रोकने के लिए प्रभावी निर्देश देकर समुचित व्यवस्था करें। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, मुख्य मंत्री सहायता कोष एवं अन्य विभागों की तकनीकी योजना बना कर संयुक्त प्रयास से इस जहाजपुर नगर को पुष्कर आना-सागर जैसी योजना बना कर पुरानी सुन्दरता तथा पवित्रता कायम की जाए। इस नागदी नदी के किनारों पर ऐतिहासिक मन्दिर, कुंड आदि हैं, उनको फिर से ठीक करवाया जाएं। 1977–78 में बांध क्षतिग्रस्त एवं ढहने से भारी मलबा बह कर आ जाने से दुर्दशा की स्थिति बन गयी है। राजस्व विभाग अतिक्रमण तथा वहां किनारे पर ईंटों के अवैध भट्टे बनने पर सारी मिट्टी बह कर नागदी नदी में जाने से भरने की स्थिति निरन्तर बढ़ जाना भी खतरनाक हालात बनाते जा रहे हैं। अतः राज्य सरकार नागदी नदी की अपवित्रता शहर का गंदा पानी तथा कूड़ा-करकट रोकने और वैकल्पिक व्यवस्था कर पुनः इसका पुराना ऐतिहासिक पवित्र एवं सुन्दर स्वरूप बहाल करने के लिए प्रभावी कदम उठाकर समुचित समन्वित योजना बना कर नगर के जन-जीवन के आक्रोश को समाप्त करें और नगर को बीमारियों एवं स्वास्थ्य के बढ़ते खतरे से उबारने की योजना बना कर क्रियान्वित करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जितेन्द्र नीनामा (अनुपस्थित)। श्री बनवारी लाल बैरवा।

टौंक में अकाल राहत कार्यों में अनियमितताएं

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : उपाध्यक्ष महोदय, गत अकाल राहत कार्यों में देवली तहसील, निवाई तहसील में गम्भीर अनियमितताएं बरती गयी व गबन घोटाले करके लाखों रुपये की सरकारी धनराशि को हड़प लिया गया जो एक सुनियोजित षडयन्त्र के तहत सोची-समझी अपराधिक षडयन्त्र की तारीफ में आता है। नासरदा के कासीर, हीसामपुर, कोलाड़ा, संथली, आंवा, सांवतगढ़ देवली गांव सहित अनेकों देवली तहसील के गांवों में तथा निवाई तहसील के मनोहरपुरा, करीरिया, हरभाऊता, भैरूपुरा, भगवानपुरा आदि गांवों में अकाल राहत कार्यों में गड़बड़ घोटाले की ओर अकाल राहत मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन घोटालों की जांच करायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

पंचायती राज संस्थाओं के कार्य संचालन सम्बन्धी नियम

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बाद उनको न किसी प्रकार का कोई कार्य सौंपा गया है तथा न ही किसी प्रकार के कोई नियम बनाये गये हैं। यहां तक कि कार्य संचालन नियम ही अभी तक नहीं बनाये हैं जो चुनाव के पूर्व बना देने चाहिये थे। राजस्थान पंचायत संस्था अधिनियम में सरकार ने प्रत्येक धारा में नियम बनाने का अधिकार प्राप्त किया था परन्तु अभी तक कोई नियम नहीं बने हैं जिसकी वजह से सारा कार्य ठप्प पड़ा हुआ है। ग्राम पंचायतों की हालत तो यह है कि एक-एक ग्राम सेवक के पास चार-चार, पांच-पांच पंचायतें हैं और वह अपनी मर्जी होती है वहीं रहता है। सरपंच उनको ढूंढते रहते हैं लेकिन वे मिलते नहीं हैं। सारा रिकार्ड उनके पास रहता है। पंचायत भवनों की चाबियां ग्राम सेवक के पास हैं। सरपंच क्या करें, लोग उनको पूछते रहते हैं। नया एक्ट लागू हुए आज साल भर हो गया है। पुराना एक्ट रद्द हो गया और पुराने एक्ट के तहत बने हुए नियम स्वतः ही निरस्त हो गये। इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं की हास्यास्पद स्थिति राज्य सरकार ने बना रखी है। पंचायती राज विभाग ने आज तक इन संस्थाओं के कार्य-संचालन के बारे में कोई किसी प्रकार की दिशा-निर्देश तक जारी नहीं किया है। जिसके फलस्वरूप ग्राम-सेवक और विकास अधिकारी गत तीन वर्षों में जिस प्रकार प्रशासक के रूप में कार्य करते थे आज भी उसी प्रकार से कार्य करते हैं, उनके नजरिये में सरपंच, प्रधान चुने गये या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा है।

यह अत्यन्त ही सोच का विषय है कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय हस्तक्षेप से चुनाव तो करा दिये लेकिन भारतीय संविधान की धज्जियां इस प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं की उपेक्षा करके उड़ायी है, मुख्य मंत्री और पंचायत राज मंत्री द्वारा बार-बार यह कहना कि पंचायतों को मजबूत किया गया है तथा उन्हें अधिक अधिकार दिया गया है यह और ही विचित्र स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। वास्तव में पंचायतों को एकदम पंगु बना दिया गया है और सरकारी तंत्र को एकदम हावी कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों में भयकर बेचैनी है। अतः नियम 295 के तहत मैं इस ओर सदन व सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं और राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इनके नियम शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनाराम जी नाई।

डूंगरगढ़ (चूरू) की सड़कों की स्थिति

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ एवं जिला चूरू क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण सड़कों के सम्बन्ध में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

बीदासर, डूंगरगढ़, कालू रोड चूरू क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। विभाग

(श्री किशनाराम नाई)

द्वारा इस सड़क पर उचित ध्यान नहीं दिया। पूरी सड़क टीबों में से गुजरती है। यह सड़क सीकर नोखा सड़क पर बीदासर से शुरू होकर 48 किलोमीटर की दूरी पर डूंगरगढ़ जो कि हाइवे बीकानेर जयपुर व बीकानेर दिल्ली सड़क पर स्थिति है। यह सड़क डूंगरगढ़ से कालू जो कि हाइवे बीकानेर गंगानगर रोड को जोड़ती है। इस तरह स्टेट हाइवे से शुरू होकर एक हाइवे को चीरती हुई दूसरे हाइवे पर पहुंचती है। इस रूट पर बसें इसी कारण न के बराबर है। सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है इसे ठीक करवाया जाए, सड़क को चौड़ी करवायी जाए।

बीकानेर दिल्ली रोड पर 78 से 90 किलोमीटर अर्थात् 12 किलोमीटर में सड़क टीबों में से गुजरती है, काफी भरायी में है, थोड़ी वर्षा से मिट्टी कट जाती है जिससे चौड़ाई कम हो जाती है। अतः शेष इस सड़क को शीघ्र चौड़ी की जाए ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की आयुर्वेद विभाग में नियुक्ति

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मुख्य मंत्री महोदय द्वारा विधान सभा के 1992 के सत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण अवशेष (बैकलाग) को भरने की घोषणा की गयी थी जिसके फलस्वरूप आरक्षण अवशेष (बैकलाग) को पूर्ण करने हेतु राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक पं. 9 (20) कार्मिक/क-5/89/111 दिनांक 14-8-92 के अनुसार विशेष भर्ती अभियान 15 अगस्त से 15 नवम्बर तक चलाया गया था। आदेश की प्रति संलग्न है। उस आदेश के तहत आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती हेतु उस समय इस अभियान के तहत किसी प्रकार की विज्ञप्ति जारी नहीं की गयी और न ही कोई नियुक्ति दी गयी।

इसके अलावा तत्कालीन विधान सभा के शीतकालीन अधिवेशन में अतारांकित प्रश्न संख्या 4, दिनांक 17-9-1992 के लिखित प्रश्न के उत्तर में सरकार आयुर्वेद चिकित्सकों के आरक्षण कोटे के बकाया पदों (बैकलाग) पर नियुक्ति करने का आश्वासन दे चुकी है जिसकी प्रति मेरे पास मौजूद है।

जैसाकि विदित है आयुर्वेद विभाग में कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सकों की संख्या 3698 है जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के मात्र क्रमशः 40–28 आयुर्वेद चिकित्सक हैं जबकि राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-4) आयुर्वेद विभाग द्वारा आदेश क्रमांक पं. 10(22) आयुर्वेद। 92 दिनांक 5-7-93 को अनुसूचित जाति/जनजाति के मात्र क्रमशः 8-10 पद आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए विज्ञप्ति जारी की गयी थी जिसकी प्रति साथ में है।

जबकि उस समय इस वर्ग के बेरोजगार आयुर्वेद स्नातक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थे इसलिए उक्त पद पूर्ण नहीं भरे गये थे। उपरोक्त विज्ञप्ति के बाद सरकार द्वारा इस वर्ग के बेरोजगार आयुर्वेद स्नातकों

(श्री रामस्वरूप)

के बैकलाग को पूरा करने के लिए कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गयी है।

उपरोक्त सन्दर्भ में लेख है कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-7(4) कार्मिक (का-11) 73, दिनांक 19-2-75 के अनुसार बैकलाग के पदों को प्रति तीन विज्ञापनों के बाद ही उक्त सुरक्षित पदों को सामान्य आशार्थियों से भरे जाने का प्रावधान है। जिसके साक्ष्य में आदेश प्रति अवलोकनार्थ मौजूद है। यथा यह है कि—

(1) इस समय राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली बी.ए.एम.एस. उपाधि सत्र 1993–94 एवं 1994–95 के अनुसूचित जाति/जनजाति के क्रमशः 25–20 के लगभग आयुर्वेद स्नातक पिछले डेढ़ वर्ष से बेरोजगार हैं।

(2) अनुसूचितज/नजाति के आयुर्वेद चिकित्सकों के बैकलाग को पूर्ण किया जाए इस हेतु इस वर्ग के वर्तमान में उपलब्ध अभ्यार्थियों को अविलम्ब नियुक्ति दी जाए।

(3) इस हेतु विज्ञप्ति जारी की जाएं या पूर्व में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-4) आयुर्वेद विभाग क्रमांक प. 10 (22) आयुर्वेद/92, दिनांक 17.2.94 को निकाली गयी 100 पदों के लिए सामान्य विज्ञप्ति जिनकी अभी नियुक्ति होना बाकी है जिनमें उस समय अनुसूचित जाति/जनजाति के क्रमशः 16–12 पद आरक्षित थे जिनमें क्रमशः 1–2 आवेदन किये गये थे इसके अनुसार क्रमशः 15–10 पदों पर आवेदन नहीं हुआ, वह पद अभी भी सुरक्षित हैं, उपरोक्त विज्ञप्ति के द्वारा नियुक्ति दिया जाना अभी बाकी है। उनमें इस वर्ग के अवशेष रहे पदों पर वर्तमान में उपलब्ध छात्रों को सीधे आवेदन मांगकर उक्त पदों को सामान्य वर्ग के पदों के साथ भरा जाएं।

(4) राजस्थान आयुर्वेद सेवा नियम 1973 के नियम 27 एवं राजस्थान आयुर्वेद अधीनस्थ सेवा नियम 1966 के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित उम्मीदवार उपलब्ध होने तक इस वर्ग के बेरोजगारों आयुर्वेद स्नातकों को तदर्थ (एडहाक) नियुक्ति दी जाएं

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उपलब्ध इस वर्ग के बेरोजगार आयुर्वेद स्नातकों की नियुक्ति की बैकलाग का लाभ प्रदान करें।

हमें पूर्ण विश्वास है कि आप बेरोजगारों की समस्या पर अविलम्ब कार्यवाही करवा कर हमारी मदद करेंगे साथ ही इस वर्ग के उम्मीदवारों को चयन में प्रचलित प्रक्रिया से हटकर मात्र आशार्थियों के सामान्य प्रार्थना पत्र के आधार पर ही नियुक्ति प्रदान करवाने की कृपा करेंगे। इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह।

सराड़ा में मुन्सिफ कोर्ट हेतु भवन

श्री रघुवीरसिंह (सराड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से

(श्री रघुवीरसिंह)

सरकार का ध्यान मेरे बिधान सभा क्षेत्र सराड़ा जिला उदयपुर की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । श्रीमान् सराड़ा एक जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं जहां पिछले लम्बे अर्से से मुन्सिफ कोर्ट खुला हुआ है परन्तु कोर्ट की बिल्डिंग नहीं होने से बड़ी कठिनाई हो रही है । सभी कार्यालय तहसील के एक सीमित भाग में चल रहे हैं जो पर्याप्त एवं सुविधाजनक नहीं हैं ।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि कोर्ट हेतु आवश्यक भूमि आबंटित करा कर भवन बनवाने हेतु राशि आबंटित करा कर इस पिछड़े वर्ग के क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित कराने का कष्ट करायें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मनोरमा सिंह ।

राजाखेड़ा में विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में

श्रीमती मनोरमा सिंह (राजाखेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रक्रिया के नियम 295 के माध्यम से राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र में बिजली की समस्या के कारण किसानों को लगातार हो रही परेशानी की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं । मैं निवेदन करना चाहूंगी कि प्रारम्भ में अच्छी वर्षा हो जाने से किसानों ने कर्जा लेकर खेती की बुवाई की, खेती अच्छी होने लगी थी कि बिजली की कमी से नुकसान होना प्रारम्भ हो गया । इसी बीच भगवान की कृपा से थोड़ी थोड़ी कई बार बरसात हुई और खेती में थोड़े दाने भरने लगे । लेकिन फिर आवश्यकतानुसार बिजली का अभाव होने लगा जो नहीं होता तो बची हुई फसल को बचा लिया जाता । एक ओर तो मंत्री महोदय विधान सभा में घोषणा कर रहे हैं कि बिजली पर कोई कटौती 24-3-95 से नहीं है और दूसरी ओर मौकों पर बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है । फसलें खराब हो जाने से किसान का तो भाग्य ही खराब हो जायेगा, टूट जायेगा और हमारा भी ।

फसल अच्छी न होने से वर्ष भर किसान क्या खायेगा, क्या खिलायेगा और कहां से कर्ज चुकायेगा ? राजाखेड़ा विधान सभा के किसानों को बिजली नहीं मिलने से भयंकर रोष है । मेरा मंत्री महोदय से से आग्रह है कि पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए निर्देश प्रदान करें जिससे किसानों को राहत मिल सके ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नारायण मीणा (अनुपस्थित) । श्री कन्हैयालाल पाटीदार ।

पिड़ावा पंचायत समिति झालावाड़ को प्रधान मंत्री आश्वासित रोजगार योजना में सम्मिलित करने बाबत

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : उपाध्यक्ष महोदय, झालावाड जिले की 6 पंचायत समितियों में से पिड़ावा को छोड़ कर सभी पंचायत समितियां प्रधान मंत्री आश्वासित रोजगार योजना में आती हैं । पंचायत समिति, पिड़ावा सभी दृष्टिकोण

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है यहां न तो सिंचाई के पर्याप्त विकल्प हैं और न ही पर्याप्त सड़कें हैं, क्षेत्र में शिक्षा की भी बहुत कमी है। सिंचाई के नाम पर न ही कोई बांध, न ही कोई बड़े तालाब, एनीकट आदि हैं। पंचायत समिति क्षेत्र में सड़कों के अभाव से ग्रामीण जनता परेशान है और किसान अपनी कृषि उपज को मंडियों तक ले जाने में, रासायनिक खाद, बीज आदि लाने में काफी कठिनाई का सामना करते हैं, उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। पंचायत समिति डार्क जोन घोषित किया हुआ है जिसकी वजह से किसानों को कुएं आदि के लिए लोन भी नहीं दिया जाता है और ऐसी कोई प्रभावी योजना इस पंचायत समिति में नहीं होने से सिंचाई के साधन भी नहीं बढ़ाये जा सकते। किसान अपने पुराने कुओं से ही जितना पानी मिलता है उससे अपना काम चला रहा है जिसकी वजह से किसानों की माली हालत काफी कमजोर है और आर्थिक रूप से पिछड़ा होने से ही शिक्षा में भी काफी पिछड़े हुए हैं। यदि पंचायत समिति, पिड़ावा में भी प्रधान मंत्री की आश्वासित रोजगार योजना लागू कर दी जाए तो गांवों को सड़कों से जोड़ने में, तालाब, एनीकट आदि बनवाने में काफी मदद मिल सकती है और पंचायत समिति के किसानों की हालत में भी सुधार लाया जा सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि पंचायत समिति पिड़ावा में भी प्रधान मंत्री आश्वासित रोजगार योजना लागू करने का कष्ट करें ताकि जिला झालावाड़ की सबसे कम विकसित पंचायत समिति को भी विकसित किया जा सके और लोगों को यह अहसास कराया जा सके कि सरकार समान रूप से सम्पूर्ण राजस्थान का विकास करने के लिए कटिबद्ध है और विकास के इस दौर में कोई क्षेत्र अछूता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी।

नीमकाथाना के गांव व ढाणियों में पेयजल की गम्भीर समस्या

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत नीचे लिखे अनुसार अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर ध्यानाकर्षण करता हूं।

महोदय, नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामपुरा, बेना का नांगल, रामसिंहपुरा, सिरोही पुराना बास, पोडावास, बिहारीपुर व अन्य ग्राम पंचायतों की ढाणियों में भीषण पेयजल का संकट हो गया है। हैण्ड पम्प सूख गये हैं तथा जल स्तर नीचे चला गया है। पीने के पानी की इन गांवों में गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है। गर्मी का समय आ चुका अभी यह स्थिति पैदा हो गयी है तो आगे चल कर मई, जून माह में तो मालूम नहीं क्या हालत होगी। ऐसी स्थिति में मैं राज्य सरकार का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल बारूपाल ।

झाड़ोली ग्राम तहसील जायल का 33 के.वी., जी. एस.एस. स्टेशन

श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये माननीय विद्युत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तहसील जायल जिला नागौर के ग्राम झाड़ोली में 33 के. वी. का जी. एस. एस. बने हुए कम से कम दो वर्ष हो गये हैं। मगर अभी तक भी उसे चालू नहीं किया गया है। उक्त जी. एस. एस. के चालू होने से आसपास के 15–20 गांवों को पर्याप्त पानी बिजली की सुविधा मिल जायेगी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : यह बता दीजिए यह जी. एस. एस. कहां का है ?

श्री मोहनलाल बारुपाल : ग्राम झाड़ोली, तहसील जायल, जिला नागौर।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसादी लाल जी मीणा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मण्डावरी में चिकित्सा अधिकारी की अनियमित उपस्थिति

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे मेरी बात को ध्यान से सुनें।

दौसा जिले की लालसोट तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डावरी में पिछले एक वर्ष से लगातार सीनियर चिकित्सा अधिकारी के पद पर डा. श्री सान्तिया कार्यरत हैं। ग्राम जनता एवं जन प्रतिनिधि लगातार एक वर्ष से डा. सान्तिया के एक बार भी उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दर्शन नहीं कर पाये। जैसा कि पूछने पर ज्ञात हुआ कि डा. सान्तिया माह में केवल दो दिन वेतन लेने एवं अन्य कर्मचारियों को वेतन देने ही जाते हैं। कई बार मेरे स्वयं उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जाकर जानकारी करने पर कर्मचारियों ने बताया कि डा. सान्तिया माह में केवल दो-तीन दिन वेतन के समय ही जाते हैं। डा. सान्तिया ने सरकारी आवास जो उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के परिसर में बना हुआ है उसका दरवाजा भी नहीं देखा है। डा. सान्तिया ने सिकराय तहसील के सिकन्दरा मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वयं का निजी क्लिनिक खोल रखा है जिसमें ही अपना पूरा समय देते हैं। जो चिकित्सा अधिकारी पिछले एक वर्ष से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डावरी में कार्यरत होने के बाद भी अपना निजी क्लिनिक चला रहे हैं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा अपनी आंखों से देख रहे हैं, जन अभाव अभियोग समिति की दौसा में 23 फरवरी, 95 को भी उक्त डा. सान्तिया के सम्बन्ध में शिकायत की परन्तु सी. एम. एच. ओ. ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। पिछले 15 मार्च को मैंने स्वयं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को इस सम्बन्ध में लिखकर जांच कराने का निवेदन किया था शायद माननीय मंत्री जी ने उक्त मामले

(श्री परसादीलाल मीणा)

की जांच करवा ली होगी। यदि जांच में शिकायत के तथ्य सही पाये गये तो सरकार ठोस निर्णय कर, कार्यवाही कर मण्डावरी ग्राम की जनता को राहत प्रदान करके स्वयं अन्य चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति जनहित में अविलम्ब कराएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बद्री प्रसाद गुरुजी।

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, साहब। जांच करवायी थी क्या हुआ ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी चिकित्सक के बारे में यहां चर्चा की है। मैं कल ही संयुक्त निदेशक को भेज कर पूरी जांच करवा लूंगा।

श्री परसादीलाल मीणा : आपने भेज दिया और जांच करवा ली न ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पहले मैंने जांच के लिए निर्देशित किया था और जांच रिपोर्ट आ गयी है तो आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही निश्चित तौर से की जाएगी और किसी योग्य चिकित्सक को वहां पर पदस्थापित किया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी।

मांडलगढ़ कृषि उपज मंडी से खंगार जी का खेड़ा चित्तोड़िया पदमपुरा सड़क का निर्माण

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मांडलगढ़ कृषि उपज मंडी समिति द्वारा मांडलगढ़ कृषि उपज मंडी समिति से खंगार जी खेड़ा गोविन्दपुरा, पदमपुरा चित्तोड़िया सड़क कई वर्ष पूर्व स्वीकृत हुई थी। इस पर कार्य हुआ परन्तु चित्तोड़िया से पदमपुरा तक ही यह सड़क डामरीकृत हुई थी। वह भी गत बरसात में काफी जर्जर हालत में पहुंच गयी। पदमपुरा से गोविन्दपुरा खंगार जी खेड़ा मांडलगढ़ कृषि उपज मंडी तक सड़क पर कोई कार्य नहीं हुआ। गत बजट सत्र में मेरे प्रश्न संख्या 816 के जवाब में कृषि मंत्री महोदय ने उक्त सड़क के बारे में आश्वासन देते हुए कहा था कि जहां तक मांडलगढ़ सड़क का प्रश्न है यह करीब आठ किलोमीटर लम्बी सड़क है जिसमें दो किलोमीटर तक बिलकुल काम नहीं हुआ है। मांडलगढ़ की वित्तीय स्थिति जैसा खुद सदस्य महोदय महसूस करते हैं कि खराब है, अभी हमने अधिकारियों से बात की है। जिस प्रकार की वह महत्वपूर्ण सड़क है हम खुद महसूस करते हैं कि अगले वित्तीय वर्ष में चाहे हमें मार्केटिंग बोर्ड से ऋण की व्यवस्था करनी पड़े, करके इस सड़क की स्वीकृति प्रदान कर देंगे और इसका जल्दी से काम प्रारम्भ करा देंगे। इस प्रकार का आश्वासन माननीय कृषि मंत्री महोदय ने विधान सभा में दिया था। जैसा कि मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया था कि यह सड़क अति महत्वपूर्ण है, बरसात में इन गांवों का सम्पर्क शेष संसार से पूर्णतया कट जाता है। कोई बीमार हो जाये, किसी की डिलीवरी हो

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

तो उसे चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त नहीं हो सकती है और कई जने इस कारण असमय ही मौत के मुंह में समा जाते हैं। उनकी फसलों की भी वाजिब कीमत प्राप्त नहीं होती है क्योंकि रास्ता न होने से अनाज भी सस्ता बेचना पड़ता हैं। अभी मांडलगढ़ कृषि उपज मंडी ने अपने ऋण में भी काफी कमी की है और लाभ में नहीं है तो हानि में भी नहीं है।

जैसा कि मंत्री महोदय ने सदन में आश्वासन दिया था कि अगले वित्तीय वर्ष में चाहे हमें कृषि विपणन बोर्ड आदि से ऋण लेना पड़े, इसे स्वीकृति प्रदान कर पूर्ण कर देंगे। आश्वासन के अनुरूप जिस वित्तीय वर्ष में मंत्री महोदय ने पूर्ण कराने का आश्वासन दिया वह वित्तीय वर्ष चालू हो गया है। मैं अपेक्षा करूंगा कि मंत्री महोदय अपने आश्वासन की पूर्ति करें और इसकी अविलम्ब स्वीकृति जारी कर मांडलगढ़ कृषि उपज मंडी से खंगार जी खेड़ा चित्तोड़िया पदमपुरा सड़क को पूर्ण करायें और बरसात में जो बनी हुई सड़क खराब हो गयी है उसे भी दुरुस्त कराएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल धाकड़।

बेगूं के प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत बेगूं विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, बेगूं विधान सभा क्षेत्र में दो पंचायत समितियां हैं। दोनों पंचायत समितियां भैंसरोडगढ़ और बेगूं में कई प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां नन्हें बालक-बालिकाओं के लिए कोई पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है, न कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होता है जो बच्चों को पानी पिला सके। विद्यालयों से आधे किलोमीटर से लेकर एक-एक किलोमीटर तक हैण्डपम्प आदि की कोई सुविधा नहीं होने से बालक-बालिकाओं को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है एवं इधर-उधर भटकना पड़ता है। कई बार गांवों में बच्चे पेयजल सुविधा के अभाव में कुओं में गिर जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसी विकट समस्या के समाधान हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं कि क्षेत्र में जिन-जिन विद्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है तत्काल हैण्डपम्प सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाये।

(13·00)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

जयपुर शहर के परकोटे पर अतिक्रमण

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐतिहासिक महत्व के सुरक्षित परकोटे की दीवारों की असुरक्षित स्थिति से उत्पन्न स्थिति पर विशेष उल्लेख नियम 295 के माध्यम से चर्चा करना चाहती हूं।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

उपाध्यक्ष महोदय, पुरातत्व के महत्व से सम्बन्धित गंगापोल परकोटे को खुर्द-बुर्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। खाचरियावास हाउस से लगाकर गंगापोल परकोटा आजकल अतिक्रमण का भयंकर रूप से शिकार हो रहा है। उक्त परकोटे को तोड़कर अन्दर जाने के लिए एक बहुत बड़ा मार्ग खोला गया है। उक्त परकोटे की ऊंचाई तक दीवार को बारह फीट छील दिया गया जिसकी लम्बाई 10–12 गज से अधिक है। यह शेष दीवार कभी भी किसी पर गिर सकती है। दूसरी ओर, इसी परकोटे में पूर्व दिशा की दीवार भी लालची लोगों ने तोड़नी शुरू कर दी है जिसको चौड़ाई-लम्बाई-मोटाई में 60-70 फीट तक तोड़ा जा रहा है। उत्तर की ओर भी दीवार में सरकारी कोटड़ियों पर निजी लोगों ने ताले लगा रखे हैं तथा कोटड़ियों के सामने परकोटे के बीच में किसी ने एक आवास बनाकर बिजली का कनेक्शन भी उपलब्ध कर लिया है।

परकोटे की दीवार में किसी ने टीन शेड लगाकर गाड़ियां रखनी शुरू कर दी हैं और परकोटे से चरपेटा लगाकर बीसियों मकानों की दीवारें खड़ी कर ली गयी हैं। इस सम्बन्ध में अनेकों बार पुरातत्व विभाग, नगर निगम (पूर्व में नगर परिषद् जयपुर), जिलाधीश महोदय आदि से चर्चा की गयी है। रोके जाने के आदेशों के बावजूद परकोटे खुर्द-बुर्द किया जाना बन्द नहीं किया जा रहा है, न ही टूटे परकोटे की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। पुरातत्व महत्व के जयपुर के कंगूरे तोड़े जाना, परकोटों को खुर्द-बुर्द किया जाना नियमों के विपरीत है। इस दुरभिसन्धि में मन्तव्य कहें या उदासीनता, इस कर्तव्य-विमुखता से नागरिक भयंकर असन्तुष्ट हैं। उक्त परकोटे की तत्काल सुरक्षा की जाये और आघात न पहुंचे बल्कि मरम्मत करायी जाकर सुरक्षित किया जाये जिससे कोई दुर्घटना न हो। धन्यवाद।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मीना अग्रवाल। आप कुछ कहना चाहेंगी ?

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि अलवर में कुकिंग गैस नहीं मिलती। कई बार अलवर में रास्ता जाम, धरना इत्यादि भी हुए। जनता के ऊपर लाठी चार्ज भी पुलिस ने किया फिर भी कुकिंग गैस की सप्लाई में कोई सुधार नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले जिले में अलवर, राजगढ़ में एक जीप कुकिंग गैस सिलेण्डर की तस्करी करते हुए पुलिस ने पकड़ी थी। अलवर की जनता यह चाहती है कि क्या ऐसी कुकिंग गैस एजेन्सी के खिलाफ कोई कार्यवाही होगी ?

उपाध्यक्षजी, इसी तरह राशन की दुकान में अधिकांश समय पर वस्तुएं नहीं दी जाती हैं और मिट्टी के तेल में भारी धांधली होती है। जनता परेशान होती रहती है, खासकर कच्ची बस्तियों की जनता तो बहुत ही परेशान होती है तथा

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

वितरण के समय भी नाप-तौल में धांधली बरती जा रही है। एक ही परिवार में कई राशन की दुकानें दे रखी हैं। अभी कुछ दिन पहले दिनांक 15.3.95 को डी. एस. ओ. ने तीन नम्बर वार्ड की दुकान श्रीमान् देवप्रकाश गुप्ता को अलाट की थी। उसके आठ दिन बाद ही तीन नम्बर वार्ड की दुकान दिनांक 23.3.95 को सूरजमल गुप्ता को अलाट कर दी गयी है जबकि दिनांक 15.3.95 को जिसको दुकान दी गयी थी उसको चीनी भी उसको अलाट करके दे दी गयी थी और वह चीनी वितरण कर रहा था। फिर भी ऐसी क्या मजबूरी थी कि तीन नम्बर वार्ड की दुकान को दूसरे को अलाट कर दिया गया? इसकी जांच करके जवाब व दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे, सूचित करें। धन्यवाद।

सदन पटल पर रखा गया पत्र
प्रतिवेदन

राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक (1991–92) प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह कौशल, ऊर्जा मंत्री, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 75 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1991–92 सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 75 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1991–92 सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति का 11वें से 21वां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, 1994–95 के 11 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा (सभापति, राजकीय उपक्रम समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में अंकित निम्नांकित 11वें प्रतिवेदन से 21वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं :–

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1983–84) से सम्बन्धित समिति का 11वां प्रतिवेदन,

(2) राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1982–83) से सम्बन्धित समिति का 12वां प्रतिवेदन,

(3) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1981–82) से सम्बन्धित समिति का 13वां प्रतिवेदन,

(4) राजस्थान राज्य टेनरीज लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1979–80) से सम्बन्धित समिति का 14वां प्रतिवेदन,

(श्री परसराम मदेरणा)

(5) दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1978–79) से सम्बन्धित समिति का 15वां प्रतिवेदन,

(6) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1978-79) से सम्बन्धित 16वां प्रतिवेदन,

(7) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1982–83) से सम्बन्धित समिति का 17वां प्रतिवेदन,

(8) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1980–81) से सम्बन्धित समिति का 18वां प्रतिवेदन,

(9) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन 1979–80) से सम्बन्धित समिति का 19वां प्रतिवेदन,

(10) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1976–77) से सम्बन्धित समिति का 20वां प्रतिवेदन एवं

(11) राजस्थान राज्य औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन 1976-77) से सम्बन्धित समिति का 21वां प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, जन लेखा समिति, 1994-95 के 18 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे।

(अनुपस्थित)

श्री कैलाश मेघवाल, गृह मंत्री, तहसील मांगरोल जिला बारां के तहसीलदार के विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार की शिकायतें होने व काश्तकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत गलत नोटिसेज जारी करने तथा क्षेत्रीय विधायक के साथ कथित दुर्व्यवहार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

शासकीय वक्तव्य

श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा के साथ दुर्व्यवहार

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, वक्तव्य इस प्रकार है।

दिनांक 22-2-95 को श्री नारायण दास मटेल, तहसीलदार, मांगरोल ने थाना मांगरोल पर यह प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत की कि आज दिन के करीब 2.45 पी.एम. पर मैं अपने कार्यालय के चैम्बर में बैठा हुआ था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन व चक्का जाम को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान् एस.डी.एम. साहब तथा पुलिस उप अधीक्षक साहब मय पुलिस जत्था कार्यालय में मौजूद थे। बाहर प्रदर्शनकारी शोर कर रहे थे तथा नारेबाजी कर रहे थे। अचानक चार व्यक्ति व दो औरतें मुझ पर आक्रमण करने की तैयारी के साथ तहसीलदार परिसर में प्रविष्ट हो गये तथा मेरे साथ चैम्बर में आकर रामगोपाल विधायक ने गाली-गलौज की व झापड़ मारा। अन्दर आने वाले व्यक्तियों को मैं जानता हूं। उनमें विधायक रामगोपाल बैरवा, राधाकिशन नागर पुत्र श्री दीनदयाल निवासी भंभोरी कलां,

(श्री कैलाश मेघवाल)

रामचरण पुत्र माधोलाल मीणा निवासी भटवाड़ा, मोहनलाल पुत्र ओंकार मीणा निवासी बोरदा, श्रीमती इन्द्रजीत बोहरा व एक अन्य औरत जिसका नाम मैं नहीं जानता, देखकर पहचान सकता हूं इत्यादि।

यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 22-2-95 को 3.05 पी. एम. पर प्राप्त होने पर मुकदमा नम्बर 33/95 अन्तर्गत धारा 147,332,353,504 आई. पी. सी. दर्ज रजिस्टर किया जाकर मजलूम तहसीलदार का 3.25 पर वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र मांगरोज के द्वारा मेडिकल परिक्षण किया गया। चोट प्रतिवेदन प्रपत्र तैयार किया गया जिसमें दो साधारण चोटें उन हालात से होना लिखा गया। ये चोटें बायें हाथ के पास होना पायी गयीं। चोट प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखता हूं। मुकदमा नम्बर 33/95 तफतीश हेतु एस. पी. साहब बारां के मार्फत सी. आई. डी. (सी. बी.) में भेजी गयी और एडिशनल एस. पी., सी. आई. डी. (सी. बी.) कोटा ने प्रकरण की तफतीश प्रारंभ की। एफ. आर. की प्रति सदन के पटल पर रखता हूं। अपर पुलिस अधीक्षक, सी. आई. डी. (सी. बी) ने अपनी तफतीश में माननीय विधायक श्री रामगोपाल बैरवा के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 332, 353 आई. पी. सी. कारित करना पाया। अभियुक्त को दिनांक 9-3-1995 को गिरफ्तार कर जमानत पर रिहा किया गया। माननीय विधायक की गिरफ्तारी एवं रिहाई की नियमानुसार सूचना विधान सभा को भिजवा दी गयी। माननीय विधायक के विरूद्ध अदालत में चालान पेश किया जाना शेष है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि एफ. आई. आर. और उसी में कार्यवाही पुलिस की होती है जरा उसको पढ़ने का कष्ट करें। एफ. आई. आर. पूरी पढ़ें।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : एफ. आई. आर. पूरी पढ़िये। क्या है उसमें और पुलिस कार्यवाही क्या है?

श्री कैलाश मेघवाल : बात यह है कि मैंने अपना वक्तव्य दिया है, मैं क्या करूंगा या क्या नहीं करूंगा, आपके सवालों का जवाब दूंगा आपको जितनी बहस करनी हो कर लें, सवाल करने हों कर लें। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप चालान ही करेंगे हमारा, इससे ज्यादा थोड़े ही करेंगे। आप एफ. आई आर. तो पढ़ें। (व्यवधान)....

श्री कैलाश मेघवाल : जो करना है वे करेंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : एफ. आई. आर. पूरी पढ़ें।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : वक्तव्य पूरा दीजिबे। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट ही क्यों पढ़ी और यदि पढ़ी तो

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

उसका वरबेटिम पूरा पढ़ें, ब्रीफली नहीं पढ़ा गया है .. (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एफ. आई. आर. की प्रति सदन के पटल पर रख दी है।.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने वो, पोर्शन पढ़े क्या जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है और थाने में कार्यवाही की।

श्री महेन्द्रकुमार मीणा (सिकंराय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर मसला है। एस. सी. के एक विधायक के साथ यह दुर्घटना घटी है और माननीय मंत्री महोदय इसको बहुत ही लिनिएंट-वे में ले रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय उपाध्य महोदय, गृह मंत्रीजी को चाहिए तो यह था कि एफ. आई. आर. पढ़ते लेकिन एफ. आई. आर. की नकल उन्होंने सदन की टेबल पर रख दी, कोई बात नहीं है। एफ. आई. आर. की नकल मेरे पास भी है और जिसके कुछ पोर्शन में आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, "आज दिनांक 22-2-1995 बुधवार के दिन 2 बजकर 45 मिनट पर मैं अपने कार्यालय के चैम्बर में बैठा हुआ था। चैम्बर में विराजे हुए थे तहसीलदार साहब। वह क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे उसका एफ. आई. आर. में कहीं जिक्र नहीं है। अचानक चार व्यक्ति और दो औरतें मुझ पर आक्रमण की तैयारी के साथ तहसील के परिसर में प्रवेश हुए और मेरे साथ चैम्बर में आकर रामगोपाल बैरवा विधायक ने गाली-गलौज की और झापड़ मारा।" माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से यह जानकारी तो चाहूंगा ना कि वाकये दो थे। पहला वाकया कौनसे रोज हुआ और दूसरा वाकया कौनसे रोज हुआ? सिर्फ आपने अपने स्टेटमेंट में यह बताया है कि वह 22 फरवरी का वाकया है जबकि छह रोज पहले भी एक वाकया घट चुका है इन्हीं तहसीलदारजी के साथ और इसकी रिपोर्ट जिला कलक्टर के पास की है, वह वाकया कौनसा था? कृपया यह तो बतायें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इस तरह से सवाल जवाब होंगे या जितना माननीय विधायको को ध्यान में है, जैसा 11-2-95 का वाकया ये बता रहे हैं वह वाकया मैं बता दूंगा कि क्या स्थिति है लेकिन यह तो स्थिति नहीं बनेगी कि आप एक सवाल करके पूछ लिया फिर बैठ गये, फिर एक-दो सवाल किये और फिर आप बैठ गये।....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं बिलकुल पूछूंगा। मेरा पूरा अधिकार है पूछने का, आखिर एडजोर्नमेंट मोशन मेरा है, उस पर आप स्टेटमेंट देना।

श्री कैलाश मेघवाल : आपको जितना पूछना है पूछिये। मैं आपके एक-एक सवाल का जवाब दूंगा।....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सवाल पूछने का हक नहीं है तो क्या करने का हक है ?

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इस बात के लिए कतई तैयार नहीं हूं, मैं सारी बहस आपकी सुनने के लिए तैयार हूं, आपके सारे सवालों को सुनने के लिए तैयार हूं, सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं लेकिन यह कतई नहीं हो सकता कि आपके डिक्टेशन पर इसका जवाब दूं, इसका जवाब दूं। आप कहिये आपके सवालों का, एक-एक करके, हर विषय के बारे में मेरे पास भी जानकारी है। बाकी उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं छिपाना चाहता लेकिन यह कोई तरीका नहीं है कि यह जवाब दीजिये फिर बैठ जाएं, फिर यह जवाब दीजिये फिर बैठ जाए।....(व्यवधान)....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जानकारी हम नहीं छिपने देंगे।....

श्री कैलाश मेघवाल : आप चाहें जितनी बहस कीजिये, जितने भी सवाल उठाने हो आप सब उठाइए, एक-एक सवाल का आपको जवाब यहां पर दूंगा, इस बात के लिए मैं तैयार हूं और आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। यह नहीं हो सकता है, एक व्यवस्था होती है।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : हक है पूछने का।

श्री उपाध्यक्ष : आप एक-एक करके पूछ लीजिये और किसी माननीय सदस्य को पूछना हैं तो पूछ लें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहला वाकया 16 तारीख को हुआ। माननीय विधायक तहसीलदारजी के पास गये और जाकर उन्होंने एक शिकायत की वह रामदयाल पुत्र जगन्नाथ मीणा निवासी करून्दा की थी, वह उन्होंने उनको बतायी। तहसीलदार जी से यह कहा माननीय विधायक ने कि जो दफा 91 का आपने वारंट इनके नाम पर इश्यू कर दिया और जब आपसे यह मिलने आया तो यह कहा कि भाई तावान के पैसे तो तूने 3531 रुपये मुझे दिये थे, उसकी एक तो रसीद नहीं दूंगा, क्योंकि वह पैसा मेरी जेब में जा चुका और दूसरा तेरे खिलाफ वारंट जो थाने पर भेजा है अगर तुम 2000 रुपये मुझे दे देते होतो वारंट मैं मंगवा लूंगा यह शिकायत लेकर माननीय विधायक तहसीलदारजी के पास गये। तहसीलदार जी ने प्रोवेकेशन दिखाया और दिखाकर के माननीय विधायक के साथ बदसलूकी की और यह कहा कि तेरे जैसे कई विधायक यहां जूतियां चटकाते रहते है, गेट-आउट, बाहर निकल जा.... (व्यवधान)

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर) : विधायक के साथ बात हो रही है। पहले इन्होंने तहसीलदार के थप्पड़ मारा है और उसके बाद में यह बात हुई है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सुन लो भाई।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : गृह मंत्रीजी जवाब देंगे या आप जवाब दे सकते हैं, आप बीच में बोलने वाले कौन होते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 16 तारीख के इस वाकये की शिकायत विधायक ने जिला कलक्टर को कर दी, लिख कर के कर दी । जिला कलक्टर ने उनसे यह कहा कि मैं मामले की पूछताछ कर लेता हूं, आप बेफिक्र रहें, आपके साथ बदसलूकी की है मैं उनसे माफी मंगवाऊंगा । 19 तारीख को वहां मुख्य सचिव पहुंच जाते हैं, बारां में । जब मुख्य सचिव पहुंचते है तो बारां के प्रबुद्ध नागरिकों का, जिला परिषद् के नव निर्वाचित पार्षदों का माननीय विधायक के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल मिलता है । शिष्टमण्डल की बात सुनकर के मुख्य सचिव ने एकदम यह कह दिया कि अगर यह दुर्व्यवहार किया है तो मैं, उसको सस्पेंड कर दूंगा । माननीय विधायक संतुष्ट होकर आ गये । दूसरे रोज जिला कलक्टर ने बुलाकर इनसे कहा कि कुछ नहीं होने वाला है विधायक महोदय, न ये सस्पेंड होने वाला है और न कुछ होने वाला है. और आपने जितनी भी दरख्वास्तें इनके खिलाफ दी हैं उन पर भी कुछ नहीं होने वाला है । यह यहीं पर आपकी छाती पर मूंग दलते रहेंगे ।

22 तारीख को वहां पर कांग्रेस की तरफ से पूरा नगर बन्द रहता है, मांगरोल नगर और हजारों की संख्या में वहां पर प्रदर्शनकारी इकट्ठे होते हैं, चक्का जाम होता है । मैं आपको निवेदन यह करना चाहता हूं कि जो तहसील बनी हुई है, श्री रघुवीरसिंहजी कौशल, ऊर्जा मंत्रीजी अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार की बनावट है तहसील भवन की । उपाध्यक्ष महोदय, तहसील भवन इस तरह का बना हुआ है, जिस प्रकार से कि जेल बनी हो । बहुत ऊंचा तो गेट है, बड़ी-बड़ी ऊंची-ऊंची दीवारें हैं । प्रदर्शन के दौरान डीवाई एस. पी. ने और एस. डी. ओ. ने बाहर खड़े होकर ताला लगा दिया, बन्द कर दिया तहसील भवन को कोई परिन्दा भी नहीं जा सकता था और तहसीलदार मेन गेट से भी कम से कम 300 फीट दूर जो उना कार्यालय है वहां पर विराजमान थे । प्रदर्शन हो रहा था, भाषण हो रहे थे, नारे-बाजी हो रही थी इसी बीच डीवाई. एस. पी. ने और हल्के के परगना अधिकारी ने, एस. डी. ओ. ने विधायक महोदय को कहा कि आप 3-4 आदमी को ले चलो, मैं ताला खोल देता हूं और ताला खोलकर मैं आपको अन्दर ले चलता हूं और तहसीलदार से माफी मंगवाकर बात खतम करवा देता हूं । हमने कहा, हमें कोई एतराज नहीं, अगर ये माफी मांग लेता है तो बात खतम करते हैं । किस्सा यह था । ताला खोला, ताला खोलकर 300 फुट पैदल चले । तहसीलदार दूर से देख रहा था, उसको यह इल्म नहीं था कि इस तरीके से इनको यहां पर अन्दर घुसा दिया जायेगा । वह तो यह सोचकर आराम से अखबार पढ़ रहा था कि बाहर नारेबाजी चल रही होगी, पुलिस अपना काम करेगी और मैं आराम से यहां पर बैठा रहूंगा । ये 4-5 आदमी जाते हैं जिनके खिलाफ एफ. आई. आर. लिखायी गयी है तहसीलदार के द्वारा । वाकई में 6 के 6 आदमी अन्दर गये । ये 5 या 6 आदमी अन्दर गये 4 आदमी और 2 औरतें, ये वाकई गये और इनको लेकर कौन गया ? ये किसकी इन्विटेशन पर अन्दर गये ? एस.

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

डी. ओ. और डीवाई. एस. पी. की। अन्दर जाकर, ज्योंही अन्दर घुसे, घुसते ही तहसीलदार खड़ा हो गया और खड़ा होकर एकदम आग-बबूला होने लगा और वहां पर फिर गाली-गलौच तहसीलदार के द्वारा चालू हो गयी और इसी गाली-गलौच में पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ लेकिन यह आरोप लगा दिया गया क्योंकि इनको फांसना था, माननीय विधायक का अपमान करना था इसलिए उन पर यह आरोप लगा दिया गया कि इन्होंने आते ही सबसे पहले झापड़ मारा। मैं एफ. आई. आर. का वह अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग उस सदन के सदस्य हैं जिसके आप उपाध्यक्ष हैं और हमारी गरिमा और हमारा मान रखना आपके हाथों में है। अगर इस मामले पर आपने न्याय नहीं किया, पूरी बात सुनी नहीं और सरकार से बाकायदा कार्यवाही नहीं मांगी, कार्यवाही करने के आदेश नहीं दिये तो मैं यह समझता हूं यह पूरी विधायिका का ही अपमान होगा न कि केवल माननीय सदस्य का अपमान होगा लेकिन यह पूरी विधायिका के नाम काला धब्बा माना जायेगा। मैं वह अंश पढ़कर सुना रहा हूं, जिस पर राजस्थान की सरकार या कार्यवाहीं करना चाहती है और किस तरीके से भ्रष्ट अफसरों को, जिनके खिलाफ हर तरह के सबूत मौजूद हैं, उनको बचाना चाहती है। "अचानक 4 व्यक्ति" कोई अचानक नहीं था, बाकायदा उनको बुलवाकर ले जाया गया "अचानक 4 व्यक्ति और औरतें मुझ पर आक्रमण करने की तैयारी में आ गये, मेरे साथ गाली-गलौच की और झापड़ मारा"। एफ. आई. आर. का नैक्स्ट पोर्शन मैं बताता हूं, "इन सब लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी" 107 बना देते आप, कुछभी कर लेते लेकिन यह 332-353 का केस बन नहीं सकता। उपाध्यक्ष महोदय, इस एफ. आई. आर. से ही यह स्पष्ट है कि इसमें कहीं पर भी, किसी भी स्थिति में यह नहीं लिखा हुआ है कि तहसीलदार कौन से सरकारी उत्तरदायित्व को पूरा करने जा रहा था जिसको कि विधायक ने रोका या कौनसा ऐसा सरकारी कार्य था जो विधायक जबरदस्ती और दबाव से और हिंसा का प्रयोग करते हुए अपने पक्ष में करवाना चाहता था। यह कहीं लिखा हुआ नहीं है। एफ. आई. आर. कुनिन्दा मतलब तहसीलदार ने लिखा है कि मैं कार्यालय में बैठा हुआ था। यह कहीं भी नहीं लिखा कि कार्यालय में सरकारी कार्य कर रहा था और 332-353 आई. पी. सी. तब लग सकती है उपाध्यक्ष महोदय, आप तो खुद वकील रहे हैं, जब किसी सरकारी दायित्व को कोई अधिकारी कार्यालय में बैठा हुआ पूरा कर रहा हो और उसके किसी सरकारी दायित्व को पूरा करने में कोई बाधा पहुंचाये, दबाव डाले या अपने पक्ष में काम करवाने के लिए हिंसा का प्रयोग ले, तब जाकर 332-353 के अन्तर्गत आता है....

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर): तहसीलदार चैम्बर में था, कार्यालय में थोड़े ही था। अखबार पढ़ रहा था। कार्यालय में नहीं था वह।

श्री शांतिकुमार धारीवाल: चैम्बर में। उपाध्यक्ष महोदय, 50-100 रूलिंग आपको

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

इस प्रकार की मिल जायेंगी. अगर आप एक रूलिंग भी पढ़ लेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। 1978 सुप्रीम कोर्ट, ए आई. आर. 1441, जरा नोट फर्मायें। उसमें साफ लिखा हुआ है कि यह आवश्यक लक्षण है कि 332-353 लगाने के लिए जो भी व्यक्ति हो, वह अधिकारी हो, कार्यालय का समय हो और सरकारी दायित्व निभा रहा हो। अगर वह सरकारी दायित्व नहीं निभा रहा हो तथा सिर्फ कार्यालय में आराम से बैठा हुआ हो या मटरगश्ती कर रहा हो, चाय पी रहा हो, अखबारबाजी कर रहा हो तो उसके खिलाफ अगर झगड़ा भी होता है तो 332–353 नहीं लग सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण के तौर पर एक बात निवेदन करना चाहता हूं। आप अपने चैम्बर में बिराजे हुए हैं और मैंने एक मोशन लगा दिया। मैं आपसे सुबह करीब 10.45 बजे मिलने के लिए आता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरा मोशन आज लो। आप कहते हैं कि नहीं, आपका मोशन आज लेने के काबिल नहीं है। मेरे मुंह से यह निकल जाता है कि क्या आप इसको रद्दी की टोकरी के काबिल समझते हैं। आप कह देते हैं कि रद्दी की टोकरी के लिए नहीं, रद्दी के काबिल तो है ही, उसके काबिल ही है, यह मान लो। मैं प्रवोक हो जाता हूं और प्रोवोक होकर आपसे झगड़े पर आमादा हो जाता हूं। कुछ न कुछ फौजदारी कर बैठता हूं तो निश्चित रूप से मैं प्रिविलेज का दोषी हूं, बिलकुल दोषी हूं लेकिन मावली गांव का कोई व्यक्ति जिससे आपकी पुरानी रंजिश चली आ रही हो। पान की दुकान पर आपकी और उसकी कोई नाइत्तफाकी हो गयी हो और अचानक आपके चैम्बर में प्रवेश करता है और प्रवेश करके आपके साथ कुछ फौजदारी कर लेता है तो वह प्रिविलेज का दोषी नहीं माना जायेगा।

यहां पर तहसीलदार जो एफ. आई. आर. कुनिन्दा है, उसने स्वयं ने यह लिखा है कि कार्यालय में बैठा हुआ था। क्या कर रहा था, यह कहीं नहीं बताया, मैं इसीलिए बार-बार निवेदन कर रहा था कि एफ. आई. आर. को पढ़ लो लेकिन इन कमजोरियों को छिपाने के लिए, सरकारी भ्रष्ट अफसरों को बचाने के लिए आप इन बातों को नहीं बताओगे और मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दोगे। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि न एफ. आई. आर. में यह बताया गया कि गाली दी तो गाली किस प्रकार की दी? धारा 504 के लिए गाली का स्पष्ट रूप से बताना आवश्यक था। साले की दी, गधे की दी या किसी प्रकार की अश्लील गाली दी, आपको यह बताना होगा कि आप अगर धारा 504 लगा रहे हैं तो गाली का वर्णन आपको एफ. आई. आर. में करवाना होगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि विधायक जनता की समस्याओं के लिए नौकरशाही के पास जायेंगे और पूरी ताकत से उन वाजिब कामों को करने के लिए प्रयत्न करेंगे, यह उनका दायित्व है। अगर आप उनको इस प्रकार से रोकना चाहते हैं और उनके कामों में विघ्न डालना चाहते हैं योजना बनाकर

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

नौकरशाही के द्वारा, आज जगह जगह यह हो रहा है, जगह-जगह। जहां पर वे यह देखते हैं कि कोई नेता आ गया, वहां वह ये सोचते हैं कि किसी प्रकार से किसी मामले में उनको फांसा जाय और फांस कर इनको इस प्रकार से रोक दिया जाए कि आइंदा मेरे दफ्तर में आकर मेरे काम में हस्तक्षेप नहीं करें।

उपाध्यक्ष महोदय, कोई यह समझता हो कि माननीय सदस्य का इस घटना से और उनको गिरफ्तार करने से उनका राजनैतिक पद कोई कम हो गया हो, इस भूल में नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यही करती आयी है।....

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : यह एस. सी. के खिलाफ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आज प्रदेश का शासन तंत्र इस डाइरेक्शन में कर दिया गया है, उसको इस प्रकार से मोड़ दिया गया है, नौकरशाही से वे काम करवाये जा रहे हैं जिससे कि कांग्रेसजन की छवि धूमिल हो, वह परेशान हो और वह जनता की सेवा नहीं कर पाये। उसमें विघ्न पहुंचाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह पहला मामला नहीं है जिसमें कि एक तहसीलदार ने यह कहा कि साहब, मुझे विधायक ने मार दिया और विधायक ने कहा कि यह असत्य मामला बना दिया। इसी सदन के कई सदस्य, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उनको कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। तहसीलदार को झापड़ मदान साहब ने मारा, मारा या नहीं मारा लेकिन यह उड़ा दिया गया कि तहसीलदार को मारा। जहां मेरा निवास स्थान है....(व्यवधान)

श्री भांगीलाल मेघवाल (केशवराय-पाटन) : जेल में रहे हैं, आन्दोलन किया है (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कोटा में मेरा जहां पर निवास स्थान है, लाडपुरा तहसीलदार का कार्यालय मुश्किल से 400-500 फुट के आसपास है। जिस रोज मदान साहब के लिए यह उड़ाई गयी कि इन्होंने तहसीलदार को झापड़ मारा, इत्तफाक से मैं भी उसी जगह मौजूद था और जो वाकया मैंने सुना, जिन काश्तकारों की खातिर मदान साहब तहसील कार्यालय में पहुंचे थे उनकी जो बात सुनी वह इतनी वाजिब बात थी कि अगर कोई उसमें किसी प्रकार की रोक लगाता है तो उस आदमी के साथ, मैं यह तो नहीं कहता कि फौजदारी हो ही जानी चाहिए थी, लेकिन उसको वाकई सजा मिलनी चाहिए थी। बिलकुल कायदे की बात को लेकर माननीय अर्जुन दासजी मदान वहां गये लेकिन नौकरशाही ने षड्यंत्र करके उनके खिलाफ धारा 332, 353 का मुकदमा दर्ज किया और आखिर में पक्षपात तो किया इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मदान साहब को गिरफ्तार नहीं किया, गिरफ्तार तो सिर्फ रामगोपाल को किया।

एक माननीय सदस्य : जो कि हरिजन है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दूसरा वाकया बताता हूं आपको, आपको पक्षपात का दूसरा वाकया बताता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब श्री रघुवीरसिंहजी कौशल, यहीं मांगरोल की तहसील जहां पर रामगोपालजी गये, अपने साथियों को लेकर के, इनके साथ दो जो सज्जन थे उनमें आज एक तो राजस्थान युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं ओम बिरलाजी, नोट लेस देन बिरला, और एक थे उस वक्त के प्रधान प्रेम गालव साहब। वहां पर भी इसी प्रकार की एफ. आई. आर. दर्ज करवायी गयी माननीय कौशल साहब के खिलाफ....

श्री रघुवीरसिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : मारने की थोड़े करवायी थी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, थोड़ा शार्ट करें।....(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : देखिये, यह सदन के अपमान का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : आप शार्ट करें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : यह सदस्य का मामला है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और उसमें मुकदमा नम्बर 58/90, 9-4 90 और धारा 353, 332, 341, 186 (34) और 504, दो-चार इनसे भी ज्यादा धाराएं लगायी गयीं। मैं उसके लिए भी नहीं मानता कि रघुवीरसिंहजी कौशल साहब ने गलती की होगी। गलती यों नहीं की होगी कि जिन काश्तकारों को लेकर आप उस नायब तहसीलदार से मिलने गये थे, वह मुझसे भी मिले और उन्होंने जो वाकया सुनाया, मैं संतुष्ट था कि जो कुछ भी हुआ, वह करीब-करीब ठीक हुआ। फौजदारी हुई या नहीं हुई, मैं कोई आई विटनेस नहीं हूं, मैं कोई चश्मदीद गवाह नहीं हूं लेकिन एक जन सेवक के लिए इतना-सा ही काफी है कि कोई अगर शिकायत कुनिन्दा उसके पास आकर वर्णन करता है और वर्णन में वह यह देखता है कि वाकई इस आदमी के साथ, इस काश्तकार के साथ अफसर ने या नोकरशाही के किसी व्यक्ति ने ज्यादती की है तो उसको प्रवोक होना बिलकुल लाजिमी है। जनता की सेवा करने के लिए जन प्रतिनिधि बार-बार नौकरशाही के पास जायेंगे, जाते रहे हैं और जाते रहेंगे और उसमें विघ्न डालने का काम, नौकरशाही ने आज अपना एटीट्यूड बना लिया है, योजना बनाकर वह जन प्रतिनिधि का अपमान करना चाहती है, इस बात को आपको देखना होगा।

श्री परसादीलाल मीणा : दिलावर वाला सुनाओ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दिलावर साहब का क्या सुनायें मुख्य मंत्रीजी, दिलावर साहब को आपने मंत्री बना रखा है यहां और इनका वारण्ट आज भी कटा हुआ है। वारण्ट कोर्ट ने काट रखा है 307 में, अटेम्प्ट टू मर्डर और आपकी पुलिस यह लिख देती है कि इस नाम का कोई आदमी ही नहीं है। यह मंत्री महोदय....

एक माननीय सदस्य : मंत्री हैं, आदमी नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह रहा वारण्ट। आप दिलावर साहब का वारण्ट देखना चाहते हैं, यह रहा वारण्ट।

एक माननीय सदस्य : पढ़कर सुनाओ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री): आपके पास कैसे आया वारण्ट? आपके नाम का होगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 22-12-93 को वारण्ट इश्यू हुआ है और आज तक तामील नहीं हुआ। मंत्रीजी होशियार हैं, तामील नहीं होने देंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : मेघवालजी पर भी बहुत दबाव है इसके लिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : चित्तौड़गढ़ के एक एम. एल. ए. साहब हैं जीनगर, उन पर भी यह आरोप लगा दिया कि एक पुलिस कर्मचारी को मारा। विधायकों पर ही सारे आरोप लग रहे हैं यह आपको देखना होगा।

एक माननीय सदस्य : अन्याय हो रहा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा आपसे निवेदन यह था, पचासों मामले हैं साहब, अब वह जोगेश्वर गर्ग साहब का एक अलग ही मामला है, महावीर भगोरा साहब का अलग ही मामला है, वह नकल करते हुए, वह पूरी किताब ही उतार रहे थे आन्सर बुक में, पूरी किताब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस विषय तक ही लिमिटेड रहें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : खैर, छोड़िये साहब। इसी मामले को लेकर के माननीय विधायक ने वहां के जिला कलक्टर को यह कहा कि यह बीस हलफनामे हैं और इन सारे हलफनामों में उस तहसीलदार के कामों का पूरा विस्तृत विवरण है जिनमें कि उसने पैसे खाये हैं, कृपया उसकी जांच तो करवा लो। लेकिन विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया, तहसीलदार के खिलाफ आज तक, डेढ़ महीना हो गया, जांच चालू नहीं की गयी। यह क्या प्रदर्शित करता है, इस बात से हम क्या नतीजा निकाले। मेरा ख्याल है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि या तो मुख्य मंत्रीजी ने यह चुपचाप डाइरेक्शन दे रखे हैं कि कर्मचारियों, तुम्हें कांग्रेस वालों से पिटने नहीं दूंगा और बी. जे. पी. वालों से तुम्हें पिटना होगा। मैंने एक बड़े अफसर से पूछा, मैंने कहा मामला क्या है, आखिर यह क्या हुआ। हम तो इस इम्प्रेशन में थे कि विधायक को गिरफ्तार नहीं किया जायेगा, तो उसने कहा कि तीर चल रहे हैं, मैंने कहा कि कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं मामला क्या था। पता लगा कि सारा षड्यंत्र था विधायक का अपमान करने के लिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस भ्रम में है कि इस प्रकार के हादसे करके वह कांग्रेसजन का मनोबल तोड़ देगी, वह कांग्रेसजन के द्वारा जनता की सेवाओं में विघ्न पहुंचा देगी, उसको किसी प्रकार से बेइज्जत करके उसकी रेपुटेशन, उसको जो आदर अपने निर्वाचन क्षेत्र में मिलता है उसमें कमी ला देगी, इस गलतफहमी में न रहें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब प्रश्न हैं, आप कोई पूछना चाहें तो पूछें। बिराजें नहीं तो।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (ओसियां) : हमारा सब टाइम इनको ...

श्री उपाध्यक्ष : काफी समय दे दिया है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नहीं-नहीं, इनको पूरा टाइम है।

श्री जुबेर खान : माननीय सदस्य का मामला है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस एफ आई. आर. से और की गयी पुलिस कार्यवाही से यह साफ-साफ साबित होता है कि न एफ. आई. आर. कुनिन्दा ने कहीं यह लिखा कि मुझे फलां सरकारी कार्य के लिए बाध्य किया गया, वह कौनसा ऐसा कार्य था जो विधायक मुझसे करवाना चाहते थे और जो गैरकानूनी था, किस प्रकार से उन्होंने हिंसा का प्रयोग किया। मैं कौन सा ऐसा सरकारी कार्य कर रहा था जिसमें आकर उन्होंने दखल डाला और मेरे साथ मारपीट की, कहीं पर नहीं लिखा हुआ है और यह....

एक माननीय सदस्य : रिपीटिशन हो रहा है।

श्री सांवरलाल जाट (राज्य मंत्री, अकाल राहत) : वही चीज आ रही है बार-बार।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले में आप पर्सनल जरा थोड़ी सी रूचि लें और रूचि लेकर सरकार को इस बात के लिए तैयार करें, पहले के मामलों में भी एफ. आर. लगी है और एफ. आर. तो इसमें भी लगेगी, यह सरकार चाहे कितनी ही कर ले, एफ. आर. इसमें भी लगेगी क्योंकि कोई तथ्य नहीं है। जो एफ. आई. आर. बनायी गयी है वह बिलकुल फर्जी तौर से बनायी गयी है सिर्फ विधायक को फंसाने के लिए, और नौकरशाही के द्वारा यह सारी तैयारी हुई है, ऊपर से जरूर इशारे हुए होंगे। मेरा आपके माध्यम से निवेदन यह है....

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): राजनीतिक रूप देकर रूचि खतम कर दी है आपने।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपकी रूचि काहे में है।

श्री जुबेर खान : इनकी रूचि तो मंत्री बनने में है और वह बनने नहीं हैं। उधर रहते-रहते मूंछें तो मुंडवा ली हैं, और क्या करना चाह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री जुबेर खान : अब तो नम्बर आयेगा तो सुंदरलालजी का आयेगा, आपका नहीं आयेगा। अब नहीं बनोगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : कासनियाजी, उधर बैठ कर मूछें तो मुंडवा लीं, और क्या करवाना चाह रहे हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा आपके माध्यम से निवेदन यह है कि पूरे पक्षपातपूर्ण तरीके से एक कांग्रेस के विधायक को....

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाज़पुर) : कालीचरण जी हैं, सुन्दर लालजी हैं. बहुत लिस्ट है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इन्होंने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उनकी जमानतें ले लीं। जमानत पर ये आजाद हो गये लेकिन आइन्दा के लिए अगर किसी भी विधायक के विरुद्ध कोई केस दर्ज रजिस्टर होता है सरकारी कर्मचारी की शिकायत पर तो आपकी परमिशन के बगैर नहीं होना चाहिये। इस मामले में भी मैं तो मेरे नेता से निवेदन करूंगा कि प्रिविलेज मोशन लाना चाहिए। आपको क्योंकि इत्तला नहीं भेजी पुलिस ने, इनको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तारी से पहले अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को सूचना देनी पड़ेगी लेकिन आज तक कोई सूचना आपके कार्यालय में नहीं। हमारा हक बनता है कि हम प्रिविलेज मोशन लायेंगे। (व्यवधान) सब मालूम पड़ जायेगा, कैसे कह देंगे।

एक माननीय सदस्य : वह कह देंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कैसे कह देंगे ? मेरा आपसे यह निवेदन है कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने उस नौकरशाही को....

श्री कालूलाल गुर्जर (मांडल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय मंत्री + + + ने तो यह कहा कि तहसीलदार जो के उन्होंने झापड़ मारी है, केन्द्रीय मंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, वे खुद स्वीकार करते हैं कि तहसीलदार जी को माननीय विधायक ने झापड़ मारी और आप कह रहे हो कि....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कौन कहता है ?

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय भुवनेश जी चतुर्वेदी, केन्द्रीय मंत्री।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपको कहा होगा।

श्री कालूलाल गुर्जर : वहां मांगरोल के अन्दर कहा है, पब्लिक को कहा है, सबके सामने कहा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपसे कह दिया है। मेरा आपके माध्यम से यह आखिरी निवेदन है कि संविधान के निर्माताओं ने इसी नौकरशाही को सीने से लगाया और यह सोचकर सीने से लगाया कि अंग्रेजों के राज में इस नौकरशाही ने कभी हमको मंथली नहीं दी तो हमारे राज में इस जनतन्त्र में भी यह नौकरशाही ईमानदारी से काम करेगी और जनता की सेवा करेगी। जनता की सेवा करने वालों को आदर की दृष्टि से देखेगी, उनके खिलाफ कभी कोई षड़यन्त्र न करेगी लेकिन प्रजातंत्र में एक चुनी हुई सरकार अगर ऐसे भ्रष्ट

+ + + नाम अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

अधिकारियों को खुलेआम बचाती हो, षड़यन्त्र करके एक माननीय सदस्य का अपमान करती हो तो उससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। ये 20 हलफनामे हैं। इन 20 हलफनामों पर कोई कार्यवाही नहीं सिर्फ नौकरशाही को खुश करने के लिए माननीय सदस्य का अपमान किया जाये। मैं आपके माध्यम से पुनः निवेदन करूंगा कि जितने सवाल मैंने उठाये हैं, गृह मंत्रीजी उनका जवाब दें और एक-एक को एक्सप्लेन करें कि वाकया जो कुछ हुआ है। इसका जवाब दें।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एस.सी., एस.टी. का मामला है। (व्यवधान) और राम. गोपालजी को चमार, बैरवा कहकर अपमान किया और उनको गेट-आउट कहा। यह कितना गम्भीर मामला है; इसके एट्रोसिटी का एक्ट लगता है और एट्रोसिटीज के तहत उनको अंार्ज जेल भिजवाना चाहिए, न कि कुर्सी के ऊपर होना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है। मेरे तो केवल दो सवाल हैं।

श्री अर्जुनदास मदान (लाड़पुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे सदन का यह नियम है कि जब भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया जाता है तो उसका नोटिस आना चाहिए। मुझे कोई सूचना भी नहीं है लेकिन फिर भी चूंकि मेरा नाम सदन में आया है। मैं अपना उत्तरदायित्व समझता हूं कि इसके बारे में कुछ सदन को आगाह कर दूं।

महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तहसीलदार से मेरा झगड़ा हुआ था वैसे ही; जैसे बैरवा साहब का झगड़ा हुआ था और उसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मेरी भी जमानत हुई थी ठीक वैसे, जैसे बैरवा साहब की जमानत हुई थी। लेकिन हमें कोई दो राय नहीं है, संदेह नहीं है कि जैसे वे कहते हैं कि मेरी भी इन्क्वायरी सी. आई.डी. से हुई थी तो उनकी भी इन्क्वायरी सी.आई.डी. से हो सकती है लेकिन मैं सदन के सामने निश्चित रूप से एक चीज, अपनी वेदना; अपनी पीड़ा; अपना कर्तव्य समझता हूं कि आज बात उसकी चली है तो अपनी कह दूं। मुकदमे चलाये; पुलिस चलाती है, हम लोग भी जायेंगे, चलते रहेंगे; चलते आये हैं; हरेक के ऊपर चलते हैं लेकिन निश्चित रूप से सदन को इस बात के लिए विचार करना होगा कि जिस विषय को लेकर कोई विधायक किसी के दरवाजे को खटखटाता है; जिस दस्तक पर वह अपना मस्तक झुकाता है, कम से कम वह विषय क्या है उसकी जानकारी कोई भी नहीं लेना चाहता है। मुकदमा बना दिया। यह तो जिम्मेदारी हो सकती है कि आपने तहसीलदार को झापड़ मारा या तहसीलदार से झगड़ा हुआ। मेरा झगड़ा तहसीलदार से हुआ या नहीं, मैंने झापड़ मारा या नहीं, यह विषय तो अलग है। मैंने तो कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था कि मैंने मारा लेकिन बैरवा साहब का स्टेटमेंट मैंने अखबार में बिलकुल पढ़ा है कि मैंने तहसीलदार को

(श्री अर्जुनदास मदान)

झापड़ मारा। अब यह एक अलग विषय है उससे हट जाइये थोड़ी देर के लिए। मान्यवर, मैं यह जरूरी समझता हूं कि आज राजतन्त्र और प्रजातन्त्र है। हम जन प्रतिनिधि और सरकार के लोग किसी एक सामुहिक उद्देश्य के लिए चलते हैं और वह है जनहित की भावना लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब बाप अपने किसी बेटे को मारता है तो बेटा रोता-रोता मां के पास चला जाता है। अगर बाप को पीड़ा है कि वह मां के पास चला गया तो मेरे ख्याल से घर नहीं चल सकता क्योंकि यह सोचना पड़ेगा उद्देश्य जब हमारा एक है, जब हमारा विषय एक है, हम दोनों जनहित के लिए चिन्तित हैं, विचार करते हैं चाहे वो जन प्रतिनिधि हों या शासन तन्त्र में बैठे हुए कोई प्रशासक हों या कोई उच्चाधिकारी हों तो सवाल आता है कि टकराहट आखिर होती क्यों है और टकराहट के बाद दूसरा विषय जो मैं लाना चाहता हूं मान्यवर, हमारे खिलाफ मुकदमे बने, हमने दोष किया है उस अपराध के लिए दण्डित होंगे लेकिन किन कारणों से वह होते हैं। क्या चीज हम लेकर जाते हैं इस विषय के ऊपर भी सरकार को निश्चित रूप से जानकारी कर लेने के बाद मुकदमे दर्ज करने चाहिए।

दूसरी, अन्तिम बात मैं अपना विषय समाप्त करके कहूंगा कि जब-जब भी वह किसी प्रजा अधिकारी का किसी, जनतन्त्र के आदमी का किसी सरकारी अधिकारी से झगड़ा होता है, 8–8 दिन, 10–10 दिन तक सरकार में हड़ताल चला करती हैं। मेरे साथ झगड़ा हुआ 10 दिन तक कोर्ट पूरा का पूरा बन्द रहा। इनके साथ झगड़ा हुआ 10 दिन तक बराबर कोर्ट पूरा का पूरा बन्द रहा। मान्यवर, मैं जब मानूं कि मैंने झगड़ा किया जिसके लिए मैं दण्डित होता हूं और 10-10 दिन तक आदमी बाहर आकर हड़तालें करते रहें और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो और पूरा वेतन वह उठा लें, काम करें नहीं। 10 आदमी, 50 आदमी बाहर आकर हड़ताल करें, पैन उठायें नहीं और सरकार से पूरा पैसा भी ले लें तो निश्चित रूप से आदमी जो भी काम करता है आखिर कब तक नहीं जायेगा। जन प्रतिनिधि किसके लिए जाता है, कोई अपने लिए जाता है ? निश्चित रूप से आप दण्डित कीजिये, यदि अपराध है। जब हम जनता के लिए जाते हैं, जनता की मांगों को लेकर जाते हैं और किसी सही उद्देश्य के लिए जाते हैं और लोग हम पर मुकदमा दर्ज करें, 10-10 दिन तक हड़ताल करके पूरा वेतन सरकार से ले लेते हैं और उसकी कोई इन्क्वायरी नहीं हो। मैं यह निश्चित रूप से चाहूंगा, सरकार बी. जे. पी. की हो, चाहे कांग्रेस की, सदन की मर्यादा अगर रखनी है, लोगों का नैतिक बल बनाये रखना है तो मेरी यह मांग है, कि विधायिका और उसमें काम करने वाले विधायक के, जैसे सरकारी लोग अपने लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, मैं निवेदन करूंगा कि हम लोगों को भी अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, टकराव केवल मात्र जैसा मैंने आपको कहा कि कोई दुराव नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब मंजिल हमारी एक है तो हम क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। जब आदमी को आप कहते हो कि सब

(श्री अर्जुनदास मदान)

आदमी शाम को चौपड़ पर मिलेंगे तो कोई कहीं से भी आये, चाहे आदर्श नगर से आयेगा, कोई बाईस गोदाम से आयेगा लेकिन वह मिल जायेगा। जब हमारा उद्देश्य एक है, कहीं जब टकराहट होती है उसके ऊपर मंथन-चिन्तन करके सदन को कोई निर्णय लेना चाहिए नहीं तो ये झगड़े चलते रहेंगे. मुकदमे होते रहेंगे और उसका कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो पायेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मण्डी) : उपाध्यक्ष महोदय, 16-2-1995 को जो वाकया है यह हम सभी जन प्रतिनिधियों के लिए एक चेतावनी है। जन प्रतिनिधि इसलिए चुनकर आता है कि जनता की शिकायत का, जनता के दुःख-दर्द को सुने, उसका निराकरण करवाये। 6 तारीख को मांगरोल में हाट का दिन था। रामगोपालजी विधायक अपने क्षेत्र में दौरे पर गये हुए थे। वहीं पर हाट के अन्दर जितने भी काश्तकार आये हुए थे जो हमारे तहसीलदार जी से ज्यादा खौफ खाये हुए थे, पीड़ित थे, उन सबने मिलकर रामगोपाल जी को यह कहा कि, आप ही हमारी शिकायतों का निवारण करवायें शिकायतों को दूर करवायें और तहसीलदार जी से इस बात के लिए भी कहा वे जिसको चाहें उनको तो पैसा लेकर छोड़ देते हैं और जो पैसे नहीं देता उसको सजा ठोक देते हैं। ऐसी परिस्थिति के अन्दर जन प्रतिनिधि को जब सभी लोगों ने घेरा तो मैं यह समझता हूं कि सदन में जितने भी जन प्रतिनिधि यहां पर बैठे हैं उनकी भी स्थिति इस तरह की हो जाती है कि वह स्वयं इस बात को सोचें कि अगर मैंने एक तहसीलदारजी लेवल के अधिकारी से भी जनता के दुःख-दर्द को दूर नहीं करवाया तो मेरा जन प्रतिनिधि बनना नाकारा है, धिक्कार है और मरना ज्यादा अच्छा है। उन्होंने मजबूर किया और वहां चलकर सीधे तहसीलदारजी के पास गये। उन्होंने तहसीलदारजी से बड़े सीधे शब्दों में, नम्र स्वभाव से तहसीलदार साहब कहकर बातचीत की और बातचीत करके ज्यों ही उन्होंने इस प्रकरण का जिक्र किया कि आपने इन रामनारायण जी के मामले में पैसे मांगे और आपने इनको सजा की बात कही तो तहसीलदार जी आग-बबूला हो गये और उन्होंने कहा कि आप आये कहां से हो? आप हो कौन? आप आउट हो जाइये, आप यहां से बाहर निकल जाइये वरना मैं धक्के देकर आपको बाहर निकलवा दूंगा। नतीजा यह हुआ कि रामगोपाल जी ने इस बात को सोचा कि यह दो प्रकरण पहले से चले आ रहे हैं। पहले से भी इन्हीं इलाकों में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। मांगरोल के अन्दर, इसी तहसील में इस प्रकार के घटनाक्रम चलते रहे हैं, तहसीलदारों के साथ दुर्व्यवहार होता रहा है और इस बात को ध्यान में रखकर ही उन्होंने सोचा कि मैं आज एक दुर्बल और शिड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति हूं मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। ये लोग मुझ पर एक प्रकार से आरोप लगायेंगे और मेरे साथ और भी ज्यादा दुर्व्यवहार करेंगे। वे बाहर आ गये और उन्होंने 17 तारीख को जिलाधीश, बारां से इस बात की शिकायत की और उनको पूरे 20 के 20 एफिडेविट दिखलाये कि आप इन एफिडेविटों

(श्री रामकिशन वर्मा)

के ऊपर गौर कर लें कि किस प्रकार से तहसीलदार जी का आचरण है। किस प्रकार से आम जनता को, भोली जनता को लूटने का काम करते हैं इनको न्याय नहीं मिलेगा तो जनता कहां जायेगी ? यह सारी बातें देखकर कलक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि आप मेरे पास रख जायें। मैं बात कर लूंगा, मैं माफी मंगवा लूंगा और इस बात की भी कोशिश करूंगा कि अगर तहसीलदार ने इस तरह की बात की तो उन्हें सजा दिलवाऊंगा। रामगोपाल जी वापस आ गये। आने के बाद जब देखा कि बाद में कुछ भी नहीं हुआ तो दूसरे दिन भी लोगों ने इनकी हंसी-मजाक उड़ायी। गांव के लोगों ने इनको घेर लिया। जब देखा कि 19 तारीख को मुख्य सचिव महोदय बारां पहुंचे हैं और बारां में पहुंचने के बाद बारां के, मांगरोल के कई जन-प्रतिनिधि, कई संभ्रान्त लोग जो सभी समाजों के थे, जो सभी पार्टियों के थे, वे मिलकर के गये कि आज अगर जन-प्रतिनिधि के साथ यह दुर्व्यवहार हो रहा है तो कल कौन इनके खिलाफ बोलेगा ? आम जनता को, गरीब जनता को न्याय कहां मिलेगा। इन सारी बातों की उन्होंने चर्चा की तो मुख्य सचिव जी ने कहा कि अगर यह बात सच है तो मैं उसे तत्काल सस्पैण्ड कर दूंगा। इन सारी बातों से आश्वस्त होकर के ये सब लोग वापस आ गये लेकिन जब कुछ भी नहीं हुआ तो लोगों ने फिर इनकी हंसी-मजाक उड़ायी और सभी लोगों ने यह कहा कि यह तो अच्छा नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि अपने कानून की बातें करेंगे, राज्य सरकार से बात करेंगे, मुख्य मंत्रीजी से बात करेंगे, हमारे रेवेन्यू मंत्रीजी से बात करेंगे, गृह मंत्री जी से बात करेंगे। इन सारी बातों पर जब चर्चा चल ही रही थी तो वहां पर कुछ लोग हुजुम बनाकर, एक प्रकार से वहां पर वातावरण इस प्रकार का बना कि जैसे मांगरोल तहसील पूरी उमड़ पड़ी और उन्होंने इस बात को सोचा कि आज इनके साथ है कल हमारी क्या दुर्दशा होगी। जैसा कि बताया गया अभी, तहसील के बाहर ताला लगा दिया गया। डीवाई. एस. पी. साहब वहां बिराजमान थे, थानाधिकारी जी भी मौजूद थे और एस. डी. ओ. साहब भी वहां पर मौजूद थे। इन सारी बातों के बाद रामगोपालजी ने कहा कि साहब मेरा तो एक मेमोरण्डम है दो मिनट की बात करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो मैं अन्दर जाऊं। रामगोपालजी ने यह बात सोचकर उनसे बात की, उन्होंने इजाजत दी और इजाजत के तहत के वे अन्दर गये। अन्दर जाने के बाद ज्यों ही बात की थोड़ी-सी गरमा-गरमी हुई और इन्होंने यह कहा कि आप ने मेरी बे-इज्जती की है। ये वापस लौटने लगे और तहसीलदार जी जिस प्रकार से यहां पर + + + बैठे हैं, कोई भी आदमी इतनी दूर हाथ बढ़ाकर भी उनके मुंह पर थप्पड़ नहीं मार सकता। यह बिलकुल असत्य और हकीकत बात है कि उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया। यह इस बात का आरोप लगाया गया कि इनके साथ कोई नहीं है, एस. सी. का आदमी है और इसीलिए

+ + + नाम अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामकिशन वर्मा)

इनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं होगा। यह बात वहां लोगों ने सोची और वापस चले गये। अगर इनको इस प्रकार की मारपीट करनी होती, थप्पड़ ही मारना होता, 5 बजे बाद तक इन्तजार करते, 10 बजे पहले तक इन्तजार करते और मारना ही था तो महिलाओं को साथ लेकर जाने का कोई इरादा नहीं होता। महिलाएं गयीं, कभी थप्पड़ नहीं मारती और पिटवाना ही था तो महिलाओं से चूड़ियां भिजवा देते, महिलाओं से चप्पल फिकवा देते लेकिन यह ऐसा कभी नहीं करते। मैं पूरे सदन से इस बात के लिए विनम्र निवेदन करूंगा कि इन्हें खड़ा करके देख लीजिये। मेरा ख्याल है कि शारीरिक दृष्टि से पूरे सदन में इनसे कोई कमजोर शरीर का आदमी हो, रामगोपालजी खड़े होइये, तो मैं आप कहो जो कर आऊं। यह हो ही नहीं सकता कि यह आदमी थप्पड़ मार दे। उन्होंने तो रिक्वेस्ट की, उसका नतीजा यह भुगतना पड़ा कि पूरे समाज के अन्दर इन्हें नीचा देखना पड़ा। लोगों ने कहा कि आप को आते ही दफा 302 का केस दर्ज करा देना चाहिए था। इन्होंने कहा साहब, हमें तो व्यवस्था चलानी है, व्यवस्था थोड़े ही बिगाड़नी है। बातचीत से बात हो जाये तो हम काहे को माहौल बिगाड़ें। हम तो कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस ने हमेशा राज किया है। लोगों की बात सुनी है और न्याय दिलाया है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इनके खिलाफ केस लगाया गया सारा असत्य है और जो इनके खिलाफ आरोप और दफाएं लगायी गयीं वह गलत लगायी गयी हैं। मेरा आपसे और आपके माध्यम से सदन से निवेदन है कि इनका मुकदमा वापस लिया जाये ताकि कभी भी किसी जन-प्रतिनिधि के साथ ऐसा दुर्व्यवहार न हो और तहसीलदार के खिलाफ पूरी एक जांच बैठा दी जाये जिसके अन्दर हमारे सदन के सदस्य भी शामिल कर लिये जायें तो मैं यह समझूंगा कि वास्तव में एक न्याय हुआ है अन्यथा जन-प्रतिनिधियों की दुर्दशा होगी और अधिकारियों और जन-प्रतिनिधियों की बीच में गन्दगी और मन मैला होता जायेगा। यह राजस्थान के लिए अच्छा नहीं है मुझे यही कहना था। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो प्रश्न हैं। केवल मात्र दो प्रश्न उठाने हैं। मैंने पहले भी कहा था सर, मात्र दो प्रश्न हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम इस बात के लिए इस सदन को बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमें माननीय सदस्य कहा जाता है सदन के अन्दर। बड़े + + + के साथ हमको इस बात के लिए सुनना पड़ रहा है कि जो माननीय सदस्य लगा हुआ है हमारे नाम के साथ, आज उसको हटा देना चाहिए। यह + + + की बात है हमारे लिए। आज रामगोपालजी का अपमान नहीं हुआ है किसी अधिकारी के द्वारा, यह सारे सदन का अपमान हुआ है। रामगोपालजी ने

+ + + शब्द अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप)

कोई थप्पड़ नहीं मारा, उस अधिकारी ने हमारे सदन के थप्पड़ मारा है। इससे बड़ी बात और क्या होगी। इस बात को आप हंसी और मजाक में न लें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी माननीय सदस्य हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय भी माननीय सदस्य हैं, माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय भी माननीय सदस्य हैं। सारा सदन माननीय सदस्य होता है पहले, उसके बाद वे अन्य पदों पर जाते हैं। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है आपसे कि अगर आज परम्परा इस प्रकार की पड़ती गयी, अधिकारी लोग इस प्रकार जन-प्रतिनिधियों को पीटने लग गये। उनके खिलाफ इस प्रकार एफ.आई.आर. दर्ज कराने लग गये। इससे बड़ी + + + की बात नहीं होगी। माननीय गृह मंत्रीजी आप एस. सी. और एस.टी. का भला नहीं कर सकते हैं तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है, आपको इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक एस.सी. का हमारा विधायक और जिसके खिलाफ एफ.आई.आर. असत्य दर्ज करवा दी जाये। चोर और डकैत घूम रहे हैं, जंगलों में घूम रहे हैं, सरे आम बस्तियों के अन्दर घूमते हैं। हमने खुद ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी है और 307 और 302 के मुकदमों को, हमारी पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है और एक तहसीलदार के कहने पर माननीय सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। यह माननीय सदस्य नहीं आप गिरफ्तार हुए हो। एस.सी. और एस.टी. अपमानित हुए हैं, सारा सदन अपमानित हुआ है। मैं कहता हूं माननीय रामगोपालजी, कोई चिन्ता मत करो, अगर यह सदन आपके साथ न्याय नहीं करता है हमने परहित के लिए जन्म लिया है, परहित के लिए जनता ने हमको भेजा है। यही हमारा सत्य धर्म है। हमारे शास्त्रों में साफ लिखा हुआ है,

"पर हित सरिस धर्म नहीं भाई
पर पीड़ा सम नहिं अधि काई।"

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये माननीय, सदस्य।

श्री रामस्वरूप : और मैं निवेदन करना चाहता हूं,

"पर हित लाग तजे जो देहि
जे प्रिय संत प्रशंसहिं तेहि।"

वही प्रशंसनीय होते हैं। इसलिए हमारी कोई अवमानना नहीं हुई है। हम जनहित के लिए लड़े थे, जनता के लिए हम गिरफ्तार होते हैं। यह आपने बहुत बड़ा एक जन-कार्य किया है। हम और सदन आपके साथ हैं यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप माननीय सदस्य पहले हैं, आप बाद में उपाध्यक्ष हुए हैं इसलिए आप इसकी रक्षा करें। ऐसे तो रोजाना क्षेत्रों में हमारे जन प्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार होगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामस्वरूप : आज इस प्रकार का व्यवहार हुआ सीधी सरकार की जिम्मेदारी

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप)

होगी। हम मानेंगे सरकार ने हमारे साथ ऐसा करवाया है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि सरकार इस पर जरूर ध्यान देगी। माननीय सदस्यों की इज्जत की रक्षा करायेगी और आने वाले भविष्य के लिए एक उदाहरण पेश करेगी। और जिस + + + अधिकारी ने माननीय सदस्य का अपमान किया था उस + + + अधिकारी को जेल की सींखचों में बंद कर दिया जाये और माननीय सदस्य का मान-सम्मान कायम किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। माननीय सदस्य विराजिये। हरिसिंह जी।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सदन के समक्ष जो प्रश्न स्टेटमेंट के माध्यम से विचाराधीन है वह बहुत ही अहम प्रश्न है। श्रीमान्, किसी भी विधायक की गिरफ्तारी की इत्तला आपको क्यों दी जाती है? कानून में इस बात का प्रावधान क्यों किया गया है? स्टेट के अन्दर और कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, उसकी इत्तला तो सदन को नहीं दी जाती है। लेकिन इस सदन के सदस्य की गिरफ्तारी की इत्तला माननीय उपाध्यक्ष महोदय को या अध्यक्ष को इसलिए दी जाती है। कि सरकार विचार कर सके इन सब परिस्थितियों के ऊपर कि गिरफ्तारी क्यों की गई है? किन परिस्थितियों में की गई है? गिरफ्तारी जायज की गयी है या नाजायज की गयी है उसमें अग्रिम कोई कार्यवाही अगर सदन करना चाहे तो कर सकता है। इसलिए महज नहीं दी जाती है कि कोई कानून की खानापूर्ति होती हो कि यहां पर व्यवस्था दे दी जाये और वह फाइल के अन्दर रख दी जाये। यह तो एक तरीका पड़ गया है कोई इत्तला आती है और कोई कार्यवाही नहीं होती। मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं सदन से आपके मार्फत, इस सदन के तमाम सदस्यों से किसी भी माननीय सदस्य की गिरफ्तारी के ऊपर इस सदन में विचार होना अत्यावश्यक हुआ करता है। अब यहां इस सदन में गिरफ्तारी हुई माननीय श्री रामगोपालजी की। इन परिस्थितियों में आप

(14.00)

देखें कि माननीय रामगोपालजी की गिरफ्तारी में अगर सरकार जागरूक होती, अगर सही वक्त पर सही कदम उठाये गये होते तो यह परिस्थिति भी नहीं आती। माननीय रामगोपालजी के साथ जो झगड़ा हुआ, वह नहीं होता। 16 तारीख को तहसीलदार साहब का जो अभद्र व्यवहार हुआ और जिस समय तहसीलदार साहब ने इनको गेट-आउट कर दिया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के एक सदस्य होने के नाते हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए राजकीय अधिकारियों के पास राजकीय कार्यालयों में हमको जाना पड़ता है अपनी जनता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए। हमें उनसे प्रश्न भी पूछने पड़ते हैं, उनको कहना भी पड़ता है, उनका ध्यान भी आकर्षित करना पड़ता है। उस समय उन

+ + + शब्द अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरिसिंह)

कर्मचारियों का जो व्यवहार है, वह इस प्रकार का हो कि हमें अभद्र लगे, हमें बेइज्जत करें, हमें वे गेट आउट करें, तो उस समय फिर हमें कुछ न कुछ तो अपनी बात कहने के लिए उच्च अधिकारियों के पास जाना पड़ता है। रामगोपालजी ने बिल्कुल सही काम किया। जिलाधीश महोदय से वे मिले उसके बाद चीफ-सैक्रेटरी से मिले और चीफ सैक्रेटरी से मिलने के उपरान्त इस बात का आश्वासन मिलने के बाद भी कि इस मामले के अन्दर जांच की जायेगी, श्रीमान्, कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि चीफ सैक्रेटरी साहब ने इस मामले में क्या जांच की ? जांच होने के बाद उसका क्या नतीजा रहा और उस तहसीलदार साहब के विरुद्ध अगर कार्यवाही कर दी होती, उनका वहां से ट्रांसफर कर दिया होता, या उन्हें इस बात की हिदायत दे दी गयी होती कि इस प्रकार की कार्यवाही आइन्दा नहीं करें तो मैं समझता हूं कि यह घटना नहीं घटती। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें सरकार की या वहां के अधिकारियों की सबसे बड़ी कमी यह रही कि इसमें सही वक्त पर सही कार्यवाही नहीं की गयी और एक सदन के सदस्य की अवमानना करने का एक षड्यन्त्र तैयार किया गया। अगर 19 तारीख को चीफ सैक्रेटरी साहब ने उस पर जांच बैठा दी होती तो मैं समझता हूं कि 22 तारीख को मांगरोल बन्द नहीं हुआ होता और मांगरोल बन्द नहीं होता तो यह घटना, यह षड्यन्त्र बनाने का वक्त ही नहीं मिलता तहसीलदार को। तहसीलदार के दिमाग में यह भय पैदा हुआ कि चीफ सैक्रेटरी के नोटिस में यह कार्यवाही आ गयी है और कलक्टर के नोटिस में यह कार्यवाही आ गयी है और इस कार्यवाही के आने के बाद में अब मेरे खिलाफ कोई न कोई कार्यवाही निश्चित रूप रूप से होगी और कार्यवाही से निश्चित रूप से बचने के लिये उन्होंने एक काउण्टर केस दायर किया। यह काउण्टर केस है, एक बना हुआ फेब्रिकेटेड केस है, अन्यथा इसकी जो लेंग्वेज है, एफ.आई.आर. की, मैं आदरणीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत-सी एफ. आई. आर. देखी होंगी, क्या इस एफ. आई. आर. के पढ़ने मात्र से आपको यह पता नहीं चलता है कि यह एक झूठा फेब्रिकेटेड केस है ? अगर 354 दफा बनानी है, श्रीमन्, आप जानते हैं कि 354 दफा बनाने के लिए उन शब्दों को एफ.आई.आर. के अन्दर कोट करना बड़ा जरूरी है, जिससे....(व्यवधान)....354,....(व्यवधान) ....504 में इन शब्दों को कोट करना बड़ा जरूरी है। 504 में जब तक आप शब्द नहीं लिखेंगे तो कैसे कोई आदमी भावना से इतना प्रवोक हो कि वह अपने को लज्जित समझे, वह अपने आप से करने के लिए झट से तैयार हो जाये तो फिर कैसे हुआ यह ? इस 504 में उन शब्दों का प्रयोग नहीं है। आपने 504 में दफा बना दी। उसके बाद में 147, 147 बनने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। एफ.आई.आर. में आपने लिख दिया, दूसरी बात है, लेकिन आपके पुलिस के कर्मचारी वहां से उनको ले जाकर मिलाने ले जाते हैं तहसीलदार साहब के पास में। डीवाई.-

(श्री हरिसिंह)

एस.पी. साहब साथ जाते है, उसमें फिर आप बलवा बनाते हैं, रोइटिंग बनाते हैं आप। एक षड़यन्त्र बनाते हैं, ऐसा हो सकता है क्या ? आपका डीवाई. एस.पी इस अमले के साथ में जा रहा हो और फिर आप 147 बनाना चाहें, 147 बनाने का मतलब यह होता है कि पहले से, पूर्व षडयंत्र हो। उसके लिए अनलॉफुल असेम्बली हो, उसमें इस बात के लिए तैयारी की जाय कि हम किसी पर हमला करेंगे और उसके बाद में कोई कार्यवाही हो तो 147 बनाते हैं। इसलिए जहां आप स्वयं मिलाने के लिए डेलीगेशन को लेकर जा रहे हैं, उसमें 147 कहां से बन गया ? आपके लिए, 332 के लिए इन दी लॉ-फुल डिस्चार्ज ऑफ आफिसर ड्यूटिज बहुत जरूरी है। क्या काम कर रहे थे तहसीलदार साहब ? अखबार पढ़ रहे थे, बैठे हुए अन्दर। चैम्बर के अन्दर बैठे हुए थे आप ? आप अपने तहसील कार्यालय के अन्दर नहीं बैठे हुए थे। आपने 332 बना दिया। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं श्रीमन, इस प्रकार से फेब्रिकेटेड केसेज अगर विधायकों के खिलाफ बनाये जाएंगे तो हम अपना कर्तव्य निर्वहन कैसे करेंगे ? आज इस सदन को इस बात पर अहम्-रूप से विचार करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में यह सदन हमारी कुछ मदद करेगा या नहीं करेगा ? अन्दर तो आपने प्रिविलेज हमको दे दिये हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं लेकिन यहां से बाहर हम क्या जूते पड़ने जाते हैं ? बाहर निकलते ही वहां पर क्या हमारे प्रिविलेज की रक्षा नहीं होगी ? वहां भी अगर कोई पब्लिक का आदमी कहे तो दिल से बरदाश्त करें लेकिन आपके कर्मचारी और दफ्तर में बैठे हुए कर्मचारी और पुलिस के साथ मिले हुए कर्मचारी अगर किसी विधायक को पीटेंगे, इस प्रकार से तो उससे ज्यादा एक विधायक के लिए, सदन के लिये अपमान की कोई बात हो नहीं सकती। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, आप इस मामले को प्रिविलेज कमेटी को सौंपिये, आप इसमें जांच होने दीजिए। यह एक प्रिविलेज का मोशन बनता है, सरेआम प्रिविलेज का मोशन बनता है। चाहे तो हमारे सदन के विपक्ष के नेता महोदय इसे मूव करें, वरना आप इसको भेज सकते हैं। यह तो क्लियर कट आपके सामने आ गया है, यह मैटर एक प्रिविलेज कन्सर्न मैटर है, रामगोपालजी की गिरफ्तारी से हटकर आपको कुछ विचार, निर्णय सदन को करना पड़ेगा, कुछ मापदण्ड आपको तय करने पड़ेंगे, इस बात के लिए कि सदन के किसी भी सदस्य के साथ में इस प्रकार का व्यवहार आपके सरकारी कर्मचारी करें, जब वे अपनी समस्याओं को लेकर के जायं, कैसे उन से आप बात करें, उनके प्रश्नों का किस प्रकार से उत्तर दिया जाये और फिर गिरफ्तार करने से पहले आप किसी को कन्सल्ट करेंगे या नहीं करेंगे ? यह इस सदन को तय करना चाहिए। यह कोई भेड़-बकरी है ? किसी भी एम.एल.ए. को ले जाकर गलत मुकदमे में बन्द कर दिया जाए और वह भी शिड्यूल्ड कॉस्ट का मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस मसले के ऊपर सदन की एक कमेटी

(श्री हरिसिंह)

बनाकर जांच की जाए। तहसीलदार को अविलम्ब सस्पैण्ड किया जाय और मामले में अग्रिम कार्यवाही करना बडा जरूरी है। धन्यवाद, जय हिन्द।

(14.06)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन।)

श्री सभापति : श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य रामगोपालजी के साथ जिस तरह का दुराचार हुआ, उस उस सम्बन्ध में सदन एक महत्वपूर्ण चर्चा कर रहा है। मैं इस मामले में अपनी कुछ बात कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, विधायकों को चुना जाता है कि जनता की समस्याओं का किस तरह से निराकरण कराया जाये। और आप तो, सभापति महोदय, अधिकारियों में भी रह चुके हैं और आज विधायक भी हो गये हैं, आपको खुद ही अहसास होगा कि विधायकों की क्या स्थिति है ?

श्री सभापति : सात साल हो गये, इसको अब भूल जाओ, आठवां साल चल रहा है।

श्री जुबेर खान : मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि हम कोई काम लेकर जाये और उसके बाद उस काम के लिए कोई कर्मचारी सुने नहीं, मंत्री महोदय को ज्ञापन दें, लिखित में शिकायत दें, बड़े अधिकारियों को दें और उनकी साल-साल भर जांच नहीं हो तो विधायक पर जिस तरह का ग्रामीण निवासी दबाव डालते हैं, मानसिक सन्तुलन बिगड़ जाता है तो विधायक महोदय करे क्या ? सभापति महोदय, वह क्या हथियार अपनाये ? उसको कभी-कभी ताव भी आ जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप देखते हैं कि ऊर्जा मंत्री महोदय मौजूद हैं, अलवर में माननीय विधायिका मीनाजी अग्रवाल को कई लोग शिकायत लेकर आए कि हमारे मोहल्ले में बिजली नहीं आ रही है। बार-बार विधायक महोदय ने टेलीफोन किये। कोई रिप्लाई, कोई जवाब नहीं आया दफ्तर से। जाकर पहुंची, इस दफ्तर में कोई रहता है या नहीं रहता है ? तो मालूम चला कि कोई भी, कई-कई दिनों से अटेंडेंस रजिस्टर में हाजरी नहीं है, अधिकारी गायब हैं, वे जाकर के रजिस्टर उठा ले आयीं और बड़े अधिकारियों को दिया, देखिये, यह रजिस्टर आप देखिए, कर्मचारी आपके आते नहीं हैं ड्यूटी पर, लोग किससे शिकायत करें। बिजली आती नहीं है, पानी आता नहीं है, क्या करें ? मालूम चला कि उनका काफी दिन के लिये बिजली का कनेक्शन काट दिया। माननीय रघुवीर सिंहजी कौशल उस दिन अलवर में मौजूद थे। माननीय सदस्य ने इनसे खूब पीड़ा जतायी उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जतायी। आज तक उन कर्मचारियों का क्या हुआ ? हम जब कभी कर्मचारियों के पास जाते हैं तो कहते हैं, मीना अग्रवाल तो बी जे पी. की विधायिका हैं और + + + की रिश्ते-

+ + + नाम अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जुबेर खान)

दार हैं, उन्होंने हमारा क्या करा लिया ? आप कांग्रेसी हमारा क्या करा लेंगे ? क्या जवाब दें, बताइये और फिर आप कहते हो कि हम भी अपना, ठीक है हम जन प्रतिनिधि हैं लेकिन हमारा मान सम्मान है। आज छोटे-मोटे कर्मचारी इस तरह से अपमानित करेंगे तो हमें गुस्सा नहीं आयेगा ? और फिर आप कहते हैं कि उनके खिलाफ तो कोई जांच, आज सदन को यह निर्णय लेना चाहिए कि माननीय विधायक अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ कोई रिपोर्ट कराता है तो उसकी तुरन्त प्रभाव से जांच होनी चाहिए ताकि हम फौजदारी के केस छोड़ें, नहीं तो हम पर, मैं आपको उदाहरण पेश करना चाहूंगा, मेरे रामगढ़ में, यह रजिस्टर की मैं फोटो कॉपी करवा कर लाया हूं। 15 तारीख के बाद में आपके जे. ईएन. ने आज तक कोई दस्तखत नहीं किये। मालूम चला, भाई, यह रहता कहां है ? कहा कि 30, 31 तारीख को आयेगा, सारे दस्तख्त कर देगा और बार-बार, पी. एच. ई. डी. मंत्रीजी से कहते हैं या तो इनको टाइट कीजिये या हटाइयें और लोगों के गर्मी आ रही है तो फिर हम करें क्या ? अब करें क्या, यह तो बताइये कि जनता हमारे पीछे पड़े, अधिकारी काम नहीं करे और फिर तू-तू, मैं-मैं हो जाय तो फौरन एफ. आई.आर. दर्ज हो जाय और आप गिरफ्तार कर लें और केस चला लें। गिरफ्तारी का मतलब नहीं, आप तो खूब गिरफ्तार करिये। गिरफ्तार होते-होते लोगों को अच्छे-अच्छे पद मिले हैं लेकिन हाथ जोड़ कर निवेदन है, ऐसी तो कोई व्यवस्था करिये कि माननीय विधायकों के कहने से जनता को कोई राहत मिल सके और + + + अधिकारियों के ऊपर कोई अंकुश लग सके। इसका कोई प्रावधान करिये.... (व्यवधान)....

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री जुबेर खान : विधायिका नहीं कर पायी तो फिर मैं समझता हूं कि यहां बैठने का कोई मतलब नहीं है। एक तरफ तो सरकार का उत्तरदायित्व। सरकार का उत्तरदायित्व किसके प्रति इस सदन के प्रति और सदन के लोगों के खिलाफ.... (व्यवधान)....

श्री सभापति : बोल रहे हैं आप, माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान : जिस तरह से अत्याचार होते हैं और सरकार चुपचाप बैठी रहती है, देखती रहती है और अधिकारियों को प्रोटेक्ट करती है तो कौनसा उत्तरदायित्व हुआ। मैं तो इस सदन में देख रहा हूं, उलटे सरकार के प्रति हमारा उत्तरदायित्व हो रहा है। उनके रहमो करम पर हम पलते रहे हैं। सरकार हमारी मदद करेगी तो हमारा कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा।

जबकि विधायिका में लिखा हुआ है कि मंत्रिमण्डल उत्तरदायी है इस सदन के लिए। यहां उलटा ही है। हम निवेदन

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जुबेर खान)

ही करते रहते हैं मंत्री महोदय से, निवेदन है कि यह कर दें, और मंत्री महोदय को कुछ करना-धरना नहीं है। तो मैं आप से कहता हूं कि आज इस पूरे सदन की जिम्मेदारी है कि किसी तरह से विधायिका की गरिमा को बचाया जाय। और माननीय मुख्य मंत्रीजी की तो लोग कहते हैं, हम तो, खैर, अभी राजनीति में आये हैं, अगर वह कहीं से नेता बने हैं तो इस पवित्र सदन से ही बने हैं और 1952 से इसके सदस्य हैं, इनके समय में जितनी सदन की और माननीय सदस्यों की दुर्गति हो रही है, मैं समझता हूं किसी मुख्य मंत्री के काल में नहीं हुई।

श्री सभापति : बिराजिये। माननीय मोदी जी।

श्री जुबेर खान : यह तो खुद ही निर्वहन नहीं कर रहे हैं इस पवित्र सदन का तो यह बात····

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये। मेरा निवेदन है कि सम्बन्धित विषय पर ही अपने आप को सीमित रखें, व्यापक नहीं बनायें। माननीय मोदीजी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, इस संवेदनशील········ (व्यवधान)····

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय सभापति महोदय, कुछ बैलेंस यों कर दें। ····(व्यवधान) थोड़ा बना कर रखिये। (व्यवधान)····Now it is seven years, you should forget that.

श्री रामनारायण चौधरी : दोनों का बैलेंस बना दें।

डा. हरिसिंह : कर्मचारियों के पाप थे, वह सात साल पहले वहीं रह गये।

श्री सभापति : धन्यवाद। बिराजिये।

डा. हरिसिंह : अब नये पाक शास्त्र में आप हों तो ठीक कर देना .... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, इस संवेदनशील सरकार ने कई कीर्तिमान बनाये और एक नया कीर्तिमान बनाया है कि विधायक को गिरफ्तार किया और ऐसे अधिकारी की शिकायत पर किया कि वह अधिकारी पहले इकलेरा में था, उनके खिलाफ, नोन + + + हैं, इकलेरा में जिसकी हजारों शिकायतें हैं और यहां जब से हैं तब से हजारों शिकायतें हैं। नोटिस दिये, पैसे लिये नोटिस वापस ले लिया, फिर पैसे लिये—फिर वापस ले लिया। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसकी सी आर. मंगवा कर देख लें कि इस अधिकारी की क्या स्थिति है। और जब चीफ सैक्रेटरी तक शिकायत हो गयी, जब उन्हें लगा कि अब तो बच नहीं सकूंगा तो उसने एक काउण्टर केस बनाया और यह सरकार, अपने आप ढिंढ़ोरा पीटने वाली, दावा करने वाली

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री विष्णु मोदी)

संवेदनशील सरकार, उसने फौरन कहा कि रामगोपालजी को गिरफ्तार कर लो और आपने खुद की पार्टी के जितने विधायकों के खिलाफ केस चल रहे हैं, उन्हें तो गिरफ्तार नहीं किया। कांग्रेस के शासन में मैं समझता हूं कि शायद ही किसी विधायक को इस तरह से गिरफ्तार किया गया हो। लेकिन माननीय गृह मंत्रीजी भी इस बात का दावा करते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट को कोई नुकसान नहीं होगा और मैं समझता हूं कि उन्होंने भी एक कीर्तिमान बनाया कि शिड्यूल्ड कास्ट के विधायक को ही उन्होंने गिरफ्तार करवाया है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस अधिकारी की सी. आर. खुद मंगायें और देखें और ऐसे + + + अधिकारी को तुरन्त प्रभाव से सस्पेण्ड करें।.... (व्यवधान)....

श्री सभापति : शैलेन्द्र जी। वह बोल रहे हैं उनके बाद बोल लेना।....(व्यवधान) आप के पीछे शैलेन्द्रजी खड़े हो गये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : सभापति महोदय, इस देश में सुप्रीमेसी ऑफ दी लेजिस्लेचर ओवर एक्जीक्यूटिव है और माननीय विधायक का क्या स्तर है और कितनी गरिमा है, प्रजातान्त्रिक मूल्यों को देखते हुए, उसकी जिम्मेदारी को देखते हुए, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसको आनन-फानन में या असंवेदनशीलता से नहीं देखना चाहिए। मेरा मानना है कि जब एक विधायक अपनी मांगों के लिए, जनता के दुःख-दर्द के लिए, सैक्शन 91 के नोटिस ऐसे व्यक्ति को जारी किये गये जिसकी कि जमीन ही नहीं थी। जिसके पास जमीन नहीं उसको नोटिस दे दिया। वह लेकर गये और जाकर कहा कि आप ऐसे लोगों से पैसा ले रहे हैं, इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, तो वे 16 तारीख को मिले और 17 तारीख को कलक्टर साहब को कहा और जब जनता में जनाक्रोश बढ़ गया और तहसीलदार साहब से मिले तो उन्होंने अपने ऊपर जो बेईमानी का आरोप था, जो कि हलफनामे में लिखा हुआ था उसको रिबट करने के लिए, उसको रिफ्यूट करने के लिए इस तरह से मनगढ़ंत और फेब्रिकेटेड रिपोर्ट लिखी। अब यह सदन यह जानना चाहता है कि मनगढ़न्त रिपोर्ट कैसे, झूठी रिपोर्ट कैसे हुई? मैं यह कहता हूं कि यह रिपोर्ट 101 पर्सेण्ट फर्जी है और असल बयानी से अलग है। इसके मैं दो-तीन पाइंट बता रहा हूं। ऐसा भी कभी होता है कि जिस तहसीलदार के चांटा पड़ जाय, जिस तहसीलदार की आंख में चोट पहुंचे, आंख में घूंसा मारा जाये, आंख में खून आये और डीवाई. एस. पी. एस. पी. देखें और वह तहसीलदार दो घंटे के बाद में भी रिपोर्ट में यह नहीं लिखे कि मेरी आंख में घूसा मारा और मेरी आंख से खून टपक रहा है। इस रिपोर्ट को देखिये, इससे मालूम पड़ता है, आज सामने बैठे विधायक लोग इस मुद्दे पर चुप हैं

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

लेकिन किसी दिन आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। जब कोई अधिकारी ऐसा करे, आज समानता की बात कहें। मैं रिपोर्ट पढ़ दूं। माननीय सभापति महोदय, मैं वरबेटम रिपोर्ट पढ़ रहा हूं।

श्री सभापति : यह रिपोर्ट पढ़ी जा चुकी है। मेरे ख्याल से आप प्रश्नों के माध्यम से कहें तो अच्छा होगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदय, इनकी आप महत्ता देखिये। मैं रिपोर्ट का वाक्यांश पढ़ रहा हूं कि अचानक चार व्यक्ति, जिनमें से दो मुझ पर आक्रमण करने की तैयारी के साथ परिसर में प्रवेश हो गये तथा मेरे साथ चैम्बर में आकर रामगोपाल बैरवा, विधायक ने गाली-गलौच की और झापट मारा। अन्दर आने वाले लोगों को मै जानता हूं और उनके नाम यह-यह हैं। यह तो रिपोर्ट लिखायी है, एफ.आई.आर. जिसको कि सैक्शन 54 में एफ. आर. बोलते हैं और कार्यवाही पुलिस में जो कि तीन घन्टे बाद लिखी जाती है जिसमें आफ्टर थोट हुआ, जिसमें फेब्रिकेशन हुआ, उसमें क्या लिखा जाता है कि तहसीलदार साहब के कहां-कहां चोटें हैं। वह मैं पढ़ कर बता रहा हूं, वह तो झूठी है, वह तो नॉन ट्रूथ है, एरर एपेरेंट ऑन दी फेस ऑफ रिकार्ड है और वह यह है कि तहसीलदार साहब की चोटों का मुआयना किया गया तो चोट देखी गयी। उनकी बायीं आंख में ललाई और खून लगा हुआ है। चांटा पड़ा गाल पर और खून आ गया आंख में, शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों को। माननीय गृह मंत्रीजी, आप देखिये और यह एक नंगा सबूत है कि क्या तहसीलदार, जिसके कि चांटा पड़ा, क्या तहसीलदार जिसकी आंख में चोट आयी, जिसके खून आया, जिसने तीन घन्टे बाद रिपोर्ट लिखायी और रिपोर्ट लिखाने के बाद कार्यवाही हुई। उस तहसीलदार को किसी ने, डीवाई. एस. पी. ने और एस.एच. ओ. न सामने बैठे लोगों ने यह नहीं दिखाया कि देखिये आपकी आंख में चोट लगी है। जिसकी आंख में खून आता है, आंख में सूजन आती है, आंख में चोट आती है, उसके चरमराहट होती है। यह तो एक तरह से ह्यूमन कंडक्ट है। आपने तो सारी मानवीय संवेदना को भी असंवेदना कर दिया। और उसके मेडिकल में आंख के बारे में क्या लिखा है।

तो, ऐसी फर्जी रिपोर्ट और उसके बाद जो दूसरा लेकूना है जिससे यह रिपोर्ट लगती है कि कन्कावटेड है वह यह है कि इसमें यह लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति, एक तहसीलदार जो अपनी तहसील में नहीं बैठा हुआ है, बल्कि तहसील के भी चैम्बर में बैठा हुआ है वह आदमी क्या कह रहा है उसको दूर दर्शन हो रहे हैं, वह सर्वदृष्टा है, वह कहता है कि रामगोपाल बैरवा और सब आक्रमण करने की तैयारी के साथ तहसील परिसर में प्रवेश कर गये। तहसील परिसर में प्रवेश करते हुए उनको टेलीविजन से सब कुछ दिख रहा है। क्यों? यदि यह शब्द नहीं लिखा जाता तो सैक्शन 147 नहीं लग सकता था। यदि कोई तहसीलदार अपने चैम्बर में बैठा हुआ है तो उसको कैसे मालूम पड़ता है कि

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

कौन आदमी किसी तरह से आ रहा है और प्रिपरेशन, आक्रमण करने की तैयारी शब्द से ही तो 147 लगा दिया पुलिस ने। लेकिन आक्रमण करने की तैयारी क्या कोई निहत्था आदमी भी आक्रमण करता है ? कोई वीपन लेकर आता, साथ में कोई आर्म्स एवं एम्यूनिशन लेकर आता और कोई चीज लेकर आता। महिलाएं थीं वह चूड़ियां पहनाने के लिए चूड़ियां लातीं, या कोई चाकू लाते, कोई डण्डा लाते, कोई हाकी लाता, तो मालूम पड़ता आक्रमण करने की तैयारी का। यह शब्द लगाकर 147 कर दिया जिसमें कि 5 या 5 से ज्यादा लोगों को अनलॉफुल असेम्बली में आप क्रियेट कर दें। इस तरह से फर्जी रिपोर्ट है।

332, 353 सैक्शन तब ही लग सकते हैं जब ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लायमेंट---

श्री सभापति : यह बात कही जा चुकी हैं, संक्षेप में कहें। कार्य सूची बहुत लम्बी है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदय, ऐसा लगता है कि आप एक सही बात को सही तरीके से, सही फोरम पर, सही टाइम पर नहीं आने देना चाहते।

श्री सभापति : नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह बात आ चुकी है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं कोई एम्बिट के बाहर की बात नहीं कर रहा, मैं आपको टू दी पाइंट रेलेवेन्ट और लीगल इण्टरप्रिटेशन कर रहा हूं कि इन ऑफिस के जो असेंशियल इन्ग्रेडिएण्ट्स हैं वह यह है कि ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ एम्प्लायमेंट यदि कोई आदमी कोई चीज का वाचन कर रहा है, कोई चीज का आदेश कर रहा है, कुछ लिख रहा है, पढ़ रहा है, कोई रजिस्टर सामने रखा हुआ है, पैन-पैन्सिल रखे हुए हैं। कोई आफिस कब बनता है ? खाली बैठ जाने से नहीं, उस आफिस का एक डेकोरम होता है। तो उस डेकोरम को किस तरह से से डिसमेन्टेन किया ? उसमें उनके कौन से कागज फटे, कौन सी फाइलें या किताबें अस्त-व्यस्त हुईं, किस तरह से उनके काम में बाधा डाली ? वह काम क्या कर रहे थे ? तहसीलदार महोदय ने अपनी एफ. आई. आर. जो कि ब्रोड स्पेक्ट्रम पर लिखी हुई है उसमें यह नहीं बताया कि वह क्या काम कर रहे थे। वह मूंगफली खा रहे थे कि अखबार पढ़ रहे थे कि कोई कमेण्ट्री सुन रहे थे ? कुछ भी तो नहीं कर रहे थे फिर 332, 353 का मुकदमा कैसे लग सकता है। लेकिन यह सरकार यह चाहती है। क्योंकि कांग्रेस का एक वीकर सैक्शन का विधायक है इसलिए इस पर मन में आये जो बेरहमी से सैक्शन लगा दिया जाये। 504 का सेक्शन तब लगता है जब वल्गर शब्द की अटरिंग हो और अटरिंग का भी इन्ग्रेडिएण्ट एफ. आई. आर. में प्राइमाफेसी डिपाजिट हो।

जिसमें कोई शब्द नहीं बताया गया है कि उसने मां की, बहन की, बदतमीजी की या ओछे व्यक्ति होने की कोई गाली दी। महज यह लिख दिया कि गाली-गलौच की।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

इसके अलावा भी यह सैक्शन 332, 353 बेलेबल आफेन्स है और बेलेबल आफेन्स में क्या एक विधायक से, इस तरह की गरिमा रखने वाले विधायक से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह यह कहते कि माननीय विधायक महोदय, क्योंकि यह बेलेबल सेक्शन है या तो हम आपके यहां आ जाते हैं या आप बताइये किस जगह, आप कहां उपलब्ध रहेंगे, हमें आपके कुछ पर्सनल बाण्ड भरने हैं, हम भर लेंगे आप दस्तखत कर देना, यही जमानत का कायदा होता है। एक विधायक जो इटावा से जयपुर आ रहा है उसको बस में से उतारा देखिये, रीजन देखिये, आप एटीट्यूड देखिये। शर्मनाक स्थिति में यह लोग सोच रहे हैं कि नहीं, एक विधायक ने पीट दिया। किस मेनर फैशन में शासन ने काम किया और आप इसको अमली जामा पहना रहे हैं।

332, 353 सारे इन्ग्रेडिएण्ट्स, जितने भी आफेन्स हैं, ये बेलेबल है। इटावा से जो बस में चढ़ रहा है उसको उतारा गया और उतारने के बाद तीन घण्टे तक उस विधायक को काम नहीं करने दिया, हैल्ड-अप रखा, कस्टडी में रखा। यह शर्मनाक स्थिति है। बेलेबल आफेन्स का मतलब होता है कि यदि आप किसी को गिरफ्तार करना चाहो तो तत्काल उसका जो बंधपत्र आपके पास में है उसमें राशि भर लो पांच हजार, दो हजार और रवाना कर दीजिये। यह टोटल जुरिस्डिक्शन पुलिस का है फिर तीन घन्टे तक उसको हिरासत में रखना, यह शर्मनाक स्थिति नहीं? यह गलत तरीका नहीं? आज माननीय गृह मंत्री कितनी मुस्कराहट से मुस्करा रहे हैं, आपके चेहरे पर दो इंच मुस्कान है। क्या इसलिए मुस्कान है कि एक विधायक जो वीकर सेक्शन का है इसको, क्योंकि कांग्रेस को बिलांग करता है और उसने सही बात के लिए एक + + + आदमी के खिलाफ सही समय पर, सही तरीके से प्रदर्शन किया और कहा, इसलिए कि उनको आगे के लिये सबक मिले, यदि किसी के साथ किया तो अच्छा नहीं होगा।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय पारीक जी।

श्री अमराराम (पचपदरा) : माननीय सभापति महोदय, लीगल बात है, मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : बोलिये, बोलिये। संक्षिप्त में, दोहरायेंगे नहीं।

श्री अमराराम : माननीय सभापति महोदय, बैरवा साहब के खिलाफ तहसीलदारजी ने जो एफ. आई. आर. दर्ज करायी है वह बिल्कुल ही वेग एफ. आई. आर. है और उसके आधार पर कोई प्राइमाफेसी केस इनके खिलाफ बनता ही नहीं। प्रश्न है, क्या कॉमन आब्जेक्ट था और वह खुद यह कह रहे हैं कि चार आदमी अचानक आये, फिर दो औरतें आयीं और फिर बैरवा साहब आये। डीवाई. एस. पी. और एस. डी. एम. साहब पहले से ही जब भीड़

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अमराराम)

वहां आ गयी है और वहां मौजूद हैं और जब पुलिस का जाप्ता पूरा किये हुए हैं. पुलिस वाले भी हैं, लेडीज पुलिस भी है, सारी व्यवस्था कर रखी है और चैम्बर के अन्दर बिराजे हैं। अगर कोई एस. डी. एम. आये, डीवाई. एस पी. आये और वह अन्दर हैं, कमरे के अन्दर जाकर बैठे रहें, उनका सबोर्डिनेट आफिसर, यह जो बात है, बिलकुल मनगढ़ंत है और इन्होंने "तैयारी" वर्ड लिखा है. तैयारी करके आये। यह जो सारी बातें हैं वह बिलकुल ही अपने आप एफ. आई. आर. पढ़ने से ही असत्य साबित होती हैं।

दूसरी बात, 504—मानहानि होना, इज्जत खोना, इज्जत जाना, तौहीन होना इज्जत की, यह कहीं भी इस रिपोर्ट में नहीं है कि गाली-गलौच की और यह स्पेसिफिक गाली बोली, वह गाली स्पेसिफिक हो और उसमे उनकी तौहीन होती हो, यह वर्ड भी, तौहीन या मानहानि हुई मेरी, कहीं भी इस रिपोर्ट के अन्दर नहीं। एक पढ़ा-लिखा तहसीलदार इस प्रकार से असत्य एफ. आई. आर. दर्ज करे, इनके खिलाफ तो 182 चलना चाहिए और इनके खिलाफ एफ. आर. देनी चाहिए। मेरा निवेदन यह है।

श्री शिवनाथ सिंह : एक मिनट, माननीय सभापति जी।

श्री सभापति : मेरे ख्याल से सभी बातें आ चुकी हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : दो मिनट में मेरी बात बोलूंगा।

श्री सभापति अच्छा : बोलिये। (व्यवधान) इनके बाद में आपको।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : सभापतिजी, काफी चर्चा हो चुकी और उस बात को मैं दोहराना नहीं चाहता। एफ. आई. आर. में कितना दम है, कितना दम नहीं। दम गृह मंत्री जी के जवाब में जरूर है, इन्होंने कहा सब कार्यवाही पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ चालान करना बाकी है। मेरे ख्याल से इस प्रकार के मामले में और विधान सभा में माननीय गृह मंत्रीजी ने यह कहा है कि सिर्फ चालान करना बाकी है। बहुत आपत्तिजनक इसको मैं मानता हूं। पुलिस तफतीश से चालान करने लायक केस बनता है कि नहीं बनता और जो विवेचना यहां एफ. आई. आर. के बारे में हुई है, जो भी कानून को जानने वाले हैं, मेरे ख्याल से इस बात के लिए राजी नहीं होंगे कि केस चालान के लायक है कि नहीं, इस बात को मैं अलग छोड़ता हूं। यदि चालान होता है तो मुलजिम की हैसियत से कोर्ट में जायेगा, अपना केस डिफेन्ड करेगा।

मैं इस बात को यहां दो भागों में विभक्त करता हूं। एक पक्ष है—माननीय सदस्य को गिरफ्तार किया गया, इनके खिलाफ चालान पेश किया गया। दूसरा पक्ष है—तहसीलदार का। क्या इतना समय गुजरने के बाद भी सरकार ने उस तहसीलदार के कंडक्ट के बारे में. उस बारे में क्या कुछ हुआ, जो उसने किया उस बारे में कोई जांच करवायी है? जैसा सामने आया है, कलक्टर के सामने मामला पेश हुआ। कलक्टर साहब ने कहा इसकी जांच करवायेंगे। हमारे चीफ सेक्रेटरी के सामने

(श्री शिवनाथ सिंह)

मामला पेश हुआ और वहां यह कहा गया कि हम इसकी जांच करवायेंगे। तो क्या इतना बड़ा काण्ड हो गया, जिसकी इतनी चर्चा हुई और वह तहसीलदार, उस पक्ष के बारे में सरकार की तरफ से मौन क्यों साधा जा रहा है, आज तक उसकी जांच हो जानी चाहिए थी और जिस तहसीलदार का पहले का कंडक्ट इस प्रकार का रहा है, जहां-जहां भी वह रहा है वहां-वहां उसके खिलाफ शिकायतें हुई हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उस बारे में अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की, क्या उसकी जांच हुई या नहीं हुई और क्या हम यह मानकर चलें, विधायक होने के नाते मैं यह मानता हूं कि किसी को चांटा मारने, झापट मारने का अधिकार हमको नहीं मिलता, यह बात सही है लेकिन सरकारी अधिकारी जिसके साथ ऐसा हादसा हुआ, उसका कंडक्ट क्या है ? हम सोचें, क्या वह देवता है और वह अपने हिसाब से बैठा हुआ है और हम जबरदस्ती जाकर उसको चांटा मारते हैं। माननीय सभापति जी, यह ह्यूमन कडक्ट के बिलकुल खिलाफ है। इसलिए मैं गृह मंत्रीजी से जानना चाहूंगा या दूसरे, जो सम्बन्धित मंत्री है, चाहे राजस्व मंत्री हों, अब तक इस मामले में क्या हुआ और उस तहसीलदार के खिलाफ क्या कोई केस बनाया है, इंक्वायरी हुई, कोई रिपोर्ट उसके खिलाफ आयी है ? उसको भी सदन के सामने लाया जाये।

श्री सभापति : धन्यवाद। आप बोलिये।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करूं क्योंकि यह मामला बड़ा गम्भीर है. उसमें कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखें तो निवेदन यह करना है कि सवाल रामगोपाल जी का नहीं, सवाल कांग्रेस के विधायक का नहीं, सवाल पूरे सदन का है। सभी माननीय सदस्यों के स्वाभिमान और माननीय सदस्यों के स्वाभिमान के पीछे लाखों पब्लिक का स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। एक विधायक अगर अपना स्वाभिमान नहीं बचा सकता है तो उस क्षेत्र की जनता का स्वाभिमान कतई नहीं बचा सकता। इसलिए यह बहुत जरूरी हो गया है कि माननीय सदस्यों के स्वाभिमान को ही नहीं बचाना, उस क्षेत्र की जनता, पूरे राजस्थान की जनता में विश्वास बनाये रखने के लिए यह राम गोपाल जी को नहीं, इस सदन की गरिमा को बचाने के लिए इस अधिकारी को दंडित कराना अति आवश्यक है। (व्यवधान)

माननीय, मेरी बात सुनें। मैं उदाहरण पेश करना चाहता हूं क्योंकि मैं स्वयं भुगत-भोगी हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय को भी मैंने बताया कि पहले मेरा आई. ए. एस. के साथ थोड़ा विवाद हो गया था तो उन्होंने इस बेस पर मुझे अपमानित किया कि मैंने माननीय जनजाति विकास मंत्री जी के कार्यालय में, सैक्रेटेरिएट में एक मीटिंग थी, जिसमें मैंने कुछ तथ्य उनके सामने रख दिये थे उनकी उपस्थिति में, तो उनको बुरा यह लगा कि मंत्रीजी के सामने इतने आई.ए.एस.

(श्री रघुवीर सिंह)

के सामने इस छोटे से, + + + से एम. एल. ए. ने मेरी बेइज्जती कर दी तो मेरे क्षेत्र में उनका प्रोजेक्ट चल रहा था, मत्स्य पालन का प्रोजेक्ट, हमारे सम्बन्धित अधिकारी जो एम. डी. लगे हुए हैं जनजाति विकास विभाग में, जिनको हमारे समाज के नाम से बू आती है और समीर सिंह चन्देल जिनका नाम है, उन्होंने मुझे इतना अपमानित किया कि मैं उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सका था। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को पूरी शिकायत भेजी, गृह मंत्रीजी को भी शिकायत भेजी। कार्यवाही तो छोड़ो, (व्यवधान) ... कम से कम मेरे पास ऐसा पत्र आता कि सराड़ा विधायक-आपका पत्र प्राप्त हो गया है, कार्यवाही चल रही है तो मेरे मन में तसल्ली होती कि कम से कम हमारे मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी ने एक जनजाति का एम. एल. ए. है, उसको मदद ही नहीं की बल्कि पूरी पब्लिक को मदद की है या उसके स्वाभिमान को बचाने की कोशिश की है तो मुझे थोड़ी-सी शंका इस बात की है कि रामगोपाल बैरवा एस. सी. का आदमी है इसलिए इसे न्याय मिले कि नहीं मिले, यह मुझे थोड़ा डाउट है। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं, चूंकि मैंने जो पत्र लिखा, माननीय मुख्य मंत्री महोदय को रजिस्ट्री भेजी थी, प्राप्त हो गयी, उसकी रसीद तो आ गयी मेरे पास, गृह मंत्रीजी को भेजी, वह मेरे पास आ गयी। लेकिन उस कार्यवाही का क्या हुआ, यह आज तक मुझे पता नहीं चला है।

मान्यवर, हालांकि मैं इस सब्जेक्ट में मेरा सब्जेक्ट जोड़ना नहीं चाहता था परन्तु मुझे थोड़ा-सा डाउट इस बात का है कि रामगोपाल जी बैरवा वाले मामले में उन्हें न्याय मिले, नहीं मिले, यह मुझे शंका है...

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री रघुवीर सिंह : और सदन की गरिमा को बचाने के लिए, (व्यवधान) .... खत्म करने के लिए इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये।

श्री सभापति : कह चुके बात, विराजिये आप। माननीय कमला जी।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय सभापति महोदय, जिस तरह का विवरण सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है और जिस तरह से माननीय सदस्यों के साथ में अनेक समय पर अनेक घटनाएं घटी हैं और जिस तरह से सरकारी अमले की तरफ से माननीय विधायकों को अपने कर्तव्य पालन में डिमोरलाइज करने का एक लगातार प्रयत्न किया जाता रहा है और सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, सम्बन्धित मंत्री साहबान की तरफ इस इतने गम्भीर और जिम्मेदारीपूर्ण मुद्दे पर कोई विचार न करके उसको रूटिन में ही, जैसी स्थिति है वैसी ही चलने देने का जो एक सिलसिला बना हुआ है यह बहुत ही विचारणीय और बहुत ही शोचनीय स्थिति है। इसलिए सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहती हूं कि इस तरह की अशोभनीय

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती कमला)

घटनाओं और इस तरह से प्रजातन्त्र के प्रतिनिधियों के साथ होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए, उनके ऊपर पाबन्दी लगाने के लिए, और किस तरह से इस तरह की घटनाओं को डील किया जाये, जिससे कि उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा, ऐसी स्थितियां क्यों पैदा हुई ? उन्होंने किया तो उसके सम्बन्ध में किस तरह की व्यवस्था की जाये, इस बारे में सदन के सभी माननीय पक्षों को सुनकर, चर्चा करके इस तरह की एक व्यवस्था अविलम्ब कायम की जानी चाहिए।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि इस मामले में जो व्यक्ति कितनी जगहों से, कितनी तरह से, कितने पैमाने पर बदनाम हुआ है, एफिडेविट लोगों के दिये हुए हैं, डेपुटेशन गये हुए हैं, सरकार के अन्दर रिकार्ड पड़े हुए हैं और उसके बावजूद उस व्यक्ति के नाम पर, गलत रिपोर्ट के नाम पर एक विधायक को किस बेहूदगी से, बेपनाह बेइज्जती करके गिरफ्तार किया गया है, यह एक बहुत ही शर्मिन्दगी की बात है और असह्य बात है जिस पर तुरन्त, माननीय मुख्य मंत्री महोदय और माननीय गृह मन्त्री महोदय जब कहें तो इसके बारे में सोच-विचार करके इस सारे को निरस्त करके, सारे प्रकरण को समाप्त करके उस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करके उसको दण्डित किये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

साथ में, मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि एक ओर तो अनुसूचित जाति और जन जाति पर एट्रोसिटीज को रोकने के लिए कायदा बना हुआ है, कानून बना हुआ है और कोई भी जवानी भी, इस तरह की घटना बिना हुए भी जाकर दर्ज कराते हैं तो सरकार की तरफ से सख्त से सख्त कार्यवाही करनी अपेक्षित है और यहां यह घटना खुद एक एम. एल. ए. के साथ हुई है। उसने कलक्टर को जाकर रिपोर्ट की है, उसने एफिडेविट्स दिये हैं और तमाम अखबारों में घटनाएं आयी हैं। सिर्फ इतनी गलती रही हमारे उस माननीय विधायक की कि उसको उन एट्रोसिटीज एक्ट के तहत जाकर इसके खिलाफ मामला दर्ज कराना चाहिए था और साथ में एम. एल. ए. की बेइज्जती की है, वह भी दर्ज कराना चाहिए था और उन सबके तहत उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए थी। मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि वास्तव में जो घटना घटी है, जिसका रिकार्ड है, जिसके लिए विधायक ने खुद कलक्टर को जाकर रिपोर्ट की है, क्या वह एट्रोसिटीज एक्ट के तहत उसके पुलिस में दर्ज कराये बिना, आप उसको उसके तहत में लेकर के उस सम्बन्ध में कार्यवाही करने की आप सोच सकते हैं और आपको करनी चाहिए क्योंकि यह ओपन फैक्ट है। यह रिकार्डेड फैक्ट है। उस तरफ भी हमको ध्यान देकर इसमें कार्यवाही करने की जरूरत है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इस तरह की घटनाएं और इस तरह के हादसे आइंदा सदन के माननीय सदस्यों के साथ घटे और हम लोग सिर्फ बहस करके रह जायं और हम इसके ऊपर कार्यवाही करेंगे और देखेंगे

(श्रीमती कमला)

कि कानूनी पहलू क्या बनते हैं। यह हमारे सदन के लिए बहुत ही शोचनीय विषय है। इसके ऊपर तत्काल आपको उसी हिसाब से कार्यवाही करनी चाहिए और उसी तरह का आपको जवाब भी देना चाहिए। ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय सभापति जी, गृह मंत्रीजी ने एक वक्तव्य सदन में आज प्रस्तुत किया। माननीय गृह मंत्रीजी, 22 फरवरी को जो घटना घटी और एफ. आई. आर. दर्ज की गयी उससे पूर्व 16 फरवरी को पीपल्दा से आने वाले माननीय सदस्य और 15-20 और व्यक्ति, जिसमें तीन-चार को तो तहसीलदार स्वयं जानता था, उसने एफ. आई. आर. में उनका उल्लेख किया है, बाकी को वह नहीं जानता लेकिन करीब बीस के आस-पास व्यक्ति उनसे मिलने गये थे। माननीय सभापति जी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सोवरिनटी जनता में है और जनता में सोवरिनटी है इसलिए उनको मत का अधिकार दिया गया है। वह अपने मतों का प्रयोग करके जन प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और जन प्रतिनिधि इसी सदन के माननीय सदस्य हैं तो उनके सर्टेन प्रिविलेजेज हैं, सर्टेन राइट्स हैं। लेकिन इस सदन के बाहर वो राइट्स नहीं हैं। इसलिए गम्भीर प्रश्न यह है कि जन समस्याओं और जन हित में जो आज लोगों के सामने तकलीफें हैं, उन तकलीफों के निराकरण और समाधान के लिए क्या जन प्रतिनिधियों को ब्यूरोक्रेसी के सम्मुख अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए, लोगों को उन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, प्रश्न बहुत बड़ा है। ब्यूरोक्रेसी काफी स्वच्छन्द हो रही है और ब्यूरोक्रेसी का यह व्यवहार कि 16 तारीख को माननीय सदस्य ने यह बात रखी और उन्होंने यहां तक रखी कि आप तो यह बात कह रहे हैं कि आप जो केस बना रहे हैं इसमें रामदयाल का मैं एप्लीकेशन देना चाहता हूं। इसमें आपने उससे पैसे भी लिये हैं और अब और पैसे मांग रहे हैं। और उन्होंने उसको अपमानित किया, उसके सम्मान को ठेस पहुंचायी। एक मैम्बर आफ लेजिस्लेचर, जो जन प्रतिनिधि भी है उसकी प्रतिष्ठा के ऊपर अतिक्रमण किया और करने के बाद चुपचाप वह वहां से निकल गये और उन्होंने कहा कि तहसीलदार नहीं सुन रहा है, अनसुनी कर रहा है तो जिला कलक्टर के पास जाना चाहिए। माननीय सदस्य जिला कलक्टर के पास गये।

सभापति महोदय, लिखकर के दिया कि मुझे इस तरह से अपमानित किया है, मुझे निकाल दिया वहां से और मैं जन समस्याओं के निराकरण के लिए उनके पास गया था। वह शांति से उत्तर दे सकते थे, आपका पक्ष यह है और आपके पक्ष के सम्बन्ध में मैं यह निर्णय लूंगा या इस चीज को मैं देखूंगा, लेकिन उन्होंने गुस्से में आकर के उनको वहां से निकाल दिया। चीफ सैक्रेटरी से शिष्टमंडल मिला। उन्होंने जो कुछ भी इस घटना के सम्बन्ध में तहसीलदार ने उनके साथ दुर्व्यवहार

(श्री परसराम मदेरणा)

किया, चीफ सैक्रेटरी ब्यूरोक्रेसी का सबसे टाप है, ब्यूरोक्रेट है. उसके सम्मुख यह बात लाये और लाने के बाद भी जब वह कलक्टर से मिलने जाते हैं तो दूसरे दिन फिर कलक्टर ब्यूरोक्रेसी का पक्ष लेना प्रारम्भ कर देता है। इस तहसीलदार के क्या एण्टीसिडेन्ट्स रहे हैं, इसका क्या कंडक्ट रहा है, सिविल सर्वेन्ट का क्या कंडक्ट रहना चाहिए इस सम्बन्ध में कुछ नहीं करना चाहता।

गृह मंत्री जी, आप यह मालूम कर लीजिये। जहां-जहां भी यह तहसीलदार रहा है, कई जिलों में, दो-तीन जिलों में रहा है। जैसी कि मुझे जानकारी मिली है, इस तहसीलदार ने कभी भी अपने कर्तव्यों के निर्वहन की परवाह नहीं की। इसकी इंटीग्रिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। सभापति महोदय, इन्होंने एफ. आई. आर. का कुछ पोर्शन पढ़कर के भी सुनाया कि मैं कार्यालय के चेम्बर में बैठा हुआ था और जैसा कि अभी यहां पर हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने तथ्यों को सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया और उसमें शहादत बनाया बारां से आने वाले मंत्री महोदय को। यह तहसील की बिल्डिंग जिस तरह की है वह पुराने जागीरदारों की बहुत बड़े कोर्ट की तरह से है। बहुत बड़ा दरवाजा है, बुलन्द दरवाजा। उसके ताला लगा हुआ था। वह ताला किसने खोला? बातचीत करने के लिए एस.पी. वहां मौजूद थे जो सीनियर आफिसर हैं। डीवाई. एस. पी. लॉ एण्ड आर्डर को कायम रखने के लिए आपका वहां पर मौजूद था और हजारों आदमी इकट्ठे होकर डिमान्सट्रेशन कर रहे थे। जब उस एम.एल.ए. के सामने, और जन प्रतिनिधि दूसरे भी थे जिला परिषद् के मैम्बर वगैरह, जब उन्होंने देखा कि कहीं पर भी न्याय नहीं मिलने वाला है तो कम से कम हमें अपना असन्तोष तो प्रकट करना चाहिए और इस असन्तोष को प्रकट करने के लिए उन्होंने वहां पर डिमांसट्रेशन और प्रदर्शन किया और चक्का जाम भी किया। अब दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति ही जब इनको कहता है कि ज्यादा तो लोग नहीं जा सकेंगे लेकिन छह लोगों का एक शिष्टमंडल तहसीलदार से मिलने के लिए आप चलिये और जब अन्दर जाते हैं तो गृह मंत्रीजी, आप अभी 147 की अनलॉफुल असेम्बली बना रहे हैं। अनलॉफुल असेम्बली पांच से ज्यादा लोगों की मेंसरिया, विद एन इन्टेंशन टू कमिट सम क्राइम और वह इन्टेंशन उनकी पहले है। इन्टेंशनली ताला लगा हुआ था। ताला एस. डी. एम. खुलवाता है, एस. पी. ताला खुलवाकर उसके साथ जाता है और तहसीलदार के चेम्बर तक साथ जाता है तो अनलॉफुल असेम्बली कहां हुई और अनलॉफुल असेम्बली अगर नहीं थी तो इसका मतलब यह है तहसीलदार वहां दोनों के बीच में बातचीत करा करके इस मामले को समाप्त करना चाहता था लेकिन वहां पर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, क्या उन दोनों के बीच में बातचीत हुई, आपकी इंवेस्टीगेशन से फैक्ट्स सामने आये होंगे क्योंकि एस.डी.एम. और डीवाई. एस. पी. के बयान से यह स्पष्ट हो जायेगा कि यह डेलीगेशन कैसे अन्दर गया। लेकिन चेम्बर में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, तहसीलदार, वहां पर अपनी

(श्री परसराम मदेरणा)

ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहा था, उसके पास में कोई फाइल नहीं थी, वह किसी फाइल को डिस्पोज ग्राफ कर रहा था, कोई कागज थे उसके पास में, कुछ भी नहीं। चेम्बर में पीछे बैठा हुआ था इसलिए 332 और 353 के सम्बन्ध में जो अभी यहां पर विवेचन किया गया–किसी भी व्यक्ति, आप पब्लिक सर्वेण्ट को उसकी ड्यूटी के डिस्चार्ज करने में डिटर या प्रिवेंट करते हैं तो यह आफेंस बनता है और जब प्रिवेंट ही नहीं किया, उसको वंचित ही नहीं किया तो 332 और 353 कैसे बन गया? और तो और सभापति महोदय, यहां पर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाया गया। एफ. आई. आर. में लिख दिया कि एक झांपट मारा, एक के अलावा कुछ नहीं। झांपट मारते हुए आपने और तो कुछ नहीं देखा लेकिन आपकी माताजी ने और आपके पिताजी ने कोई गलती हुई होगी तो, गृह मंत्रीजी, आपके भी एक-आध झांपट पड़ गया होगा। वह बच्चों को मार ही देते हैं। अभी जोधपुर में भी एक किस्सा हुआ। पुलिस स्टेशन में एक बेटे ने शिकायत की मां-बाप के खिलाफ। एस. पी. जोधपुर वहां मौजूद थे। आते ही मां ने बच्चे के एक थप्पड़ मारा कि यह गलत शिकायत क्यों की। अगर झांपट मारा और चोट, अभी आप बात कर रहे थे मेडिकल मुआयने में बांये हाथ पर चोट आयी है.... (व्यवधान) बांये हाथ पर चोट, एक झांपट मारा तो यहां बांये हाथ पर चोट आ गयी हो ...(व्यवधान) आप यहां बीच में विवेचन क्यों कर रहे हो। यह खुद ही बता रहे थे कि बांये हाथ पर चोट आयी है। मैं तो इनके मेडिकल एग्जामिनेशन की बात कह रहा हूं। आप यहां मेडिकल आफिसर हैं क्या? मैं तो यह निवेदन कर रहा था बायें हाथ में तो, आप मुझे यहां पर गैलेरी में मिलते हैं, कई दफा अपन हैंड शेक करते हैं, कई दफा आपके मैं हाथ भी रख देता हूं। तो यह हाथ रखने वाली बात यहां पर झांपट कोई यहां मार रहा था, कोई मक्खी, मच्छर मार रहा था, क्या कर रहा था यहां पर? सभापति महोदय, इसके बाद में गम्भीर प्रश्न यह है मुख्य मंत्रीजी कि जन समस्याओं को लेकर 27 तारीख को अपने भाषण में आपने कहा था कि मैं आम आदमी को जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जिनको नागरिक जीवन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, मैं उनको कवच प्रदान करना चाहता हूं। अगर आप उनको कवच प्रदान करना चाहते हैं तो राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्यगण समस्याओं को लेकर ब्यूरोक्रेसी के सामने जायें या नहीं जायें या जाना चाहिए, इस सम्बन्ध में प्रक्रिया को निर्धारित किया जाना चाहिए। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी परमानेंट है और हम एक निश्चित अवधि के लिए, पांच साल के लिए यहां पर जन प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। सभापति महोदय, अगर ऐसी स्थिति हो गयी है, कहीं पर भी हम जन समस्याओं को लेकर जायें और परमानेंट ब्यूरोक्रेसी को पावर डेलीगेट की हुई है और विकास की खास तौर से। अगर एक मिनट को मान लिया जाये कि 91 केसेज में ट्रेसपास हुआ है, 91 केसेज के अन्दर जैसा कि मुख्य मंत्रीजी स्वयं जानते हैं, समय-समय पर गरीब लोगों को जो

(श्री परसराम मदेरणा)

भूमिहीन है, आज पापूलेशन के बढ़ते हुए एक्सप्लोजन का जमीन के ऊपर दवाब है और उसमें किसी आदमी ने ट्रेस पास कर लिया है, जो बिलकुल भूमिहीन हैं उनके रेगुलराइजेशन की एक दफा नहीं, राजस्व मंत्रीजी जानते हैं, राज्य सरकार ने कई दफा उसको रेगुलराइज किया है और जो लोग वहां पर गये हुए थे सब के सब शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोग थे, दूसरा कोई आदमी उनके साथ नहीं था और महिलाएं भी उसी जाति की थीं शायद....

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : उनको भी हक है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं जा सकती थीं। फिर आप ट्रेस पास के मामले में जाकर तहसीलदार से रिक्वेस्ट करें कि आप इनको सजा मत दीजिये और जन प्रतिनिधि थे नहीं। इसलिए प्रेसीडेंट रूल के अन्दर आपने जो जनता अदालतें बैठायी, एक केम्पेन रूल भी चलाया था, प्रेसीडेंट रूल में भी चला था। उसमें न तो कोई प्रधान इलेक्टेड था, न सरपंच इलेक्टेड था, न एम. एल. ए. था। वहां दो ब्यूरोक्रेट बैठते थे। एक तहसीलदार और एक वह। जन प्रतिनिधि बैठकर 91 केसेज के सम्बन्ध में विचार कर लेते और यह मामला जब चीफ सक्रेटरी के नोटिस में आ गया तो उसके बाद तो चीफ सेक्रेटरी को इसका कोई न कोई समाधान निकालना चाहिए था। उन्होंने नहीं निकाला। उसके बाद 18 से लेकर 21 तक यह सोचते रहे कि चीफ सेक्रेटरी के आने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला है। एम. एल. ए. की आबरू खराब की है, उसको अपमानित किया है और जनता ने यह देखा कि यह एम. एल. ए. की स्थिति है, यह दुर्दशा है तो हमको एक प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने का किसको अधिकार नहीं है ? जन समस्याओं को लेकर आज भी प्रदर्शन हुआ था और प्रदर्शन करने वाले तहसील के बाहर खड़े थे और इसलिए यह कहना कि 504 बनता है, 504 मैं समझता हूं अबाउट डिस्टर्बेंस आफ पीस के बारे में....(व्यवधान) गाली गलौच भी कर रहे थे,

(14.48)

(श्री शांतिलाल चपलोत, उपाध्यक्ष, पदासीन।)

जो तहसील के बाहर थे। बाहर बैठे हुए थे उनको इन्स्टीगेट कर रहे थे पीस डिस्टर्ब करने के लिए। वहां कहां इन्स्टीगेट कर रहे थे। तहसील का जो भवन है उससे गेट के बीच में दो सौ गज का फासला है, तीन सौ गज का फर्क है। ऐसी सूरत में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह देखता हूं कि जो यह केस बना है और चालान के कागज तैयार हो गये हैं, सिर्फ चालान पेश करना है। आज जो फैक्ट्स आपके सामने यहां पर आये हैं इन फैक्ट्स की आपकी जांच करवानी चाहिए। आपने अपने वक्तव्य में एक बात और भी कही कि हमने विधान सभा के सचिवालय को उनको अरेस्ट करते ही, उनको गिरफ्तार करते ही वहां पर सूचना भेज दी। इसके सम्बन्ध में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 164 और 165 की ओर गृह मंत्रीजी का

(श्री परसराम मदेरणा)

ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने यहां टेलीग्राम भेजा है कि हमने पीपल्दा के एम. एल. ए. रामगोपाल को अरेस्ट कर लिया है। यह कोई प्रोफार्मा नहीं है। आप यह इन्टीमेट नहीं कर सकते यहां। यह कोई सब इंस्पेक्टर या डीवाई. एस. पी. का आफिस नहीं है, यह राजस्थान की विधान सभा है और इसमें जो प्रोसीजर प्रेस्क्राइब किया गया है वह 164 के अन्दर प्रेस्क्राइब ही नहीं है लेकिन शिड्यूल सी के अन्दर, तृतीय अनुसूची के अन्दर एक प्रोफार्मा दिया गया है। उस प्रोफार्मा के अन्तर्गत ही आपको विधान सभा को सूचित करना चाहिए था और इसलिए आपने यह नहीं किया है। नहीं करके एक तरफ तो 332 और 353, अनलॉफुल असेम्बली, डिस्टर्बेंस आफ पीस, इसके इन्ग्रेडिएण्ट्स क्या हैं और अलग-अलग इनके टेलेंट्स क्या हैं वह तो आप समझ गये लेकिन यह विधान सभा के जो रूल्स आफ प्रोसिजर एण्ड कंडक्ट आफ बिजनेस है, यह भी भारत के संविधान की धारा 208 के अन्तर्गत बने हुए हैं और इसलिए आपको इनको कम्पलाई विद करना चाहिए था जैसा कि रूल में प्रावधान है। आपने इनको कम्पलाई विद नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी यहां पर बैठे हुए हैं, बड़ा गम्भीर प्रश्न है। मैं यह नहीं कहता कि कोई भी आदमी जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का है उसके प्रिविलेज अलग हैं, लेकिन मैं एक निवेदन जरूर करूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो एम. एल. एज. हैं क्योंकि शिक्षा का स्तर राजस्थान के अन्दर, देश भर में हमारा जो रेंकिंग है एजूकेशन डवलपमेण्ट में, हम सबसे पीछे हैं। हमारे यहां के अब तो एम. एल. ए. ऐसे आने लग गये, जो कम से कम हस्ताक्षर या दो, चार, पांच किताब पढ़े हुए हैं लेकिन मुख्य मंत्रीजी जानते हैं कि आपकी कान्स्टीट्यूएंसी का पहला जो रिप्रजेन्टेटिव था देवा राम गरासिया, वह बिलकुल ही अंगूठा छाप था। मैंने उसको दस्तखत करना सिखाया। वह मेरे पास आया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): और भी कई आएँ हैं।

श्री परसराम मदेरणा: आए हैं, अनपढ़ लोग आए हैं। इसलिए आपने जब आरक्षण किया, तो आरक्षण के वक्त यह प्रावधान करना पड़ा और आपने हमसे भी विचार-विमर्श किया था क्योंकि आरक्षण महिलाओं का 33 प्रतिशत से ऊपर है, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का आरक्षण है। पिछड़ी जातियों का आरक्षण है, वहां पढ़े लिखे लोग मिलेंगे ही नहीं, पढ़े लिखे जो हिन्दी को रीड और राइट कर सकते हैं। इसलिए इस प्रावधान को इन अन्डे विद करना चाहिए, और आपने किया और आज अनपढ़ बहुत से सरपंच या अंगूठा छाप वहां पर जीत कर सरपंच और पंचायत समिति और जिला परिषद् के वार्ड से सदस्य चुने गये हैं। इसलिए लोग एम. एल. ए. से यह उम्मीद करते हैं और खास तौर से शिड्यूल्ड कास्ट के एम. एल. ए., शिड्यूल्ड ट्राइब्स के एम. एल. ए. यह समझते हैं कि हमारी बात कोई सुनते ही नहीं हैं और जब प्रतिनिधि भी उनसे कहते

(श्री परसराम मदेरणा)

हैं कि आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। एक उसकी मानसिक स्थिति को आप देखिये। आप एक होम मिनिस्टर की हैसियत से वहां जा रहे हैं और किसी अधिकारी को, जो आपके महकमे का नहीं है, आप बुलाते हैं लेकिन जिस वक्त उस अधिकारी को आप बुलाते हैं, आपके सामने डी. आई. जी. राइट की तरफ खड़ा रहता है और एस. पी. लेफ्ट की तरफ खड़ा रहता है और जब स्टार के आफिसर्स खड़े रहते हैं और आप किसी भी आफिसर्स से बात करते हैं तो राजस्थान के गृह मंत्री की हैसियत से बात करते हैं। ब्यूरोक्रेसी का सिर सूजा हुआ है। ब्यूरोक्रेसी के बारे में पहले भी मैंने कुछ बातें कही। मैंने कुल मिलाकर नौकरशाही की पूरी बात कही थी। यह कहा गया कि आप आफिसर्स के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैंने कहा, मैं आफिसर्स की बात नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे तंत्र की बात कह रहा हूं और ऐसी सूरत में खास तौर से जो हमारे शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के एम. एल. एज. हैं अगर इनका सम्मान ब्यूरोक्रेसी ने नहीं किया, इनकी बात पर गौर नहीं किया, और यह जन समस्याओं को ले जाते है वे गौर नहीं करते, यह वास्तविक बात है। जो आदमी साधन सम्पन्न है या दूसरी तरह से तहसीलदार को खुश कर सकते हैं वह तो उनके पास जाएगा ही नहीं। इनके पास तो सबसे गरीब आदमी, समाज के वे लोग जाएगे और उनको राहत दिलाने के लिए, उनकी समस्याओं का, जन समस्याओं का समाधान करने के लिए जन हित में अगर एम. एल. ए, किसी अधिकारी के पास जाता है. एक जगह नहीं गया, वह तहसीलदार के पास गया, कलक्टर के पास गया, चीफ सेक्रेटरी के पास गया, फिर डिमान्स्ट्रेशन कर रहे थे तो इसमें मेलाफाइड और इनके मेंसरिया कहां था दिमाग के अन्दर कि वह जाकर के वहां पर कोई आफेंस कमिट करे। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि आप जो चालान पेश करने वाले हैं, इस फाइल को आप स्वयं मंगवा कर जो तथ्य आपके सामने आए हैं उनके लाइट में देखेंगे। दूसरा, जिस तरह से आपने इस विधान सभा सचिवालय को जो इन्टीमेशन दी है उसमें आपने स्वयं कानून का उल्लंघन किया है, रूल्स का उल्लंघन किया है और आपने रूल्स का उल्लंघन किया है तो जो ला ब्रेकर्स है वह ला मेन्टेन कैसे करेंगे ? इसलिए प्रिविलेज मोशन की बात अब देखूंगा, जब मैं टेलीग्राम नहीं देख लूं। अगर प्रिविलेज बनता है और हम सैटिसफाई हों तो निश्चित तौर से वह प्रिविलेज हम यहां पर लायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरा मुख्य मंत्रीजी से नम्र निवेदन है कि पूरे इस प्रकरण को आज समाज के गरीब लोगों के लार्जर पर्सपेक्टिव में देखने की आप कृपा करें। यह किसी एक पार्टी के एम. एल. ए., को बचाने का प्रश्न नहीं है, मैं उनके सम्बन्ध में भी कुछ नहीं कहता। अभी लाडपुरा से आने वाले और बारां से आने वाले माननीय सदस्यों ने उनके सम्बन्ध में बहुत-सी बातें कही और उनके उपर इसी तरह, मैं समझता हूं, जहां तक मुझे मालूम है कि 332 और 353 के केसेज थे। झांपट मारने के थे कि नहीं थे, यह आप ज्यादा जानते हैं। आप मालूम कर लीजिये।

(श्री परसराम मदेरणा)

पर उन केसेज में एफ. आर. लगा दी गयी तो इस केस के अन्दर यह डिस्क्रिमिनेशन करना क्या संवेदनशील सरकार के लिए उचित रहेगा ? इन सब तथ्यों का अन्वेषण एव इनीशियो करके एक प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिए और राज्य सरकार को गाइड लाइन इश्यू करनी चाहिए सभी ब्यूरोक्रेटस को, कि आगे आने वाले समय में विधान सभा के सदस्य अगर जन हित के मामले हों और समस्याओं को लेकर के उनके सम्मुख जायेंगे समाधान के लिए तो उनका व्यवहार कैसा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, रामगोपालजी बैठे हैं वह भी बोल लें।

श्री शिवनाथ सिह (गुढ़ा) : जरूरत नहीं है। सब बोल लिए।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं नहीं बोलूगा। आप बोलने दें उनको आप जो बोल रहे हैं उसकी पुष्टि हो जायेगी।

श्री खेतसिह राठौड़ (शेरगढ़) : इतने वाले होते तो फिर यह ऐसा काण्ड ही क्यों होता। यह तो+ + +है। आप देखते नहीं, इनकी बाडी से ही मालूम होता है कि यह क्या तो झांपट मारेंगे और क्या करेंगे। यह सब बनाया हुआ केस है। कृपया अब आप ही बोल कर बता दीजिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, वह ठीक है। बाडी से तो मैं देखता हूं, आपसे अच्छे हैं।

श्री खेतसिह राठौड़ : नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कैसे नहीं है।

डा. हरिसिह (फुलेरा) : रामगोपालजी के हाथ और उनकी बाडी भी देखें। जो गाल बताया गया है वह ऐसे हाथ से तो आ ही नहीं सकता।... (व्यवधान) जो सूजन बतायी है गाल पर, एक थप्पड़ मारने से मेरे ध्यान से यह आदमी किसी भी, आप यह मरवा कर देख लो आ जाये तो....

श्री भैरोंसिह शेखावत : थप्पड़ मारने की आप कह रहे हैं कि हिम्मत नहीं है तो बोलने की तो हिम्मत होनी चाहिए। ऐसी क्या बात है।

श्री शिवनाथ सिह : उनके बोलने की जरूरत नहीं है। उसके हिसाब से आप जवाब दीजिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप तो बैठ जाइये। आप तो डाक्टर हैं।

श्री परसराम मदेरणा : शायद मेडिकल रिपोर्ट में यह बात आयी है कि उनके गाल पर सूजन आयी हुई थी। यह बात उसमें नहीं है एफ. आई. आर. के अन्दर सब इन्पेक्टर ने खुद ने मेन्शन किया था एफ. आई. आर. रजिस्टर करते वक्त उनके सूजन आ गयी।

+ + +शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह कोई देवीसिंहजी भाटी का थप्पड़ थोड़े ही था, यह तो रामगोपालजी का थप्पड़ था।

श्री परसराम मदेरणा : क्या ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने कहा, यह कोई देवीसिंहजी भाटी का थप्पड़ थोड़े ही था, यह रामगोपाल का थप्पड़ था।

श्री परसराम मदेरणा : था कि नहीं था, यह एक प्रश्न विवादास्पद है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो बात कह रहे हैं यह बात तथ्यात्मक रूप से और मेडिकल जुरिस्प्रूडेन्स के हिसाब से कभी भी सूजन नहीं आ सकती थी और यूं तो अगर कोई झापट मारे तो आ सकती है....(व्यवधान) लेकिन उसके सूजन आ गयी कि इनके ऊपर पत्थर लगा था। पत्थर से आ जाती है। कोई भी ऐसी हैवी चीज की स्ट्राइक हो तो उससे आ सकती है लेकिन हाथ जो हाड़ और मांस का बना हुआ है, इसकी कोई भी थप्पड़, मैं नहीं समझता, इसमें अंगुलियां भी ऐसी हैं जिसकी सबसे कमजोर हड्डी है, यहां पर सबसे कमजोर हड्डी है। इसलिए सूजन आना, यह असंभव प्रतीत होता है। प्रिवल्सीवड, जैसे उन्होंने माइंड बना लिया था कि इसको सूजन बताओ, फिर सूजन कितने दिन के बाद उतर गयी। उसने सेक किया, क्या किया जाकर के। मैं यह कह रहा था यह सब कान्कावटेड और फेब्रीकेटेड मामला है और आपको उसको इसी तरह से री-इन्वेस्टीगेशन करना चाहिए।....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुनो। उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जिस घटना का जिक्र किया गया है उस पर,

(15.00)

सदन के माननीय सदस्यों ने अपना रोष प्रकट किया है, यह स्वाभाविक है, इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं हो सकती। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया था कि इस सम्बन्ध में तहसीलदार के विरुद्ध जो कार्यवाही होनी चाहिए थी वह कार्यवाही नहीं हुई, उसके कारण से रोष पैदा हुआ। उस रोष के कारण से यह सारा घटनाक्रम बना। विधायकों की जहां तक प्रतिष्ठा का प्रश्न है, मैं इतना कह सकता हूं कि कोई भी सरकार हो, विधायकों की प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए या विधायकों की प्रतिष्ठा के विपरीत कोई कार्यवाही हो, उसको रोकने का सदा प्रयत्न करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, जब इस प्रसंग पर चर्चा आयी और चर्चा का नोटिस मिला तो मैंने बहुत वर्षों पुराने मामले से लेकर अब तक की पूरी जानकारी की, किस-किस विधायक के खिलाफ केस बना, किस-किस विधायक के खिलाफ मारपीट हुई, किस-किस विधायक का चालान हुआ और मामला कब विदड्रा किया। इस दृष्टि से जब आप विचार करें तो मैं समझता हूं कि आपके शासन काल में भी ऐसी घटनाएं बहुत हुई हैं। अब हुई हैं तो एक विधायक यहां बैठे हैं बाकी के तो लोग हैं नहीं, महादेव सिंहजी का उल्लेख करना चाहता हूं, यह सदन इस बात का साक्षी है कि माननीय विधायक को गिरफ्तार किया गया, थाने में उनके साथ मारपीट की गयी, मामला विधान सभा में उठा और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मुझे जानकारी नहीं है कि बाद में इनका चालान हुआ या नहीं हुआ।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : चालान ही गया था लेकिन आपने विदड्रा किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कांग्रेस के विधायक थे, चालान हुआ और जब मैं मुख्य मंत्री बना तो मैंने चालान वापस लिया। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि....

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : घनश्याम जी के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ था और फिर हरिदेवजी जोशी ने मुकदमा विदड्रा किया था।

एक माननीय सदस्य : घनश्यामजी के खिलाफ चालान हुआ था, केस विदड्रा किया था, हरिदेवजी जोशी साहब जब मुख्य मंत्री थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके खिलाफ भी केसेज बने उनको भी विदड्रा करूंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह तो एश्योरेंश है हाउस में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैंने एश्योरेंश दिया होगा, आपके खिलाफ बने हुए हैं क्या ?

श्री राजेन्द्र पारीक : जाली बने हुए हैं वे तो, लेकिन जब आपने एश्योरेंश दे दिया हाउस में, मैं तो बरी हो गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मुझे बता दें कि बने हुए हैं क्या ?

एक माननीय सदस्य : आपके निर्देश से ही चल रहा है सारा मामला।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इसको इस रूप में नहीं लिया जाय कि हम आज सत्ता में बैठे हैं तो विधायकों का अपमान करने के लिए बैठे हैं या विधायकों की समस्याओं को सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, सुनने का विरोध करने के लिए बैठे हुए हैं। यह सही है कि शिकायत करने की प्रक्रिया, शिकायत की सुनवाई किस प्रकार से की जाय इसकी प्रक्रिया, यह अलग-अलग निर्धारित है, कानून में नहीं होगी लेकिन परम्पराओं के आधार पर मैं समझता हूं कि सदन के अधिकांश माननीय सदस्य एक न एक बार किसी न किसी मामले में जेल गये होंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं गये साहब, जब इंदिराजी ने गिरफ्तार किया....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो अपने जेल में जाने और जैसे एक माननीय सदस्य ने कहा कि जेल में जाने से बहुत अच्छे-अच्छे पद मिलते हैं, यह भी प्रलोभन बहुत बड़ा है।

डा. हरिसिंह : सबको यह सौभाग्य नहीं मिला।...(व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं जो नहीं गये हैं वे पीछे रह गये हैं।

डा. हरिसिंह : ऐसा करिये, उनका प्रबन्ध अब जाकर कर दीजिये। अगर आप खैरख्वाह हैं जो नहीं गये तो उनके लिए जाने का अब प्रबन्ध कर दीजिये। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसा प्रबन्ध मेरे को करने की आवश्यकता नहीं लेकिन फिर आप चाहते हैं कि हमें तो पद लेना है, तो आप नाम लिखवा दीजिये, मैं विचार करूंगा कि कौन से आफिस में, किस समय बात होती है। खैर, यह बात तो छोड़िये, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जहां तक प्रश्न आता है, मामला यह था कि कुछ लोगों के खिलाफ धारा 91 में कार्यवाही की गयी जुर्माने की, माननीय सदस्य चाहते थे कि उनके खिलाफ धारा 91 में कार्यवाही न हो। धारा 91 की कार्यवाही जुडिशियल नेचर की प्रोसिडिंग्स है चाहे तहसीलदार उसको कडंक्ट करे, चाहे एस. डी. ओ. उसे कडंक्ट करे, चाहे रेवेन्यू बोर्ड, कडंक्ट एक्ट में यह जुडिशियल प्रोसिजर, इस पर भी मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों में से किसी को आपत्ति नहीं होगी कि यह जुडिशियल प्रोसिडिंग्स नहीं है, जुडिशियल प्रोसिडिंग्स में उसने जुर्माना कर किया, वारंट इश्यू कर दिया तो एक जुडिशियल आफिसर है उसने कर दिया, अब उस जुडिशियल आफिसर के पास जाकर कोई कहे, आप सैशन कोर्ट में सैशन जज को जाकर कहें कि आपने इस मर्डर केस में इस आदमी को सजा दे दी, आपको नहीं देनी चाहिए या किसी एस. डी. ओ. को जाकर यह कहें कि आपने जुडिशियल प्रोसिजर में अमुक प्रकार का ऐसा निर्णय कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए। अब माननीय सदस्य खुद जानते हैं और जो कुछ मैंने अभी सुना है अपने आप ही प्रकट होता है कि इस मामले को लेकर धारा 91 के अंतर्गत कार्यवाही की, उस कार्यवाही को निरस्त करने की मांग को लेकर गये कि यह आपने क्यों कर दिया, यह कहने के लिए गये।....(व्यवधान).... मेरी बात सुन लीजिये, फिर आप जो बात पूछेंगे उसका जवाब दूंगा, अब इस सदन का कोई माननीय सदस्य यह नहीं चाहेगा कि जुडिशियल कार्यवाही में कोई निर्णय हो गया या जुडिशियल कार्यवाही, जुडिशियल प्रोसिडिंग्स अभी तक चालू है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करें, अगर यह प्रवृत्ति बढ़ गयी तो मैं समझता हूं कि प्रोसिडिंग्स नाम की चीज नहीं रहेगी और सब जुडिशियल प्रोसिडिंग्स के ऊपर भी, सब जुडिशियल आफिसर्स के ऊपर भी इस तरह का दबाव डालने की चेष्टा कर सकते हैं कि इस मामले में अमुक फैसला होना चाहिए। अब दूसरी बात आयी कि माननीय सदस्य ने शिकायत की थी कि उसके ऊपर जांच क्यों हुई। ऐसे मामले की आप जांच चाहते थे। माननीय सदस्य ने कलक्टर को जो लिख कर दिया वह मैं सदन की जानकारी के लिए पढ़ कर सुना देता हूं। लिखा है कि तहसीलदार मांगरोल, एम. डी. मठाई द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय पर निवेदन है कि दिनांक 16-2-95 को मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों पर किये जा रहे तहसीलदार मांगरोल द्वारा नाजायज परेशान करने के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सम्बन्ध में मैं मिलने गया जिसमें मुख्यतः हरिओम मीणा, निवासी रामपुरा, राम गोपाल बैरवा निवासी मालब मोरी को अवैध रूप से अतिक्रमी बनाकर नाजायज कारावास एवं जुर्माने से दण्डित करने के बारे में जब जानकारी चाही तो तहसीलदार मांगरोल द्वारा मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, जुडिशियल प्रोसिडिंग्स के सम्बन्ध में इन्होंने जानकारी चाही। उस समय कहते हैं कि तहसीलदार ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। मैंने उनसे निवेदन किया कि उन लोगों के खिलाफ श्रीमान् द्वारा जो कार्यवाही की गयी है पूर्ण रूप से अवैध है, कृपया आप इसकी जांच करवाकर न्याय दिलवाने का कष्ट करें। तहसीलदार ने जो कुछ भी फैसला किया उसको यह अवैध कह रहे हैं। कमला जी ज्यादा जानती होंगी, रेवेन्यू मिनिस्टर रही हुई हैं कि तहसीलदार अपने फैसले को दोबारा नहीं देख सकता कि अवैध है या वैध है, उसकी अपील होती है उस कोर्ट में, एस. डी. एम. के यहां या कलक्टर के यहां, कहीं भी.... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : सवाल यह है कि.... (व्यवधान) ...बर्ताव की बात है, उसने जो हरकत की उसकी बात है। (व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं केवल अभी आपसे कानूनी जानकारी कर रहा हूं क्योंकि मैं कोई वकील तो हूं नहीं, मैं तो आपसे यह जानकारी कर रहा हूं कि फैसला अवैध कर दिया या वैध कर दिया, अगर हाईकोर्ट ने किसी को सजा दे दी तो वैध दे दी या अवैध दे दी हाई कोर्ट के जज को अपन नहीं कह सकते। ज्युशियल प्रोसिडिंग्स में जो भी आफिसर प्रिसाइड करता है उसकी कार्यवाही को अवैध मानते हुए भी उसको जाकर यह कहें कि आपने कायवाही अवैध कर दी इसलिए इस कार्यवाही को निरस्त करो, यह उचित नहीं हो सकता। अगर वह अवैध कर दी तो उसके ऊपर जो भी हायर कोर्ट है उस कोर्ट के अन्दर अपील या रिवीजन, जो भी कहा जाता है वह अपील या रिवीजन हो सकता है। आगे लिख रहे हैं.... (व्यवधान)....

श्री रामनारायण चौधरी : खुद के पास भी रिव्यू हो सकता है। (व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अब, वह पूर्ण रूप से अवैध है, कृपया आप इसकी पुनः जांच करवा कर न्याय दिलाने का कष्ट करें। इस पर श्रीमान् तहसीलदार साहब द्वारा मुझसे कहा कि मेरे तहसील क्षेत्र में 3 विधायक पड़ते हैं, कोई भी विधायक मुझसे इस सम्बन्ध में नहीं पूछ सकता, कहा कि आप पूछने वाले कौन होते हो? जब मैंने कहा कि मैं इस क्षेत्र का जन प्रतिनिधि हूं और यदि आप नाजायज लोगों को इस प्रकार परेशान करेंगे तो हम आपसे जानकारी तो ले ही सकते हैं। इनका ही लिखा हुआ है, मेरा लिखा हुआ नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि आप मेरे यहां से निकल जाइये और उच्च अधिकारी से बात करें या मेरा ट्रांसफर करवा दीजिये। मैं मेरा बिस्तर बांधकर रखता हूं और मैं किसी भी जन प्रतिनिधि की कोई कार्य में दखलन्दाजी पसन्द नहीं करता। मैंने पुनः निवेदन किया कि यह

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

यह तो कोई बात नहीं हुई। तो तहसीलदार महोदय ने टेलीफोन उठा कर कहा कि आप जाते हैं या नहीं जाते हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं। इस पर मैंने वहां से आ जाना ही उचित समझा। मेरे साथ श्री रामचरण मीणा, सदस्य, जिला परिषद् वार्ड नं. 1, श्री राधाकिशन नागर, पूर्व उप प्रधान, अंता निवासी बमोरी कलां तथा श्री लाल चन्द, पूर्व सरपंच ग्राम बमोरी भी साथ है। अतः श्रीमान् से मेरा अनुरोध है कि तहसीलदार मांगरोल द्वारा किये जा रहे नाजायज कार्य पर रोक लगायी जाय। नाजायज कार्य यानी सैक्शन 91 में जो कार्यवाही की है वह नाजायज कार्य है। उन पर रोक लगायी जाय। उचित कार्यवाही किये जाने का कष्ट करें। श्रीमान् तहसीलदार साहब मांगरोल द्वारा किये जा रहे गलत निर्णय की जांच कर इस क्षेत्र की जनता को राहत दिलवाने की कृपा करें व्यवस्था फरमायें ताकि क्षेत्र की जनता में अकारण ही रोष व्याप्त नहीं रहे तथा इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था का वातावरण बना रहे अन्यथा मजबूर होकर तहसीलदार मांगरोल के खिलाफ प्रजातांत्रिक तरीके के आन्दोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

एस. डी. रामगोपाल बैरवा।

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें क्या बुराई है ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : अब मैं बुराई की बात नहीं कह रहा हूं। बुराई कब कह रहा हूं ? बुराई होती तो मैं पढ़कर थोड़े ही सुनाता।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें बुराई की बात नहीं नीयत की बात है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नीयत साफ है।

श्री परसराम मदेरणा : बारबार वह न्याय की प्रे कर रहा है। मैंने देवाराम का किस्सा कहा है। वह तो सबजुडिस मामला था। जुडिशियल प्रोसिडिंग्स में केस जस्टिफायबल है और मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आपके सिविल लाइन्स में 144 की धारा लगी हुई है। कई दफा आपसे डेलीगेट्स मिलने के लिए आते हैं तो 5 से ज्यादा लोग आ नहीं सकते और वह जुडिशियल प्रोसिडिंग्स दी हुई हैं। एस. डी. एम. को ला एण्ड आर्डर मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी प्रोसिडिंग्स है, उसमें भी तो आप एक्सेप्शन कर देते हैं और जुडिशियल आफिसर उसमें एतराज ही नहीं करता। तो यह 91 की कार्यवाही जुडिशियल प्रोसिडिंग्स तो हो सकती है लेकिन इसका सीधा सम्बन्ध आम जनता से है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : बिलकुल सही है।

श्री परसराम मदेरणा : आप इसको दूसरी लाइन में ले रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं दूसरी लाइन में नहीं ले रहा हूं। यह एक्ट तो आपका ही बनाया हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : हर बात में आपका, आपका कर रहे हैं। यह बनाया हुआ आपका है, आपका है कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका से मेरा मतलब सदन का है।

श्री परसराम मदेरणा : आप भी इस सदन के माननीय सदस्य थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं था ना।

श्री परसराम मदेरणा : टीनेंसी एक्ट 1955 में बना। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने कब कहा गुनाह हो गया, मैं खुद ही कह रहा हूं।

श्रीमती कमला : अगर बनाया तो उसमें तब्दीली भी करनी पड़ती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यही तो कह रहा हूं।

श्रीमती कमला : बहाना बनाने के लिए तो यह बॉडी बैठी हुई है, अब कानून में कहीं गलती है तो बदलो।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : आप अपनी फर्स्ट विधान सभा को याद कर लीजिये फिर यह पढ़कर सुनाना बिलकुल वाजिब हो जायेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : कानून में क्या बुराई है? कानून तो अच्छा है। 1991 की कार्यवाही नाजायज तरीके से उसके खिलाफ हुई है। नाजायज तरीके से हुई है, माननीय सदस्य का नाजायज तरीके से मानना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह नहीं कहता रामनारायण जी। मैं यह कहता हूं कि तहसीलदार ने गलत कार्यवाही की होगी। आपकी दृष्टि में गलत की होगी, मेरी दृष्टि में गलत की होगी लेकिन उस कार्यवाही को दुरुस्त करने का उसी कानून में एक प्रोसिजर ले-डाउन है।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : मुख्य मंत्रीजी मैंने आपको कहा कि रामगोपाल जी पहली दफा आये हैं। आप भी फर्स्ट टाइम आये थे तो आपने पढ़कर सुनाया तो आप भी फर्स्ट टाइम ऐसे ही लिखते हालांकि पहले इससे आप बहुत स्मार्ट थे फर्स्ट टाइम भी। आप पहली दफा आये तो इनसे तो ज्यादा स्मार्ट थे। यह कुछ-कुछ मुझे भी याद है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आप सबको शांति से सुन रहा हूं।

श्री बनवारीलाल बैरवा : मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बात आप बाद में अर्ज करना।

श्री बनवारीलाल बैरवा : बस मेरी एक मिनट अर्ज सुन लें आप....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब, उपाध्यक्ष महोदय, यह जिक्र किया गया कि इस जांच के अन्दर इसकी जांच नहीं की गयी। यह सब नहीं हुआ। चीफ सेक्रेटरी को जब माननीय सदस्य ने कहा कि तहसीलदार ने अमुक प्रकार का मेरे साथ व्यवहार किया

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

है, अमुक प्रकार के उसने और भी आरोप जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं इस प्रकार के आरोप लगाये। तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि यदि आपके आरोप सही हैं तो मैं तुरन्त उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। बाद में मालूम हुआ कि इस मामले की शिकायत माननीय सदस्य आलरेडी कर चुके हैं और एस. डी. ओ. इसकी जांच कर रहे हैं। तो यह चैप्टर तो यहां क्लोज हो गया।

अब दूसरा चैप्टर आरम्भ होता है कि जिस दिन यह घटना हुई उस दिन आप जानते हैं कोटा में हाट लगी हुई थी। हाट बाजार में वैसे ही बहुत भीड़ होती है। वहां मांगरोल में आम सभा हुई। सभा के अन्दर भाषण हुए। अब माननीय विपक्ष के नेता कह रहे थे कि मेंस-रिया कहां से शुरू होती है। मैं फिर कहता हूं कि मैं कानून नहीं जानता लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि मेंस-रिया वहां से शुरू होती है।

श्री परसराम मदेरणा : जो व्यक्ति पुलिस का अधिकारी रहा हो और मेंस-रिया का विश्लेषण या विवेचन नहीं कर सके, यह मेरी कल्पना के बाहर की बात है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज से 50 वर्ष पहले रहा था।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने कई दफा कहा कि यह तफतीश कुनिंदा जोरदार है, क्या जोरदार है। कैसा भी केश लाओ 161 के बयान में सिगनेचर तो होते नहीं हैं। इस तरह से केस बनाते हैं कि एक दफा तो कोर्ट के अन्दर जज छोड़ ही नहीं सकते। बाद में साक्ष्य होगी, एवीडेंस एड्यूस होगी तो पता चलेगा। तो आप सब जानते हैं कि ऐसा बनाते हैं कि जकड़ कर रख देते हैं। आप मेंस-रिया नहीं जानते फिर तो इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य जानता ही नहीं मेंस-रिया है क्या ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं इसलिए कह रहा हूं कि कानूनी बात जैसा मैंने आपके भाषण को अच्छी तरह से, ध्यान से सुना है कि काश्तकारों के मामले को लेकर गये। काश्तकार हरिजन हैं, जमीन से बेदखल करने का प्रश्न आता था। बेदखल नहीं किया जाना चाहिए था। यह सारी बातें हैं। मुझे उन बातों से कुछ ऐसा भ्रम हो गया कि शायद 91 के बारे में आप यह कह रहे हैं कि 91 की कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं ऐसा समझता हूं कि आप जैसा जानकार व्यक्ति जो मेंस-रिया को समझता है वह कम से कम इस बात को नहीं कहता।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी आप ट्विस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा कि जुडिशियल प्रोसिडिंग्स को कई दफा बाई रेगुलराइजेशन के आर्डर्स निकाल करके और गवर्नमेंट ने उसको शैल्व किया है या नहीं किया। गवर्नमेंट अगर शैल्व कर सकती है तो मैंने उस संदर्भ में और उस परिप्रेक्ष में वह बात कही थी कि लोगों के पास जमीन नहीं है, कमजोर आदमी हैं और कोई आमदनी का साधन नहीं है तो

(श्री परसराम मदेरणा)

वह ट्रेसपास कर सकते हैं। यह बात थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन यह भी आपको जानकारी होगी कि राजस्थान की विधान सभा में कई बार इस प्रकार के अतिक्रमणों को रेगुलराइज करने के बारे में नोटिफिकेशन जो राज्य सरकार ने इश्यू किये वह यहां रखे हैं। यह तो आपको जानकारी होगी लेकिन जब से यह अमेंडमेंट आया है कि तहसीलदार इस प्रकार का एक्शन ले सकता है उसके बाद में इस प्रकार का रेगुलराइजेशन का नोटिफिकेशन नहीं निकाला। वह एक अन्तिम चरण था कि बार-बार जमीन के ऊपर लोग कब्जा करें और फिर उसको रेगुलराइज करें तो इसी सदन में मैंने चर्चा सुनी है और कई बार माननीय सदस्यों ने यहां चर्चा की है कि बार-बार रेगुलराइज करना यह लोगों को इन्सपायर करता है कि आप जबरदस्ती जमीन के ऊपर कब्जा करो और 3 वर्ष के बाद में गवर्नमेंट अपने आप रेगुलराइज कर देगी। इसी बात को लेकर गवर्नमेंट ने कानून में संशोधन किया और संशोधन करके यह व्यवस्था की कि अब कोई जमीन पर अतिक्रमण करे तो तहसीलदार को और एस डी. ओ. को पावर्स दी गयी हैं कि वह जुडिशियल नेचर की प्रोसिडिंग्स स्टार्ट करने के बाद में जो भी अपना जजमेंट होगा वह जजमेंट के हिसाब से काम करे।

श्री शिवनाथ सिंह : आज भी आपके नोटिफिकेशन इनफोर्स हैं। जो रेगुलराइज करने के नोटिफिकेशंस हैं वह आज भी इनफोर्स हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कानूनी फोर्स नहीं है। इनफोर्स होंगे लेकिन कानूनी फोर्स नहीं हैं। वह 91 में आ गये। मैं खुद स्वीकार करता हूं कि मैं वकील नहीं हूं। आपसे जो ज्ञानवर्धन हो रहा है उसका मुझे लाभ मिल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब यह प्रश्न आया कि उस दिन मीटिंग हुई। मीटिंग के बारे में किसी भी माननीय सदस्य ने मना नहीं किया कि मीटिंग नहीं की और जब इसी प्रसंग में मीटिंग होती है तो निश्चित रूप से इस मामले का उल्लेख आया। उल्लेख आया और तहसीलदार ने उनके साथ क्या व्यवहार किया उसका भी उल्लेख आया। उसके बाद में मीटिंग में आप लोग भी बोलते हैं और हम भी बोलते थे। आजकल तो हम सावधानी से बोलते हैं लेकिन आजकल आप बोलते हैं, पहले हम बोलते थे कि हम तहसीलदार को देख लेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : हम तो वह टेक्टिक्स मोटस अपरेंटी सीखे ही नहीं हैं। आपने स्वयं ने इस सदन में 1990 में कहा है आपकी क्लास लूंगा, आप शिवचरण जी माथुर को सम्बोधित करते हुए कह रहे थे। मैं अभी पढ़ रहा था पांच, सात दिन पहले और मैं आज शाम को भेज दूंगा, मेरे पास वह पड़ा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको तो याद रहता है।

श्री परसराम मदेरणा : आपने यह कहा कि आप लोगों को विरोधी पक्ष की

(श्री परसराम मदेरणा)

भूमि का निर्वहन करनी नहीं आती है, मुझे आपकी क्लास लेनी पड़ेगी और आपको समझाना पड़ेगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मैंने कहा होगा और मैं आज भी आवश्यकता समझता हूं····

श्री परसराम मदेरणा : आप बण्डलबाजी ठोक रहे थे, वह आदत हमारी अभी बनी नहीं है यह करने की,

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं विपक्ष के नेता, आपसे कहना चाहता हूं इसी मामले को कोटा के माननीय सदस्य ने उठाया, अब पता नहीं है कि यह वकील हैं या नहीं हैं ।

एक माननीय सदस्य : वकील हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही कह सकता हूं कि रामगोपालजी के केस को जितना इन्होंने खराब किया है उतना कोई दूसरा आदमी कर नहीं सकता । मैं समझता हूं यह बोलते नहीं तो उनका मामला अच्छा रहता ।

श्री अमराराम (धोद) : अब सुधार दो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सुधार रहा हूं, वही तो कोशिश कर रहा हूं । (व्यवधान)····इतना ज्यादा बिगाड़ दिया कि मैं इसको किस सीमा तक सुधारुं, यह मेरे लिए समस्या खड़ी कर दी । मैं यह निवेदन कर रहा था, वहां पब्लिक मीटिंग में भाषण हुए । यह कोई नयी बात नहीं है । सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि पब्लिक मीटिंग में जाते हैं तो सरकार, चाहें केन्द्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, किस प्रकार से बोलते हैं । खेतसिंहजी को मालूम है, एक बार 1977 में उन्होंने भाषण दिया था, याद होगा आपको, स्टेच्यू सर्कल पर आपने कहा था ।

एक माननीय सदस्य : भूल गये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भूल गये तो ठीक है । सब भाषण देते रहते हैं ।

एक माननीय सदस्य : आपकी तरह गांठ नहीं बांधते ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भाषण मैं नहीं देता, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने भी दिये हैं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम तो भाषण देकर भूल जाते हैं और आप गांठ बांधे रहते हो और फिर मौका आता है तो बदला लेते हो, बहुत फर्क है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए राजनैतिक प्रक्रिया का एक स्वरूप है इसको आगे जाकर हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं लेकिन अपनी जबान से पब्लिक के सामने रखते हैं और आवेश में आकर कहीं बोल भी जाते हैं कि हम अमुक प्रकार का काम करेंगे । तो कोई भी केस बनता हैं तो वहां से वह मेंस-रिया शुरू होती है कि हमारा इंटेंशन क्या था । मैंने पब्लिक मीटिंग में भाषण दिया और उसके बाद में कोई अनप्लेजेंट एक्शन हो जाता है तो जिस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

समय तक वह एक्शन होता है और जिस समय मैंने भाषण दिया पूरी चेन यह मेंस-रिया प्रूव करती है कि आपकी मेंस-रिया क्या था और आपके दिमाग में क्या था····

श्री शिवनाथ सिंह : अब आ गये बात पर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब मैं आ रहा हूं वहां से माननीय सदस्य कुछ लोगों के साथ तहसीलदार के पास जायेंगे। जैसा आपने कहा, मुझे जानकारी नहीं है ज्यादा, गृह मंत्रीजी को जानकारी होगी कि तहसील के दरवाजे बन्द थे वहां पर एस.डी.ओ. आदि खड़े थे डीवाई.एस.पी. और पुलिस भी खड़ी थी उनसे कहा गया कि हम मिलना चाहते हैं। आपने जो यह कहा कि कोई समझौता कराने के लिए एस.डी.ओ. और डीवाई.एस.पी. उनका डेपुटेशन ले जा रहे थे, यह बात नहीं है। जैसे दरवाजा खोला और उसने कहा कि आप कितने आदमी जाना चाहते हैं तो विवाद चल ही रहा था कि चार-पांच आदमी जिनके नाम एफ.आई.आर. में आये हैं, वह अन्दर चले गये और अन्दर जाकर जो घटना तहसीलदार ने रिपोर्ट में दर्ज करायी है वह घटना घटी। अब क्वेश्चन यह आता है, यहां पर क्वश्चन यह खड़ा किया गया कि तहसीलदार चैम्बर में बैठा था, अखबार पढ़ रहा था या मूंगफली खा रहा था। मेरी समझ में नहीं आता कि चैम्बर कांहे के लिए है, Chamber is a symbol of official duty. आज स्पीकर का हवाला दिया गया कि स्पीकर के यहां जाकर कोई माननीय सदस्य झगड़ा कर ले वह बात दूसरी है लेकिन स्पीकर के यहां आकर कोई मावली का आदमी आकर झगड़ा कर ले वह बात दूसरी है। आखिर चैम्बर वही है, स्पीकर वही है। उस चैम्बर में जाकर कोई भी आदमी चाहे स्पीकर साहब खाना खा रहे हों, चाहे स्पीकर कुछ लिख रहे हों, चाहे स्पीकर अखबार पढ़ रहे हों, स्पीकर उस चैम्बर में है, स्पीकर के साथ ड्यूटी···· (व्यवधान)····बताया न आप तो कानून हैं, मुझसे आप छेड़खानी मत करो। आप तो बहुत कानून के ज्ञाता हो। अच्छा हो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ तो सुप्रीम कोर्ट का भी भला हो जाय और आपका भी भला हो जाय।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कानून के बारे में बोल चुका अगर आपको कानून की जानकारी नहीं है····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं है, तो मेरी बात को मान लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं वह नहीं मानता, इसलिए आपका तो मैंने कह दिया आपकी बात रामगोपाल जी ने मानी है और दूसरे को मत मनवा देना भगवान की कृपा से, नहीं तो सारे के सारे डूबेंगे। मैं केवल यह निवेदन करना चाहता था। अब तहसीलदार के साथ घटना हुई। घटना में यह बहाना लिया गया कि वह चैम्बर में बैठा था, अखबार पढ़ रहा था, मूंगफली खा रहा था और उसमें उदाहरण दिया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जाय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर का, मैं ऐसा समझता हूं कि विपक्ष के नेता आप स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि इस आर्गुमेंट में कितना दम है। अब प्रश्न यह आता है कि थप्पड़ मारा या नहीं। यह मामला तो अनुसंधान का है। अब मैं यह कह दूं कि मैंने किसी को थप्पड़ मारा या मेरे को किसी ने मार दी तो यह मामला तो अनुसंधान का है। इन्वेस्टीगेशन होगी और इन्वेस्टीगेशन से सब कुछ बात होगी। कई अखबार हैं उन अखबारों में यह भी लिखा आया है कि माननीय सदस्य ने स्वयं ने भी यह बात कही है कि मैंने थप्पड़ मारा है। अब यहां से आप शुरू करें थप्पड़ मार दी तो मारने के बाद में अब आप यह समझते हो कि आपने कोई छूट दे दी हो हम लोगों को कि आप लोग डेपुटेशन ले कर जायं तो किसी भी आफिसर से झगड़ा कर सकते हैं। मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि 1952 से लेकर आज तक···· (व्यवधान)

श्री रामगोपाल बैरवा : यह कौन से अखबार में स्टेटमेंट किया है कि मैंने झापट मारी है कौनसे अखबार को, कौनसी नवज्योति को, किसको स्टेटमेंट दिया था? मेरे सामने लाकर कहलाया जाय, किस अखबार को मैंने स्टेटमेंट दिया था?···· (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अखबार में कह दिया या नहीं कहा यह कोई कन्फेशन नहीं है इसको मैं मानता हूं, इसको छोड़िये। प्रश्न यह आता है····

श्री परसराम मदेरणा : डिनाई कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डिनाई कर रहे हैं मैंने मान लिया नहीं किया। मैं तो इसलिए पूछ रहा था आप कहते थे कि बोलना ही नहीं जानते और बीच में बोलने के लिए खड़े हो गये हैं। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य दिलावर साहब ने इसका जिक्र किया कि अखबार में उन्होंने स्टेटमेंट दिया और मैंने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। मैंने भी पूछा था उन्होंने स्टेटमेंट दिया है क्या? उन्होंने कहा ऐसा कोई उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है नहीं दिया है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यह बात तो हो गयी कि बोल सकते हैं, बोले नहीं। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मामला इन्वेस्टीगेशन का है। अब मुझे आप बताइये आपमें से कोई सदन का सदस्य समझता है, क्या यह उचित है? किसी भी प्रकार का मुझे प्रोवेकेशन है। मैं जनता का प्रतिनिधि हूं। जनता के प्रतिनिधि लेकर किसी आफिसर के पास जाता है। आफिसर का बिहेवियर ठीक प्रकार का नहीं है तो कौन से कानून के अन्तर्गत मुझे अधिकार मिला है कि मैं उसके थप्पड़ मार दूं।

एक माननीय सदस्य : मारा कहां है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मारने की अलग छोड़िये। यह तो अधिकार नहीं है न? या आप लोग यह उचित समझते हैं····

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

(व्यवधान) आप भी यह मानते हैं कि थप्पड़ मारा है तो गलत है।

श्री अमराराम (धोद) : अधिकारी को दुर्व्यवहार करने का अधिकार किसने दिया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अधिकारी को छोड़ूंगा नहीं, मेरी बात सुन लो। आप भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर थप्पड़ मारा है तो वाजिब नहीं है। (व्यवधान) मैं तो अपनी नीयति प्रकट कर रहा हूं।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : विधायकों को पिटवाया जाय, विधायकों की बेइज्जती की जाय, आप साफ क्यों नहीं कहते। आप तो सारे भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हुए हैं और राजस्थान की इस जनता में कितना बड़ा भ्रष्टाचार फैल रहा है.....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप माननीय विधायक की बेइज्जती को नहीं बचा सकते, सदन की बेइज्जती को आप कैसे बचायेंगे, जनता की रक्षा कैसे करेंगे, बताइये आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये, पूरी बात सुनिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं केवल इतनी ही बात कहना चाहता हूं सदन का कोई भी माननीय सदस्य यह नहीं चाहेगा कि किसी भी अधिकारी के साथ इस प्रकार से मारपीट हो। प्रश्न यह आता है कि अधिकारी भ्रष्ट है या ईमानदार है या अधिकारी ने कोई ज्यादती की है, कानून का इंटरप्रिटेशन गलत किया है या जानबूझकर जो कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए थी वह सही नहीं की या गेट आउट कहा। अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन सारी परिस्थितियों में क्या किसी व्यक्ति को यह अधिकार मिल जाता है कि उसके साथ मारपीट की जाय। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : तहसीलदार को कौनसा अधिकार मिल गया कि वह किसी को गेट आउट कर दे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजिये। पूरी बात सुनें। ... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा निवेदन यह है कि....

एक माननीय सदस्य : मुख्य मंत्रीजी, मेरी भी सुनो आप। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विपक्ष के नेता महोदय, मैंने जो बात कही थी और आपने यह कहा था कि सुबह मैं आपके पास कटिंग भेज दूंगा। आपको विरोध करना आता है और इसकी मुझे क्लास लेनी पड़ेगी। मैं इस बात को फिर दोहराना चाहता हूं, जब नेता बोलें जाय, विपक्ष का नेता बोल जाय उसके बाद में कोई दूसरे को बोलने की परम्परा इस हाउस में नहीं है। (व्यवधान) नहीं है, तो आप अपने सदस्यों पर नियन्त्रण करिये। मैं इस आधार पर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कहना चाहता हूं कि एक बार लम्बी-चौड़ी बात हो गयी। हमने किसी को टोका नहीं। जो भी बातें कही जा सकती थीं वह कही है। इसमें भी किसी न किसी प्रकार का अनुशासन हो, विपक्ष के नेता बोल जाए, डिबेट को सम-अप कर दें····

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : हम आपकी बात को बड़े प्यार से सुन रहे हैं। आप इस तरह से बोल रहे हैं श्रीमन् कि····(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, तो सुनो आप।

श्री रामनारायण चौधरी : आप इस तरह से बोल रहे हो श्रीमन् कि जैसे आप आश्वस्त हो गये पूरे तरीके से कि तहसीलदार के साथ में कोई ज्यादती हुई····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, यह मैंने नहीं कहा। देखिये, मैं ऐसे मामलों पर अपनी कोई राय····

श्री रामनारायण चौधरी : आपके मन में यदि कोई बात गलत जंच गयी, तहसीलदार के साथ आप जो मान रहे हो, वह चीज नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं। यह मामला अनुसंधान का विषय है और इस अनुसंधान के विषय पर मैं यह कह दूं, कि यह कर दिया जैसे कि मैं आई-विटनेस हूं। यह मैं नहीं कह सकता। मैं तो केवल एक बात पूछना चाहता था सिद्धान्त के आधार पर कि कोई तहसीलदार पैसे खा जाये, किसी ने गेट-आउट कह दिया, सेक्शन 91 में किसी पर जुर्माना कर दिया। यह सब कुछ करने के उपरांत भी किसी आदमी को यह अधिकार नहीं हो सकता कि चैम्बर में उसके थप्पड़ मार दे। मैं केवल यही बात कहना चाहता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : ठीक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और मुझे खुशी है कि सारे माननीय सदस्यों ने इस बात पर अपनी स्वीकृति दी है और इसको स्वीकार किया है। (व्यवधान) अब ऐसी स्थिति में····(व्यवधान) आप नेता से पूछकर बोलो ना। मैं इतना सा निवेदन कर रहा हूं कि ऐसी स्थिति में अनुसंधान में मामला आ गया। जो कुछ अनुसंधान अब तक किया है, उस अनुसंधान में किसी प्रकार की कोई कमी है तो विपक्ष के नेता ने कहा कि गृह मंत्रीजी स्वयं पत्रावली मंगाकर देखें। मैं ऐसा समझता हूं, यदि आप आवश्यक समझें और उससे भी यदि आपको संतोष होता हो तो जिस अधिकारी ने अभी तक अनुसंधान किया है, उससे या किसी उच्चाधिकारी से और आप कोई नाम बता दें। उससे, आप बता दें नाम, मैं विपक्ष पर छोड़ता हूं, मैं उससे जांच करवा लूंगा। (व्यवधान) आखिर इस सारे प्रकरण की जांच से ही तो निराकरण होगा और किसी तरह से निराकरण होगा नहीं। अब निराकरण करने के लिए मैं माननीय परसराम जी पर छोड़ता हूं, आप जिसके लिए कहें मैं उससे जांच करवा लूंगा।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : आप खुद ही कर लें जांच । (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : आप खुद ही जांच कर लो ना ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं । मैं खुद ही कह रहा हूं । आप बैठ जाइये । आप कहें उससे करा लेंगे । आज सोच लो, कल सोच लो, परसों बता देना, उससे मैं जांच करवा लूंगा ।

दूसरा प्रसंग आता है, एस.डी.ओ.....

श्री नरेन्द्र बुड़ानिया (सरदारशहर) : विधान सभा की कमेटी बना दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, माननीय सदस्य ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पुलिस का काम कमेटी नहीं कर सकती । पुलिस का काम इंवेस्टीगेशन करने का है, इंवेस्टीगेशन का काम पुलिस ही करेगी । अब मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि तहसीलदार के खिलाफ माननीय सदस्य ने शिकायतें की हैं, जो इस शिकायत से, मुझे नहीं लगता । कोई एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, वह जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के बारे में मैं भी कुछ नहीं कह सकता और कोई रिश्वतखोरी की शिकायत हो । इस रिश्वतखोरी की शिकायत पर भी अगर वह मुझे देते हैं, आज दें, कल दें, परसों दें (व्यवधान) वह मेरे पास नहीं है, आप भेज दीजिये ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह दी जा चुकी हैं । शिकायतें जिला कलक्टर के पास में हलफनामे के साथ शिकायतें पहुंच चुकी हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना आपको विश्वास के साथ कहता हूं, अगर रिश्वत का मामला है और ज्यादती करने का मामला है मैं वहां के कमिश्नर से इसकी जांच करवा लूंगा । अब इससे आगे तो पुलिस, आप जो कहें उससे जांच करवा दूंगा लेकिन मेरा हाथ जोड़कर इस पूरे सदन से निवेदन है कि यदि कानून को अपने हाथ में लेंगे तो कानून ही उनके खिलाफ कायम किया जायेगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता । कानून के अन्तर्गत····

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : आप फर्मा रहे हैं, यह विषय जांच का है । कानून हाथ में लिया कि नहीं लिया, यह जांच का विषय है । आपने पहले ही यह निष्कर्ष निकाल लिया कि इन्होंने कानून हाथ में लिया । यह जो आप कह रहे हैं····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आरोप नहीं लगाता, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं, जो आपको अधिकार है वह ही सरकारी कर्मचारी को अधिकार है । इस कांस्टीट्यूशन में उसके और आपके अधिकारों में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है । रूल आफ लॉ सब पर लागू है । अगर किसी एक व्यक्तिगत आदमी, जो सरकारी अधिकारी नहीं है, उसके भी अगर थप्पड़ मारा जाता है तो उसको भी कानूनी प्रोटेक्शन मिलता है, उसको भी कानूनी अधिकार है कि जो व्यक्ति उसके साथ इस तरह का अभद्र

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

व्यवहार या मारपीट या कोई आफेंस कर रहा है। उस आफेंस को लेकर वह कोर्ट में या किसी के पास जाय। उसी तरह का अधिकार सरकारी कर्मचारी और उसी का अधिकार जनता को है। आज प्रश्न इतना सा है कि इस मामले में जो जांच की गयी वह ठीक नहीं है। मैंने कहा, आप कहो उच्च अधिकारी के द्वारा जांच कर लूं। तहसीलदार के खिलाफ यदि कोई आरोप है, और कुछ भी है तो वह भी दे दीजिये। उन सारे आरोपों की मैं कमिश्नर से जांच करवा लूंगा। अब इससे आपको कम से कम यह विश्वास हो जाना चाहिए कि हमारी नीयत साफ है। नीयत में कोई गड़बड़ नहीं हैं और जब नीयत साफ है तो उसके आगे इस मामले में कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राधेश्याम : अगर नीयत साफ है तो आप कम से कम यह तो बताइये···· (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ?

श्री सांवरलाल जाट, सहायता एवं पुनर्वास राज्य मंत्री, राज्य के भीलवाड़ा, बारां, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी आदि जिलों में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के सम्बन्ध में

श्री सांवरलाल जाट (राज्य मंत्री, सहायता एवं पुनर्वास) : उपाध्यक्ष महोदय, जनवरी, 1995 से अब तक की ओलावृष्टि से राजस्थान के 19 जिलों की 51 तहसीलों के 756 गांवों (व्यवधान) आपके आदमी नहीं सुनने दे रहे हैं। मेरे ख्याल से आप सुनने की कोशिश करोगे तो सुन लोगे। आपस में ही कलह हो रहा है, आप सुनोगे कैसे।

जनवरी, 1995 से अब तक ओलावृष्टि से राजस्थान के 19 जिलों की 51 तहसीलों के 756 गांवों के 38, 172 काश्तकारों को नुकसान हुआ है। राजस्थान सरकार की तरफ से 233 लाख रुपये का आबंटन इस हेतु किया गया जिसमें से एक करोड़ रुपये सम्बन्धित प्रभावित काश्तकारों में वितरित किये गये। काश्तकारवार विस्तृत नुकसान का सर्वेक्षण जिला कलक्टरों द्वारा करवाया जा रहा है। जैसे-जैसे सर्वेक्षण होता जा रहा है, वैसे-वैसे जिलेवार प्रभावित काश्तकारों को सहायता राशि का वितरण करवाया जा रहा है। प्रभावित जिलों में इस हेतु जिला कलक्टरों को मांग के अनुसार धनराशि का आबंटन कर दिया गया है। 1990 से पूर्व ओलावृष्टि से हुए नुकसान के लिए काश्तकारों को सहायता उपलब्ध कराने में काफी विलम्ब होता था क्योंकि जिला कलक्टर को अपने स्तर पर सहायता राशि स्वीकृत करने का अधिकार नहीं था लेकिन इस प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण इसमें सरलीकरण किया जाकर अब जिला कलक्टर को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सहायता राशि स्वीकृत करने के लिए अधिकृत कर दिया गया। गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष यह सहायता बहुत कम

(श्री साँवरलाल जाट)

समय में उपलब्ध करवायी जा रही है। ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों में जिला कलक्टर को यह निर्देश दिये गये हैं कि ओलों से प्रभावित क्षेत्रों में जहां रोजगार की आवश्यकता हो, प्रत्येक उस क्षेत्र में वर्तमान में चल रहे रोजगार पर्याप्त नहीं है, वहां पर डी. आर. डी. ए. की स्कीम द्वारा चलायी जा रही विभिन्न रोजगारोन्मुखी योजनाओं के अन्तर्गत, उन योजनाओं के दिशा-निर्देश के अनुसार कार्य स्वीकृत कर लोगों को रोजगार उपलब्ध करवायें। ओलावृष्टि से हुए नुकसान के लिए गत वर्षों में उपलब्ध करायी गयी सहायता राशि से इस वर्ष बहुत अधिक है। गत वर्षों में, 1991–92 में 21 लाख 65 हजार, 1992–93 में 51 लाख 54 हजार, 1993–94 में 92 लाख 79 हजार, 1994–95 में यह राशि 89 लाख और इस वर्ष 233 लाख है।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने ओलावृष्टि हुई और उसमें पहले सरकार को मंजूरी लेनी पड़ती थी, तब उनको राहत मिलती थी, अब इन्होंने जिला कलक्टर्स को सीधे निर्देश दे दिये, पिछले साल से ज्यादा रकम बांट दी, इन सबका उन्होंने ब्यौरा यहां दे दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल भी मार्च में ओलावृष्टि हुई थी और ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ। उस वक्त भी सदन में सभी तरफ से यह मांग थी कि ओलावृष्टि में जो राहत का पैसा दिया जा रहा है, वह कम है, नुकसान भारी है। मैंने उस समय सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया था कि हम इस ओलावृष्टि के नुकसान से किस तरह बच सकते हैं। मेरा उस वक्त भी यह कहना था कि अगर सरकार सजग रहती, सरकार सचेत रहती तो उस नुकसान से काफी बचा जा सकता था। नौ तारीख को ओलावृष्टि जब राजस्थान में पिछली बार भी हुई उस वक्त भी जो स्थिति बनी थी वही स्थिति इस बार फिर बनी। नौ तारीख को भारत सरकार के मौसम विभाग ने बताया—मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घण्टों में राज्य के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ बौछारें गिरेंगी। इस दौरान तापमान में गिरावट आ सकती है लेकिन बारिश के बाद मौसम साफ होते ही ठण्डक यकायक बहुत्तर होगी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में इस समय दो चक्रवर्ती परिसंचार तन्त्र प्रभावी हैं और मध्य पाकिस्तान में विकसित पश्चिमी विक्षोभ के मिले-जुले असर से विभिन्न शहरों में आज के तापमान में गिरावट हुई और उससे ओलावृष्टि हुई। दस तारीख को मौसम विभाग ने बताया कि परिसंचार जो बना हुआ है वह- जो विक्षोभ बना हुआ है वह राजस्थान की तरफ अग्रसर हो रहा है। आज हमारे देश में····

श्री उपाध्यक्ष : कोई प्रश्न पूछें माननीय सदस्य।

श्री विष्णु मोदी : प्रश्न के लिए ही मैं आ रहा हूं साहब, कि इस तरह की टेक्नोलोजी है कि हम मौसम की पूर्व जानकारी रख सकते हैं। उस वक्त भी

(श्री विष्णु मोदी)

सरकार से मैंने यह निवेदन किया था कि आपका, सरकार का जो तालमेल है मौसम विभाग के मामले में, वह सिर्फ इतना है कि जब बारिश का मौसम आता है तो आप एक कंट्रोल रूम बना देते हैं और उस कंट्रोल रूम से सिर्फ इतनी सी बात की जानकारी प्राप्त करते हैं कि कहां ज्यादा बारिश होने वाली है। उस मामले में मैंने मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा, उसके बाद में फरवरी में मैंने फिर रिमाइण्डर किया कि आप इस तरह के मौसम की जानकारी रखकर और कम से कम किसानों को अगर इसकी पूर्व सूचना दे देंगे तो हम इस ओलावृष्टि से बच सकते हैं। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि मौसम विभाग से इस ओलावृष्टि के पहले आपने क्या जानकारी ली और उस जानकारी से आपने किन-किन जगह पर सचेत किया ? यह पिन पाइंटेडली पहले आप मुझे बतायें।

श्री उपाध्यक्ष : सभी के प्रश्न आ जायं, एक साथ उत्तर दें। एक साथ ही जवाब आ जायेगा तो ठीक रहेगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : और भी पूछने वाले हैं, एक साथ जवाब दें तो ज्यादा मुनासिब होगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री शिवनाथ सिंह : और भी पूछने वाले हैं। सब के साथ आ जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रताप सिंह जी सिंघवी, (अनुपस्थित)।

श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जिला बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना चाह रही हैं ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो एक ही प्रश्न है, वह यह है....

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एडजोर्नमेंट मोशन है। मेरा दिया हुआ प्रस्ताव है ओलावृष्टि पर।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आपका भी आ जायेगा। आप इतने अधीर क्यों हो रहे हों।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : हर साल हमारे यहां ओलावृष्टि होती है, हर साल होती है और उसके लिए जितनी भी सरकार सहायता, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बी. जे. पी. की सरकार हो, खाली राहत ही दी जाती है और इसके अन्दर कभी मुआवजा नहीं दिया जाता है। मेरा तो एक सुझाव है और निवेदन है कि एक कोष बना दिया जाय, एक फण्ड बना दिया जाय और बाहर से, वर्ल्ड बैंक से उसके लिए आपको पैसा मिल सकता है कि हर साल यह हमारे साथ आपत्ति आती है, इसमें राहत दी जाती है, मुआवजा नहीं दिया

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

जाता है। इस फण्ड से जहां-जहां भी हो, वहां पर यह पैसा दिया जाय यही मेरा सुझाव है, ज्यादा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा। आप बिराजिये माननीय सदस्या।

श्री कालूलाल गुर्जर (मांडल) : फसल बीमा योजना लागू की जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यहां राहत पहुंचाने की घोषणा की है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस बार जो पकी फसल में ओलावृष्टि हुई है, मेरे क्षेत्र में भी, राजस्थान में भी काफी नुकसान हुआ है। अच्छा तो यह रहे कि फसल बीमा योजना जो लागू करने की बात थी अगर वह कर ली जाती तो निश्चित रूप से आगे आने वाले भविष्य में भी एक आशा सी रहती किसान को कि उसको कभी नुकसान होगा तो सरकार देखेगी। लेकिन अभी वह स्थिति माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट नहीं की है।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि शीघ्राति-शीघ्र जिन क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई है वहां पर राहत पहुंचाने के लिए सरकारी मशीनरी को गियरअप करें जिससे कि किसान आश्वस्त हो सके और जिस प्रकार कारखाने में कुछ घटना घटती है वहां तात्कालिक रूप से कदम उठा लिये जाते हैं, कहीं आग लगती है तो उसके लिए भी कदम उठाये जाते हैं। इस सारे काम के लिए एक पूर्व राशि तय होनी चाहिए। आकस्मिक घटना पर तात्कालिक रूप से सहायता पहुंचायी जा सके इसका एक कोष निर्धारित करें क्योंकि सामान्य रूप से भी सुविधा पहुंचाने में कई दिन, कई महीने लग जाते हैं, उन स्थितियों से निपटा जा सके, यह मेरा निवेदन है।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारी लाल जी बैरवा।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष जी, दिनांक 16 तारीख को जब पूरे जिले में होलिका दहन की व्यवस्था कर रहे थे उसी शाम को चारों ओर काले-काले बादल घिर आये, गर्जना चालू हो गयी, बरसात चालू हो गयी और उसके साथ में ओलावृष्टि चालू हो गयी और ओलावृष्टि मेरे जिले के अन्दर बहुत सारे गांवों के अन्दर हुई है। उनमें मुख्य रूप से जो गांव हैं डोडवाड़ी, लांक, लांकड़ा, जुंवाली, सिसोला, बगड़ी, इस्माइलपुरा, मलईपुरा, बैरवाओं की ढाणी। तहसील मालपुरा के ग्राम इंडोली, नयागांव, झाड़ली, सिनोलिया, सूरजपुरा, तीतरिया, डोराई, हिंडोली, प्रतापपुरा व तीतरियां। तहसील टोडारायसिंह में कूकड़, पालोलव, घारेड़ा, मांवता, छोटी पथराज, दरबउधामा, किशनपुरा, टोपा, सुवारिया, उणियारा खुर्द कुवाड़, कोटड़ी व लामा खुर्द इत्यादि। निवाई तहसील में सीतड़ा, कंवरपुरा, खणदेवा, जुंजारपुरा, तलई, खेड़ा अमरपुरा। ये इतने गांव हैं, माननीय उपाध्यक्ष जी, जिनके अन्दर भयंकर तरीके से ओलावृष्टि हुई। मैंने स्वयं जाकर के देखा, उनकी

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

फसलों के अन्दर कुछ भी नहीं बचा। सोलह आने का नुकसान हुआ है। एक दो रोज बाद जब हम जाकर वहां पहुंचे तो किसान रो रहे थे और स्थिति यहां तक खराब थी कि उनके पास खाने को कुछ रह नहीं गया था। मैंने प्रशासन से भी निवेदन किया कि तत्काल आप अनाज की व्यवस्था करायें, कुछ चारे की व्यवस्था करायें लेकिन अब तक मेरे ख्याल से न अनाज पहुंचाया गया है, न चारा पहुंचाया गया है। अभी जैसे माननीय मंत्रीजी ने फरमाया है कि 233 लाख रुपये मंजूर कर दिये गये हैं लेकिन 233 लाख रुपये इतने गांवों के अन्दर और राजस्थान के 21 जिलों के अन्दर खराबा हुआ है उनमें 233 लाख रुपया क्या मायने रखता है। मेरा निवेदन करना यह है कि जो मानदण्ड अब तक आपने मुकर्रर कर रखे हैं कि छोटे काश्तकार के लिए, सीमांत काश्तकार के लिए एक हैक्टेयर पर सिर्फ एक हजार रुपये देंगे। एक हजार रुपये क्या मायने रखता है। एक हैक्टेयर में खर्चा ही 2-3 हजार रुपये हो जाते हैं और काश्तकार को तो पूरा का पूरा सब प्लानिंग, सब बजट उसी के ऊपर निर्भर करता है। जब वह सब खतम हो जाता है तो उसका तो सब ही समाप्त हो जाता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जो मानदण्ड आपने पहले मुकर्रर कर रखे हैं उनको बदला जाय, उनमें सुधार किया जाय और फिर ऐसी व्यवस्था की जाय कि किस तरह से उनका कम्पेनसेशन होना चाहिए।

दूसरा मेरा निवेदन यह था कि फसल बीमा लागू की जानी चाहिए ताकि काश्तकार की जो स्थिति है वह कहीं न कहीं तो स्थिर हो, अन्यथा सब अस्थिर हो रहा है। वह पूरे साल कमाता-कजाता है और देखते-देखते वह सब मिनटों में चौपट हो जाता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : एक जानकारी दे दें तो मुझे बहुत मदद मिलेगी कि हिन्दुस्तान में इस प्रकार की फसल बीमा की योजना लागू है क्या ?

श्री बनवारी लाल बैरवा : योजना लागू नहीं है, योजनाएं लागू की जाती हैं। मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि उसको लागू करें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री बनवारीलाल बैरवा : एक मिनट साहब। अब जो खसरा गिरदावरी होकर आ रही है उसके हिसाब से आप उनको दिखवा लें और दिखवा कर उनको अधिक से अधिक जो राहत दे सकते हैं वह दिलवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फागी में दो पंचायत समितियां आती हैं। एक चाकसू और दूसरी फागी। मेरे दोनों पंचायत समिति के क्षेत्रों में विधि की विडम्बना ऐसी रही कि एक बार नहीं, दो बार ओले पड़े।

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

एक 13 मार्च को और एक 17 मार्च को और दोनों में इतने बड़े-बड़े ओले पड़े जिनसे कि सारी फसल पूरी पक गयी थी, सरसों, गेहूं और चना सारे ही पक चुके थे। खाली एक कटाई करना जिसे हम कहते हैं कि लावणी करना बाकी था परन्तु ओलावृष्टि इतनी तेज हुई कि लावणी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और सारे खेतों की आटोमेटिक अपने आप ही लावणी हो गई और जो खेत हरे भरे थे वे सारे खेत खाली हो गये। गांव में मैं खुद भी गया हूं सारे गांव में दो-दो, तीन-तीन दिन तक चूल्हे नहीं जले और माहौल ऐसा रहा जैसे कि शोक छा गया हो। मैं मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं कि उनको अभी कुछ राशि दे भी दी पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन किसानों को अभी तक सर्वे कराकर राशि नहीं दी है उनको भी जल्दी से जल्दी करवा दें राहत राशि देने की व्यवस्था करें और जल्दी ही उस क्षेत्र के अन्दर कोई मेहनत-मजदूरी के लिए, क्योंकि किसान का मुख्य कार्य खेती करना है अगर वहां कोई अकाल राहत कार्य खुलवा दें ताकि वहां वह मजदूरी कर सकें और अपने परिवार को पाल सकें। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसादीलाल जी मीणा। (व्यवधान)....पहले जिनके नाम हैं उनका नाम पुकार रहा हूं उसके बाद में दूसरों का।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 16 तारीख को होली के दिन करीब 25–26 गांवों में ओलावृष्टि से किसानों की भयंकर तबाही हुई है। गत वर्ष भी मेरे इलाके में 15–20 गांवों में ओलावृष्टि से फसलों की तबाही हुई थी और स्वयं मंत्री जी वहां पर जाकर मौका देखकर आये थे, ठीक उसी तरह की तबाही इस साल भी हुई है और किसानों के चारे का, पानी का, अनाज की कहीं कोई नामोनिशान तक नहीं रहा। जिस तरह की मंत्रीजी ने गत वर्ष किसानों की हालत देखी थी ठीक उसी तरह की स्थिति इस साल भी हुई है। आप वहां गये थे और मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार राहत कार्य खोलने की घोषणा करके आये थे। पर मुझे खेद है कि आपके निर्देशों के बावजूद भी एक जगह भी राहत कार्य नहीं खुले। सड़कों की सैंक्शन के लिए फाइलें सचिवालय तक आयीं। कलक्टर ने यह कह दिया कि ये राहत कार्यों की गाइड लाइन में नहीं हैं। फाइल सैक्रेटरी साहब के पास आयी, मंत्रीजी के पास आयी और आते-आते वह टाइम पूरा हो गया।

माननीय मंत्रीजी आप स्वयं चल कर देख लीजिये ठीक उसी तरह की तबाही हुई है जिस तरह की गत वर्ष हुई थी। राहत कार्य बिलकुल नहीं करवाये गये और एक भी पैसा वहां पर राहत का नहीं दिया, कोई सहायता नहीं दी गयी। मुझे तो इस बात का खेद है कि वहां पर तहसीलदार, एस. डी. ओ. या कलक्टर आदि कोई नहीं गया केवल वहां पर पटवारियों के जरिये गिरदावरी करवायी गयी। कम से कम इतनी बड़ी तबाही हुई है, मैं स्वयं वहां पर दो दिन तक दौरे पर गया पर किसी भी

(श्री परसादीलाल मीणा)

किसान ने यह नहीं कहा कि यहां पर तहसीलदार, एस. डी. ओ. या कोई उच्च अधिकारी आया हो। इस तरह की प्रशासनिक लापरवाही, किसानों की इस तरह की अनदेखी की गयी है। आप मंत्री जी स्वयं देख लीजिए उस तरह की तबाही हुई है जो आंखों से नहीं देखी जाती है। किसानों के धोरों में लगे लाखों रुपये के पाइप फट गये। किसान यह कहते हैं कि हमको फसल का पैसा भी नहीं तो कम से कम हमारे धोरे के पाइप का पैसा तो दिलवा दें, यह मदद तो दिलवा दें नहीं तो हम कमाई कैसे करेंगे।

मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी आपसे भी निवेदन है कि आपने गत वर्ष ओलावृष्टि से जब तबाही हुई थी उस समय सदन में चर्चा के दौरान यह कहा था कि यह दुःखद घटना है और जो किसानों को राहत दी जाने वाली राशि है यह बहुत कम है इस लिए हम कैबिनेट में ले जायेंगे और हम इस राशि को बढ़ायेंगे। पर मुझे खेद है कि पता नहीं कैबिनेट की मीटिंग 20 तारीख या 21 तारीख को होगी, मंत्री जी ने भी कहा कि हम कैबिनेट में ला रहे हैं पर आपने इस राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की। आप खुद किसान है और आप जानते हैं कि किसानों को आज फसल कितनी महंगी पड़ती है। इसलिए आपकी यह जो गाइड लाइन है, आप इन गाइड लाइनों को राहत कार्य में चेंज कीजिए जहां पर ओलावृष्टि हुई है उनके लिए। और राहत राशि बढ़ाने का इस हाउस में आपने जो आश्वासन दिया था इस सम्बन्ध में कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर बढ़ायेंगे। आप मेहरबानी करके उस राशि को बढ़ायें। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री भीमसेन जी।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में भी काफी बड़े हिस्से में ओलावृष्टि से नुकसान पहुंचा है। मुझे सूचना दी गयी है कि जीरो. आर. डी. पंचायत क्षेत्र में, दंतोल पंचायत क्षेत्र में, सांवरदा पंचायत क्षेत्र में, आनन्दगढ़, बल्लर, 17 के. आर. डी., लूणकरणसर, छत्तरगढ़ के आसपास के चकों में नुकसान पहुंचा है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ओलावृष्टि से हुए नुकसान के सम्बन्ध में काश्तकारों को राहत दी जाय और यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए। अगर अन्य राज्यों में फसल बीमा योजना चालू नहीं की गयी है तो राजस्थान ने बहुत से हिस्सों में पहल करके दिखाया है और मैं समझता हूं कि राजस्थान को इस सम्बन्ध में भी कुछ पहल करनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने चालू की थी।

श्री भीमसेन चौधरी : आज कल सैटेलाइट की व्यवस्था की हुई है, सैटेलाइट पर आपको मालूम हो सकता है, सारा कर सकते हैं आप अगर चाहें तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी बात सही है, आपकी सरकार ने चालू की और आपकी सरकार ने वापस क्यों ली ?

श्री शिवनाथ सिंह : उस गलती को क्यों दोहरा रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, गलती थी ना, वह गलती थी ना ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल भी इस सदन में ओलावृष्टि पर चर्चा हुई थी और जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि मुख्य मंत्री जी ने बहुत सहृदयता से यह कहा था कि हम इस राशि को बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पिछली बार जो ओलावृष्टि की निर्धारित दर थी उसमें इस साल कुछ बढ़ोतरी हुई या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अनाज के भाव में क्या अन्तर रहा है ?

श्री शिवनाथ सिंह : अब माननीय मुख्य मंत्री जी मेरे से इतनी जानकारी करना चाहेंगे तो मैं समझता हूं कि दे नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं जो कहूं उस पर गौर फरमा लीजिए और आपके मन में उतरती हो तो कर लीजिए और नहीं उतरती हो कोई बात नहीं। लेकिन जैसी कि प्रवृत्ति है आपकी कि आप किसानों के लिए जो हम कहना चाहेंगे उसके लिए क्रास क्वेश्चन करेंगे, उसको दिल में नहीं उतारोगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह भी बरदाश्त कर गया कि पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक भी खेत पर जाकर ओलावृष्टि नहीं देखी कि क्या नुकसान हुआ और लम्बा-चौड़ा सहानुभूति में भाषण दे गये। वह भी मैंने तो नहीं पूछा।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा और हमारे अकाल राहत मंत्रीजी इस बात के साक्षी हैं कि हमारे यहां झुन्झुनूं जिले में कई गांवों में, तीन तहसीलों में ओले पड़े हैं। माननीय मंत्रीजी वहां गये थे इसके लिए तो मैं उनका एहसान मानता हूं। मैं भी मौके पर गया था और ये भी मौके पर गये थे, हम सबने देखा था लेकिन इनका जाना हमारे लिये थोड़ा कठिन पड़ गया। ये जाकर ताबड़-तोड़ में आदेश दे आये कि तीन दिन में सबको मुआवजा दे दिया जायेगा। इनकी मंशा ठीक थी लेकिन इनके आने के बाद में इनके कार्यकर्ताओं ने घर बैठकर जिन-जिन को मुआवजा देना था उनकी तो लिस्ट दे दी और बाकी किसी की भी गिरदावरी उसमें नहीं हो पायी। 3 दिन में राहत दी उसकी तो मैं सराहना करता हूं लेकिन उसमें राहत 3 पर्सेण्ट को ही मिली 97 पर्सेण्ट बाकी रह गये। उनकी दुबारा गिरदावरी करवाने के लिए हमने आवेदन कर रखा है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे आदेश दें, अभी फसल खड़ी है, उनके खेतों में बिगाड़ नहीं हुआ है इसलिए उसकी दुबारा गिरदावरी होकर जिन काश्तकारों को नुकसान हुआ है उनको पूरा मुआवजा दिया जाय।

(श्री शिवनाथ सिंह)

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी माननीय मंत्रीजी ने कहा कि राहत कार्य खोलने के लिए भी हमने आदेश दे दिये हैं। पर ये आपके राहत कार्य खोलने के आदेश कारगर नहीं हैं इसलिए कि जिन मदों में आप राहत कार्य खोल सकते हैं उन मदों में ओलावृष्टि आती नहीं है। इसलिए यदि आप वास्तव में राहत कार्य खोलना चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर की आश्वासित रोजगार योजना है उसको देखिये। उसके अलावा डी. पी. ए. पी. के प्रोग्राम हैं, बांध वगैरह के प्रोग्राम हैं वह आपके इस योजना में आते नहीं हैं इसलिए सिर्फ घोषणा के आधार पर आप कहो कि हम राहत दे रहे हैं। यदि आप वास्तव में राहत देना चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर की जो आश्वासित रोजगार योजना है उस योजना को भी इस क्षेत्र में लागू कीजिये और लागू होती तो ही इसमें मिल सकता है। माननीय मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं यह नहीं कह पाऊंगा कि कहां-कहां किस-किस प्रान्त में इस प्रकार की फसल बीमा योजना लागू है लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी इस योजना को लागू करने में अगुवाई कर इस प्रकार की आपदा से बचाने के लिए, यदि हम इस प्रकार की योजना को लागू कर सकते हैं तो उसको करना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन्शोरेंस की जो बात कह रहे हैं सदन इस पर विचार कर ले कि कोई भी किसान यदि प्रीमियम जमा कराने को तैयार हो, बिना प्रीमियम के तो इंशोरेंस होता नहीं है इस के बारे में बात करने को मैं तैयार हूं लेकिन प्रीमियम देना पड़ेगा तभी जाकर यह व्यवस्था हो सकती है।

श्री शिवनाथ सिंह : हम जानते हैं इस बात का प्रीमियम देना पड़ेगा और प्रीमियम देने में सरकार भी राहत दे सकती है। आपने बहुत सी योजनाएं ऐसी कर रखी हैं बीमा की जिसमें गांवों के अन्दर बिना प्रीमियम दिये हुए 3 हजार रुपये.... (व्यवधान).... मैं यह नहीं कहता हूं कि आप देओगे लेकिन सरकार उसमें ठीक ढंग से सोच सकती है लेकिन जो काश्तकार प्रीमियम देना चाहे उसको इसका फायदा मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन वर्मा।

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंजमण्डी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे रामगंजमण्डी निर्वाचन क्षेत्र में चेचट, टुण्डवा, जुल्मी, एरियाखेड़ी, कोकड़ा, अरनियागोला....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौनसा गांव बताया, जुल्मी ?

श्री रामकिशन वर्मा : जुल्मी, कमलपुरा इन क्षेत्रों में दो दफा ओलावृष्टि हुई। पहली बात तो यह है कि वहां पर बारानी जमीन है। वहां पर धनिये की खेती होती हैं, छोटे-छोटे खेत हैं, सिचाई के साधन नहीं हैं, बिजली की इस दफा वैसे ही कटौती रही ताकि लोगों को पानी नहीं मिल सका इन सबके बावजूद यह हमारे ऊपर प्रकृति

(श्री रामकिशन वर्मा)

की कु-दृष्टि, इसलिए मैं चाहूंगा कि उन लोगों की जल्दी से जल्दी गिरदावरी करवा कर ज्यादा राहत दिलावें। इस राहत के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आपके अलावा दूसरा कोई राहत नहीं देगा। मैं तो यह भी चाहूंगा कि अगर आपको समय मिले तो एक दफा आप स्वयं पधारें तो आपको इस बात का अहसास होगा कि पूरी धनिये की फसल पकी-पकाई तैयार थी वह पानी गिर जाने से, ओले गिर जाने से नष्ट हो गयी, काली पड़ गयी और भाव गिरने से किसान तो वैसे ही मर गया। यह सारी बातें किसानों के हक में मैं आपसे निवेदन यह करना चाहूंगा।

(16.00)

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सांगोद के अन्दर भी ओलावृष्टि हुई, झालावाड़ में ओलावृष्टि हुई, छबड़ा, छीपा बड़ौद में हुई, बांरा में हुई, बूंदी में हुई, कृपा करके सबको राहत दिलवायें। मेरा आपसे यही आग्रह और निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री शम्भू दयालजी बड़गूजर।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 16-3-95 को आयी प्राकृतिक आपदा से ओलावृष्टि भयंकर हुई और करीब 27 गांवों में अनुमानतः दो करोड़ पैंतालीस लाख रुपये का नुकसान हुआ। विधि की विडम्बना को कोई रोक नहीं सकता और प्राकृतिक आपदा में मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को साधुवाद देना चाहूंगा कि पिछले 1991-92 में आयी बाढ़ सहायता कोष में भी आपने, हमारे अजमेर जिले में बाढ़ आयी और जूनिया और बोराड़ा गांव आप गये, पधारे और किसानों का बाढ़ से हुई क्षति का जो मुआवजा आपने नोर्म्स को बदल करके दुगना किया और उन किसानों ने आज तक आपकी जय-जयकार की। मैं इस समय निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में काफी जिलों में अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से भी भारी नुकसान हुआ है और माननीय सदस्यों की भी चिन्ता है कि इस नुकसान में जो सहायता राशि देय है, मैं मुख्य मंत्रीजी से सानुरोध प्रार्थना करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए इस राहत राशि को बढ़ाया जाये और किसानों को उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय श्री अमराराम जी।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : मेरे विधान सभा क्षेत्र में 27 गांवों में....

श्री उपाध्यक्ष : बालोतरा से पधारने वाले अमरारामजी।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : इस ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। सुन्दरपुरा, चांदखेड़ी....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सबका आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को....

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : रामसी, कगारा, दूंदरी, सांकर्या, टांकावास, देव खेड़ी, मानखंड, आमली जूनिया, मूलजा, बोगला, मेहरू कलां, आमली सांवर, गोखड़ा, गुलगांव, कालेड़ा, कृष्ण गोपाल, ऊंदरी, आलोली, पारा, सलारी, तसवारिया, पिपलाज, नया गांव वगैरह...

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : राहत मंत्री जी गये नहीं आपके इलाके में भी।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : मैं राहत मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जहां-जहां से भी सूचना प्राप्त की, आपने टौंक जिले में, अजमेर जिले में, भीलवाड़ा जिले में व्यापक दौरे का कार्यक्रम रखा और सहायता राशि दिलाने के लिए आपने प्रस्ताव सरकार से पास कराकर...

श्री रामनारायण चौधरी : आपने अजमेर के जन्दर क्या किया फिर।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : माननीय भैरोंसिंह शेखावत ने वर्ष 1990 में एक नया निर्णय लिया है कि राहत देने में जो देरी होती थी उसको बदलकर जिला कलक्टर को अधिकार दिया ताकि किसानों को राहत राशि तुरन्त पहुंचाई जाये, मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। (व्यवधान)

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि इस राहत राशि में उचित बढ़ोतरी की जाये और सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं को नजरंदाज न किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : हां, अमराराम जी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि न सरकार की देन है, न हमारी देन है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुन लें। इतने बेचैन न होइये, आप हमेशा ही बोलते रहते हैं। आपको बोलने दीजिये।

श्री अमराराम चौधरी : यह एक्ट ऑफ नेचर है, एक्ट ऑफ गॉड है। मेरे क्षेत्र के अन्दर पचपदरा के सिर्फ पांच गांव ऐसे हैं जहां 25-3-1995 को ओलावृष्टि दिन में हुई और वहां जो घोड़ा जीरा है, जिसे ईसबगोल कहते हैं उसकी लाखों रुपयों की फसल खेतों के अन्दर खड़ी थी, थोड़ी सी भी हवा लगती है घोड़ा जीरा देशी जीरा इतना खराब नहीं होता है लेकिन घोड़ा जीरा का दाना थोड़ी सी ठंड से बाहर निकल जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : घोड़ा जीरे से मतलब ईसबगोल न?

श्री अमराराम चौधरी : हां, ईसबगोल। वह नष्ट हो गया और लाखों रुपयों का असोड़ा के अन्दर, मोड़ीवाला में, भागसा में, कापरा में और कुछ बिरोजा और आसोतरा में नुकसान हो गया। जिन गरीबों ने अपने पसीने की कमाई का पैसा लगाकर, बिजली पूरी नहीं मिलने के अभाव में डीजल इंजन से भी उन्होंने घोड़ा जीरा तैयार किया, वह नष्ट हो गया। धोरीमन्ना

(श्री अमराराम चौधरी)

के अन्दर भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां ओलावृष्टि हुई और काश्तकारों की फसल नष्ट हुई। पिछली बार भी ओलावृष्टि हुई थी और मेरे पचपदरा में कुम्हार, जो मटकियों का ही धन्धा करते हैं, आज पचपदरा की मटकियां पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध हैं, हमारे फ्रिज का काम करती हैं, जो भी पचपदरा जाता है, कहते हैं भाई पचपदरा की मटकी लाना। ऐसे गरीब, पिछड़े वर्ग के जो कुम्हार थे, बहुत बड़े-बड़े ओले गिरने से उनकी बाहर पड़ी मटकियों के ढेर खतम हो गये। सरकार से मांग की गयी कि आप जांच कीजिये। पिछली बार भी मेरे यहां ओलावृष्टि से फसल का भी नुकसान हुआ, कुम्हार भाइयों के ढिबें खतम हो गये, उनको अनुदान देने के लिए, मदद करने के लिए, सहायता देने के लिए वहां सर्वे भी किया लेकिन उनको आज दिन तक एक पैसा नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय हरिश्चन्द्रजी पल्लीवाल।

श्री अमराराम चौधरी : मेरी तो यह रिक्वेस्ट है, मेरा कोई राइट नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, हम प्रीमियम जमा कराने के लिए तैयार हैं, जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने फरमाया कि काश्त का बीमा होना चाहिए। एक बार कांग्रेस सरकार में हुआ था और हमारे कुछ लोगों को राहत मिली थी। हम प्रीमियम जमा करा देंगे, आप इसे लागू करें और इसमें कुछ जटिलता आयेगी, कई जो है सही माह नहीं है, करायेंगे तो उन लोगों को तो....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये माननीय सदस्य।

श्री अमराराम चौधरी : तो मेरा निवेदन यही है कि आप अभी जांच कराकर, जो ओलावृष्टि हुई है, उन लोगों की भी मदद करें, और हमारे कुम्हार भाई, जिनके नीवें के नीवें खतम हो गये हैं मटकियों के, उनको पिछला मुआवजा दिलवायें।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे गंगापुर विधान सभा क्षेत्र में ओलावृष्टि तो नहीं हुई लेकिन 25 तारीख को, इसी 25 मार्च को 70 की स्पीड से एक तूफान आया। उस तूफान में मैं स्वयं फंस गया। मैं जयपुर से जा रहा था तो शाम को तूफान के कारण से किसानों ने जो खेतों के अन्दर फसल तैयार कर ली थी, मेरे गंगापुर क्षेत्र के अन्दर सरसों की फसल तैयार हो चुकी है, चने की फसल तैयार हो चुकी है और दोनों फसलें किसानों के खेतों के अन्दर यानि खलिहान में पड़ी हुई थी, तूफान इतना जल्दी और इस गति से आया कि हजारों रुपयों का नुकसान हो गया।

श्री गुरजन्टसिंह : लाखों रुपयों का कहो जी।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : नहीं साहब हजारों का ही, लाखों का तो बताऊं क्यों। हजारों का नुकसान, यानि प्रत्येक गांव में, कोई भी गांव ऐसा नहीं था कि जहां पर तीस हजार का नुकसान, चालीस हजार का नुकसान न हो, जिसके अन्दर सेवाला है, बगलाई है, खेड़ली है, सेवा है, स्यालोली

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

है, वजीरपुर है, इन गांवों की स्थिति तो यह हो गयी थी कि जिन किसान भाइयों ने खलिहान में अपनी फसल तैयार कर ली थी, वह सरसों उनके खेतों के अन्दर बिखर गयी थी जो उठाई नहीं जा सकती। यह सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। तो माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसका सर्वे करवा कर जिन किसान भाइयों का इस तरह से नुकसान हुआ है उनको भी इसके लिए मुआवजा दिलाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। पराक्रम सिंह जी।

श्री पराक्रम सिंह (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राहत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पहले तो हमें अकाल से जूझना पड़ा और अकाल के बाद अतिवृष्टि हुई और अतिवृष्टि के बाद अच्छी फसल हुई तो भगवान के प्रकोप से ओलावृष्टि हुई और काफी नुकसान हुआ। सरकार ने राहत सहायता प्रदान की, मंत्री जी भी पधारे। मैं उनको मेरी जनता की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन इसके साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जो उनको सहायता दी गयी है वह कम है क्योंकि जल्दी से जल्दी राहत कार्य नहीं खुलवाये जायेंगे, एक तो अतिवृष्टि से सभी तालाब टूटे हुए हैं, तो सरकार से निवेदन करूंगा कि इसके लिए राहत कार्य जल्दी से खोलने का प्रयास करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय सदस्य, आप फरमायें।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, किशनगंज और शाहबाद पंचायत समिति में जो ओलावृष्टि हुई है उसके प्रति मैं भी दो शब्द कह रहा हूं। वहां ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसल जो पकी हुई थी, नष्ट हो गयी है और इतनी फसल थी कि करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। मेरा तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन यही है कि एक तो बैंकों की वसूली मार्च में ...

श्री उपाध्यक्ष : सब का है, इतने लोगों को मौका दे रहा हूं।

श्री हीरालाल सहरिया : बैंकों की वसूली माफ की जाये और जो गिरदावरी हो रही है उसके मुताबिक उनका लगान भी माफ किया जाये।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि बैंक लोन स्थगित करके उनको और लोन दिलाया जाये ताकि आगे-आने वाली फसल को वह अच्छी तरह उगा सके और लाभ कमा सकें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामपाल जी उपाध्याय।

श्री हीरालाल सहरिया : साथ ही गिरदावरी होने के बाद में जो....

श्री उपाध्यक्ष : सहरिया साहब, बिराजिये।

श्री हीरालाल सहरिया : राज्य सरकार उसको राहत कार्य में लगाये।

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा

(श्री रामपाल उपाध्याय)

से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा बताया, 146 गांवों में ओलावृष्टि हुई है जिसमें मेरी कांस्टीट्यूएंसी सहाड़ा तहसील के 19 गांव कुप्रभावित हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि जब वह दरक साहब के यहां पर शोक संवेदना के लिए गये थे उस समय में उन्होंने वहां पर 10 लाख रुपये के लिए कहा था और मेरे क्षेत्र में भीलवाड़ा जिले के दूसरे क्षेत्रों की तरफ से माननीय राहत मंत्रीजी भी, मैं आगे-आगे चल रहा था ये पीछे-पीछे आ रहे थे और ये वहां गये। मैंने सौ पर्सेंट नुकसान देखा, इन्होंने खेत-खेत देखे होंगे लेकिन इन्होंने देखा। कल ही मैंने कलक्टर साहब से बात की थी, सर्वे के अनुसार 60 लाख कुछ रुपया होता है। अभी 10 लाख रुपये की मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी और शायद 18 लाख रुपया कल और पहुंचा है या लगभग ऐसा कुछ है। पहले तो मेरा निवेदन है कि आप कृपा करके यह तुरन्त जो भी राशि है इसको भिजवा दें।

दूसरा, निवेदन यह है कि जैसा सभी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वहां के हालात हमने भी देखे, इन्होंने भी देखे या जिन्होंने भी देखे, मैं समझता हूं कि किसानों का ऐसा हृदय विदारक दृश्य दूसरा नहीं हो सकता। सारी फसल नष्ट हो गयी, फलदार और दूसरे पेड़ टूट गये, जो जानवरों को खिलाने वाला रिजका था वह सारा नष्ट हो गया। गन्ना कहीं था वह सब का सब नष्ट हो गया। और तो और उन गरीब किसानों का हाल बेहाल था। अगर आपने देखा हो, माननीय मंत्री महोदय तो जिनके कच्चे मकान हैं केलू के, एक-एक केलू के 10-10, 20-20, 40-40 टुकड़े हो गये। इतने बड़े-बड़े ओले गिरे हैं इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि एक तो आप जो राशि दे रहे हैं, अभी मुझे बताया गया है कि एक हैक्टेयर पर एक हजार रुपया देते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप इसको जिस सूरत में बढ़ा सकें बढ़ायें।

दूसरा, यह निवेदन था कि सामूहिक राहत कार्य भी वहां पर शुरू करें। कुछ गांवों में तो बिलकुल नहीं के बराबर काम रह गये हैं।

तीसरा, एक लगान वगैरह को माफ करने की बात हुई है लेकिन सैन्ट्रल का-आपरेटिव बैंक, भूमि विकास बैंक्स और दूसरे जो कार्मशियल बैंक्स हैं, जो प्रभावित गांव हैं उन प्रभावित गांवों से उन बैंकों की फिलहाल वसूली बन्द करवायी जाय और जो सैन्ट्रल कॉ-आपरेटिव बैंक है उसको शॉर्ट-टर्म को मीडियम टर्म पर लगाने के लिए चेंज करने के लिए कुछ कहा जाये, मुझे यही निवेदन करना था।

श्री उपाध्यक्ष : महावीर जी भगोरा।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय अकाल राहत मंत्री से निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सब जगह ओलावृष्टि हुई है। मेरे क्षेत्र में भी जो कोटड़ा क्षेत्र है उसमें भी ओलावृष्टि से काफी फसल को नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि के अलावा मेरे यहां अधिक सर्दी पड़ने से, जिसको देशी भाषा में डाह बोलते हैं,

(श्री महावीर भगोरा)

डाह पड़ने से खड़ी की खड़ी फसलें जल गयी और गन्ना और तूहर की फसलें काफी नष्ट हो चुकी हैं। हमने जिला कलक्टर महोदय को भी इस सम्बन्ध में लिखा है पर अभी तक राहत नहीं पहुंची है परन्तु मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आप रिपोर्ट मंगवा कर राहत पहुंचाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : महेन्द्र कुमार जी मीणा।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकराय के अन्दर व ग्राम पंचायत चांदेरा, पांचोली, धूलघोट, गढ़, सराय, खारण्डी, मूण्डकस्यां इन क्षेत्रों में ओलावृष्टि से फसल को भयंकर नुकसान हुआ है, सारी फसल बरबाद हो चुकी है, किसानों को अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। 25.3.95 को दुबारा अंधड़, तूफान, आकाशीय बिजली गिरने से दो औरतों की वहां मृत्यु हो चुकी हैं जिसमें कौशल्या मीणा पत्नी भगवान मीणा, उम्र 35 साल, निवासी खारण्डी, श्रीमती सरोज गुजर पत्नी लड्डूराम गुर्जर निवासी जीरोला, इन दो औरतों की वहां आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु हो चुकी हैं, तो माननीय मुख्य मंत्री जी से, राहत मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने से जो दो जनों की हानि हुई है उनको 5-5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रताप जी कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ जिले की नोहर, भादरा तहसीलों के बीसों गांवों में ओले पड़े हैं, मकान भी नष्ट हुए हैं, फसल भी नष्ट हुई है और पशुधन का भी नुकसान हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाहे वह हनुमानगढ़ जिला हो, चाहे गंगानगर जिला हो, चाहे जोधपुर जिला हो या कोई अन्य जिला हो। जहां-जहां भी ओलावृष्टि हुई, काश्तकारों का काफी नुकसान हुआ है और काश्तकार का सिवाय फसल के दूसरा कोई और सोर्स भी नहीं है घर चलाने के लिए और पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध नहीं है। इस हालत में वर्तमान में जो सहायता राशि दी गयी है यह बहुत ही कम है। सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैं अकाल राहत मंत्रीजी से व माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सहायता को बढ़ाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल मीणा।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 37 गांवों में जिस प्रकार से ओलावृष्टि हुई है और गत वर्ष भी जो ओलावृष्टि हुई और उससे शत-प्रतिशत फसल नष्ट हो गयी थी। इस बार जिन गांवों में नुकसान हुआ है उन गांवों में जानवरों का, अनेक तो मोर मारे गये हैं, पशु-पक्षी और तीन भैंसों की बिजली गिरने से मौत हुई,

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

उनकी जो राहत राशि दी गयी है वह बहुत कम दी गयी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह राहत राशि बढ़ायी जाये और उनकी जो फसल का नुकसान हुआ कम से कम उसे ज्यादा नहीं तो 25 प्रतिशत तो चुकाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री कन्हैयालाल मीणा : साथ ही निवेदन करूंगा कि आपने जो प्रीमियम, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, प्रीमियम राशि जमा कराने को तैयार हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : ज्यादा लम्बा भाषण है शोर्ट करिये थोड़ा।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पीछे आपने मेरा नम्बर लिया, सबसे पीछे मैं बैठा हुआ हूं और फिर भी आप कह रहे हैं कि शॉर्ट कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, भाषण मत करिये आप नहीं तो आई केन डिस-अलाउ यू।

श्री रामस्वरूप : मेरा निवेदन तो सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राहत मंत्रीजी का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपने राजस्थान में कई जिलों के ओलावृष्टि के बारे में सहायता के लिए घोषणा की है। माननीय मंत्रीजी, जिला सवाई माधोपुर में ओलावृष्टि हुई है। जिला सवाई माधोपुर के आसपास हमारी खण्डार और जितनी भी और तहसीलें हैं वहां भयानक ओलावृष्टि हुई थी जिसका सारा प्रमाण हमारे जितने भी अखबार हैं उन सब में आया है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्दर भी इतने मोटे ओले पड़े जिसके कारण लाखों की फसल नष्ट हो गयी। आप जानते हो किसी मां का या किसी बाप का कोई जवान बेटा मर जाता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कितना दुःख होता है उसी प्रकार किसान ने अपने जवान बेटे को खो दिया। उसने अपनी फसल को किस प्रकार से पैदा किया था, जिस प्रकार महंगा खाद दिया, रात को उसने पानी मोड़ा, उसके बाद में महंगा बीज दिया, सारा कुछ करने के बाद में जब उसकी फसल पक गयी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ओले पड़े और इतने भयंकर ओले थे कि सरसों की सारी फसल नष्ट हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, आपने ध्यान दिया।

श्री रामस्वरूप : इसलिए मेरा निवेदन है कि जिला सवाई माधोपुर में आपने जो सहायता अब तक नहीं दी है वह आप सहायता दें और लोगों का कर्ज माफ करें। (व्यवधान) राहत पहुंचायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ओलावृष्टि हुई,

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

काफी जगह हुई और दुर्भाग्य से मेरा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। मेरे क्षेत्र में भी जैलेन्द्री, माल का खेड़ा, चंजोला आदि पंचायतों में ओलावृष्टि हुई। मुख्य मंत्रीजी भीलवाड़ा पधारने पर जब उनका ध्यान हमने दिलाया तो 10 लाख रुपये उन्होंने उसी वक्त जिलाधीश महोदय को निर्देश देकर स्वीकृत करा दिये थे। वैसे तहसीलदार साहब भी गये थे पर देखने में यह आया है कि पटवारी जो रिपोर्ट बनाता है वह खेत पर जाकर रिपोर्ट नहीं बनाता है, वह घर बैठा ही रिपोर्ट बनाता है। उसका जो नुकसान का आकलन करता है तो मैं राहत मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अधिकारियों को यह निर्देश दिये जायें कि प्रत्येक खेत पर जाकर जो किसान का नुकसान हुआ, उसका आंकलन करे और उसके अनुरूप उनको पूरे नुकसान की सहायता राशि दी जाये।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, श्री बैरवा जी।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ओलावृष्टि से किसानों की तबाही हुई। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी 24.3.95 को कुछ गांवों में खेरदा, अलापुर, खावदा आदि गांवों में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ और गत वर्ष भी वहां पर दस-पन्द्रह गांवों में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ लेकिन सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कोई राज सहायता नहीं दी गयी। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि जहां पर भी जो 50 प्रतिशत या जितना भी नुकसान हुआ है, वहां पर भी, हमारे क्षेत्र में भी यह अकाल सहायता दी जाये। दूसरी तरफ आज जो सहायता दी जाती है बहुत कम है यह राशि भी बढ़ायी जाये। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

डा. शंकरलाल : मैं तो रह ही गया जी, मेरे वाला तो इतना ही....

श्री उपाध्यक्ष : हां तो हाथ खड़ा कीजिये। श्री शंकरलालजी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : दोनों नये सदस्य हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां। मैं दोनों को ही मौका देता हूं। श्री शंकरलालजी।

डा. शंकरलाल (कपासन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र कपासन देश में अफीम का उत्पादन करने के मामले में अग्रणी स्थान रखता है। वहां पर अफीम के नये पट्टे जारी हुए हैं। कई जगहों पर किसानों ने नये पट्टे लिये और नये पट्टेधारी जितने भी थे उनको बुवाई की टेक्निक मालूम नहीं थी। समय पर वह बुवाई कर नहीं सके और प्रमाणित बीज उपलब्ध उनको विभाग भी नहीं करा सका और नारकोटिक्स डिपार्टमेण्ट ने उपलब्ध करवाये। इस वजह से उन्होंने, जैसा जो बीज मिला, बासी बीज लाकर बुवाई कर दी और समय पर बुवाई नहीं हुई। इस वजह से भी अफीम का जैसा उत्पादन होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया। इसके अलावा अच्छा बीज नहीं होने की वजह से, उपचारित बीज नहीं

(डा. शंकरलाल)

होने की वजह से फसल में बीमारी लगी, होडरी मिल्व और दूसरी लट्ठे की बीमारी डोडे में हो गयी। उसकी वजह से अफीम का उत्पादन करीब 8 से 15 प्रतिशत पौधे बिलकुल नष्ट हो गये। इसलिए अफीम का जो रकबा बैठना चाहिए वैसा बैठने की उम्मीद नहीं है। इसके साथ ही पिछले एक महीने से बराबर आकाश में बादल छाये हुए हैं। उस वजह से पूरा दूब अच्छा, सही नहीं निकलता है और अफीम का रकबा जैसा बैठना चाहिए, रकबा बैठने की उम्मीद कम होती है। इसके अलावा किसान टेक्निक नहीं जानते हैं, नये किसान जिन्होंने अफीम पहली बार बोई, वह जो चीरा लगाते हैं, बहुत गहरा लगाया जबकि जो छाल है, उसमें आधा चीरा लगाना चाहिए। ऐसी टेक्निक का ज्ञान न विभाग ने कराया न नारकोटिक्स डिपार्टमेण्ट ने कराया। इस वजह से उनका जो रकबा बैठना चाहिए इन सब कारणों से बैठने की उम्मीद कम है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कृषि विभाग सेण्ट्रल नारकोटिक्स डिपार्टमेण्ट को लिखे कि अगर किसानों का रकबा सही नहीं बैठे तब भी अगली बार सही तरीके बताकर कृषि के उन्नत तरीके बताकर उनको पुनः लाइसेंस जारी कर दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतरामजी।

डा. शंकरलाल : एक तो यह निवेदन है। दूसरा यह निवेदन था, पूरी बात बोल दूं, उसके अलावा कृषि विभाग ने अभी सर्वे करवाये, मेरे 4-5 गांवों में सर्वे करवाया। उसमें से करीब चार किसानों की फसल को बिलकुल नष्ट करने की सलाह दी। नारकोटिक्स डिपार्टमेण्ट से मिलकर उनकी फसल नष्ट करवाने की उनको सलाह दे रखी है। अगर फसल नष्ट करायी जाती है तो ऐसी दशा में उनको प्राकृतिक प्रकोप मानते हुए राहत डिमार्टमेण्ट जो राहत ओले गिरने की वजह से देता है, वैसे ही राहत उन किसानों को भी उपलब्ध करवायी जाये, ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। जीतराम जी।

श्री जीतराम (मालपुरा) : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरे मालपुरा क्षेत्र में 16 मार्च, को होली के दिन ओले गिरे। मालपुरा, टोडारायसिंह, निवाई, टोंक जिले में काफी जगह ओले गिरे, नुकसान बहुत हुआ। मैं गांव में जाकर आया हूं, दो दिन घूमकर आया हूं। मेरे मालपुरा क्षेत्र में 19 गांवों में ओले गिरे, 1445 काश्तकारों के खेतों में नुकसान हुआ। एक करोड़ सताइस लाख तेरह हजार तीन सौ सैंतालीस रुपये का नुकसान हुआ। छह लाख रुपये सहायता राशि दी गयी है। इसके लिए तो मैं माननीय राहत मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं जनता की तरफ से माननीय मंत्रीजी आये और सहायता दी। वैसे अब जो यह राशि दी है छह लाख रुपये की जबकि एक करोड़, सवा करोड़ का नुकसान हुआ है। यह जो सहायता है यह बहुत कम है। यह कब के मापदण्ड हैं। यह मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं। कब के हैं मंत्रीजी यह मापदण्ड ?

श्री उपाध्यक्ष : हां बता देंगे, अभी जवाब में।

श्री जीतराम : जैसे हरियाणा के अन्दर 18 फरवरी, 1978, जनता पार्टी का राज था। चौधरी देवीलाल मुख्य मंत्री थे। हरियाणा में ओले गिरे उन्होंने एक किला, यहां बीघा है, वहां एक किला है। किले के तीन सौ रुपये के हिसाब से मुआवजा दिया। शुरू किया तभी से, उन्होंने कहा पिछले वाले मापदण्ड गये। नये मापदण्ड तीन सौ रुपये के हिसाब से शुरू किये जाते हैं। ऐसा ही, मैं कहता हूं कि यहां भी यह किया जाये अब तो आज के दिन, 1992 में और कितनी महंगाई हो गयी है। हर कर्मचारी का भत्ता बढ़ता रहता है। जिस काश्तकार का नुकसान हो गया उस काश्तकार का एक साल कैसे गुजरेगा? कैसे गुजरेगा उस काश्तकार का? इसलिए यह मुआवजा दिया जाये। जैसे हरियाणा में दिया जाता है उस हिसाब से यहां भी राजस्थान में मुआवजा दिया जाये। यह मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं।....

एक माननीय सदस्य : ज्यादा दिया जाये।

श्री जीतराम : नहीं, आज ज्यादा की जरूरत नहीं है। हरियाणा जितना भी हो जाये तो भी बहुत है....

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री जीतराम : ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। श्री पाटीदारजी।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : आदरणीय उपाध्यक्षजी, ओलावृष्टि से हमारा झालावाड़ जिला भी अछूता नहीं रहा है। झालावाड़ जिले में लगभग पांच-छह सौ गांवों में ओलावृष्टि हुई है, किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सर्वे रिकार्ड के आधार पर सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाई है, आर्थिक मदद की है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का, माननीय राहत मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं। साथ ही माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों का लगान माफ किया जाये, ऋणों में राहत दी जाये। ऋण की वसूली रोकी जाये। इस ओलावृष्टि से अफीम के काश्तकारों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि सैण्ट्रल गवर्नमेण्ट को लिखकर अफीम के किसानों को राहत दिलायी जाये, अफीम की लेवी में छूट दिलायी जाये। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि किसानों को जो क्षतिपूर्ति हुई हैं और राहत जो आर्थिक रूप से मिली है, वह अपर्याप्त हैं, उसको थोड़ा और बढ़ाया जाये ताकि किसान अपनी माली हालत को अच्छा कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी (व्यवधान) मत्रीजी का वक्तव्य सुनें। मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री सांवरलाल जाट (राज्य मंत्री, सहायता एवं पुनर्वास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों ने जो इस प्राकृतिक त्रासदी के सम्बन्ध में चिन्ता

(श्री सांवरलाल जाट)

जाहिर की है, सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। किसान रामजी के भरोसे जीता है। हरी खेती ग्याबन गाय जब घर में आ जाये तभी किसान मानता है कि मेरी पैदावार मेरे पास आ गयी है। प्रकृति और राम जब रूठ जाता है तब ही राज की तरफ देखता है। राज्य के अपने सीमित संसाधन होते हैं उस संसाधन के अनुसार राज्य भी कोशिश करता है कि अपनी प्रजा की सहायता यथा सम्भव करे। मैं दावे से कह सकता हूं कि सन् 1981 के नोर्म्स सन् 1986 में, 1986 के बाद 1992 में माननीय भैरोंसिहजी शेखावत के राज में ही बदले गये हैं और उस अनुरूप सहायता किसानों को बहुत ही कम समय में उपलब्ध करवायी गयी। उस समय बहुत कम समय में किसानों को सहायता उपलब्ध करवायी गयी। उस समय यह था कि केवल लघु और सीमान्त काश्तकारों को ही सहायता मिलेगी, अबकी बार हमने यह कर दिया कि चाहे कितना ही बड़ा किसान हो, उसको भी सहायता मिलेगी तो यह सरकार की एक उपलब्धि मैं कह सकता हूं कि किसानों की नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। भरपाई करना सरकार के लिए सम्भव नहीं है पर किसानों के दुःख-दर्द में बराबर की भागीदार है। जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, ग्रामीण विकास अभिकरण की तरफ से कामकाज खोल दिये जायेंगे। यह मैं घोषणा करता हू। पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य यह जानना चाह रहे थे कि राहत मंत्रीजी ने मौसम विभाग से जानकारी की या नहीं ....(व्यवधान)—

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजिये। बाद में पूछ लेना।

श्री सांवरलाल जाट : पहले आप.... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं। इतना जोश खाने की जरूरत नहीं है, बिराजिये आप।

श्री सांवरलाल जाट : पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा कि मौसम विभाग से जानकारी की या नहीं की। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि इस फसल को मौसम विभाग से जानकारी करके कैसे बचाया जा सकता था। यह माननीय सदस्य ही बताइये। फसल का टाइम हुआ, जब फसल कटेगी, घर में आयेगी, यह पत्थर का बिजनेस नहीं है, जिसको हम बचा लें इसलिए इनको कम से कम यह जानकारी रखनी चाहिए। बरसात के समय बाढ़ आती है, सरकार पहले तैयारी कर लेती है, अब ओलों का आप, खेत को बचा सकते हो तो पता नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं है और इस प्रदेश के किसानों की इतनी हैसियत नहीं है कि एक-एक खेत के त्रिपाल लगाकर उन ओलों से उनको बचा सकें। अगर हैसियत होती तो यहां पर इतनी चर्चा की आवश्यकता नहीं पड़ती। जितनी सरकार कर सकती है, करने की कोशिश कर रही है। अब एक माननीय सदस्य का विचार यह आया था कि पटवारी घर बैठकर रिपोर्ट बना रहे हैं। मेरे ख्याल से

(श्री सांवरलाल जाट)

ऐसे तो निर्देश कोई है नहीं सरकार के। अगर कोई लापरवाही कर रहा है, गलती कर रहा है तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। मापदड बदलने की बात, मैंने आपसे निवेदन कर दिया है। इसके अलावा सारे प्रकार के नुकसान, आदमी का देहान्त हो जाता है, घायल हो जाता है, सब प्रकार के नार्म्स माननीय शेखावत साहब ने 1992 में ही फिक्स किये। मकान टूट जाये, जानवरों का नुकसान हो जाये तो मैं यह आश्वस्त आपको करना चाहता हूं कि जो निर्धारित मापदंड हैं, उनके अनुसार सहायता.... (व्यवधान)....

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर): हरियाणा के बराबर घोषणा करिये।

श्री सांवरलाल जाट: अब हरियाणा की तो मुझे जानकारी नहीं है, जीतरामजी को ही जानकारी है। पर राजस्थार सरकार की यह उपलब्धि मानता हूं कि राजस्थान सरकार ने जो सहायता 1986 के अन्दर की, उसको दुगनी की और हरियाणा सरकार से जानकारी ले लेंगे और यहां पर एक बात आयी थी कि जानवरों के लिऐ घास-फूस नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर घास-फूस की व्यवस्था खरीफ की फसल से ज्यादा होती है। अगर इनको जानकारी हो और किसानों की पैदावार को नहीं समझते हो तो इस बात का भी ध्यान कर लें, यह जो फसल है, कार्माशियल कास, इसमें बोते हैं, बाकी खाने-पीने का गेहूं बोते है तो चारे की कोई कमी मेरे ख्याल से किसी गांव में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद।

श्री विष्णु मोदी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, एक क्लेरिफिकेशन (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य.... (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप: हमारे सवाई माधोपुर में नुकसान हुआ है और आप....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष: पांच-छह घंटे हाउस चलता है तो एक घंटे तो आपका भाषण होता है, अब तो आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप: सवाई माधोपुर की भी रिपोर्ट मंगवा ले। सवाई माधोपुर में जो ओलावृष्टि हुई है, उसमें सहायता दिलवायी जाये।

श्री उपाध्यक्ष: बिराजिये, बिराजिये आप। आपको खूब मौके देता हूं मैं वैसे ही।

श्री विष्णु मोदी: ऑन ए पाइण्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, साहब।....(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : अगर मंत्रीजी के समझ में नहीं आयी कि मौसम विभाग की जानकारी से कैसे बचाया जा सकता है तो मैं इनको जानकारी करवा देता हूं और पहले भी मैंने यह बात कही थी ।

श्री उपाध्यक्ष : यहां आप सारी जानकारी देवें, यहां पहले सदन.... (व्यवधान)....

श्री विष्णु मोदी : मैं एक ही मिनट में अपनी बात खतम कर दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, माननीय सदस्य ।

श्री विष्णु मोदी : जब पिछली बार.... (व्यवधान)....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : क्या चक्कर है?

श्री उपाध्यक्ष : सारी बात हो चुकी है, माननीय सदस्य को बोलना है ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : विष्णु जी अब बात खतम हो गयी है, हमें भी बोलने दें आप दूसरी बातं । दूसरी चर्चा शुरू हो रही है । वाद विवाद पर भी करना है, करने दें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सिंह साहब, बिराजिये ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : हो गयी, जवाब आ गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सिंह साहब ।

श्री विष्णु मोदी : आक्षेप लगाये हैं मेरे पर ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सिंह साहब बिराजिये ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मेरा नाम है लिस्ट में, वाद-विवाद में ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, अभी आप बाद में । अभिभाषण में पहला है आपका । अभी आप बिराजिये दो मिनट । इतनी देर में तो अपनी बात खतम हो जाती, आप कहिये ।

श्री अमरराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय मंत्रीजी, मैं यह कह रहा हूं, पचपदरा में 10-15 आदमी हैं; कुम्हार जाति के, उनकी नयी मटकियां टूट गयी, उनको आप मुआवजा दिलाइये । बाकी तो आप सब कर ही देते हैं (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : अमररामजी, बिराजिये ।

श्री अमरराम चौधरी : लेकिन इन लोगों को आपने क्या राहत दी है; इसका जवाब आपने नहीं दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : अमरराम जी, बैठिये । सारी बातें नोट हो गयीं । जिन-जिन माननीय सदस्यों ने जो-जो बातें यहां कही हैं, सदन के पटल पर कही हैं वह सब रिकार्ड पर आ गयी है और माननीय मंत्री महोदय इसका अवलोकन करके सारी बातें देख लेंगे । हां, माननीय सदस्य ।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि 9 तारीख को भारत सरकार के मौसम विभाग ने यह जानकारी दी । मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में इस समय दो

(श्री विष्णु मोदी)

चक्रवर्ती परिसंचार तंत्र प्रभावी हैं। 9 तारीख को और यही परिसंचार तंत्र वे हैं जो विक्षोभ अफगानिस्तान में पिछली साल बना था, वह इस साल बना और 9 तारीख से बना हुआ जो विक्षोभ था उससे 16 तारीख को ओलावृष्टि हुई और यह जानकारी मौसम विभाग भारत सरकार का जो था, उसके अनुसार की। कहां-कहां वह आगे बढ़ रहा है, उसकी वह जानकारी दे रहा था, पिछली बार भी इसी तरह से विक्षोभ बना और राजस्थान सरकार.... (व्यवधान)....

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : वहां रिपोर्ट हो रही....(व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : राजस्थान के काश्तकारों का फायदा करा लेते आप।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : मंत्री महोदय ने जो कहा उस बात का तो जवाब नहीं दे रहे हैं आप।

श्री उपाध्यक्ष : आप माननीय सदस्य, बिराजिये। आप आधा मिनट में अपनी बात पूरी करें।

श्री विष्णु मोदी : हां, एक ही मिनट में खतम करता हूं। मेरा पिछली बार भी यह सुझाव था और इस बार भी मैं विनम्र शब्दों में आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि तालमेल रहना चाहिए और उस तालमेल का कोई इस तरह का गठन करके जब इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं की हमें पहले जानकारी मिल सकती थी, तो उसके मिलने पर किसानों को दी जानी चाहिए और उससे क्षति कम से कम हो, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। बैठिये। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मेरा नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट बैठिये तो सही।

श्री अमराराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब इन्होंने अभी तक नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आप घर पर जाकर ले लेना, यहां सदन के बाहर....(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : बहुत मामूली आदमी हैं, 15 घर ही हैं। उन लोगों के लिए, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मटकियां जो रखते है, उनकी नयी मटकियां खतम हो गयी, उनको तो मंत्री महोदय, कुछ न कुछ राहत दें। 100 घर हो तो कोई बात नहीं....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आप बात कर लेना, आपको मना नहीं करेंगे।

श्री अमराराम चौधरी : मंत्रीजी आप फरमाइये तो सही। आप ऐसे गरीब लोगों के लिए जो अपना गुजारा मटकियां बना कर करते हैं, पिछली बार भी उनका सर्वे कराया गया था, कुछ न कुछ तो उनको राहत दीजिये। बाकी आप पूरे जिले को तो नहीं दे सकते, यह तो कीजिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी साहब, बिराजिये आप। बिराजिये अब।

श्री अमराराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे वहां बैठना पड़ेगा यह मंत्रीजी जवाब नहीं देंगे तब तक। फ़रमा दें, मंत्रीजी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप उनसे कहें । गरीबों के लिये आप भी तो कह सकते हैं । इतनी संवेदना आप रखने वाले हैं, उन गरीबों के लिए । 15 आदमी हैं, उनके नये मटके खतम हुए हैं । एक मटके के 10 रुपये लगता है ।

श्री उपाध्यक्ष : बड़ी मुश्किल से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद शुरू कर रहे हैं और आप....

श्री अमराराम चौधरी : आप कह रहे हैं, हम सबको कर रहे हैं और आप.... (व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये ।

श्री अमराराम चौधरी : इतना जो कर रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आपने बहुत बातें कह दी हैं, बिराजिये अब आप । माननीय सदस्य श्री मोहनलालजी मोदी को बाहर पधारना है, वैसे अग्रेत्तर बाद-विवाद आज होना था श्रीमान् विष्णुजी मोदी और शांतिकुमार जी धारीवाल को बात कहनी थी। (व्यवधान) आप बीच-बीच में डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे । चुप रहिये थोड़ा । क्या मजाक है ! जी लगाना अपराध है । क्यों बोल रहे हैं, फिर बीच-बीच में । सदन की कोई गरिमा होती है । लिवरल को आप यह मत समझ लीजिये, बिलकुल ऐसे हैं । माननीय मोहनलाल जी मोदी । मोदी साहब से निवेदन करूंगा कि वे आज अभिभाषण पर अपना भाषण दें ।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मेरे को समय दिया । मैं तो बहुत लम्बा-चौड़ा भाषण भी नहीं देता बल्कि मुद्दे की बात बताऊंगा आपको । जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव दिया है मैं उसका विरोध करता हूं और मैं, यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में न तो कोई सार्वजनिक कार्यों का पिछला लेखा-जोखा है, न आगे भविष्य में क्या करने जा रहे हैं, सरकार ने उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है । यह लेक्चर भाषण है, जो इस सदन को दिया गया है । माननीय सदस्य ने चुनावों के बारे में अपनी सरकार की बहुत प्रशंसा की है कि हमने पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव करायें । उनमें महिलाओं का आरक्षण करा दिया, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े व्यक्तियों का आरक्षण किया । माननीय सदस्य यह भूल गये कि यह नीति हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी की बनाई हुई थी और आपने उसको मजबूरी से लागू किया । आपकी सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव ही नहीं कराने चाहे । पांच वर्ष तक उन चुनावों को नहीं कराया और जो पंच-सरपंच लगे हुए थे उनको हटा दिया । प्रशासक लगा लिये और प्रशासकों की यह हालत रही कि भारत

(श्री मोहनलाल मोदी)

सरकार से जो पैसा इन समितियों के लिए, इन गांवों के लिए आता था वह ग्राम सेवक 20 प्रतिशत ही खर्च नहीं करते थे और आज आप देख भी सकते हैं कि एक–दो जगह भी योजनाओं का जो धन आया है वह सारा ग्राम सेवकों के ही घर में गया है। उनकी बड़ी-बड़ी कोठी बन गयी, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बन गयी। यह कई जगह आया भी है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने भारतीय जनता पार्टी की जो पंचायत समिति, जिला प्रमुख है इनके चुनावों के बारे में बहुत प्रशंसा है कि हमने 44 में से 33 नगर निगम, नगरपालिका बना ली, 217 में से 116 प्रधान बना लिये और 31 में से 16 जिला प्रमुख बना लिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किस तरह से इस सरकार ने यह फर्जीवाड़े किये हैं और भ्रष्ट तरीके अपनाये हैं। सोजत और पाली के सारे उदाहरण आपके सामने आये हैं। मैं मेरे यहां का भी एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। यह चुनाव किस तरह से हुए हैं। नीमकाथाना पंचायत समिति में 16 तारीख को चुनाव होने वाले थे पंचायत प्रधान के। 15 तारीख को इस सरकार के प्रभावशाली व्यक्ति नीमकाथाना में गये और उन्होंने एस. डी.ओ. को डाक बंगले में बुलाया और उस पर बहुत बड़ा दबाव डाला कि हमारा यह प्रधान बनना चाहिए। नीमकाथाना पंचायत समिति में 37 सदस्य थे और 37 सदस्यों के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार एक रिटायर्ड आर. ए. एस. अधिकारी की पत्नी और कांग्रेस की तरफ से कस्तूरी देवी उम्मीदवार थी। 37 सदस्यों के उस सदन में 36 सदस्य उपस्थित हुए। 4 बजे तक 36 वोट पड़ चुके थे। अब ये सब अधिकारी वहां, विकास अधिकारी वहीं, एस. डी. ओ. को निर्वाचन अधिकारी बना रखा, एस.डी.ओ. भी वहीं, उन्होंने वहां खोल-खोलकर उन वोट्स को देखा और उनको यह मालूम हो गया कि दोनों पक्षों के 18–18 वोट हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सरिता देवी, जो गुहाला वार्ड नम्बर 10 से जीती थीं वह हास्पिटल में एडमिट थीं। वह गर्भवती थीं और यहां जनाना अस्पताल में भर्ती थीं, चलने-फिरने की स्थिति में नहीं थी, उसके ब्लिडिंग हो रहा था, वह वहां पहुंच नहीं सकती थी। इन दोनों अधिकारियों ने सांठ-गांठ की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से सांठ-गांठ करके उनसे यह कहा कि किसी भी महिला को ले आओ हम वोट डलवा देंगे और साढ़े चार बजे तक का समय था उसके अन्दर, समय समाप्त होने से दो मिनट पूर्व यह एक महिला को लेकर आये। इससे पहले कांग्रेस की उम्मीदवार ने लिखित में निर्वाचन अधिकारी को दे दिया था कि यह महिला बीमार है, यह आ नहीं सकती है इसका वोट नहीं डलना चाहिए। मैंने मेरे निवास से टेलीफोन से निर्वाचन अधिकारी को सूचित कर दिया कि यह महिला हास्पिटल में एडमिट है, इसका वोट नहीं पड़ना चाहिए लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दो मिनट पूर्व स्थानीय नगरपालिका के अध्यक्ष के भाई की पत्नी को लेकर आये। बाहर वहां

(श्री मोहनलाल मोदी)

सैंकड़ों लोग खड़े हुए थे उन्होंने हल्ला किया कि यह फर्जी वोट है इसको नहीं जाने देंगे तो उन लोगों पर पुलिस के डण्डे बरसाये गये। पुलिस ने उन लोगों को भगाया और उस महिला को अन्दर ले गये। अन्दर ले जाने के बाद वहां जो कांग्रेस के सदस्य थे उन्होंने बहुत एतराज किया लेकिन उनको निर्वाचन अधिकारी के पास भी नहीं जाने दिया गया। जो पंचायत समिति के सदस्य थे उनको भी दूर बैठा रखा था। उनको निर्वाचन अधिकारी के पास नहीं ले जाने दिया और जब वह महिला आयी तो कांग्रेस की उम्मीदवार ने यह कहा कि यह सरिता नहीं है इसका वोट नहीं डलना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, उसका वोट डलवाया गया और एक वोट से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार विजयी घोषित कर दिया गया। यह आपकी सरकार की कारगुजारी है और इस तरह से ही आपने दूसरी जगह यह जीत हासिल की। यह इस तरह की जीत नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी तो नहीं हैं लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस निर्वाचन अधिकारी को, जो वहां का एस. डी. ओ. है, उसको आप सस्पेण्ड कर के जांच करायें और अगर यह मामला असत्य साबित हो जाये और यह वोट सही महिला ने डाला हो फर्जी महिला ने नहीं डाला हो तो मैं इस विधान सभा से त्याग पत्र देने को तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी आप पूरी-पूरी जांच करायें और जांच करा कर उस अधिकारी को दण्डित करायें। (व्यवधान)

श्रीमती मनोरमा सिंह (राजाखेड़ा) : क्या ऐसा कांग्रेस वालों ने नहीं किया था, उसी को बी. जे. पी. वालों ने किया है.... (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : वह आपका दृष्टिकोण है। कांग्रेस वालों ने किया जो बी. जे. पी. वालों ने किया, यह आपका दृष्टिकोण है। मानिये तो सही कि हमने फर्जी वोट डलवाये, हमने जबरदस्ती यह जीत हासिल की है। आप मानिये.... (व्यवधान)....

श्रीमती मनोरमा सिंह : माननीय सदस्य एक-एक महीने कोठियों में वार्ड पंच और सरपंच कैद रहते थे और उनसे खुला वोट लिया जाता था। माननीय सदस्य बैठे हैं, इस बात की पुष्टि कर सकते हैं अगर मैं असत्य बोलती हूं तो।

श्री उपाध्यक्ष : मनोरमा जी, बिराजिये।

श्री मोहनलाल मोदी : आपको तो जानकारी नहीं है, आप तो अभी-अभी नये आये हैं आपको इस बात की कोई जानकारी नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये-बिराजिये। बोलने दीजिये आप।

श्री मोहनलाल मोदी : अभी तक पंचायत राज संस्थाओं को आर्थिक सहायता विकास कार्यों के लिए किसी प्रकार की तय नहीं की गयी है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी कहीं यह नहीं आया है कि कितने दिन में इसकी घोषणा की जायेगी।

प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति प्रायः समाप्त सी है। प्रदेश में हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण, भ्रष्टाचार जैसे गम्भीर अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। आम आदमी अपने आप को भयभीत महसूस कर रहा है। मिर्धा अपहरण काण्ड ने आपकी इस पुलिस व्यवस्था की पोल खोल दी है। यहां कितने वर्षों से, आतंककारियों के अड्डे जमे हुए हैं और आपकी इस पुलिस को, पुलिस विभाग को इसकी कहीं कोई जानकारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें अब आप।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत कम बोलने वाला हूं। मुझे आप....(व्यवधान)... मैं तो आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि बेरोजगारी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अमरा रामजी बाहर जाना चाहते हैं और वे आज ही बोलना चाहते हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : बेरोजगारी के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो नौजवान लड़के हैं इनका क्या होगा ? आपने ब्लैक बोर्ड की स्कीम के तहत इन ट्रेंड अध्यापकों को लगाया और पांच-छह साल तक वह सर्विस में रहे। इसके बाद 9 अगस्त, 1994 को इनको हटा दिया। जो बी. एड ट्रेंड हैं छह-छह साल से जो लड़के ट्रेंड हैं, उनको आज सर्विस नहीं मिल रही है, इन सब लोगों का क्या असर होगा ? यह बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसके बारे में कोई न कोई नीतिगत फैसला इस सरकार को लेना चाहिए कि एक बी एड ट्रेंड अध्यापकों को किस तरह से सर्विस मिले, जिनको छह-छह साल हो गये, उनकी क्या हालत होगी ? एक किसान का लड़का पढ़ता है, उसको किस मुश्किल से पढ़ाया जाता है, न तो वह खेत में जा सकता है न वह किसी काम का रहता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार कम से कम इतना तो जरूर करे कि जिस वक्त भी यह ट्रेंड अध्यापकों को लगाया जाये उनमें इनको वरीयता दी जाये, जो छह-छह साल से, सात-सात साल से ट्रेंड अध्यापक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली व पानी की ऐसी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। पानी की हालत इस प्रदेश में बड़ी खराब है। पीने का पानी नहीं मिलता, कुओं का जल स्तर गिर गया, कहीं बांध नहीं बनाये जा रहे हैं, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी पूरी-पूरी व्यवस्था करें।

शिक्षा के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने 2268 प्राइमरी स्कूल खोले जबकि बजट में तीन हजार अनाउंस किये थे। दूसरी बात 1192 मिडल स्कूल खोलें, 1192 मिडल स्कूलों में एक मिडल स्कूल नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में दिया। यह आपकी

(श्री मोहनलाल मोदी)

कारगुजारी है, आप इस तरह का सौतेला व्यवहार रखते हैं, आप इस शिक्षा के अंदर भी यह भेदभाव पूर्ण तरीका अपनाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऊंचे उठकर बात करिये, खाली कुछ निर्दलीय विधायक आपको समर्थन दे रहे हैं, वहां ज्यादा से ज्यादा खोल दिये ...(व्यवधान) एक खोला है, एक मिडल स्कूल खोला है मेरे यहां। जबकि मेरे हिस्से में पांच आते थे और एक भी सैकण्डरी स्कूल नहीं खोला। आप बताइये, इस तरह का दुर्व्यवहार, सौतेला व्यवहार आप रखते हैं। आपकी जो संवेदनशील सरकार है, उस सरकार को ऊंचे उठकर कम से कम इस शिक्षा के....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बिराजें। अब तो बिराजिये आप।

श्री मोहनलाल मोदी : अन्त में, धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वी. पी. सिंह (अनुपस्थित)।

श्री अमराराम जी। अमराराम जी धोद वाले। (व्यवधान) सबको समय देंगे आप बिराजें। अमरा राम जी।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका विरोध इसलिए करता हूं कि जो अभिभाषण रखा गया है उससे राजस्थान के विकास की कोई भी किरण दिखाई नहीं दे रही है। जहां तक दूसरे पैरे में सबसे पहले जहां पंचायत राज व्यवस्था की बात की गयी है कि पहली बार हमने ऐसी व्यवस्थाएं लागू की हैं। जब हमारे मुख्य मंत्री सर्वप्रथम 1978 में मुख्य मंत्री बने उस समय से, पश्चिमी बंगाल में यही व्यवस्था है जो हिन्दुस्तान की सर्वोत्तम पंचायत व्यवस्था थी। जहां तक चुनाव का सवाल है हमारी राजस्थान की सरकार, एक ओर विकास के कार्यों की बात आती है, कहती है पैसे का बड़ा अभाव है। जहां हमारे राजस्थान के पंचायत चुनाव को केवल मात्र अपने राजनैतिक स्वार्थों के कारण दो दफा करवाये गये। इस तरह की हमारी राजस्थान की सरकार है, उल्टी सरकार है वैसे ही उल्टी गिनती करके हमारी पंचायत संस्थाओं के चुनाव, पहले जिला परिषद् और पंचायत समिति के उसके बाद पंचायत और सरपंच के उसी तरह से करवाये गये। केवल मात्र, अगर सरकार के पास ब्लड पेटियां नहीं थी तो डिब्बे रखे जा सकते थे, राजस्थान की जनता के लिए करोड़ों रुपये इस बात के लिए बचाये जा सकते थे, जो राजस्थान के विकास के लिए काम आ सकते थे लेकिन उसके बाद ...

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : चुनाव में ब्लड पेटियां काम में नहीं आती।

श्री अमराराम : वोट, वह वोट जो को-आपरेटिव में नो दे सकते हैं, राजस्थान

(श्री अमराराम)

की जनता आराम से चार वोट दे सकती थी लेकिन राजनैतिक स्वार्थों के कारण उन दोके दफे चुनाव करवाये गये और उसका नतीजा, हमारी राजस्थान की सरकार नीतियां बनाने में माहिर हैं। वह सरकार और पंचायत समिति और जिला परिषद् चुनावों में किस तरह से खरीद-फरोख्त की जा सकती है यह नीति भी राजस्थान की सरकार ने बनायी है और राजस्थान में नहीं, हिन्दुस्तान में एकमात्र नीति है इसका उदाहरण चाहे आप बांसवाड़ा की जिला परिषद् का ले लीजिये, चाहे पंचायत समिति घोद के प्रधान का चुनाव ले लीजिये, जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो दल और नीतियां होने की बात करती है। जब स्वार्थ टकराते हैं दोनों एक तरफ हो जाते हैं तो दो चुनाव करवाये गये।

दूसरा सवाल, राजस्थान के मजदूरों का जहां तक सवाल है, आज एक भी शब्द इस राज्यपाल के अभिभाषण में उन मजदूरों के लिए नहीं हैं। जितने भी पड़ौसी राज्य हैं जहां मिनिमम वेज, जो राजस्थान के मजदूरों के लिए होनी चाहिए थी, जहां 55 रुपये नियमानुसार बनती है वहां 32 रुपये हमारी राजस्थान की सरकार ने घोषित किये। किसी भी पड़ौसी राज्य से, यहां तक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दैनिक मजदूरी से भी राजस्थान की मजदूरी कम है। जहां तक आज केवल मात्र राजस्थान के औद्योगिक... (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे बढ़ाया जावे।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : टाइम नहीं बढ़ाया जाये उपाध्यक्ष महोदय, और अगर टाइम बढ़ाये तो डिवीजन।

श्री उपाध्यक्ष : क्या समय बढ़ाने की सदन की सहमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माननीय सदस्यों को विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : साहब पांच बज गये, तीन दिन की छुट्टी है।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : नहीं, गांव जायेंगे सब लोग, एक घण्टे में कितना विचार होगा ?

श्री विष्णु मोदी : जल्दी क्या है आपको, बजट तो पास हो गया। आराम से तसल्ली (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको यहां से भागने की जल्दी क्या है ?

श्री विष्णु मोदी : नहीं है, भागने की जल्दी (व्यवधान) आप भाग रहे हैं, हमें आराम से सुनो आप।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : तीन रोज की छुट्टियां हैं, अगले रोज आप दो घण्टे बिठा लेना, हम सब गांव जाना चाहेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको गणगौर पर जाना है क्या ?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : नवरात्रा स्थापना है कल।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो यह पूछ रहा हूं आपको गणगौर पर जाना हो तो मैं विचार करूं।

श्री शिवनाथ सिंह : सब जाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर माननीय सदस्य बहुमत में हैं, अगर नवरात्रा करना चाहें तो मैं तो मजबूर हो गया। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आज इतनी बढ़िया विधान सभा चल रही है, सब तरह से सहयोग मिल रहा है एक घंटा और बढ़ा दें, क्या फर्क पड़ता है। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : आज मत रखिये, आइन्दा फिर रख लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका भाषण पूरा होने तक समय बढ़ाया जाये (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम जी का भाषण समाप्त होने तक समय बढ़ाया गया। (व्यवधान)

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अमराराम (धोद) : इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

जहां तक नयी औद्योगिक नीति का सवाल है, इस औद्योगिक नीति में राजस्थान के उद्योगपतियों को इस बात की छूट दी गयी है कि चाहे जब वह ले-आफ करें राजस्थान की सरकार की बगैर स्वीकृति के, राजस्थान के श्रम विभाग की बगैर पूर्व अनुमति के। आज भी राजस्थान में ऐसे कारखानों में ले-आफ छंटनी के कारण चाहे वह आदित्य मिल, किशनगढ़ हो, माडर्न सिंथेटिक्स, अलवर हो, पालीवाल स्टील हो, जयपुर पोलिस्पिन, रींगस हो, मानसिक ऑयल प्रोडक्ट, अनेक कारखाने हैं और वही नहीं, हजारों लघु उद्योग, जो इंस्पेक्टर राज के नाम पर, वहां के मजदूरों को इस बात के लिए उन मालिकों के रहमो-करम पर छोड़ दिया गया है कि वह उनकी देखरेख करेंगे, जो उनका शोषण करते हैं। उनको निरन्तर इस बात की छूट दे दी गयी है तो मैं समझता हूं राजस्थान की सरकार मजदूरों की विरोधी है।

जहां तक दूसरा सवाल किसानों की बिजली के संबंध में है, जहां हमारी सरकार काम, रोटी और इंसाफ की बात करती है, जहां सबसे गरीब को गणेश मानने की बात करती है, आज जहां बिजली का सवाल है, पिछले साल पच्चीस हजार किसानों को नम्बर से कनेक्शन देने की बात थी,

(17·00)

जिसमें हरिजनों को भी देने की बात थी, सब राजस्थान की सरकार ने छोड़ दिये। आज राजस्थान की सरकार जहां

(श्री अमराराम)

नौ हजार रुपये प्रति पोल और ढाई रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से अगर राजस्थान की बिजली बोर्ड के सामने जो तीन-साढ़े तीन लाख की संख्या में खड़े हैं राजस्थान में लाइन में, अगर वह यह पैसे देने को तैयार हैं तो राजस्थान की सरकार के पास बिजली है। नम्बर से देने के लिए नहीं है। जहां हमारी आर्थिक नीतियों के खिलाफ हमारी राजस्थान सरकार की पार्टी, भारतीय जनता पाटी विरोध करती है लेकिन जहां खुद का सवाल आता है, किसान को बिजली देने में जो सब्सिडी का सवाल आता है राजस्थान की सरकार सबसे पहले उसको समाप्त करती है। निश्चित रूप से कथनी और करनी में राजस्थान की सरकार में जहां सबसे बड़ा भेद है कि किसान के साथ वही व्यवहार जो हिन्दुस्तान की सरकार फर्टिलाइजर्स को बढ़ाकर, सब्सिडीज खतम करके जो केन्द्र की सरकार कर रही है वो की वो हमारी राजस्थान की सरकार करने जा रही है।

जहां तक बाल विकास और महिला विकास की बात है, हमारी सरकार यह कह रही है कि हमारी साथिन राजस्थान में बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं। हमारा विभाग बैठकर यह निर्णय लेता है कि जो बढ़िया काम करता है उसको उसके बाद भी, पांच साल बाद कोई साथिन उसमें रहनी नहीं चाहिए। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो इस पिछड़े हुए राजस्थान में, सामन्ती समाज में अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए साथिन काम करती हैं उनको पांच साल के बाद हटाने की कोशिश की जा रही है।

जहां तक शिक्षा विभाग का सवाल है। इसमें भी यह दिया गया है, कि पांचवी कक्षा तक के तमाम विद्यार्थियों को इस बात के लिए पुस्तकें दी गयी हैं। लेकिन वही विकास विभाग 20·2. को आर्डर निकालता है कि तमाम वे पुस्तकें जो प्राइमरी स्कूल में दी गयी हैं वे वापस जमा कर ली जायें। अगर मुफ्त में स्कूलों में प्राइमरी शिक्षा तक की किताबें दी गयी थीं तो यह आर्डर जो किताबें वापस लेने का निकाला गया है विकास विभाग द्वारा, वह मैं समझता हूं इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। एक तरफ हमारी सरकार यह कहती है कि हम निःशुल्क किताबें दे रहे हैं और दूसरी तरफ वह आर्डर निकाल रहे हैं 2 फरवरी, 1995 को कि सब किताबें प्राइमरी स्कूल से टीचर्स जमा कर लें तो यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जहां तक स्कूलों का सवाल है बजट उनको नहीं दिया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्राइमरी स्कूल में अगर पढ़ लिया तो उन किताबों का करेंगे क्या ?

श्री शिवनाथ सिंह : अपने छोटे भाई को दे देंगे।

श्री अमराराम (धोद) : आपने मुफ्त तो नहीं दी। इसका मतलब यह हुआ कि हमने केवल उनको बुक बैंक के रूप में पढ़ने के लिए दी हैं मुफ्त में दी नहीं गयी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह और बता देऊं आपको कि पढ़ने के लिए ही किताबें दी गयी हैं।

श्री अमराराम (धोद) : जब आप यह निकालते हैं कि मुफ्त में दी है····(व्यवधान) मुफ्त वितरण जो आपने लिखा है यह हटा दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किताबें मुफ्त वितरण की गयीं और केवल पढ़ने के लिए की गयी। उन किताबों से यदि दूसरे छात्रों को सहायता मिल सकती है गरीबों को तो उसमें आपको आपत्ति क्या है ?

श्री अमराराम (धोद) : नहीं कोई आपत्ति नहीं है। आप इस साल से लागू कर रहे हैं सन् 1978 से पश्चिम बंगाल ने किया है और किसी भी किताब को वापस नहीं लिया गया है। यह मैं आपको सूचित करना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हो गयी बात। आगे चलो दूसरा पाइंट लो।

श्री अमराराम (धोद) : पेयजल की जहां तक समस्या है और तमाम जो समस्याएं हैं उनके लिए इस अभिभाषण में कुछ नहीं रखा गया है। इसलिए मैं इस अभिभाषण का विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 4 अप्रेल, 1995 के 11·00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 17·04 बजे मंगलवार, 4 अप्रेल, 1995 के 11·00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

172

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 161 की प्रति

ग्राम पंचायत डोब तहसील लालसोट पर दिनांक 24-2-95 को
किये गये आवंटन की सूची

क्र.स.	नाम आवंटी		ग्राम	ख.नं.	रकबा
1.	सुरेश/कमल्या हरिजन डोब		डोब	43/1	5 बीघा
2.	प्रभुलाल/नानगराम डोर हरिजन डोब		,,	,,	5 बीघा
3.	नारामल/छाजू बैरवा नि. अलीपुरा डोब		,,	,,	5 बीघा
4.	मिश्रा/छाजू बैरवा नि. अलीपुरा डोब		,,	,,	5 बीघा
5.	प्रतापा/भूरा बैरवा नि. अलीपुरा डोब		,,	,,	5 बीघा
6.	रामजीलाल/पांचू बैरवा नि.	,,	,,	,,	5 बीघा
7.	पप्पू/पांचू बैरवा नि.	,,	,,	,,	5 बीघा
8.	छोटेलाल/पांचू बैरवा	,,	,,	,,	5 बीघा
9.	लल्लू/पांचू बरवा नि.	,,	,,	,,	5 बीघा
10.	रामफूल/भूरा बैरवा नि.	,,	,,	,,	5 बीघा
11.	गैन्दीराम/भूरा बैरवा नि.	,,	,,	,,	5 बीघा
12.	रामकिशन/नाथू बैरवा नि.	,,	,,	,,	5 बीघा
13.	पूरण/नाथूलाल बैरवा	,,	,,	,,	5 बीघा
14.	गरसी/भगन्या बैरवा नि.	,,	,,	,,	5 बीघा
15.	हरसहाय/भगन्या बैरवा नि.	,,	,,	,,	5 बीघा
16.	छोटूराम/मोगीराम बैरवा नि.	,,	,,	,,	5 बीघा
17.	तेजा/भगन्या बैरवा नि.	,,	,,	,,	5 बीघा

Page No. 173

(173)

1	2	3	4	5
18.	कल्याण/भगन्या बैरवा नि.	डोब	43/1	5 बीघा
19.	नारामल/कानाराम बैरवा नि. ,,	,,	,,	5 बीघा
20.	कमल्या/गोपाल बैरवा नि. ,,	,,	,,	5 बीघा
21.	नहनूराम/रमसीराम बैरवा नि. ,,	,,	,,	5 बीघा
22.	मनफूल/नोन्दा बैरवा नि. ,,	,,	,,	5 बीघा
23.	बदरी/नोन्दाराम बैरवा नि. ,,	,,	,,	5 बीघा
24.	प्रहलादसिंह/कल्याणसिंह राजपूत ,,	,,	,,	5 बीघा
25.	गजराजसिंह/दलशमसिंह राजपूत ,,	,,	,,	5 बीघा
26.	दशरथसिंह/मोतीसिंह राजपूत ,,	,,	,,	5 बीघा
27.	नारायण/तन्नसिंह राजपूत ,,	,,	,,	5 बीघा
28.	सम्भूलाल/जयनारायण भयित ,,	,,	,,	5 बीघा
29.	रघुवीरसिंह/माधोसिंह राजपूत ,,	,,	,,	2 बीघा
30.	भोजराज/सरदारसिंह राजपूत ,,	,,	,,	2 बीघा
31.	रघुवीर/गोपालसिंह राजपूत ,,	,,	,,	2 बीघा
32.	गोपाल/मूल्या गूजरसिंह ,,	,,	,,	2 बीघा
33	मनादेवी/देवकीलाल शर्मा नि. ,,	,,	,,	2 बीघा
34.	गोविन्दनारायण जगदीश प्रसाद बजरंगलालशर्मा नि. अलीपुरा ,,	,,	,,	2 बीघा
35.	रमेशचन्द शर्मा/गणपत ,,	,,	,,	2 बीघा
36.	गुमानसिंह/भगवानसिंह राजपूत ,,	,,	,,	2 बीघा
37.	भौरीलाल/विजन्द्रगूर्जर नि. ,,	,,	,,	2 बीघा
38.	विगिनसिंह/बाबूसिंह राजपूत ,,	,,	,,	2 बीघा
39.	भंवरसिंह/केसरसिंह राजपूत ,,	,,	,,	2 बीघा
40.	अंगदसिंह, जयसिंह/सरदारसिंह राजपूत	,,	,,	2 बीघा

1	2				3
41.	रामसिंह/प्रहलादसिंह राजपूत नि. डोब		डोब	43/1	2 बीघा
42.	भवानीसिंह/मानसिंह राजपूत नि,		,,	,,	2 बीघा
43.	हिम्मतसिंह/लछमणसिंह राजपूत		,,	,,	2 बीघा
44.	भागीरथसिंह, हरिसिंह, उमेदसिंह/ हरिसिंह राजपूत नि. अलीपुरा	,,	,,	,,	2 बीघा
45.	श्यामसिंह/भंवरसिंह राजपूत	,,	,,	,,	2 बीघा
46.	सुरज्ञानसिंह, रामसिंह, सुरजनसिंह, दशरथसिंह/मगनसिंह राजपूत	,,	,,	,,	4 बीघा
47.	किशोरसिंह/समुद्रसिंह राजपूत	,,	,,	,,	2 बीघा
48.	महेन्द्रसिंह/सुमेरसिंह राजपूत	,,	,,	,,	2 बीघा
49.	कैलाश/रामलाल भैंसपिता	,,	,,	,,	2 बीघा
50.	भंवरसिंह/नारायणसिंह राजपूत	,,	,,	,,	2 बीघा
51.	जसवन्तसिंह/धनसिंह राजपूत नि.	,,	,,	,,	5 बीघा
52.	सुल्तानसिंह/प्रहलादसिंह राजपूत	,,	,,	,,	2 बीघा
53.	केसरसिंह/हुकमसिंह राजपूत	,,	,,	,,	2 बीघा

परिशिष्ट–2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

जयपुर स्थित चिकित्सालयों हेतु स्वीकृत बजट

165. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडा-भीम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर स्थित विभिन्न चिकित्सालयों में औषधियों के लिए वर्ष 1993–94 व 1994–95 में कितना बजट स्वीकृत किया गया एवं स्वीकृत बजट किस-किस मद में कितना-कितना व्यय हुआ ?

(2) वर्ष 1994–95 के बजट में कितनी राशि के नये उपकरण खरीदने हेतु स्वीकृति दी गई ? उक्त राशि में से कितनी राशि के उपकरण खरीदे तथा उपकरण खरीदते वक्त क्या कोई समिति बनायी गई ? यदि हां, तो उस समिति के कौन-कौन सदस्य थे ?

(3) क्या यह सही है कि राजकीय चिकित्सालयों में भर्ती मरीजों को औषधियां व पट्टी आदि मुफ्त उपलब्ध करायी जाती हैं ? यदि हां, तो इसका क्या मापदण्ड है ?

उत्तर

(1) जयपुर स्थित सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज से संलग्न चिकित्सालय समूह में औषधियों के लिए वर्ष 1993-94 में 217.90 लाख रुपये की राशि एवं वर्ष 1994–95 में 208.68 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। जिसमें इन वर्षों में क्रमशः 217.90 लाख रुपये एवं 202.05 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

जयपुर में स्थित तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा नियंत्रित चिकित्सा संस्थानों में औषधियों के लिए वर्ष 1993–94 में 19.03 लाख रुपये की राशि एवं वर्ष 1994–95 में 38.02 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें इन वर्षों में क्रमशः 19.12 लाख रुपये एवं 36.85 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

(2) वर्ष 1994–95 में जयपुर स्थित सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज से संलग्न चिकित्सालय समूह में नये उपकरण खरीदने के लिए स्वीकृत 228.73 लाख रुपये की राशि के विरुद्ध 192.33 लाख रुपये राशि के उपकरणों का क्रय किया गया। इसी प्रकार, जयपुर स्थित तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा नियन्त्रित चिकित्सालयों में नये उपकरण खरीदने के लिए स्वीकृत 25.70 लाख रुपये की राशि के विरुद्ध 23.70 लाख रुपये की राशि के उपकरणों का क्रय किया गया। उपकरणों का क्रय भण्डार क्रय समिति द्वारा निर्धारित रेट-कान्ट्रेक्ट के आधार पर तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अन्तर्गत गठित क्रय समिति द्वारा किया गया, जिसके सदस्यों की सूची संलग्न है।

(3) जी हां, मापदण्ड की सूचना संलग्न है।

(176)

भण्डार क्रय समिति, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

1.	निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं	अध्यक्ष
2.	निदेशक, उद्योग विभाग या उनका प्रतिनिधि	सदस्य
3.	शासन उप सचिव, चिकित्सा विभाग	सदस्य
4.	शासन उप सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
5.	डा. वी. एस. बल्दवा अधीक्षक, एस. एस. एस. चिकित्सालय, जयपुर	सदस्य
6.	डा. पी. के. बान्चू, विभागाध्यक्ष, जनरल सर्जरी विभाग एस. एम. एस. मेडीकल कालेज, जयपुर	सदस्य
7.	डा. एम. एम. गोगना, अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं	सदस्य सदस्य
8.	वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं	

विभागीय क्रय समिति, एस. एम. एस. मेडिकल कालेज एवं संलग्न चिकित्सालय, समूह, जयपुर

1.	प्रधानाचार्य	अध्यक्ष
2.	सम्बन्धित विभागाध्यक्ष	सदस्य
3.	डा. डी. के. कासलीवाल (दस लाख रुपये से ऊपर क्रय के लिए)	सदस्य
4.	डा. जे. एम. मेहता (दस लाख रुपये तक क्रय के लिए)	सदस्य
5.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	सदस्य

(१७७)

औषधियों हेतु मापदण्ड

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान	राशि
1.	उप केन्द्र	5000/– रुपये प्रति वर्ष
2.	एडपोस्ट	6000/– रुपये प्रति वर्ष
3.	डिस्पेन्सरी (बिस्तर रहित)	16000/– रुपये प्रति वर्ष
4.	डिस्पेन्सरीज (बिस्तर सहित) (एम. सी. डब्ल्यू. सी.)	20,000/– रुपये प्रति वर्ष
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	24,000/– रुपये प्रति वर्ष
6.	अस्पताल (सी. एच. सी. सहित) इन्डोर बेड्स	2,400/– रुपये प्रति बेड प्रति वर्ष
7.	ओ. पी. डी. पेशेन्ट्स	3/– रुपये प्रतिदिन

राज्य की जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल

166. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पुलिस थानों, चौकी, पुलिस अधिकारियों/पुलिस कर्मियों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में कितनी-कितनी होनी चाहिये, इसके लिए निर्धारित मानदण्ड क्या हैं ? इन मानदण्डों की देश के अन्य राज्यों के मानदण्डों से तुलनात्मक स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या निर्धारित मानदण्डों के अनुसार राज्य की जनसंख्या के अनुपात में पुलिस थाना, चौकी, पुलिस अधिकारियों/पुलिस कर्मियों की संख्या पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति हो सके इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजनाएं हैं ?

(3) राज्य में बढ़ती हुई जनसंख्या एवं बदलती हुई सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार क्या पुलिस बल में वृद्धि करने, उसका आधुनिकीकरण करने, थानों, चौकियों की संख्या बढ़ाने तथा पुलिस अधिकारियों/पुलिस कर्मियों के लिए प्रोत्साहन योजना लागू करने की आवश्यकता अनुभव करती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वर्ष 1995 96 में राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(4) वर्ष 1994–95 में केन्द्रीय सरकार से पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार को कितनी राशि प्राप्त हुई और उसमें से कितनी राशि किस मद में व्यय की गई ?

(5) क्या वर्ष 1995–96 में पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मिलने की सम्भावना है ? यदि हां, तो कितनी व किस मद में ?

उत्तर

(1) जनसंख्या के अनुपात में पुलिस चौकियों, पुलिस थानों, पुलिस अधिकारियों/पुलिस कर्मियों के लिए कोई निश्चित मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं। थानों व पुलिस चौकियों के सृजन के लिये अनेक बिन्दुओं जैसे कि अपराधों की संख्या, अपराधों की प्रकृति, क्षेत्र की जनसंख्या एवं भौगोलिक स्थिति, अन्तरराष्ट्रीय/अन्तरराज्यीय सीमा से निकटता आदि को आधार माना जाता है। वर्ष 1994 के लिये उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर राजस्थान में प्रति 10000 जनसंख्या पर 12.75 पुलिस कर्मी थे जबकि भारत सरकार के समस्त राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में औसतन प्रति 10000 जनसंख्या पर 14.78 पुलिस कर्मी थे। विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की स्थिति परिशिष्ट–"क" पर संलग्न है।

(2) राज्य में वर्तमान में स्वीकृत पुलिस चौकियों/पुलिस थानों, पुलिस अधिकारियों/पुलिस कर्मियों की संख्या पर्याप्त नहीं है। राज्य सरकार ने पुलिस प्रशासन के पुनर्गठन, आधुनिकीकरण और

(गृह मंत्री)

सुदृढ़ीकरण के लिए लगभग 330 करोड़ रुपये की एक वृहत योजना तैयार की है जिसकी क्रियान्विति अगले वर्ष से प्रारम्भ की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में कार्यरत थानों एवं पुलिस चौकियों की नफरी में वृद्धि, नये थानों एवं पुलिस चौकियों की स्थापना, आधुनिक उपकरण एवं हथियार उपलब्ध करवाया जाना आदि प्रस्तावित है।

(3) जी हां। पुलिस पुनर्गठन, सुदृढ़ीकरण आदि पर वर्ष 1995-96 में 39.89 करोड़ रुपये व्यय करना प्रस्तावित है।

(4) पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत वर्ष 1994-95 के लिये भारत सरकार से कुल राशि रुपये 154.92 लाख प्राप्त होनी थी जिसमें से प्रथम किस्त के रूप में अभी तक राशि रुपये 77.46 लाख प्राप्त हुई है। दूसरी किस्त अभी प्राप्त होना शेष है। प्रथम किस्त की राशि के उपयोग हेतु निम्न पदों में व्यय की स्वीकृति जारी कर दी गई है :—

1. प्रशिक्षण	15,49,000
2. विधि विज्ञान प्रयोगशाला	15,49,000
3. सी. आई. डी. (सी. बी.)	15,49,000
4. परिवहन	15,32,760
5. वितन्तु	7,75,000
6. सी. आई. डी. (आई. बी.)	7,75,000
	77,29,760

(5) जी हां। पुलिस आधुनिकीकरण की योजना के तहत वर्ष 1995-96 की अवधि के दौरान प्रदान की जाने वाली सहायता राशि का अभी तक भारत सरकार ने निर्धारण नहीं किया है।

परिशिष्ट-क

पुलिस जनसंख्या और क्षेत्र का अनुपात

अनुपात

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रति दस हजार की जनसंख्या पर कुल पुलिस
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	10.88
2.	अरूणाचल प्रदेश	46.75
3.	आसाम	20.19
4.	बिहार	10.59
5.	गोवा	27.52
6.	गुजरात	17.87
7.	हरियाणा	17.55
8.	हिमाचल प्रदेश	23.95
9.	जम्मू और काश्मीर	59.63
10.	कर्नाटक	12.47
11.	केरल	12.11
12.	मध्य प्रदेश	12.89
13.	महाराष्ट्र	19.22
14.	मणिपुर	61.22
15.	मेघालय	44.46
16.	मिजोरम	66.47
17.	नागालैण्ड	117.03
18.	उड़ीसा	10.54
19.	पंजाब	33.24

1	2	3
20.	राजस्थान	12.75
21.	सिक्किम	62.42
22.	तमिलनाडु	12.84
23.	त्रिपुरा	39.05
24.	उत्तर प्रदेश	11.29
25.	वेस्ट बंगाल	8.34
26.	अण्डमान निकोबार द्वीप	85.11
27.	चण्डीगढ़	58.05
28.	दादरा एण्ड नागर हवेली	15.24
29.	दमन एण्ड द्वीप	24.34
30.	दिल्ली	50.35
31.	लक्ष्यद्वीप	60.55
32.	पांडीचेरी	21.87
	समस्त भारत	14.78

ग्राम पंचायत चन्द्राई (लाडनू) के पूर्व सरपंच के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

167. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत चन्द्राई पंचायत समिति लाडनूं द्वारा ग्राम चुण्डासरिया में वन विकास का कार्य किया गया ? यदि हां, तो कब-कब, क्या-क्या कार्य किया गया और कितनी राशि कब-कब खर्च की गई ?

(2) क्या इसी कार्य के लिए एक नलकूप का भी निर्माण कराया गया ? यदि हां, तो कब किस प्रकार से और इस पर कितनी राशि खर्च की गई ?

(3) क्या उक्त नलकूप के लिये पाइप, मोटर, पम्प, स्टार्टर, केबल आदि सारा सामान खरीदा गया ? यदि हां, तो कब-कब किस प्रक्रिया से तथा किस क्षमता का मोटर पम्प खरीदा गया और इस इस पर कितनी राशि खर्च की गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस नलकूप को न तो टेस्ट किया गया, न ही इसको विद्युतीकृत कराया और न ही इसका ढक्कन खोला, फिर उपरोक्त सामान खरीदने, का क्या औचित्य था तथा इसका क्या उपयोग हुआ ?

(5) क्या उपरोक्त कार्यों का मूल्यांकन किसी तकनीकी अधिकारी/अधिकारियों द्वारा कराया गया ? यदि हां, तो कब किस के द्वारा और उनकी क्या रिपोर्ट रही ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) अब इस कार्य की मौके की क्या स्थिति है, कितने पेड़ लगाये गये, जिसमें से कितने पेड़ जीवित हैं एवं इनका कब-कब सत्यापन किया गया ?

(7) क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि जांच की हो, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत चन्द्राई पंचायत समिति लाडनूं द्वारा ग्राम चुण्डासरिया में वन विकास का कार्य कराया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र. सं. कार्य का नाम	कार्य की अवधि	व्यय राशि
1. ग्रामीण ईंधन विकास कार्य	1.2.89 से जून, 91 तक	106655.00
2. नर्सरी विकास कार्य	16.3.89 से 31.3.89 तक	66500·27
3. नलकूप निर्माण		
अ. नलकूप निर्माण कार्य	16.3.89 से 19.3.89	84193·00
ब. मोटर पम्प आदि कार्य	31.3.90	25964·50
		283320·77

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

(2) जी हां। इस कार्य के लिये एक नलकूप का भी निर्माण भू-जल विभाग के माध्यम से दिनांक 16.3.89 से 18.3.89 तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा करवाया गया इस पर रुपये 84193.00 की राशि व्यय की गई।

(3) जी हां। इस नलकूप के लिए एक 11 एच. पी. की मोटर पम्प, स्टारटर, पाइप केबल व अन्य आवश्यक सामग्री कोटेशन प्राप्त कर दिनांक 31.3.90 को क्रय की गई जिस पर कुल 25964.50 रुपये की व्यय की गई। यह खरीद पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत चन्द्राई द्वारा की गई।

(4) यह सही नहीं है कि इस नलकूप की टेस्टिंग नहीं करवायी गई, इसकी टेस्टिंग भू-जल विभाग द्वारा की गई थी। टेस्टिंग पोजीटिव बतायी गई।

हां यह सही है कि इस नलकूप को विद्युतीकृत नहीं करवाया गया एवं न ही ढक्कन खोला गया। इस सामान का कोई उपयोग नहीं हुआ। अतः तत्कालीन सरपंच, चन्द्राई के विरुद्ध जांच प्रस्तावित है।

(5) जी हां। उपरोक्त कार्य (नलकूप) का मूल्यांकन कनिष्ठ अभियन्ता पंचायत समिति लाडनू द्वारा दिनांक 26.3.89, 30.3.1989, 30.5.1989, 30.4 1990, 31.7.1990, 31.8.1990, 15.9.90, एवं 31.10.1990 को किया गया। कनिष्ठ अभियन्ता के मूल्यांकन को विकास अधिकारी पंचायत समिति, लाडनू द्वारा सही पाया गया।

(6) 19.3.95 की रिपोर्ट अनुसार मौके पर चौकीदार हट, ट्यूबवेल एवं पानी का हौज बना हुआ है तथा 195 पौधे जीवित हैं। जुलाई, 89 में 16500 पौधों का रोपण करवाया गया तथा विकास अधिकारी, लाडनू की दिनांक 28.10.91 की रिपोर्ट के अनुसार तेरह हजार पौधे, जीवित थे।

(7) जी हां। उक्त प्रकरण का मदन स्वामी, जैसाराम, मोडाराम व रेवन्तराम द्वारा श्री हरजीराम बुरड़क, विधायक लाडनू के माध्यम से जिला कलेक्टर, नागौर को एक शिकायत दिनांक 20.1.94 को प्रस्तुत की गई जिसका जिला सतर्कता समिति के निर्देशानुसार अति. कलेक्टर (विकास) द्वारा जांच की जाकर, जांच रिपोर्ट दिनांक 17.9.94 को समिति को प्रस्तुत की गई। जांच प्रतिवेदन की छाया प्रति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। इस प्रकरण के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच की जायेगी।

(छाया प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

आश्रम विद्यालय, सिकराय

168. श्री महेन्द्रकुमार मीणा (सिकराय) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिकराय में आश्रम स्कूल सन् 1962 से किराये के भवन में चल रहा है ?

(श्री महेन्द्रकुमार मीणा)

(2) क्या इस आश्रम स्कूल के लिये ग्राम मूंडियाखेड़ा में दान में दी गई 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि पर सरकार द्वारा भवन निर्माण की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो भवन कब तक पूर्ण हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, भवन का निर्माण करवाया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

भारतीय प्रशासनिक/भारतीय पुलिस व राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध छापे

169. श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या मुख्य (राज्य अन्वेषण ब्यूरो) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा (पुलिस विभाग से पृथक् होने के बाद) अपनी स्थापना से दिनांक 31-1-1995 तक कितने आई. ए. एस., आई. पी. एस. व आर. पी. एस. अधिकारियों के विरुद्ध छापे (रेड व सर्च) की कार्यवाही पी. सी. एक्ट 1988 या अन्य कानून के तहत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन छापों के बाद उपरोक्त श्रेणी के कितने अधिकारियों के विरुद्ध उक्त एक्ट या अन्य कानून में अपराध बनना पाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इन छापों में अपराध बनना पाया जाने के बाद उक्त श्रेणी के कितने अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग चलाने व चलान प्रस्तुत करने हेतु (क) प्रशासनिक स्वीकृति मांगी (ख) कितनों में दी गई (ग) कितनों में नहीं मांगी (घ) कितनों में नहीं दी गई? विवरण कारण सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) उपरोक्त छापों में उक्त श्रेणी के कितने अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया व कितनों में नहीं? विवरण मय कारणों के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) एक आई. ए. एस. अधिकारी व एक आर. पी. एस. अधिकारी के विरुद्ध रेड/तलाशी के पश्चात् 2 मुकदमें पी. सी. एक्ट 1988 के अन्तर्गत पंजीबद्ध किये गये। विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) एक आई. ए. एस. अधिकारी के विरुद्ध अन्वेषण से अपराध बनना पाया गया। एक प्रकरण आर. पी. एस. अधिकारी के विरुद्ध अन्वेषणाधीन है। विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(3) (क) एक अपराध में राज्य सरकार से अभियोजन स्वीकृति पत्र एवं

(मुख्य मंत्री)

(ख) दिनांक 20.10.94 को मांगी गई है जो सरकार के विचाराधीन है।

(ग) एक प्रकरण अन्वेषणाधीन होने कारण अभी उसमें अभियोजन स्वीकृति नहीं मांगी गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(4) अभी किसी प्रकरण में चालान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया।

राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध मारे गये छापों का संक्षिप्त विवरण

1. **1. प्रकरण संख्या 130/92 दिनांक 7.10.92 विरुद्ध श्री संजय पुरोहित, आई. ए. एस.**

बाद अनुसंधान यह पाया गया कि श्री संजय पुरोहित ने अपने सेवा काल में पद का दुरुपयोग कर रु. 14,74,854/– की आय से अधिक की चल अचल परिसम्पत्ति अर्जित की। प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

इस प्रकरण में धारा 13(1) (ई), 13 (2) पी. सी. एक्ट 1988 सहपठित धारा 34 के अन्तर्गत आरोप पत्र तैयार किया गया है।

2. **प्रकरण संख्या 187/94 दिनांक 10.11.94 विरुद्ध श्री शिवदत्त शर्मा. आर. पी. एस.**

श्री शिवदत्त शर्मा, तत्कालीन उप अधीक्षक पुलिस, बीकानेर को दिनांक 5.10.94 को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। इस प्रकरण में दोषी पाये जाने पर श्री शिवदत्त शर्मा के निवास की तलाशी ली गयी। उसमें रु. 52,500/– पाये गये, जिनके लिये श्री शर्मा कोई सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। इस पर धारा 13 (2) सहपठित धारा 31 (1)(ई) भ्र.नि. अधिनियम, 1988 का अपराध प्रथम दृष्टया घटित होना पाया गया। अन्वेषण प्राथमिकता पर पूर्ण किया जा रहा है।

खाजूवाला व छत्तरगढ़ में नयी तहसीलों का सृजन

170. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि उपनिवेशन, तहसील छत्तरगढ़ नं. 1 व छत्तरगढ़ नं. 2 मुख्यालय क्रमशः छत्तरगढ़ व खाजूवाला में तहसील भवन एवं अन्य रेवेन्यू स्टाफ के आवासगृह बने हुए हैं ?

(2) क्या उपरोक्त तहसीलों के क्षेत्रफल, जनसंख्या, सिंचित क्षेत्र व मंडियों की आमदनी आदि का ध्यान रखते हुए दो नई तहसीलें क्रमशः खाजूवाला व छतरगढ़ में स्थापित करने एवं एक-एक ए. सी. एम. व एस. डी. ओ. का पद सृजन की मांग जन प्रतिनिधियों द्वारा की जाती रही है ? यदि हां, तो सरकार कब तक इस मांग की आपूर्ति करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां, जनप्रतिनिधियों/विधायक द्वारा दी गई नई तहसीलें क्रमशः खाजूवाला व छत्तरगढ़ एक-एक ए. सी. एम. कोर्ट तथा खाजूवाला में एस. डी. ओ. का न्यायालय सृजित करने की मांग की जा रही है । एस. डी. ओ. एवं ए. सी. एम. के न्यायालय एवं तहसीलों को स्थापित करने के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

जिला उदयपुर के पशुधन हेतु पशु चिकित्सा केन्द्र

171. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पशुधन की रक्षार्थ उदयपुर जिले में विभाग की क्या-क्या प्रवृत्तियां, कहां-कहां संचालित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उदयपुर जिले के पशुधन का अद्यावधि सर्वेक्षण कराया गया है । यदि हां, तो जिले में पशुधन की क्या संख्या है ? श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उपलब्ध पशुधन के मानदण्डानुसार उनकी चिकित्सा सेवा की पूर्ण व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो इसके विस्तार के लिए विभाग की क्या नीति एवं योजना है ?

(4) क्या सरकार वर्ष 1995-96 में पशुओं के इलाज के लिए नये पशु चिकित्सालय चल चिकित्सा केन्द्र आदि खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां एवं कितने-कितने ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में 42 पशु चिकित्सालय, 17 पशु औषधालय, 4 चल पशु चिकित्सा इकाई तथा अन्य विभागीय कार्यक्रम के द्वारा पशुपालन की रक्षार्थ कार्य किया जाता है । स्थानों की सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

(2) जिले में पशु गणना वर्ष 1992 में अंतिम बार करायी गई है। प्रावधायी आंकड़ों के श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है :–

लाखों में

वर्ष	गौ वंश	भैंस वंश	भेड़ वंश	बकरी वंश	घोड़े एवं टट्टू	गधा वंश	उष्ट्र वंश	शूकर वंश
1992	9·04	4.09	2·60	8·71	0.02	0·06	0.07	0·02

इस प्रकार 24·61 लाख कुल पशुधन सम्पदा है।

(3) राष्ट्रीय मानदण्ड के अनुसार 10,000 पशु इकाई पर एक पशु चिकित्सा संस्था होनी चाहिए। प्रदेश में आज 17,262 पशु इकाइयों पर एक पशु चिकित्सा संस्था उपलब्ध है। दूर-दराज क्षेत्र के लिए 35 चल उपखंण्डीय पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित हैं।

(4) वर्तमान में राज्य में नई चिकित्सा संस्था खोलने का कोई प्रावधान नहीं है। कई वर्षों से विभाग में बहुत अधिक संख्या में डाक्टर तथा पशुधन सहायक के पद रिक्त थे। अब 410 डाक्टर तथा 200 पशुधन सहायकों के पद पर नियुक्ति करा दी है। इनके पद स्थापित होने पर नये संस्थान खोलने पर विचार किया जायेगा।

उदयपुर जिले की पशु चिकित्सा संस्थाएं

पशु चिकित्सालय	पशु औषधालय	चल पशु चिकित्सा इकाई	उपखण्ड चल पशु चिकित्सा इकाई
1	2	3	4
1. पशु चिकि., बड़गांव	1. पशु औष., लयाबली	1. च. प. चि. ई., उदयपुर	1. उ.ख.च.प.चि.ई., उदयपुर
2. ,, ,, नाई	2. ,, ,, झल्लारा	2. ,, ,, ,, ,, खैरवाड़	2. ,, ,, सलुम्बर
3. ,, ,, टीडी	2. ,, ,, मबराना	3. ,, ,, ,, ,, कोटड़ा	3. ,, ,, झाडोल
4. ,, ,, जगत	4. ,, ,, येराड़	4. ,, ,, ,, ,, धरियावद	
5. ,, ,, साकरोदा	5. ,, ,, सेमारी		
6. ,, ,, कुरावड़	6. ,, ,, जावद		
7. ,, ,, उदयपुर	7. ,, ,, कल्याणपुरा		
8. ,, ,, कृषि मण्डी	8. ,, ,, गोराणा		

1	2	3	4
9. पशु. चिकि., हिरणमगरी	9. पशु. औष., जोगीवड़		
10. ,, ,, सलूम्बर	10. ,, ,, मोखल		
11. ,, ,, गीगला	11. ,, ,, कलवाना		
12. ,, ,, खैरवाड़	12. ,, ,, मोड़ी		
13. ,, ,, ऋषभदेव	13. ,, ,, पाणुनन्द		
14. ,, ,, कनबई	14. ,, ,, बड़गांव		
15. ,, ,, करावड़ा	14. ,, ,, फलिवड़ा		
16. ,, ,, सराड़ा	16. ,, ,, वीर घोलिया		
17. ,, ,, झाडोल (स)	17. ,, ,, पूला		
18. ,, ,, परसाद			
19. ,, ,, झाडोल (फ)			
20. ,, ,, फलासिया			
21. ,, ,, बागपुरा			
22. ,, ,, कोटड़ा			

(१८९)

1	2	3	4
23. पशु. चिकि., मामेर			
24. ,, ,, मालवा का चोरा			
25. ,, ,, गोगुन्दा			
26. ,, ,, सापरा			
27. ,, ,, बगडून्दा			
28. ,, ,, वल्लभनगर			
29. ,, ,, कानोड़			
30. ,, ,, भीण्डर			
31. ,, ,, बाठरड़कलां			
32. ,, ,, खेरोदा			
33. ,, ,, कूण्ड़ई			
34. ,, ,, मेनार			
35. ,, ,, लूणदा			

1	2	3	4
36. पशु. चिकि., धरियावद			
37. ,, ,, लसाड़िया			
38. ,, ,, केसरियाबाद			
39. ,, ,, पारसोला			
40. ,, ,, मावली			
41. ,, ,, धारा			
42. ,, ,, फतहनगर			

राजकीय महाविद्यालय, डीग (भरतपुर) में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय

172. **श्री अरुण सिंह** (डीग) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डीग (भरतपुर) स्थित राजकीय महाविद्यालय की मान्यता राजस्थान विश्वविद्यालय से हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार इस महाविद्यालय में आगामी सत्र में वाणिज्य एवं विज्ञान की कक्षाएं प्रारम्भ करने की कोई योजना रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान विश्वविद्यालय से स्थायी सम्बन्धन हो चुका है।

(2) डीग (भरतपुर) के राजकीय महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय की कक्षाएं वर्ष 1991 से प्रारम्भ की जा चुकी हैं। जहां तक विज्ञान संकाय की कक्षाएं प्रारम्भ करने का प्रश्न है, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं अन्य स्थानों से प्राप्त प्रस्तावों के साथ गुणावगुणों के आधार पर विचार कर निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुचेरा (नागौर) के रिक्त पद

173. **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुचेरा (नागौर) में महिला चिकित्सक, चिकित्सा विशेषज्ञ, मेल नर्स तथा एक्सरे मशीन आपरेटर्स के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(2) सरकार इन रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कुचेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक महिला चिकित्सक वर्तमान में कार्यरत है। कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसन एवं सर्जरी के विरुद्ध चि. अ. पद स्थापित है। नर्स श्रेणी-I का पद भरा हुआ है नर्स श्रेणी-II के चार पदों में से एक पद 7/94 से सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त है तथा रेडियोग्राफर का पद 6/94 से रिक्त है।

(2) कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद विभागीय पदोन्नति द्वारा भरने के प्रयास किये जा रहे हैं। नर्स श्रेणी-II तथा रेडियोग्राफर के पद प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरना सम्भव हो सकेगा।

ग्राम राथलिया (मकराना) हरिजन महिला के साथ बलात्कार प्रकरण

174. **श्री रूपाराम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम राथलिया (मकराना) में हरिजन महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के सम्बन्ध में प्रथम

(श्री रूपाराम)

सूचना रिपोर्ट नम्बर 23 दिनांक 3 फरवरी, 1995 को पुलिस थाना मकराना में दर्ज हुई है ? यदि हां, तो उक्त एफ.आई.आर. में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

जी हां।

अनुसंधानानुसार बलात्कार का अपराध घटित होना नहीं पाया गया । परन्तु अनुसंधान से दोनों नामजद अभियुक्तों—किशोरसिंह व अजीतसिंह के विरुद्ध धारा 451, 354 भारतीय दंण्ड सं. व 3(I) (II) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम् का अपराध साबित पाया गया । अभियुक्त किशोर सिंह को दिनांक 5-3-1995 को व अजीत सिंह को 11-3-1995 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया । उक्त दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध शीघ्र ही चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा ।

शेरगढ़ एवं बालेसर पंचायत मुख्यालयों पर सभा भवन सुविधा

175. खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति शेरगढ़ एवं बालेसर जिला जोधपुर में नवगठित ग्यारह-ग्यारह पंचायतों के मुख्यालयों पर नव निर्वाचित सरपंच एवं पंचों को बैठक आयोजित करने के लिए उपयुक्त स्थान एवं अन्य सुविधाओं का अभाव है ?

(2) क्या सरकार वहां पर आवश्यक सुविधाओं यथा-पंचायत घर, पीने का पानी, सड़क आदि की सुविधा शीघ्र उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग के पत्र दिनांक 13-9-1994 के द्वारा समस्त परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण राजस्थान को नवगठित ग्राम पंचायतों हेतु भवन निर्माण का कार्य जवाहर रोजगार योजना एवं जवाहर रोजगार योजना (द्वितीय धारा) के अन्तर्गत उपलब्ध राशि से अविलम्ब कराने के निर्देश दिये गये हैं ।

राजकीय आवासों के उपयोग के सम्बन्ध में मानदण्ड

176. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़): क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने उन सरकारी अधिकारियों के सन्दर्भ में जिनके स्वयं के निजी आवास/फार्म हाउस, जयपुर में हैं द्वारा राजकीय आवास के उपभोग के सम्बन्ध में कोई नीतिगत निर्णय लेकर

(श्री जगदीप धनखड़)

आदेश पारित किया है? यदि हां, तो निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त निर्णय की अनुपालना प्रक्रिया के तहत सरकार ने अभी तक किसी भी अधिकारी के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो अधिकारियों के नाम सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आदेश से वर्तमान में जयपुर में कौन-कौन से अधिकारी प्रभावित होते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां (प्रति संलग्न है।)

(2) जी, नहीं।

(3) सभी वर्ग के अधिकारी प्रभावित होंगे।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
GENERAL ADMINISTRATION (Gr. II) DEPARTMENT

No.F.1(2)GA/2/92 Jaipur, dated Jan. 16, 1995

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor has been pleased to make the following amendments in the Rajasthan Civil Services (Allotment of Residential Accommodation) Rules, 1958, namely:—

AMENDMENT

1. The existing Sub-Clauses (a) (b) and (c) of Rule 9(1) and word "Unless" at the end of the para of the said sub rule shall be deleted.

2. A new sub rule 9(4) shall be added as under :

9(4) (i) An officer/employee who has his own house including a Farm House in the name of his wife/husband or minor children at the place of posting in urbanisable limit shall not be entitled to get Government residential accommodation.

(ii) Those having commercial buildings at the place of posting and which has been given on lease/rent, shall also not be entitled to Government residential accommodation.

(iii) The officers/employees who have been allotted Government residential accommodation in the past even though they have their own houses, will be allowed to retain such Government accommodation on their agreeing to

Page No. 196

(196)

deposit with the State Government monthly rent received from their leased houses.

(iv) The officers/employees who do not vacate Government accommodation within prescribed/sanctioned time limit after their transfer shall not be entitled to Government residential accommodation at any place in future except earmarked house.

By order
Sd./–
(Rakesh Srivastava)
Special Secretary to Govt.

Copy forwarded to the following for information and necessary action :—

1. All Secretaries to Government.
2. Secretary to Governor/Chief Minister.
3. Private Secretaries to all Minister/State Minister.
4. All Divisional Commissioners.
5. All Heads of Department (Except Collectors)
6. All Collectors.
7. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
8. Chief Engineer, P. W. D. (B. & R.) Rajasthan, Jaipur.
9. Executive Engineer P. W. D. (B. & R.) City Dn. I, II and III, Jaipur.
10. The Supdt., Government General Central Press Rajasthan for publication in the next issue of Rajpatra.

11. All Department/Section/Cells of the Sectt. Jaipur.

12. O. & M. Department (Condification).

13. Director, Estate Rajasthan, Jaipur.

Copy also forwarded to :

1. The Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.

2. The Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Jaipur.

3. Registrar, High Court, Jodhpur/Jaipur.

4. Secretary to Lokayukta Sachivalaya, Jaipur.

Sd/–
Assistant Secretary

विधान सभा क्षेत्र थानागाजी की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

177. **श्री रमाकान्त** (थानागाजी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में पिछले दो वर्षों में 91 गांवों में चरागाहों पर अतिक्रमण हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि चरागाहों पर अतिक्रमण के मामले में जेल की सजा का प्रावधान है ? यदि हां, तो उपरोक्त मामलों में कितने लोगों को सजा दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या कानून में यह भी प्रावधान है कि यदि अधिकारी इसमें कोताही बरतेंगे तो उन्हें भी सजा दी जा सकती है ? यदि हां, तो क्या किसी अधिकारी को सजा दी गई ?

(4) क्या सरकार इस मामले में कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है।

(2) जी हां, यह सही है कि उक्त अवधि में पिछले दो वर्षों में दो प्रकरणों में तीन व्यक्तियों को सिविल कारावास की सजा सुनाई गई।

(3) जी हां। लेकिन किसी अधिकारी को सजा नहीं दी गई।

(4) मामले में किसी अधिकारी को दोषी नहीं पाये जाने के कारण मामले में किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

सार्वजनिक उपयोग हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

178. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जखाणा (मंडीत्या) से रायथल एवं बामण गांव से समीधी सड़क जिला बून्दी के निर्माण के लिए भूमि अवाप्त की गई है ? यदि हां, तो विवरण कृषकवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भूमि की मुआवजा राशि अदा कर दी गई है ? यदि नहीं, तो अब कब तक अदा क रदी जायेगी ?

(3) क्या सड़क निर्माण सहित सार्वजनिक हित के लिए उपयोग में ली जाने वाली भूमि का मुआवजा अदा करने के लिये सरकार ने कोई परिपत्र/दिशानिर्देश जारी किये हुये हैं ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जखाणा रायथल एवं बामण गांव समीधी सड़क के निर्माण कार्य में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है। विवरण कृषकवार जो परिशिष्ट–"क" में है सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी नहीं। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद मुआवजा राशि अदा कर दी जावेगी।

(3) सड़क निर्माण में सार्वजनिक हित के लिए उपयोग में ली जाने वाली भूमि का मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 में प्रावधान है, परन्तु स्पेशल स्कीम के अन्तर्गत अकाल राहत, जवाहर रोजगार योजना, आर. एल. ई. जी. पी., एन. आर. ई. पी. इत्यादि के लिए भूमि का मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। विवरणात्मक परिशिष्ट–"ख" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

सवाई मानसिंह चिकित्सालय महाविद्यालय में प्रकाशित अस्थाई वरिष्ठता सूची

179. **श्री सुन्दरलाल** (सूरजगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या प्रधानाचार्य सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय द्वारा अक्टूबर, 1994 में कर्मचारियों की कोई अस्थायी वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकाशित अस्थाई वरिष्ठता सूची पर अब तक किन-किन कर्मचारियों द्वारा क्या-क्या आपत्ति उठाते हुए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रकाशित अस्थायी वरिष्ठता सूची पर प्राप्त आपत्तियों के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्रकाशित अस्थायी वरिष्ठता सूची में सवाई मानसिंह चिकित्सालय एवं संलग्न चिकित्सालयों के अपेक्षाकृत वरिष्ठ कर्मियों का नाम सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि ऐसे कर्मियों की वरिष्ठता दर्शा दी गई है जो उनकी तुलना में यहां पर सेवा में बाद में आये हैं? यदि हां, तो यह कार्यवाही किस आधार पर की गई तथा इसके लिए कौन दोषी हैं? क्या दोषी के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(5) क्या सरकार वरिष्ठ कर्मियों की वरिष्ठता के निर्धारण में हुई अनियमितता को दूर कर नई अस्थायी वरिष्ठता सूची में संशोधन कर जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट–"अ")

(2) कर्मचारियों द्वारा प्रकाशित अस्थायी वरिष्ठता सूची पर आपत्तियों के प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "ब")

(3) प्रकाशित अस्थायी वरिष्ठता सूची पर सम्बन्धित कर्मचारियों से प्राप्त

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

आपत्तियों का परीक्षण किया गया व दक्षता परीक्षा ली गई तदानुसार उन्हें नियमित कर अस्थायी वरिष्ठता सूची में उनकी वरियता के अनुसार समावेश कर दिया गया है। (परिशिष्ट–"स")

(4) जी हां। एक कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण होने की प्रविष्टि को आधार मान कर उनकी दक्षता परीक्षा नहीं ली गई व वरिष्ठता सूची में सम्मिलित कर लिया गया। उक्त प्रविष्टि गलत पाये जाने पर, मामले की जांच की जा रही है। उक्त कर्मचारी का नाम संशोधित अस्थायी वरिष्ठता सूची जो दिनांक 25-3-1995 को जारी की गई है, में से विलोपित कर दिया गया है। जांच उपरान्त दोषी के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जावेगी।

(5) जी हां, नवीन संशोधित अस्थायी वरिष्ठता सूची दिनांक 25-3-1995 को प्रकाशित करदी गई है।

(प्रति एवं सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

थाना कुम्हेर क्षेत्र के लाइसेंस शुदा शस्त्र

180. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या कुम्हेर थाने के शस्त्र लाइसेंस धारियों के लाइसेंस गत दो वर्ष से निलम्बित करके उनके शस्त्र पुलिस के पास जमा हैं? यदि हां, तो उनकी सूची मय शस्त्र के विवरण के सदन की मेज पर रखें।

(2) यह लाइसेंस किसी समय सीमा के लिए निलम्बित हैं अथवा असीमित समय के लिए? निलम्बन के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जी हां। सूची मय शस्त्र के विवरण संलग्न है।

(2) जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर के आदेश दिनांक 13-6-1992 के द्वारा अनुज्ञापत्र दिनांक 30-9-1992 तक के लिये निलम्बित किये गये थे। भरतपुर जिले की कुम्हेर तहसील क्षेत्र में माह जून, 1992 में घटित जातीय दंगों, लूटपाट एवं आगजनी की घटनाओं के कारण इस तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में भय का वातावरण बन गया था। अतः क्षेत्र की शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु पुलिस थाना क्षेत्र कुम्हेर के अनुज्ञा-पत्रों को निलम्बित किया जाना आवश्यक समझा गया था।

दिनांक 15-3-95 को जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर ने यह निर्णय लिया है कि निलम्बन आदेशों को निरस्त किया जाकर जमा किये गये शस्त्र सम्बन्धित अनुज्ञापत्र धारकों को लौटा दिये जावें।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

पंचायत समिति क्षेत्र निम्बाहेड़ा की उदवहन सिंचाई योजना

181. श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि निम्बाहेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में काश्तकारों के हितार्थ कोई "उदवहन सिंचाई योजना" स्वीकृत होकर निर्माण हेतु लम्बित है ? यदि हां, तो लम्बित उदवहन सिंचाई योजना का निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उदवहन सिंचाई योजना के निर्माण में धनराशि की व्यवस्था के स्रोत क्या हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, निम्बाहेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में बड़ावली प्रथम एवं बड़ावली तृतीय सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना स्वीकृत की गई थी जो निर्माण हेतु लम्बित है। सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना बड़ावली प्रथम एवं बड़ावली तृतीय, के सम्बन्ध में ग्रामवासियों की शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। अतः फिलहाल निर्माण कार्य स्थगित है। जांच में पाई गई वस्तु स्थिति के आधार पर योजना क्रियान्वित करने सम्बन्धी निर्णय लेना सम्भव होगा। योजना का विवरण परिशिष्ट–I पर प्रस्तुत है।

(2) उदवहन सिंचाई योजना के निर्माण में योजना की लागत की 80% राशि कृषि विकास योजनान्तर्गत अनुदान के रूप में दी जाती है एवं लागत की 20% राशि लाभान्वितों से उनके स्वयं के योगदान स्वरूप नगद/श्रम के रूप में ली जाती है।

सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना बड़ावली प्रथम
एवं बड़ावली तृतीय का विवरण :—

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण चित्तौड़गढ़ द्वारा कृषि विकास परियोजनान्तर्गत सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना बड़ावली प्रथम एवं बड़ावली तृतीय सृजित कर स्वीकृति हेतु विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जिसकी स्वीकृति क्रमशः दिनांक 28–5–94 एवं 1–6–94 को जारी की गई। योजना का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमसं.	आइटम	बड़ावली प्रथम	बड़ावली तृतीय
1.	सिंचाई स्त्रोत	पातगढ़ तालाब	पानगढ तालाब
2,	सिंचित क्षेत्र	96.93 हैक्टर	80.0 हैक्टर
3.	पानी की आवश्यकता (लीटर प्रति सैकण्ड)	68.00	64.0
4.	योजना की कुल लागत	रु. 17,63,700/-	रु. 14,65,110/-
5.	कृषि विकास परियोजनान्तर्गत अनुदान	रु. 14,10,960/-	रु. 11,72,088/-
6.	कृषकों का स्वय का योगदान	रु. 3,52,740/-	रु. 2,93,022/-
7.	कुल लाभान्वित कृषकों की संख्या	142	97

राशमी (चित्तौड़गढ़) के अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रावास

182. **श्री अर्जुनलाल, जीनगर (गंगरार)** : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राशमी (चित्तौड़गढ़) में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास खोला गया है? यदि, हां, तो भवन की क्या स्थिति है?

(2) क्या छात्रावास हेतु भवन किराये पर ले रखा है?

(3) क्या सरकार छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व इसके लिए कितनी राशि स्वीकृत किये जाने का सरकार का विचार है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(3) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

उदयपुरवाटी (झुंझुनूं) में संचालित शराब की दुकानें

183. **श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)** : क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) देशी शराब की दुकानें आबादी में स्कूलों, मन्दिरों, सार्वजनिक चौक आदि स्थानों पर या इसके आसपास खोले जाने के क्या नियम हैं?

(2) क्या यह सही है कि तहसील उदयपुरवाटी (झुंझुनूं) में इन नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है?

(3) क्या यह सही है कि कस्बे में मंदिरों तथा स्कूलों के पास शराब की बिक्री हो रही है तथा अनेकों बार शिकायतें करने पर भी सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है?

उत्तर

(1) देशी शराब की दुकानें खोलने संबंधी प्रावधान राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 के अन्तर्गत हैं जिसकी प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं। तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं में देशी शराब की दुकानात नियमानुसार स्वीकृत होकर संचालित हैं।

(3) जी नहीं। उदयपुरवाटी कस्बे में मंदिरों तथा स्कूलों से नियम 75 के तहत प्रतिबंधित दूरी के भीतर कोई शराब की दुकान स्वीकृत नहीं है। उदयपुरवाटी कस्बे के वार्ड सं. 15 की दुकान के स्थान बाबत शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच कराने पर दुकान नियमानुकुल स्वीकृत पायी गयी।

राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 की प्रति
नियम 75–दुकानों की अवस्थिति :—

(1) कोई अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा या भारत निर्मित विदेशी मदिरा या भांग (हैम्प ड्रग) की खुदरा बिक्री के लिए अपनी दुकान संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित स्थान पर ही रखेगा।

(2) देशी मदिरा, विदेशी या भारत निर्मित विदेशी मदिरा के खुदरा बिक्री के लिए कोई दुकान, महाविद्यालय स्तरीय शैक्षणिक संस्थान, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, अस्पताल, पूजा स्थल या लोक मनोरंजन के स्थान, किसी कारखाने या मजदूर या हरिजन कालोनी से 200 मीटर की दूरी में अवस्थित नहीं होगी।

(3) कोई खुदरा दुकान, संबधित जिला आबकारी अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित नहीं की जायेगी।

(4) जिला आबकारी अधिकारी को, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से, किसी दुकान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने की शक्ति होगी और किसी दुकान के ऐसे स्थानान्तरण के लिए अनुज्ञप्तिधारी को कोई प्रतिकार नहीं दिया जायेगा।

(5) देशी मदिरा, विदेशी मदिरा और भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर या भांग (हैम्प ड्रग) की खुदरा बिक्री के लिए कोई दुकान राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग के मध्य से दोनों ओर 150 मीटर की दूरी के भीतर अवस्थित नहीं होगी। किन्तु यह शर्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्र पर लागू नहीं होगी।

परन्तु आबकारी आयुक्त मदिरा दुकान की अवस्थिति को उपर्युक्त शर्तों में अपवादित परिस्थितियों में, ऐसा करने के लिये लिखित में पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् शिथिलता दे सकेगा।

स्पष्टीकरण :—

(1) नियम 75 के उप नियम (2) के प्रयोजन के लिए एक लाख से अधिक

जनसंख्या वाले शहरों में "पूजा स्थल" से दुकान की दूरी के संबंध में निर्वचन केवल उन पूजा स्थलों के बारे में लागू होंगे जो जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी गई सूचि में दर्ज हैं ।

(2) हरिजन कालोनी से ऐसा कोई नगरपालिका वार्ड अभिप्रेत होगा जिसमें अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार उस वार्ड की कुल जनसंख्या की पचास प्रतिशत से अधिक है ।

(3) महाविद्यालय या किसी सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल की संस्थान से भिन्न किसी शैक्षणिक संस्था के पास अवस्थित कोई दुकान उस संस्था के बन्द होने के समय से कम से कम एक घन्टे बाद ही खोली जावेगी ।

(4) "लोक मनोरजन के स्थान" से केवल नाट्यगृह और सिनेमाहाल अभिप्रेत होगा ।

सांगोद (रामगंजमंडी) में राजस्व न्यायालय की स्थापना

184. श्री भरत सिंह (खानपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला कलक्टर रामगंज मण्डी (जिला कोटा) के कैम्प कोर्ट सांगोद में कितने राजस्व मुकदमे विचाराधीन हैं ? गत एक वर्ष में कितने मुकदमों का निर्णय किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि उप जिला कलक्टर, रामगंज मण्डी अधिकतर विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण कैम्प कोर्ट सांगोद में नियमित रूप से केसेज की सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं ?

(3) क्या सरकार कोटा जिले की इस सबसे बड़ी तहसील में जहां काफी अधिक राजस्व मुकदमें विचाराधीन हैं, स्थायी रूप से सहायक कलक्टर कार्यालय अथवा पृथक् उप जिला कलक्टर कार्यालय सृजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) उप जिला कलक्टर रामगंज मण्डी (जिला कोटा) के कैम्प कोर्ट सांगोद में 927 राजस्व वाद विचाराधीन है, जिसमें 446 राजस्व वाद ए. सी. एम. दीगोद (मुख्यालय कोटा) को स्थानान्तरित किये गये है तथा 481 वाद कैम्प कोर्ट सांगोद में विचाराधीन हैं। गत वर्ष कैम्प कोर्ट सांगोद में कुल 27 मुकदमें निर्णित किये गये हैं।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है, उप जिला कलक्टर, रामगंजमण्डी कैम्प कोर्ट सांगोद में जहां तक होता है, नियमित रूप से केसेजों की सुनवायी करते है। महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य व वर्षा से रास्ते अवरूद्ध होने की स्थिति में ही सुनवायी स्थगित की जाती है।

(3) राज्य में वित्त वर्ष 1995-96 में कुछ स्थानों पर नये ए. सी. एम. कोर्ट स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें इस प्रस्ताव पर भी विचार किया जाकर निर्णय लिया जा सकता है।

डूंगर कालेज, बीकानेर के छात्रावास

185. श्री अमरा राम (धोद) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) डूंगर कालेज, बीकानेर के दोनों छात्रावास कितने समय से बन्द हैं ? इनको बन्द रखने के क्या कारण हैं ?

(2) सरकार इन छात्रावासों को कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

(3) राज्य के अन्य महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के कितने छात्रावास कितने समय से क्यों बन्द हैं ? सरकार इन्हें कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? छात्रावासों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डूंगर कालेज, बीकानेर के छात्रों का एक छात्रावास माह जुलाई, 94 से बन्द है। जिला प्रशासन ने छात्रावास के बारे में एक समिति का गठन किया, जिस समिति ने यह निर्णय लिया कि इस छात्रावास को जनहित में बन्द कर दिया जाए। इसी आधार पर गवर्निंग कौंसिल ने जुलाई-94 से इस छात्रावास को बन्द करने का निर्णय लिया।

कालेज का दूसरा छात्रावास दिनांक 12–12–91 से बन्द है। यह छात्रावास केवल एम. फिल. की छात्राओं के लिए ही बनाया गया है और इस हेतु किसी भी छात्रा ने आवेदन नहीं किया है।

(2) छात्रों के छात्रावास को चालू किया जाना जनहित में नहीं है। छात्राओं के छात्रावास में एम. फिल. की छात्राओं द्वारा प्रवेश हेतु आवेदन प्राप्त होने पर छात्रावास प्रारम्भ करने पर विचार किया जायेगा।

(3) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

राज्य के अन्य राजकीय महाविद्यालयों के बन्द पड़े छात्रावासों का विवरण

1—राजकीय महाविद्यालय, अजमेर का छात्रावास

उक्त छात्रावास एक छात्र की हत्या के कारण दिनांक 9–12–93 को जिला कलक्टर, अजमेर के आदेशानुसार बन्द किया गया है। 11-1-88 को राज्य सरकार के आदेशानुसार यह छात्रावास अजमेर विश्वविद्यालय के सुपुर्द किया गया है।

2—राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर का छात्रावास

यह छात्रावास चालू शैक्षणिक सत्र 1994–95 के प्रारम्भ से ही बन्द है। छात्रावास में बिजली व पानी के अधिक व्यय के कारण छात्रों ने इसमें रहना पसन्द नहीं किया।

3—राजकीय महाविद्यालय, सीकर का छात्रावास

चालू सत्र 94–95 के प्रारम्भ से ही यह छात्रावास बन्द है। छात्रसंघ के चुनाव में आपसी लड़ाई-झगड़े के कारण छात्रों ने इसमें रहना पसन्द नहीं किया।

4—राजकीय महाविद्यालय, बाड़मेर का छात्रावास

यह छात्रावास 1987 से बन्द है। दीवारों में दरारें आने से यह छात्रावास रहने लायक नहीं है। आवश्यक मरम्मत कराने के बाद छात्रावास को अगले शैक्षणिक सत्र से प्रारम्भ करने पर विचार किया जायगा।

5—राजकीय महाविद्यालय, सांभरलेक का छात्रावास

यह छात्रावास गत दो वर्षों से बन्द है। छात्रावास में प्रवेश के लिए छात्र इच्छुक नहीं हैं।

6—एम. एस. जे. कॉलेज, भरतपुर का छात्रावास

यह छात्रावास दिनांक 22-11-92 से ही बन्द है। छात्रावास में

असामाजिक तत्वों के रहने एवं छात्रों द्वारा छात्रावास की फीस न देने के कारण छात्रावास को बन्द करना पड़ा। जिला कलक्टर ने आर. ए. सी. की मदद से यह छात्रावास खाली करवाया था।

7—बांगड़ कालेज, पाली का छात्रावास

यह छात्रावास चार वर्षों से बन्द है। जगह की कमी के कारण छात्रावास में अध्यापन कार्य चल रहा है।

8—राजकीय महाविद्यालय, चूरू का छात्रावास

इस छात्रावास के अधिकांश कमरे रहने की स्थिति में नहीं हैं। चालू शैक्षणिक सत्र 94–95 में छात्रों को इसमें प्रवेश नहीं दिया गया। राजकीय महाविद्यालय, चूरू के छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस छात्रावास को पुनः प्रारम्भ करने की स्वीकृति पत्रांक एफ. 20 (12) शिक्षा–5/87 दिनांक 3–1–95 के द्वारा जिला कलक्टर, चूरू को प्रदान की गयी है।

ग्राम पूचिया (कांठल क्षेत्र) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सा स्टाफ

186. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि कांठल क्षेत्र के ग्राम पूचिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना होने के पांच वर्ष गुजरने के बाद भी पूरे स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गयी है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

जी नहीं।

कांठल क्षेत्र के पूचिया ग्राम में कोई प्रा. स्वा. केन्द्र स्वीकृत नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

माण्डव माइन्स (डूंगरपुर) में कार्यरत श्रमिक

187. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले की मांडव माइन्स में वर्ष 1984 के पूर्व कार्यरत मजदूरों को सेवा से हटाया गया था ? यदि हां, तो कितने मजदूरों को कब निकाला गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इन मजदूरों की भविष्य निधि आदि की बकाया है ? यदि हां, तो मजदूरवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, किसी भी मजदूर को सेवा से नहीं निकाला गया है।

(2) जी नहीं। 1984 से पूर्व कार्यरत मजदूरों द्वारा विभिन्न समयों पर निगम द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का लाभ उठाते हुए निगम से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ली है ऐसे श्रमिकों से प्राप्त भविष्य निधि दावों का निराकरण किया जा चुका है। इन्हीं श्रमिकों से संबधित कर्मचारी कुटुम्ब स्कीम, 1971 के अन्तर्गत प्राप्त दावों को भी आयुक्त, क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय, जयपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाया जा चुका है। निगम इनको जल्दी भुगतान दिलाने के प्रति सजग है।

मेवात विकास बोर्ड हेतु आबंटित राशि

188. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य सरकार द्वारा मेवात विकास बोर्ड के लिए वर्ष 1994–95 में मदवार कितनी राशि उपलब्ध करायी गयी ?

(2) उपरोक्त राशि में से 28 फरवरी, 1995 तक कितनी राशि विभिन्न मदों पर व्यय की जा चुकी है ?

(3) सरकार इसमें किसका दोष मानती है कि मेवात विकास बोर्ड को आबंटित राशि को माह फरवरी, 1995 तक भी खर्च नहीं किया गया ?

(श्री जुबेर खान)

(4) बोर्ड को आवंटित राशि समय से व्यय की जा सके इस बाबत सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1994–95 में मेवात विकास बोर्ड हेतु मदवार राशि उपलब्ध न करायी जाकर 200·00 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया। अलवर व भरतपुर जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वर्ष 94–95 में रुपये 296·60 लाख के कार्यों हेतु स्वीकृति जारी की गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

क्र. सं.	मद	राशि
1.	सड़क कार्य	252·00 लाख
2.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	25·00 लाख
3.	पेयजल	19·60 लाख
		कुल—296·60 लाख

(2) वर्ष 1987–88 से 1993–94 तक मेवात योजनान्तर्गत अलवर में 295·14 लाख रुपये एवं भरतपुर में 157·73 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं तथा वर्ष 1994–95 में दिनांक 28 फरवरी, 95 तक योजनान्तर्गत 23·60 लाख रुपये सड़क कार्यों पर व्यय किये जा चुके हैं।

(3) राशि कम व्यय होने का प्रमुख कारण सम्बन्धित कार्यकारी विभागों की उदासीनता रही है।

(4) आवंटित राशि समय पर खर्च की जाए इस हेतु मुख्य सचिव के स्तर से सम्बन्धित विभागों को कड़े निर्देश दिये गये हैं।

राज्य के विकास हेतु समग्र विकास योजना

189. **श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) :** क्या मुख्य (आयोजना) मंत्री यह बताने की करेंगे :–

(1) राज्य के पिछड़ेपन व मरुस्थल को देखते हुए क्या सरकार योजना आयोग से राज्य के लिए समग्र विकास योजना, वार्षिक योजना के अलावा बनवाने का विचार रखती है जैसा कि असम तथा बिहार व पूर्वोत्तर राज्यों के लिए किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तैयार की गयी रूपरेखा का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य की योजना राज्य के पिछड़ेपन एवं मरुस्थल को ध्यान में रखते हुए ही बनायी जाती है। योजना आयोग से चर्चा करने के बाद ही योजना को अन्तिम रूप दिया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों तथा बिहार ने वार्षिक योजना के अलावा समग्र विकास योजना बनायी है, इसकी जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

खालसा भूमि पर अवैध कब्जे

190 श्री खगार सिंह चौधरी (खारची) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मामावास की प्याऊ से गजनीपुरा–खीवाड़ागुडा-ठाकुरजी होते हुए देसूरी डामर सड़क बनी हुई है व रेवेन्यू नक्शों में भी दर्शायी हुई है?

(2) क्या यह भी सही है कि इस सड़क के दोनों तरफ खालसा व खातेदारी की जमीन आयी हुई है ? यदि हां, तो सड़क का नाप व खालसा जमीन का नक्शा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इस सड़क के किनारों पर खालसा जमीन पर लोगों द्वारा कब्जा करने की कोशिश की गयी है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध राजस्व विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि मामावास को प्याऊ गजनीपुरा, गुडा ठाकुरजी होते हुए देसूरी तक डामर सड़क बनी हुई है। जो रेवेन्यू नक्शों में अंकित है।

(2) जी, हां। यह भी सही है कि उक्त सड़क के दोनों तरफ खालसा व खातेदारी भूमि आई हुई है। सड़क का नाप चौड़ाई 30 मीटर एवं लम्बाई 31 कि. मी. है। नक्शों की प्रतियां प्राप्त की जा रही हैं।

(3) जी, हां। यह भी सही है कि उक्त सड़क के किनारे पर स्थित ग्राम गजनीपुरा, खिवाड़ा, डायलापाखुर्द, गुडा देवड़ामेडतियान, बागोल में राजकीय भूमि पर अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। कुल 27 अतिक्रमियों में से 15 अतिक्रमियों को बेदखल किया गया है। शेष 12 अतिक्रमियों के प्रकरण विचाराधीन हैं। जिसमें कार्यवाही की जा रही है।

पंचायत मुख्यालय मार्गों का डामरीकरण

191. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में इस वर्ष किस-किस जिले में किन-किन क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत मुख्यालयों को सड़क तथा डामर रोड से जोड़ने की सरकार की क्या योजना है, कितने पंचायत मुख्यालय को सड़कों से जोड़ना शेष है ? किस-किस जिले में किन-किन पंचायत मुख्यालयों को किस आधार पर सड़कों से जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1994–95 में सभी जिलों में सड़क निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग की राज्य योजना एवं विश्व बैंक की सहायता से चलायी जा रही है कृषि विकास परियोजनान्तर्गत जो राशि

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

जिलेवार आबंटित की गयी है उसका विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(2) राज्य के सभी पंचायत मुख्यालयों को आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) के अन्त तक ग्रेवल सड़कों से तथा नवीं पंचवर्षीय योजना के (1997–2002) अन्त तक डामर सड़क से जोड़ने की योजना है । राज्य के 3574 पंचायत मुख्यालयों को डामर से तथा 1646 पंचायत मुख्यालयों को ग्रेवल सड़कों से जोड़ा जाना शेष है । 1646 पंचायत मुख्यालय जो किसी भी प्रकार की सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं, को आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सड़कों से जोड़ने के लिए दो प्रकार से कार्यवाही की जा रही है । प्रथम 1971 की जनगणनानुसार 1000 से अधिक आबादी वाले पंचायत मुख्यालयों को राज्य योजनान्तर्गत डामर से जोड़ा जा रहा है । द्वितीय 1000 से कम आबादी वाले पंचायत मुख्यालयों को अन्य योजनाओं के अन्तर्गत ग्रेवल सड़क से जोड़ा जा रहा है । वर्ष 1994–95 तक सड़कों से जुड़े व बिना जुड़े पंचायत मुख्यालयों का विवरण जो परिशिष्ट "ब" पर है । सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

राज्य योजनान्तर्गत व कृषि परियोजनान्तर्गत वर्ष 94–95 में जिलेवार आबंटित की राशि

(राशि लाखों में)

राज्य योजना

क्र. सं.	जिला	राज्य उच्च मार्ग विश्व बैंक योजना	अन्य राज्य उच्च मार्ग	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	शहरी सड़कें	पर्यटन महत्व की सड़कें	कृषि विकास परियोजना
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	2935.00	—	42·90	14·19	225·00	—
2.	अलवर	2915.0	0·15	50·93	—	—	—
3.	बांसवाड़ा	—	100·10	121.00	—	—	—
4.	बारां	—	344·50	69·20	3·30	—	150·00
5.	बाड़मेर	—	7·70	282·70	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	भरतपुर	—	5·50	51·15	0·66	—	360·00
7.	भीलवाड़ा	—	—	59·60	—	—	—
8.	बीकानेर	—	18·80	124·29	16·50	—	—
9.	बूंदी	—	6·60	80·90	0·55	—	37·00
10.	चित्तौड़गढ़	—	25·90	84·15	—	—	—
11.	चूरू	—	12·10	160·60	7·15	—	—
12.	दौसा	—	25·90	15·95	—	—	—
13.	धौलपुर	—	—	472·57	0·55	—	220·00
14.	डूंगरपुर	—	24·80	135·30	—	—	—
15.	गंगानगर	—	—	61·59	4·00	—	430·00
16.	हनुमानगढ़	—	—	—	—	—	—
17.	जयपुर	—	140·70	59·40	102·08	—	—
18.	जैसलमेर	—	—	34·40	—	—	—
19.	जालौर	—	27·50	385·00	—	—	—
20.	झालावाड़	—	69·30	45·28	3·30	—	195·00

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	झुंझनू	—	—	55·00	—	—	—
22.	जोधपुर	—	101·00	56·80	23·76	—	—
23.	कोटा	—	10·50	65·00	33·00	—	—
24.	नागौर	—	—	311·85	0·33	—	—
25.	पाली	—	21·45	138·80	—	—	—
26.	राजसमन्द	—	—	41·80	—	—	—
27.	सवाई माधोपुर	—	194·40	99·00	0·09	—	378·00
28.	सीकर	—	39·80	126·50	—	—	—
29.	सिरोही	566.00	1·80	66·60	—	—	—
30.	टौंक	—	4·00	32·34	3·30	—	—
31.	उदयपुर	1584·00	140·50	255·20	66·45	—	—
32.	अन्य	—	—	334·00	—	—	30·00
	योग	8000.00	1323·00	3920·00	250·00	225·00	1900·00

217

वर्ष 1994–95 तक सड़कों से जुड़े पंचायत मुख्यालय

क्र. सं.	जिला	कुल पं. मु.	सड़कों से जुड़े पंचायत डामर	मैटल	मुख्यालय ग्रेवल	कुल	सड़कों से बिना जुड़े पंचायत मुख्यालय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	276	208	12	56	276	—
2.	अलवर	477	322	17	13	352	125
3.	बांसवाड़ा	320	197	17	41	255	65
4.	बारां	214	96	6	11	113	101
5.	बाड़मेर	380	175	9	157	341	39
6.	भरतपुर	372	217	20	6	243	129
7.	भीलवाड़ा	378	234	23	102	359	19
8.	बीकानेर	152	140	3	34	177	15
9.	बून्दी	181	95	8	36	139	42

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	चित्तौड़गढ़	391	203	30	86	319	72
11.	चूरू	278	153	5	33	191	87
12.	दौसा	225	122	13	42	177	48
13.	धौलपुर	153	79	11	6	96	57
14.	डूंगरपुर	236	154	23	39	216	20
15.	गंगानगर	314	234	—	—	234	80
16.	हनुमानगढ़	258	184	—	—	184	74
17.	जयपुर	486	350	10	34	394	92
18.	जैसलमेर	126	70	—	32	103	23
19.	जालौर	264	136	13	115	264	—
20.	झालावाड़	251	113	7	60	180	71
21.	झुंझुनूं	288	219	7	36	262	26
22.	जोधपुर	338	248	4	80	332	6
23.	कोटा	162	104	4	16	124	38
24.	नागौर	460	240	21	173	434	26
25.	पाली	321	226	16	78	320	1

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	राजसमन्द	205	124	17	58	199	6
27.	सवाई माधोपुर	423	229	2	62	293	130
28.	सीकर	328	213	3	39	265	73
29.	सिरोही	148	117	2	25	144	4
30.	टौंक	231	113	8	29	150	81
31.	उदयपुर	498	285	30	87	402	96
	योग	9174	5600	341	1587	7428	1646

विधान सभा क्षेत्र बेगूं के ग्रामों में उप स्वास्थ्य केन्द्र

192. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार ठुकराई एवं जावदा (नीमड़ी) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

(2) क्या सरकार 500 की जनसंख्या से अधिक आबादी के ग्रामों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

ग्राम ठुकराई पंचायत समिति बेगूं तथा ग्राम जावदा (नीमड़ी) पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ में स्थित है और उक्त दोनों ही पंचायत समितियों में निर्धारित नोर्म्स से अधिक संख्या में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुले होने के कारण उक्त दोनों ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना संभव नहीं है। बेगूं पंचायत समिति में कुल 7 व भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति में कुल 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं।

(2) जी नहीं।

उप केन्द्र सामान्य क्षेत्र में प्रति पांच हजार तथा जनजातीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रति तीन हजार की जनसंख्या पर स्थापित किए जाने के नार्म्स निर्धारित है, जिसके अनुसार ही पर्याप्त संख्या में उप केन्द्र खोले जाने का लक्ष्य है।

जिला बून्दी में नई खनिज नीति के अन्तर्गत खानों के आबंटन हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र

193. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि 1994 में नई खनिज नीति सरकार द्वारा बनाई गई थी ? यदि हां, तो नई नीति के बनने के बाद बूंदी जिले में कितने व्यवसाइयों ने खान आबंटन हेतु 15 मार्च, 1995 तक दरखास्तें दी ?

(2) क्या 1994 की खनिज नीति बूंदी जिले के लिये ठीक है ? यदि हां, तो 20,000 वर्ग मीटर की कितनी सैण्ड स्टोन की भूमि इस जिले में लीज पर दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि 20,000 वर्ग मीटर की लीज होने से मध्यम वर्ग का व्यक्ति लीज पर खान नहीं चला सकता ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नीति में परिवर्तन करने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि वर्तमान खनिज नीति से बूंदी जिले में भू-संपदा की लोग चोरी कर रहे हैं ?

(5) अप्रेल, 1994 से 15 मार्च, 1995 तक कितने ट्रक खनिज चोरी के

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

पकड़े गये और उनसे कितनी राशि वसूल की गई ?

उत्तर

(1) जी, हां। नई खनिज नीति प्रभाव में आने के बाद दिनांक 15·3·95 तक बूंदी जिले में खान आबंटन हेतु 368 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 275 आवेदन पत्र खनिज सैण्ड स्टोन केहैं।

(2) जी, हां। वर्तमान में बूंदी जिले में 20,000 वर्ग मीटर साइज के खनिज सैण्ड स्टोन के 145 खनन पट्टे स्वीकृत किये गये हैं। जिनका क्षेत्रफल 29 लाख वर्ग मीटर है।

(3) इस नीति में वर्तमान में परिवर्तन का विचार नहीं है।

(4) जी, नहीं।

(5) अप्रेल, 1994 से 15 मार्च, 1995 तक बूंदी जिले में 10 ट्रक एवं 1 ट्रेक्टर ट्रोली खनिज से भरा हुआ बिना रवन्ना पकड़े गये जिनसे रुपये 53,450/– वसूल किये गये।

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में अन्त्योदय योजनान्तर्गत चयन

194. **श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़)**: क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अंत्योदय योजना में चयनित परिवारों की गणना में कई परिवार छूट गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार ऐसे निर्धन परिवारों को चयनित करने की मंशा रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि बैंक आफ राजस्थान शाखा ताम्बेसरा द्वारा चयनित परिवारों को मात्र दुकान लगाने के लिए ही ऋण स्वीकृत किया जाता है और ग्रामीण काश्तकारों को यथा; गाय, बैल, भैंस आदि लक्ष्य अनुसार उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं ?

(4) क्या यह सही है कि चयनित परिवारों को लाभान्वित कराने में भ्रष्ट तरीके अपनाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे बैंकर्स को हटाकर जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1992 में कराये गये चयन सर्वे एवं चयन हेतु आयोजित ग्राम सभा के समय कुछ परिवार जो सम्भवत: रोजगार हेतु अन्यत्र चले गये थे, चयन से छूट गये थे।

(2) परिवारों के चयन का कार्य भारत सरकार के निर्देशानुसार कराया जाता है। भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर ही अगले चयन की कार्यवाही की जा सकेगी।

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

(3) जी नहीं। बैंक ऑफ राजस्थान शाखा ताम्बेसरा द्वारा चयनित परिवारों को वर्ष 1994–95 में आबंटित लक्ष्य अनुसार निम्न प्रयोजन हेतु ऋण स्वीकृत कर लाभान्वित कराया गया है :–

दुकान हेतु	—	32
पशु संसाधन हेतु	—	18
लघु उद्योग हेतु	—	6

(4) भ्रष्ट तरीके अपनाये जाने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

तारांकित प्रश्न संख्या 195

(स्थगित)

परिशिष्ट–3

अतारांकित प्रश्न संख्या 250 की सूची

राजस्व जिलेवार अवैध आसवन के अभियोग वर्ष 1993–94

क्र.सं	राजस्व जिले का नाम	वर्ष 1993–94 में बने अभियोग
1	2	3
1.	अजमेर	322
2.	अलवर	13
3.	बांसवाड़ा	—
4.	बारां	—
5.	बीकानेर	34
6.	भरतपुर	12
7.	बाड़मेर	49
8.	भीलवाड़ा	401
9.	बून्दी	100
10.	चूरू	111
11.	चित्तौड़गढ़	2
12.	डूंगरपुर	4
13.	धौलपुर	13
14.	दौसा	24
15.	जोधपुर	156
16.	जैसलमेर	14
17.	जालोर	4

1	2	3
18.	झुन्झुनू	—
19.	जयपुर	164
20.	झालावाड़	11
21.	कोटा	—
22.	नागौर	5
23.	पाली	53
24.	राजसमन्द	3
25.	सिरोही	—
26.	सीकर	68
27.	सवाई माधोपुर	4
28.	श्री गंगानगर	51
29.	टौंक	50
30.	उदयपुर	6
31.	हनुमानगढ़	—
	कुल	1674 अभियोग

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या 257 की सूची

जयपुर नगर में राजकीय आवासों की श्रेणीवार सूची

प्रथम श्रेणी	45	
द्वितीय श्रेणी	247	(बजाज नगर एपार्टमेंट फ्लैट सहित)
तृतीय श्रेणी	158	
चतुर्थ श्रेणी	498	
पंचम श्रेणी	320	
"एच" टाइप	185	

प्रतीक्षारत आवेदकों को आबंटित किये गये राजकीय आवासों का विवरण

प्रथम श्रेणी	वर्ष 1991 तक
द्वितीय श्रेणी	वर्ष 1990 तक (वर्ष 1991 के आवेदकों को आबंटन किया जा रहा है।
तृतीय श्रेणी	वर्ष 1990 तक (वर्ष 1991 के आवेदकों को आबंटन किया जा रहा है)
चतुर्थ श्रेणी	वर्ष 1990 तक (वर्ष 1991 के आवेदकों को आबंटन किया जा रहा है)

पंचम श्रेणी	वर्ष 1978 तक (वर्ष 1979 के आवेदकों को आबंटन किया जा रहा है)
"एच" श्रेणी	वर्ष 1981 तक (1982 के आवेदकों को आबंटन किया जा रहा है)

शेष आवेदकों का विवरण

प्रथम श्रेणी	30
द्वितीय श्रेणी	245
तृतीय श्रेणी	390
चतुर्थ श्रेणी	900
पंचम श्रेणी (एच टाईप सहित)	4087

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 258 की सूची

विवाह शादी एवं समारोह पर क्लब भवन/मैदान के आबंटन से प्राप्त आय का विवरण निम्नानुसार है :—

माह	वर्ष 1992–93	वर्ष 1993–94	वर्ष 1994–95
अप्रेल	4319	8550	11842
मई	1675	1600	11745
जून	1201	1552	10314
जुलाई	878	1950	00619
अगस्त	2502	(–) 0400	00079
सितम्बर	14477	16780	00901
अक्टूबर	10450	1200	17300
नवम्बर	4785	13808	16681
दिसम्बर	2200	18174	23610
जनवरी	7480	5990	10451
फरवरी	2205	16715	14500
मार्च	14175	20180	13670
योग :	66347	106099	131712

उपरोक्त आय में बिजली एवं पानी का चार्जेज सम्मिलित है ।

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 259 की सूची

परिशिष्ट–"अ"

डामर सड़क से जुड़े पंचायत मुख्यालयों की सूची

पंचायत समिति बायतू	पंचायत समिति बालोतरा
1. बायतू भोपजी	1. आसोतरा
2. छीतर का पार	2. कल्याणपुर
3. बायतू चिमन जी	3. कानना
4. बायतू भीमजी	4. किरनोद
5. भाडखा	5. दूधवा
6. कानोड़	6. मूंगरा
7. भीमरा	7. आसखा चौहान
8. पानावाड़ा	8. मेवासगर
9. ढूंढा का बास	9. माजीवाला
10. बायतू पनजी	10. पाटोदी
11. कपूरडी	11. सांभरा
12. बाटाडू	12. सराना
13. सावौ पदम सिंह	13. आसरा
14. जाजवा	14. कूरी
15. खोखसर पश्चिम	15. तिलवाड़ा
16. भूनराटिया	16. गोपरी
17. गीदा	17. पारलू

229

पंचायत समिति बालोतरा
18. सरवाड़ी
19. सिमारखिया
20. टापरा
21. डोलीकलां
22. जागसा
23. ढाणी सांखला
24. कलूड़ी
25. थोब
26. पचपदरा
27. जसोल

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 266 का विवरण

टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 1994–95 में स्वीकृत सड़क कार्यों की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति का क्रमांक व दिनांक	स्वीकृत लम्बाई (किमी.)	स्वीकृत राशि (लाखों में)	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6
	जवाहर रोजगार योजना				
1.	सम्पर्क सड़क कुड़ावाल	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सवाई माधोपुर क्र. 116–22/ 18-4-1994	5	5.00	प्रगति पर है।
2.	सम्पर्क सड़क कटारा अजीज	,, ,,	2	2.00	भूमि विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

1	2	3	4	5	6
3.	सम्पर्क सड़क उरदेन	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सवाई माधोपुर क्र. 1418–24/ 1-9-1994	2	2.00	प्रगति पर है।
4.	सम्पर्क सड़क सिधानिया	,, ,,	5	5.00	प्रगति पर है।
5.	सम्पर्क सड़क अजीजपुर	,, ,,	1	1.00	प्रगति पर है।
6.	सम्पर्क सड़क रानोली	ए. डी. पी. में स्वीकृत है (एफ. 8) 857 (अनु. II/डी–1363 दिनांक 21-1-1993	4	30.00	कार्य ए. डी. पी. के अन्तर्गत प्रगति पर है।
7.	सम्पर्क सड़क चिरावण्डा	एम. एन. पी. में स्वीकृत है।	5	22.00	यह कार्य एम. एन. पी. में स्वीकृत होने की वजह से जवाहर रोजगार योजना में नहीं किया जा रहा है
8.	सम्पर्क सड़क मोरा सागर	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सवाई माधोपुर क्र. 1847–51 दिनांक 19-11-1994	3	3.00	भूमि विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका

231

1	2	3	4	5	6
9.	सम्पर्क सड़क नादौती गड़मोरा सड़क पर अलूदा के पास मिसिंग लिंक का कार्य	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सवाई माधोपुर क्र. 851–54 दिनांक 26-9-94	1	1.00	कार्य पूर्ण
10.	गोठयापुरा से रिकसपुरा	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सवाई माधोपुर क्र. 1862–76 दिनांक 26-11-94	1	1.00	कार्य प्रगति पर है।
	एम. एन. पी.				
11.	सम्पर्क सड़क गड़मोरा से चिरावड़ा तक डामर सड़क	एफ. 8 (873) अनु. II/94 दिनांक 13-5-94	5	22.25	कार्य प्रगति पर है।
12.	सम्पर्क सड़क गंगापुर नादौती सड़क से सोप	,, ,,	6	18.30	कार्य प्रगति पर है।
13.	सम्पर्क सड़क नादौती श्री महावीरजी सड़क से तेसगांव डामर सड़क	,, ,,	1	3.02	कार्य प्रगति पर है।
14.	सम्पर्क सड़क रोन्सी डामर सड़क	,, ,,	2	6.10	कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6
	आश्वासित रोजगार योजना				
15.	सम्पर्क सड़क बाड़ा	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सवाई माधोपुर क्र. 1412–17 दिनांक 1-9-1994	3	3.00	कार्य प्रगति पर है।
16.	सम्पर्क सड़क मेढ़ेकापुरा	,, ,,	2	2.00	कार्य प्रगति पर है।
17.	सम्पर्क सड़क त्रिशुल	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सवाई माधोपुर क्र. 2990–95 दिनांक 16-2-95	1	4.25	कार्य प्रगति पर है
18.	सम्पर्क सड़क अलावरा	,, ,,	1	4.25	कार्य प्रगति पर है।
	निर्बन्ध योजना				
19.	सांकरवाड़ा से टोडाभीम मनकपुरा सड़क तक ग्रेवल का निर्माण	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सवाई माधोपुर क्र. 2004–07 दिनांक 16-12-94	1.5	1.50	स्वीकृति मार्च, 95 में प्राप्त हुई है कार्य शुरू नहीं हुआ है।
20.	नादौती गुढा चन्द्रजी सड़क से बलदेवपुरा वाया ठहरिया	,, ,,	1	0.85	,,

233

1	2	3	4	5	6
21.	सम्पर्क सड़क बागौर	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सवाई माधोपुर क्र. 2004–07 दिनांक 16-12-94	1	0.85	स्वीकृति मार्च, 95 में प्राप्त हुई है कार्य शुरू नहीं हुआ है।
22	घवान घोलेटा सड़क से लुहार खेड़ा	,, ,,	1	1.00	,,

नोट :—उपरोक्त 22 कार्यों में से एक कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 13 कार्य प्रगति पर है। 8 कार्य जो शुरू नहीं हो सके उनमें से दो कार्य जवाहर रोजगार योजना में भूमि विवाद के कारण शुरू नहीं हो सके। दो कार्य पूर्व में ही न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ए. डी. पी. (विश्व बैंक) में स्वीकृत थे अतः जे. आर. वाई. में शुरू नहीं हो सके। शेष चार कार्य निर्बन्ध योजना में 3/95 में स्वीकृत हुए हैं जिनको अब शुरू करवाया जा रहा है।

235

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 275 की प्रति

अन्तिम परिणाम

1. जिला अलवर, थाना–टहला वर्ष 1994—मु. न. 12/94
2. अधि. आई. पी. सी. धारा 120बी, 420, 467, 471 ता. हि.
3. अन्तिम रिपोर्ट संख्या—22/94 दिनांक 14-6-94
4. अन्तिम परिणाम की किस्म
5. अन्तिम परिणाम अघटित हो तो
6. क्या अनुपूरणक अथवा मूल.
7. नाम पता अन्वेषण अधिकारी—श्री कन्हैया लाल मीणा एस. एच. ओ. थाना टहला
8. परिवादी का नाम श्री मामराज पुत्र रामजीलाल जागा नि. गोलाका बास
9. परिवादी को परिणाम से सूचित करने की दिनांक 14-6.94
10. बरामद सम्पत्ति का ब्यौरा—शून्य
11. न्यायालय का नाम—ए. सी. जे. एम. सा. राजगढ़
12. दस्तावेजों की सूची—

महोदय,

वाकयात मुकदमा हाजा के हालात इस प्रकार से हैं कि दिनांक 14-2-94 को इस्तगासा अदालत श्रीमान् ए. सी. जे. एम. सा. राजगढ़ से मुस्त. श्री मामराज पुत्र रामजी लाल जाति ब्रह्म भाट जागा निवासी गोलाका बास का जरिये डाक इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ कि एक किता पुख्ता मकान दो मंजिल वाके ग्राम गोला का बास में है। जिसके आगे एक बाड़ा है। उक्त जायदाद मुस्तगीस व मुलजिमान हजारी लाल की है।

- जिसका 1/2 भाग मुस्तगीस की व 1/2 भाग मुलजिमान हजारी की है जिस पर जमाना बुजुर्गान से मुलजिमान हजारीलाल व मुस्तगीस लगातार काबिज होकर रहते हैं और मौजूदा हालात में मुस्तगीस अपनी जायदाद पर काबिज है। मुलजिमान बाबूलाल, हजारी लाल, रामकिशोर, राजेन्द्र अग्नि होत्री, कैलाश चन्द्र निवासी गोला का बास एक राय होकर षडयन्त्र रच कर मुस्तगीस के हिस्से की उक्त जायदाद को मुलजिमान हजारीलाल से एक दस्तावेज बेनामा मुलजिमान बाबूलाल के हक में तहरीर तकमील करा कर दिनांक 25-12-93 को सब रजिस्ट्रार साहब राजगढ़ के यहां पंजीबद्ध कराया और इस फर्जी दस्तावेज ब्यानामा में मुलजिमान रामकिशोर, राजेन्द्र, कैलाश ने गवाही की है। रजिस्ट्री बेनामा दिनांक 25-12-93 की नकल संलग्न है। मुलजिमान हजारी ने जो दिनांक 25-12-93 को मुलजिमान बाबूलाल के हक में तहरीर कराई उसमें मुलजिमान हजारी लाल उक्त जायदाद को सालीम अपनी मोरोसी दरसाई है। और उक्त जायदाद को बेनामा खण्डर अंकित की हैं। जबकि उक्त जायदाद में काफी सालों से कालूराम, मंगल राम किरायेदार अभी तक रह रहे है। और मुस्तगीस जिजमानी का कार्य करता है।

अपनी जिजमानी में बाहर गया हुआ था। मुस्तगीस को नुकसान पहुंचाने की गरज से मुस्तगीस के पीछे से हिस्से की जायदाद को भी मुलजिमान हजारीलाल ने बिक्री कर दी। मुस्तगीस जब अपने गांव आया तो गिर्राज प्रसाद मूर्तिकार, शंकर लाल जागा, ने यह फर्जी कार्यवाही के बारे में बतलाया आदी—2 रिपोर्ट पर मु. न. 12/94 धारा 120बी, 420, 467, 471 ता. हि. में कायम किया जाकर तफतीश एच. सी. श्री रोशन लाल द्वारा कराई गई। एच. सी. ने नक्शा मौकाबशीद किया गया ब्यान गवाहान लिए तत्पश्चात् मुकदमा हाजाकी तफतीश मुझ एस. एच. ओ. कन्हैया लाल मीणा द्वारा की गई।

दौराने तफतीश गवाहान से पूछताछ की गई पड़ौसियान गवाहान से दरियाफ्त की गई दौराने तफतीश व गांव के प्रतिष्टि व्यक्तियान, पड़ौसी गवाहान से मालूमात करने पर पाया गया कि मुस्तगीस मामराज जागा व हजारी लाल दोनों चाचा ताऊ के भाई हैं। और इनकी सामलाती हवेली गोला का बास में है दोनों भाइयों में आपस में समझौता (बंटवारा) करके मकान को जरिये बेनामा बाबू लाल पुत्र रामेश्वर दयाल वाजपेई निवासी गोलका बास को 45,000/– रुपये में बेच दी व मकान की रजिस्ट्री भी करवा दी बाबूलाल वाजपेयी ने मुताबिक बेनामा के मकान के पैसे भी दे दिये फिर मामराज वा हजारी लाल जागा दोनों भाइयों में एक जागा की पोथी पर था पैसों के लेन-देन पर मन मुटाव हो गया तो मामराज के मन में बेईमानी आ गई और मामराज ने मुकदमा दर्ज करा दिया। दौराने तफतीश हालात ब्यानात गवाहान वा पड़ौसियान मौजीजा ग्रामवासियों से मामला जुर्म धारा 120बी, 420, 467, 471 ता. हि. का

अपराध घटित होना पाया जाता है। मामला दोनों भाइयों में आपसी लेन-देन का होना पाया जाता है। जो मामला अदम वकु सिवल नेचर की तारीफ में आता है। अतः मुकदमा हाजामें एफ. आर. न. 22/94 दिनांक 14-6-94 वसिगें अदम वकु सिविल नेचर में मुर्तिब कर वास्ते स्वीकृति सेवा में पेश है। खत्म तफतीश की सूचना जरिये सूचना कार्ड मुस्तगीस को पृथक से दी जावेगी।

कन्हैयालाल मीणा
एस. एच. ओ. थाना टहला
14-6-1994
थाना अधिकारी
पुलिस थाना टहला (अलवर)

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 270 का विवरण

तहसील सुजानगढ़ में पंजीबद्ध अभियोग वर्ष 1990 से फरवरी 1995 तक

क्र.सं	शीर्षक	वर्ष	दर्ज अभियोग	चालान	एफ.आर.	जेर तफतीश
1	2	3	4	5	6	7
1.	चोरी	1990	31	17	14	—
		1991	40	14	26	—
		1992	42	11	31	—
		1993	38	9	29	—
		1994	48	10	38	—
		1995	8	1	4	3
2.	डकैती	1990	2	1	1	—
		1991	—	—	—	—
		1992	—	—	—	—
		1993	—	—	—	—
		1994	—	—	—	—
		1995	1	—	—	1
3.	लूट	1990	7	5	2	—
		1991	7	5	2	—
		1992	1	1	—	—

1	2	3	4	5	6	7
		1993	2	2	—	—
		1994	3	2	1	—
		1995	—	—	—	—
योग :			230	78	148	4

विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में पंजीबद्ध शराब (ग्राबकारी एक्ट) के अभियोग
वर्ष 1990 से फरवरी, 1995 तक

1.	शराब (ग्राबकारी एक्ट)	1992	35	35	—	—
		1993	18	18	—	—
		1994	17	17	—	—
		1995	7	6	—	—
	योग :		77	76	—	1

240

तहसील सुजानगढ़ में वर्ष 1990 से 20 मार्च, 1995 तक अनुसूचित जाति पर अत्याचार सम्बन्धी दर्ज अभियोगों की सूची

क्र.सं.	वर्ष	दर्ज अभियोग	चालान	एफ.आर.	जैर तफतीश
1.	1990	24	12	12	—
2.	1991	19	10	9	—
3.	1992	30	13	17	—
4.	1993	36	11	25	—
5.	1994	39	21	18	—
6.	1995	8	2	2	4
	योग :	156	69	83	4

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 277 का विवरण

अवधि वर्ष	डकैती	कत्ल	लूट	नकबजनी	सर्का सावा	सर्का मवेशी	एम.सी. एस.सी. लूना	ट्रक जीप	जेब-तराशी	अन्य चोरी	स्यानत	धोखा	बलवा	ग. दुर्घटना	ले भागना	बला.	अन्य
1993	–	–	2	21	4	1	4	–	1	19	2	7	18	3	2	1	60
1994	–	4	5	58	8	1	12	6	–	55	7	20	55	43	11	–	110
1995	–	1	1	3	2	–	–	5	–	4	2	4	10	3	2	–	28

(2) चोरियों की कितनी वारदात घटित हुई उनमें से कितने में माल मिला

वर्ष	चोरियों के दर्ज अभियोग	कितने मुकदमों में माल बरामद हुआ	चोरी गये माल की कीमत	बरामद माल की कीमत
1993	40	5	1,73,000–00	77,022–00
1994	110	3	5,12,025–00	1,02,200–00
1995	7	1	77,200–00	2,200–00

वर्ष	कुल अपराध दर्ज
1993	145
1994	395
1995	60

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 282 की सूची

पंचायत समिति लालसोट द्वारा चरागाह राशि वितरित एवं अवशेष की सूची

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	1989–90	1990–91	1991–92	1992–93	1993–94	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सोनड (सिदोली)	—	—	75	997	—	220
2.	हेमल्यावाला	2241	452	50	279	826	—
3.	विदरखा	1544	793	948	1160	1338	—
4.	कालूवास	1662	1660	4401	2258	174	1307
5.	कल्लावास	—	75	21	—	—	—
6.	राहूवास	—	404	1077	110	154	401

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	पालन्दा	—	—	509	649	768	—
8.	डोब्र	1567	4330	207	—	166	175
9.	सलेमपुरा	—	—	2811	87	240	—
10.	खादूम्बर	839	250	1777	581	780	—
11.	डूंगरपुर	87	—	—	—	42	—
12.	निजामपुरा	895	1503	3808	7895	1574	738
13.	डिडवाना	—	432	2720	2087	9400	—
14.	रामगढ़ पचारा	—	—	—	865	—	—
15.	अमरावाद	1308	4012	16375	15159	11878	2544
16.	बीछा	2767	2500	6149	4368	3831	1051
17.	गांगल्यावास	34	50	30206	389	—	—
18.	श्यामपुरा कलां	1014	1108	179	105	—	—
19.	झांपदा	2410	2846	4384	3208	514	124
20.	संवासा	984	656	829	132	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	दौलतपुरा	586	380	719	—	472	614
22.	होदायली	1374	5033	4419	6619	5305	—
23.	शिवसिंहपुरा	1040	814	240	584	—	—
24.	निर्भरना	2865	2093	2119	691	1480	—
25.	तलाबगांव	2015	1029	1004	—	125	—
26	श्रीमा	3509	4193	3688	—	—	649
27.	देवली	186	—	2921	1514	—	5667
28.	चौण्डियावास	—	—	—	—	1576	633
29.	चांदसेन	843	1349	1981	—	—	158
30.	राजोली	843	1813	3332	7813	5015	844
31.	टोडाठेकला	5222	2762	1267	5804	3196	—
32.	लालपुरा	1107	1399	721	1334	1882	—
33.	मिर्जापुरा	1224	3559	2289	743	—	297
34.	खाटवा	383	726	42837	6376	207	97
35.	कांकरिया	3093	658	14340	4221	11334	—
36.	बगडी	328	565	1076	1640	1171	100

245

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	बिलोनाकलां	356	445	2965	1658	855	1572
38.	सरतपुरा	—	—	50	96	210	321
39.	खोडलाखुर्द	—	1477	1075	336	53	—
40.	मंडावरी	—	—	—	—	—	—
41.	किशोरपुरा	788	2515	1502	1461	1176	—
42.	महारिया	4491	4491	662	3589	2293	1577
43.	नयावास	—	—	—	—	—	—
44.	कोलीवाडा	—	—	—	—	—	—
45.	डिगो	—	—	—	—	—	—
46.	पट्टी किशोरपुरा	—	—	—	—	—	—
47.	किशोरपुरा खुर्द	—	—	—	—	—	—
	योग :	47665	52490	141560	83513	69104	19089

शुद्धि-पत्र

क्र.सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	48	30	श्री ाबूलाल ववर्मा	श्री बाबूलाल वर्मा
2.	127	1	नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	नि. 295 के त. प्रा. सू.
3.	129	फोलियों	स्थ.प्र. पर अ.व्य.	नि. 295 के त. प्रा. सू.
4.	261	15	श्री भैंरोंसिह शेखावत	श्री भैंरोंसिह् शेखावत
5.	269	7	श्री भैंरों सह शेखावत	श्री भैंरोंसिह् शेखावत